CURRICULUM VITAE

Dr. VIJAYENDU CHATURVEDY

Co-ordinator

Deptt. of Mass Communication & Journalism

Dr. R.M.L. Avadh University, Ayodhya (U.P.)

Mobile No. 9415374908

E-mail : vijayendu.chaturvedy@gmail.com

TEACHING EXPERIENCE

- **Assistant Professor, Deptt of Mass Communication & Journalism in Dr. R.M.L. Avadh University, Ayodhya. Since 08 Dec. 2005 to till date.**
- Lecturer HOD, Deptt. of Mass Communication & Journalism, R.S.K.D.P.G. College, Jaunpur (19 May 2003 to 07 Dec.2005)

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

- Ph.D in Journalism Lucknow University, Lucknow 2003.
- Post Graduate in Mass Communication from V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur (U.P.) 2000.
- Bachelor of Science (Bio) from University of V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur (U.P.) 1998.
- Intermediate from U.P. Board, Allahabad in the year 1995.
- High school from U.P. Board, Allahabad in the year 1993.

ACADEMIC PROJECT

- Project report on “Study of Reader’s view towards Rashtriya Sahara, Lucknow” in 2000.

RESEARCH EXPERIENCE

- Two and half year during Ph.D in the Dept of Journalism and Mass Communication. Lucknow University Lucknow.(U.P.)
- Guiding research as Supervisor to the Post Graduate students in their dissertation for the last 14 years.

INDUSTRIAL EXPOSURE

- District Reporter in Dainik Samachar, Jaunpur, (U.P.) (Nov. 2000 to Nov. 2002)

ARTICLES/ CHAPTERS PUBLISHED IN BOOKS

- Purvanchal Evem Uski Lok Parampara, Purvanchal Gaurav Patrika, Gorakhpur, 2002
- Vaidik Hindu Vidhi Shashtra Evem Manusmiriti, Purvasamvad Patrika Gorakhpur, 2007
- Aatankvaad Ghatak aur Vinaskari, Purvasamvad Patrika Gorakhpur 2008.
- Patrakarita aur Samajik Samrasta, Samajik Samrasta Patrika Gorakhpur 2009.
- Manav Adhikar aur Bhartiy Mulya, Vidhik Chetana, Jaunpur, 2009
- Hindi Media me Paid News ka Badhta Chalan, Vishwasniyata ka Sankat, Hindi Patrakarita: Sambhavnayen evm Chunautiya, 2014

RESEARCH PAPERS

- Press ki Swatantrata Evam Nyayalay ki Bhumika, Bhartiya Samajik Vigyan Shodh Patrika, Basti, 2008
- Press ki Swatantrata Lakshya Dristi aur Chunautiyan, Vidhik Chetna Shodh Patrika, Jaunpur 2008

- Manav Adhikar Evam Bhartiya Mulya, Vidhik Chetana, Shodh Patrika Jaunpur, 2009
- Janjatiya kalyan aur Media ka Dayitwa, Vidhan Shodh Patrika Allahabad, 2011
- Press ki Swatantrata Dasha Evam Disha, Vidhan Shodh Patrika Allahabad, 2011
- Vishwa Press Swatantrata Diwas Sandesh Evam Sarthakta, Vidhan shodh Patrika, Allahabad 2012
- Bal Adhikar Evam Media, Vidhan Shodh Patrika, Allahabad 2012
- Manav Adhikar Sanrakshan aur Media ek Uttardaitva Vidhan Shodh Patrika, Allahabad 2012
- Samajik Samrasta me Patrakarita ka Mahatva Adhikar Shodh Patrika Varanasi, 2012
- Suchana ka Janadhikar Ek Chunautipurna Uttardaitva Vidhan Shodh Patrika, Allahabad, 2013
- Hindi Media me Paid News ka Badhata Chalan, Vishwasniyata ka Sankat, Vidhan Shodh Patrika Allahabad, 2013
- PROTECTION OF HUMAN RIGHTS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CONCEPT OF PEOPLES RIGHTS AS THE THIRD GENERATION OF HUMAN RIGHTS, Vidhan Shodh Patrika, Allahabad, 2013
- Web Patrakarita Evm Hindi, Vidhan Shodh Patrika, Allahabad, 2014.
- Samachar Patron Mein Prakashit Avaidh Vigyapan, Srinkhla Eke Sodhparak Vaicharik Patrika Kanpur, 2019

WORKSHOP/ SEMINAR/FDP ATTENDED

- Experience of organizing workshop in the Avadh University Dept. of Mass Communication & Journalism in collaboration with the National

Science and Technology Department Government of India in March 2007.

- Experience of organizing workshop in the Avadh University Dept. of Mass Communication & Journalism in collaboration with the National Science and Technology Department Government of India in March 2010.
- Participated in the National Seminar on Scheduled tribe in India, Kushabhau Thakre University,Raipur, Chattisgarh in April,2010
- Attended all India National Seminar on Child Development and Protection sponsored by UGC New Delhi in Ganpat Sahai P.G. College, Sultanpur February 2012,
- Participated and presented a research paper in the National Seminar in the Dept. of Mass Communication & Journalism organized by B.B.A. Central University Lucknow in February 2013.
- Attended National Seminar on Human Rights and Indian Constitution with Special Reference to Judiciary, Sponsored by U.G.C ,New Delhi in K.S. Saket P.G. College, Ayodhya-Faizabad March, 2014.
- Participated and presented a research Paper in the National Seminar on Online Journalism: Challenges and Prospects, organized by School of Media Studies, Jaipur National University, Jaipur April, 2014.
- Attended National Seminar on Empowerment of Women in India: Opportunities And Challenges, Sponsored by U.G.C, New Delhi in K.S. Saket P.G. College, Ayodhya-Faizabad November, 2014.
- Participated and presented a research Paper in the National Seminar on Socio-Political Development-Legal Awareness and Human Rights, organized by U.G.C ,New Delhi in K.S. Saket P.G. College, Ayodhya-Faizabad February, 2016.

- Attended National Seminar on Human Rights and Social Justice, organized by U.G.C, New Delhi in K.S. Saket P.G. College, Ayodhya-Faizabad February, 2016.
- Participated in the National Seminar on Mohan se Mahatma tak ki yatra, organized by Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Allahabad March, 2016.
- Attended National Seminar on Contemporary Scenario of Higher Education: Challenges and Prospects, Sponsored by Department of Higher Education, Uttar Pradesh in K.S. Saket P.G. College, Ayodhya-Faizabad March, 2016.
- Participated and presented a research Paper in the National Seminar on Issue and Challenges of Education in Indian Context, organized by U.G.C, New Delhi in Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur March,2016.
- Participated in the National Seminar on Bharat me Asmitain: Vishesh Sandarbh-Sindhi Samaaj Evam Sanskriti, organized by Sindhi Peeth, Anuvad Adhyayan evam Prashikshan Vidyapith IGNOU, New Delhi in Dr. R.M.L. Avadh University Faizabad December, 2016.
- Attended National Seminar on Colonial India: History, Literature and Politics , Sponsored by Internal Quality Assurance Cell (IQAC) in Ramabai Government Mahila PG College, Akberpur, Ambedkar Nagar, January,2018.
- Attended National Seminar on Environmental Issues And Challenges In India, Sponsored by Department of Higher Education, Uttar Pradesh in Ramabai Government Mahila PG College, Akberpur, Ambedkar Nagar, Feburary,2018.

- Participated and Presented a Research Paper in the Seminar on Bhojpuri Cinema: Sarokar aur Bazar organized by Dept. of Mass Communication & Journalism B.B.A. Central University Lucknow in February 2018.
- Participated in the Workshop on Emerging Trends in Physical Science Organized International Academy of Physical Sciences, Allahabad in Dr. R.M.L. Avadh university, Ayodhya. 13 April to 15 April. 2018
- Participated in the Workshop on Science for People and People for Science, Organized National Project Implementation Unit MHRD, Govt. of India, in I.I.T. Dr R.M.L. Avadh university, Ayodhya. 28 February to 01 March. 2019
- Attended Workshop on Recent Advances in CAD/CAM Sponsored by TEQIP-III, Implementation Unit MHRD, Govt. of India, in I.I.T. Dr R.M.L. Avadh university, Ayodhya. 25 March to 29 March. 2019
- Attended Seminar on Recent Advances in Yoga and Naturopathy organized by International Naturopathy organization, Uttar Pradesh in Department of Yoga Therapy, Dr. R.M.L. Avadh University, Ayodhya. 30 March to 31 March. 2019
- Attended Workshop on Research Methodology organized by IQAC and Research for Resurgence Foundation, Nagpur in Dr. R.M.L. Avadh University, Ayodhya. 20 April to 26 April. 2019
- Participated in the International E- Seminar on Ram Naam Avalamban Ekoo Organized by Dr R.M.L. Avadh university, Ayodhya. 26 March to 28 March. 2020
- Participated in the National Webinar on Significant Role of E-Education Through Social Distancing During Lockdown Covid-19 Pandemic Organized by I.I.T. Dr R.M.L. Avadh university, Ayodhya. 08 April to 09 April, 2020

- Participated in the FDP on E-Content Creation For Moocs and Moodle Organized by I.I.T. Bombay Spoken Tutorial with Dr R.M.L. Avadh University, Ayodhya. 10 July to 14 July, 2020
- Participated in the National Webinar on Exploring and Understanding The Role of Media During Covid-19 Organized by Deptt of Mass Communication, VBS Purvanchal University, Jaunpur. 17 May, 2020
- Participated in the National Webinar on Importance of Indian Ancient Culture, Science and Technology and Spirituality inside Effect of Covid-19 Virus Organized by Dr R.M.L. Avadh university, Ayodhya. 19 April, 2020
- सहभागिता ई–राष्ट्रीय संगोष्ठी जम्मू और कश्मीरः एक महत्वपूर्ण सामाजिक भू–क्षेत्र, आयोजक भारतीय शिक्षण मंडल एवं डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या। दिनांक 24 व 25 जून, 2020।
- Participated in the E-National Webinar on Sanskrit Vangmaya aur Manviya Mulya Organized by IIT, Achraya Narendra Dev Kishan P.G. College, Gonda with Dr R.M.L. Avadh university, Ayodhya. 04 June, 2020

INSTITUTIONAL EXPERIENCE

- Appointed observer in the inspection of Post Graduate Diploma in Mass Communication & Journalism Saket P.G. College Ayodhya, Faizabad.
- Appointed observer in the carrer counselling camp in Saraswati Devi Gyansthali Mahila College, Gonda organized by the University Employment Bureau of Avadh University, Faizabad.
- Appointed expert in the subject of MJMC for Selection of Lecturer by the University of Lucknow, Lucknow.
- Appointed Central Observer in B.Ed. Entrance Exam-2012.

- Appointed member in the Media cell of Dr. R.M.L. Avadh University, Faizabad. by the Vice Chancellor in August 2013.
- Created a documentary film on occasion of foundation day, 2014 of Dr R M L Avadh University, Faizabad.
- A member of media committee of convocation of Dr R M L Avadh University, Faizabad.
- A member of media committee of National Seminar organized by Dr R M L Avadh University Faizabad.
- Appointed Flying Squad member in Main Exam Dr. RML Avadh University, Faizabad.2014
- Appointed Flying Squad member in Main Exam Dr. RML Avadh University, Faizabad.2015
- Appointed Assistant Co-ordinator Evaluation Main Exam Dr.RML Avadh University, Faizabad.2016
- Appointed Observer in MD,MS,MDS Exam Dr.RML Avadh University, Faizabad.2017
- Appointed Boys Hostel Suprintendant Dr.RML Avadh University, Faizabad.2017
- Appointed Observer in BDS, Nursing, Paramedical Exam Dr. RML Avadh University, Faizabad.2017
- Appointed Observer in MBBS Exam Dr. RML Avadh University, Faizabad.2018
- Appointed Convener (BOS) Deptt of M.C.J., Dr. RML Avadh University, Faizabad.2019
- Appointed Media Incharge, Dr. RML Avadh University, Ayodhya .2019
- Appointed Co-ordinator Deptt. of M.C.J. Dr. RML Avadh University, Ayodhya.2019

- Appointed Coordinator, Placement cell, Dr. RML Avadh University, Ayodhya.2019
- As a Convener of National Webinar The Role of Mass Media During the Pandemic Covid-19 in the Deptt. of Mass Communication & Journalism, Dr. RML Avadh University. 07 May, 2020.
- Appointed Observer in B.Ed Entrance Exam Dr.RML Avadh University, Ayodhya.2020

PERSONAL PROFILE

Name:	**Dr. VIJAYENDU CHATURVEDY**
Father Name :	Late. Dr.M.D. Chaturvedi
Address :	Infront of Line bazaar Police Station, New Colony Jaunpur. Pin-222002
Date of Birth	12 January 1976
Sex	Male
Marital Status	Married
Nationality	Indian

(Dr. VIJAYENDU CHATURVEDY)

Enclosure

ISSN : 0974-0694

भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

INDIAN RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

अंक : 14 संख्या : 1 जून 2008

सरयूपार सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्-बस्ती

डॉ0 रामदेव त्रिपाठी
प्रधान सम्पादक

सरयूपार सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, बस्ती (उ0प्र0) भारत
SARYUPAR ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, BASTI (U.P.) INDIA
Registration No. 571/1988

Scanned with CamScanner

अनुक्रम

पृष्ठ संख्या

1. मछलाड बेसिन में प्रवाह गठन का एक भू-आकृतिक अध्ययन 1-5
प्रो0 डी0डी0 मैठाणी, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
कु0 रेणु, शोध छात्रा, भूगोल विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
डॉ0 गायत्री प्रसाद, प्राध्यापक, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल, पौड़ी (उत्तराखण्ड)

2. बस्ती नगर पालिका क्षेत्र (उ.प्र.) में जल निकास तंत्र : एक भौगोलिक अध्ययन 6-11
डॉ0 राम देव त्रिपाठी, रीडर, भूगोल विभाग, शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती (उ0प्र0)
गुणाकर नाथ तिवारी, प्रवक्ता, भूगोल विभाग, शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती (उ0प्र0)

3. बस्ती मण्डल में भूमि उपयोग का वर्तमान वितरण प्रतिरूप 12-15
मनीषि श्रीवास्तव, शोध छात्र, भूगोल विभाग, डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, आजमगढ़

4. भारत में उच्च शिशु-मृत्यु दर : कारण और निवारण 16-18
डॉ0 रामसूरत त्रिपाठी, रीडर, भूगोल विभाग, अतर्रा पी. जी. कालेज, अतर्रा, बाँदा (उ0प्र0)
डॉ0 अनिल कुमार तिवारी, प्रवक्ता, भूगोल विभाग, अतर्रा पी. जी. कालेज, अतर्रा, बाँदा (उ0प्र0)

5. छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजनीतिक दलों के समर्थन के सामाजिक-आर्थिक आधार 19-27
डॉ0 द्विजेश कुमार पाण्डेय, भूगोल विभाग, ए.एस.आई. कालेज घुघली, महराजगंज (उ0प्र0)

6. सतहरिया औद्योगिक विकास केन्द्र (सीडा) : जौनपुर का भौगोलिक विश्लेषण 28-32
डॉ0 प्रदीप कुमार, वरिष्ठ प्रवक्ता, भूगोल विभाग, शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती (उ0प्र0)

7. जनपद सन्तकबीरनगर (उ0प्र0) में कृषिगत विविधता का भौगोलिक विश्लेषण 33-35
डॉ0 गोविन्द प्रसाद, रीडर, भूगोल विभाग, राणा प्रताप पी.जी. कालेज, सुल्तानपुर (उ0प्र0)
इन्द्र देव पति त्रिपाठी, शोध छात्र, भूगोल विभाग, राणा प्रताप पी.जी. कालेज, सुल्तानपुर (उ0प्र0)

8. समन्वित ग्रामीण विकास में अवस्थापनात्मक तत्वों की भूमिका (तहसील घनघटा, जनपद-सन्तकबीरनगर का एक प्रतीक अध्ययन) 36-40
जय प्रकाश, शोध छात्र, भूगोल विभाग, का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)
डॉ0 बी.बी. पाण्डेय, रीडर, भूगोल विभाग, का.सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

9. प्रतापगढ़ तहसील (उ.प्र.) में जनसंख्या गत्यात्मकता 41-43
डॉ0 (श्रीमती) रेखा तिवारी, प्रवक्ता, भूगोल विभाग, म0मो0मा0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपाररानी, देवरिया, (उ0प्र0)

10. बस्ती मण्डल में कृषि विकास को प्रभावित करने वाली जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताओं का भूवैन्यासिक विश्लेषण 44-51
डॉ0 आर0 डी0 पाण्डेय, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, शिव हर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती (उ0प्र0)
श्रीमती वन्दना त्रिपाठी, शोध छात्रा, भूगोल विभाग, दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0)

11. बाबर कृत 'बाबरनामा' में भारत वर्णन-एक अध्ययन 52-56
संजय कुमार मिश्र, स0अ0 पी.एन.एम.आई.सी. फाजिलनगर, कुशीनगर (उ0प्र0)

12. श्रेष्ठ कबीर एवं सर्वज्ञ कुम्हार की वैचारिक चिन्तन में तुलना 57-61
डॉ0 बलराम गुप्ता, प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, शिवहर्ष किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बस्ती (उ0प्र0)

13. रामचरित मानस में वर्णित नैतिक मूल्यों की वर्तमान संदर्भ में उपादेयता 62-63
डॉ0 (श्रीमती) मंशा देवी, वरिष्ठ प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, संत बिनोवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया (उ0प्र0)

14. प्रसाद का समाज-दर्शन 64-65
डॉ0 स्नेहलता गुप्त, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, महिला पी. जी. कालेज, बस्ती (उ0प्र0)

15. राम चरित मानस में संयुक्त परिवार की भूमिका : वर्तमान संदर्भ में 66-67
अमिता गिरि, प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, वी.पी.जी. कालेज, जगदीशपुर–बरडीहा (उ0प्र0)

16. हिन्दी उपन्यास और उपन्यास की भारतीयता 68-70
डॉ0 गौरव तिवारी, प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, शिवहर्ष किसान पी0जी0 कॉलेज, बस्ती (उ0प्र0)

Scanned with CamScanner

17. आई सी.डी.एस. कार्यक्रम का ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच और प्रभाव का अध्ययन 71-73
वन्दना मौर्या, शोध छात्रा, गृह विज्ञान विभाग, श्री अग्रसेन कन्या, स्वायत्तशासी पी.जी. कालेज परमानन्दपुर, वाराणसी (उ0प्र0),
डॉ. अर्चना श्रीवास्तव, प्रवक्ता, गृह विज्ञान विभाग, श्री अग्रसेन कन्या, स्वायत्तशासी पी.जी. कालेज परमानन्दपुर, वाराणसी (उ0प्र0)

18. सरयूपार मैदान (उ0प्र0) का भूमि उपयोग स्वरूप 74-84
डॉ0 (श्रीमती) सन्तोष वर्मा, 'रीडर, भूगोल विभाग, राजकीय पी.जी. कालेज, टेहरी, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
स्नेह शिखा मिश्रा, शोध छात्रा, भूगोल विभाग, राजकीय पी.जी. कालेज, टेहरी, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

19. बालक के जीवन में खेल की अहम् भूमिका 85-88
डॉ0 कविता, अतिथि प्रवक्ता, गृह विज्ञान विभाग, म0गॉ0 का0 विद्यापीठ, वाराणसी (उ0प्र0)

20. शिक्षित लड़कियों का विवाह के प्रति बदलता दृष्टिकोण (गोरखपुर परिक्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में) 89-93
मनीष कुमार पाण्डेय, शोध छात्र, समाज शास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0)

21. पर्यावरणीय शिक्षा एवं समाज : एक संकल्पनात्मक विश्लेषण 94-96
डॉ0 वीना सिंह, प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग, महिला पी0जी0 कालेज, बस्ती (उ0प्र0)

22. शैक्षणिक प्रदूषण के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण (आजमगढ़ जनपद के विशेष संदर्भ में) 97-102
डॉ0 राजेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता, समाजशास्त्र विभाग, ए0पी0एन0पी0जी0 कालेज, बस्ती (उ0प्र0)

23. माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका 103-107
विपिन कुमार सिंह, प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र, चैधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय पदमापुर, पाण्डवनगर-बस्ती (उ0प्र0)

24. उच्च शिक्षा का भूमण्डलीकरण - चुनौतियाँ तथा सम्भावनाएं 108-109
डॉ0 आर.के.सिंह, प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र विभाग, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0)

25. पर्यावरण प्रदूषण : समस्या एवं समाधान 110-114
ओंकार सिंह, प्रवक्ता, बी.एड. विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया (उ0प्र0)

26. शिक्षा में अनुशासन और मूल्य 115-118
डॉ0 शिव बहादुर सिंह, प्रवक्ता, बी.एड. विभाग, श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया (उ0प्र0)

27. चीन के साथ प्राचीन भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध : एक अध्ययन 119-121
चन्द्रेश्वर प्रताप सिंह, शोध छात्र, प्राचीन इतिहास विभाग, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

28. प्राचीन भारत में 'राज्य' व्यवस्था का उदय 122-124
मनोज कुमार तिवारी, शोध छात्र, प्राचीन इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय-लखनऊ (उ0प्र0)

29. हिन्दू जीवन दर्शन में पुरूषार्थों की भूमिका 125-127
डॉ0 सुधा त्रिपाठी, प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग, महिला पी0जी0 कालेज, बस्ती (उ0प्र0)

30. जनसंख्या संकेन्द्रण एवं प्रसार का मापन एवं मूल्यांकन केराकत तहसील जनपद जौनपुर (उ0प्र0) के विशेष सन्दर्भ में 128-131
गीतान्जलि, शोध छात्रा, वाणिज्य संकाय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर (उ0प्र0)

31. कायिक जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय मूल्यांकन : केराकत तहसील जनपद जौनपुर (उ0प्र0) का एक प्रतीक अध्ययन 132-134
गीतान्जलि, शोध छात्रा, वाणिज्य विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ0प्र0)

32. आर्थिक मन्दी और भारत में आतंकवाद 135-137
कु0 सरोज सिंह, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र विभाग, शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती (उ0प्र0)

33. व्यावसायिक प्रकार तथा आवश्यकता स्वरूप : एक संकल्पनात्मक विश्लेषण 138-143
डॉ0 पम्मी कुमारी सिन्हा, मनोविज्ञान विभाग, तिलकमाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (बिहार)

34. प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायालय की भूमिका 144-147
डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी, प्रवक्ता, जनसंचार और पत्रकारिता विभाग, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

Scanned with CamScanner

35. ENVIRONMENTAL LEGISLATIONS IN INDIA A LONG WAY TO GO 148-150
Dr. Sangeeta Pandey, Reader, Sociology Deptt. D.D.U. University of Gorakhpur, (U.P.)

36. HISTORY AND NARRATIVE AN ANALYSIS OF *THE POSTMODERN CONDITION* 151-158
Raghuvansh Mani, Reader & Head, English Department, Shivharsh Kisan P.G. College-Basti (U.P).

37. INDIAN DEMOCRACY AND THE POLITICAL CRISIS 159-163
Dr. O.P. Singh, Reader, Deptt. of Economics, S.H.K. P.G. College, Basti (U.P.)

38. DISINVESTMENT IN INDIA : AN ANALYSIS 164-166
Manish Srivastava, Lecturer, Deptt. of Economics, S.H.K.P.G. College, Basti (U.P.)

39. REGIONAL DIMENSION OF DISPARITY IN WORK PARTICIPATION : A STUDY OF DEORIA DISTRICT 167-172
Kanchan Singh, Research Scholar, Department of Geography, Banaras Hindu University, Varanasi,
Prof. Jagadish Singh, Professor, Department of Geography, Banaras Hindu University, Varanasi.

40. BERNARD SHAW : TREATMENT OF THE FORCE OF EVOLUTION 173-175
Dr. Amit Singh, Lecturer, D.N.P. Govt. Girls P.G. College, Deoria (U.P.)

Scanned with CamScanner

प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायालय की भूमिका

डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी*

भारतीय प्रेस को उसके दायित्त्वों का बोध कराने, समाज में उसको प्रतिष्ठा प्राप्त कराने और उसकी स्वतंत्रता के आयाम क्षेत्र को बढ़ाने में भारतीय न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही मूल अधिकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा बन गई है। पिछली पाँच दशाब्दियो में इस अधिकार के विकास के इतिहास के अध्ययन से यही ज्ञात होता है।

भारतीय संविधान के प्रारम्भ की पहली दशाब्दी वह दशाब्दी थी, जिसमें मूल अधिकार के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता ने अपना जन्म लिया था और एक शिशु की तरह उसकी काया का विस्तार हुआ था। संविधानोत्तर दूसरी दशाब्दी सकल पेपर्स के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता के विस्तार क्षेत्र और राजनारायण और कामेश्वर सिंह के माध्यम से धरना और प्रदर्शन जैसे अधिकारों को मान्यता प्रदान करने का कालखण्ड था। सन् 1970 से 1980 की दशाब्दी आपात और राजनैतिक उपद्रव और खलवली का कालखण्ड बन गयी थी और इस कालखण्ड में प्रेस की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण विस्तार नहीं हो सका, सिवाय इसके कि इस दशाब्दी में फिल्मों के प्रदर्शन और शिक्षा के अधिकार को नये आयाम प्रदान किए गए। इसी कालखण्ड में प्रेस की स्वतत्रता के अन्तर्गत पढ़ने और सूचित किए जाने के अधिकार का भी समावेश किया गया।

सन् 1980 से 1990 तक का कालखण्ड वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विकास का एक महत्वपूर्ण कालखण्ड साबित हुआ। इस कालखण्ड में न्यायपालिका द्वारा अनेक नयी उद्घोषणाएं की गयी और प्रेस की स्वतंत्रता के आयाम क्षेत्र में विस्तार किया गया। जानकारी और सूचना प्राप्त करने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, गायन और नृत्य का अधिकार, प्रस्तुति और उत्तर का अधिकार इस दशाब्दी में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नये आयाम-क्षेत्र थे। इण्डियन एक्प्रेस न्यूज पेपर्स प्रकरण ने प्रेस की स्वतंत्रता को नयी खुराक प्रदान की। परन्तु इसी दशाब्दी में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाने का वाला निर्णय प्रदान किया गया और उनके अनुचिंतन क्षेत्र से शिक्षा के अधिकार के सम्मिलित होने की सम्भावना को क्षीण करते हुए सूचना के अधिकार को क्षति पहुंचायी गयी।

सन् 1991 से 2000 तक का कालखण्ड, जिसे संविधानोत्तर पंचम दशाब्दी अथवा बीसवीं शताब्दी के नवें दशक की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। आटो शंकर प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय प्रदान किया गया है कि शासन को इस आधार पर किसी आत्म कथा के प्रकाशन पर पूर्व अवरोध के अधिरोपण का प्राधिकार नही प्राप्त है कि वह मानहानिकारक होगा, अथवा उसके परिणाम स्वरूप एकान्तता के अधिकार का अतिक्रमण होगा। पहले से ही यह नहीं कहा जा सकता कि कोई प्रकाशन कुछ लोक अधिकारियों के लिए मानहानिकारक होगा। उसके प्रकाशन के बाद यदि यह अभिकथित किया जाता है कि वह मानहानिकारक है तो प्राधिकारियों को साधारण विधि के अधीन उपचार प्राप्त है। इस प्रकार, यह विनिश्चय सशक्त शब्दों में प्रेस की स्वतंत्रता पर इस आधर पर पूर्व अवरोध के अधिरोपण का विरोध करता है कि कतिपय लोगों को उस प्रकाशन से उनकी मानहानि होने की आशंका है। न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रेस को अभियोजित नहीं किया जा सकता, यदि प्रकाशन लोक अभिलेखों पर आधारित है।

इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और वैयक्तिक स्वतंत्रता की परिधि में एकान्तता का अधिकार भी सम्मिलित है। प्रत्येक व्यवित को यह अधिकार है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाय। उसका यह अधिकार यह है कि वह अपने स्वयं की एकान्तता की रक्षा करें, इसी तरह, उसको अपने परिवार, विवाह, संतानोत्पत्ति, मातृत्व, संतान धारण करना और अन्य बातों में शिक्षा की एकान्तता के अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को किसी व्यवित की सम्मति के विना इसकी एकान्तता से सम्बन्धित किसी भी बात के प्रकाशन का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वह सत्य हो या नहीं अथवा उसकी चाहे जो भी प्रकृति हो। यदि वह ऐसा करता है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति की एकान्तता के अधिकार का अतिक्रमण करता है। और नुंकसानी की किसी कार्यवाही में वह उसके लिए उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह नियम इस अपवाद के अधीन है कि कोई भी प्रकाशन जो उक्त बातों के प्रकाशन से सम्बन्धित है एकान्तता

*प्रवक्ता, जनसंचार और पत्रकारिता विभाग, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

Scanned with CamScanner

के अधिकार के अतिक्रमण का दोषी नहीं होगा यदि वह लोक अभिलेखों पर आधारित है जिसमें न्यायालय के अभिलेख भी सम्मिलित हैं। इसका कारण यह है कि जैसे ही कोई विषय लोक अभिलेख का विषय बन जाता है उसमें एकान्तता का अधिकार विद्यमान नहीं रह जाता और वह प्रेस और मीडिया और अन्य लोगों की टीका-टिप्पणी का एक वैधानिक विषय बन जाता है। परन्तु शिष्टाचार की यह अपेक्षा है कि इस नियम को भी इस अपवाद के अधीन रखा जाय कि जब भी कोई स्त्री अश्लील हमला, व्यपहरण, अपहरण अथवा उसी जैसे अपराध की शिकार बनायी जाय तब उसको उसके नाम को कुमर्यादित न बनाया जाय और उससे सम्बन्धित अशिष्ट बातों को प्रेस तथा मीडिया के माध्यम से न उछाला जाय।

नवे दशक में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि सरकार स्थानीय प्राधिकारी, अन्य संगठन और ऐसे अन्य संस्थान जो सरकारी शक्तियों का प्रयोग करते हों अपनी अवमानना के लिए प्रेस के विरूद्ध कोई भी वाद संरक्षित नहीं कर सकते परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रेस को शासकीय गुप्त बात अधिनियम या उसी जैसे अन्य अधिनियम या उपबन्ध भी लागू नहीं होगे। सन् 1993 ई0 में एक इंग्लिश विनिश्चय में सशक्त शब्दों में यह घोषणा की गई है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार या किसी प्राधिकारी के अधीन कोई पद धारण करता है तो मानहानि के लिए नुकसानी के दावे का उसको प्राइवेट अधिकार प्राप्त है यदि प्रकाशन में उसके लोक कर्तव्यों के निष्पादन से सम्बन्धित विपरीत टीका - टिप्पणियाँ अन्तर्वलित हैं परन्तु वह अपने पद और प्राधिकार के नाम पर दावा नहीं कर सकता और अपने मुकदमें को लड़ने के लिए शासन अथवा प्राधिकारी के धन का प्रयोग नहीं कर सकता।

नवें दशक में न्यायालय ने एक यह भी महत्वपूर्ण विनिश्चय प्रदान किया है कि टेलीफोन टेपिंग अनुच्छेद 21 में समाविष्ट एकान्तता के अधिकार का और अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण है। **सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फारमेशन एण्ड ब्राडकॉस्ट बनाम क्रिकेट ऐसोसिएशन ऑफ बंगाल** के प्रकरण में न्यायालय ने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार से सम्बधित एक और महत्वपूर्ण विनिश्चय प्रदान किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया पर सरकार को कोई भी एकाधिकार नहीं प्राप्त है। और अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन किसी भी नागरिक को किसी भी महत्वपूर्ण घटना के प्रकाशन का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह मनुभाई शाह के प्रकरण में न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन प्रत्येक नागरिक को प्रिन्ट अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा अपने दृष्टिकोणों के प्रचार और अपने दृष्टिकोण के विरूद्ध की गई आलोचना का उत्तर देने का अधिकार प्राप्त है।

नवें दशक में ही न्यायालय द्वारा "वाणिज्यिक भाषण" या वाणिज्यिक विज्ञापन को भी वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अंग बताया गया है। जिसे अनुच्छेद 19(1)(क) के ही अधीन निर्वन्धित किया जा सकता है न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि विज्ञापन को हमारी आर्थिक व्यवस्था में कोण - प्रस्तर के रूप में स्वीकार किया गया है। उत्पादन की प्रचुरता पर ही उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर वस्तुऐं सुलभ हो सकती है। प्रचुर उत्पादन विक्रय के परिणाम पर निर्भर करता है और विक्रय का परिणाम विज्ञापन पर से परे विज्ञापनों को स्वतंत्र मीडिया के प्राण रक्त के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। क्योंकि वह मीडिया के खर्च की पूर्ति करता है और इस तरह उसको सबके लिए व्यापक रूप से उपलब्धनीय बनाता है। लोकतन्त्रात्मक प्रेस के लिए राजकीय सहायता एक निर्णायक बात होती है। विज्ञापन के अभाव में समाचारों पर होने वाले खर्चों का स्रोत शून्य हो सकता है और उसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता और मात्रा दोनों या क्षरण हो सकता है। विज्ञापनों के अभाव में जनता पर समाचारों का खर्च बढ़ सकता है और इस तरह उसकी लोकतंत्रात्मक उपलब्धता निर्वन्धित हो सकती है।

"वाणिज्यिक भाषण" के रूप में विज्ञापन के दो पटल है। विज्ञापन, जो कि एक तरफ वाणिज्यिक संव्यवहार है। वहीं दूसरी तरफ वह विज्ञापित उत्पाद से सम्बन्धित सूचना का प्रसार भी है। जनता व्यापक रूप से उस सूचना से लाभान्वित होती है जो उसे विज्ञापन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। किसी लोकतंत्रात्मक अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक सूचना का स्वतंत्र प्रवाह अनिवार्य होता है। जनता द्वारा व्यापक रूप से ईमानदारी और बचतपूर्ण विपणन हो ही नहीं सकती जब तक कि विज्ञापनों के माध्यम से प्रचारित सूचनाओं द्वारा उसको शिक्षित न बना दिया जाय। यदि "वाणिज्यिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मंजूर नहीं किया जाता तो किसी भी लोकतंत्र की आर्थिक व्यवस्था विकलांग बन सकती है। अतः प्रचार प्रकाशन और परिचालन के माध्यम से किये गये विज्ञापनों पर यदि कोई अवरोध या कटौती की जाती है तो वह अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। परन्तु यदि "वाणिज्यिक भाषण" प्रवंचनाओं से परिपूर्ण अनुचित भ्रामक और असत्य हैं तो उस पर अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन निर्बन्धन स्थापित किया जा सकता है और राज्य द्वारा

Scanned with CamScanner

विनिश्चय स्वागत योग्य है क्योकि इसमें हमदर्द दवाखाना के प्रकरण में अभिव्यक्त किये गये दृष्टिकोण से स्पष्ट विचलन परिलक्षित है। हमदर्द दवाखाना के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वाणिज्यिक विज्ञापन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण की परिधि में नहीं आते क्योंकि ऐसे किसी विज्ञापन में व्यापार और वाणिज्य का तत्व विद्यमान रहता है उस प्रकरण में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था। कि ऐसी कोई विधि जो प्रेस अथवा अन्य साधनों में फतियम वस्तुओं के विक्रय की प्रोन्नति के लिए विज्ञापनों पर निर्बन्धन लगाती है, वाक् और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करती। परन्तु वाद के क्रमों में जब वाणिज्यिक सूचना अपरिहार्य बन गयी तब टाटा प्रेस के उक्त प्रकरण में यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया कि जनता को वाणिज्यिक भाषण को सुनने और प्राप्त करने का अधिकार है।

नवें दशक में फूलन देवी फिल्म प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा फिल्म को प्रदान किया गया प्रमाणपत्र वैधानिक माना गया और इसके पूर्व ख्वाजा अहमद अब्बास के प्रकरण में दिये गये अपने विनिश्चय का अनुकरण करते हुए यह कहा गया कि ए (केवल वयस्कों के लिए) और यू (सभी के लिए) वर्गो में फिल्मों का किया गया विभाजन वैध है। न्यायालय द्वारा यह भावना व्यक्त की गयी कि किसी भी फिल्म के पड़ने वाले प्रभावों की जाँच के लिए उसकी समग्रता के सन्दर्भ में कोई विनिश्चय किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह विनिश्चय यद्यपि फिल्मों से सम्बन्धित है परन्तु यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि चूंकि फिल्म भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है अतः जो कुछ किसी फिल्म के सम्बन्ध में सत्य है वह प्रेस के सम्बन्ध में भी सत्य है।

नवें दशक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण विनिश्चय प्रदान किया गया है। न्यायालय द्वारा राजनैतिक दलों, संगठित निकायों अथवा संघों द्वारा बन्द के आह्वान, बन्द रखना और उसके प्रर्वतन को अवैधानिक बताया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बन्द का आह्वान हड़ताल से भिन्न है और अपनी समष्टि में व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाला है। यह प्रतीत होता है कि चूँकि अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में बन्द यदि अनुज्ञेय नहीं है तो इसकी संकल्पना को प्रेस की स्वतंत्रता की परिधि में भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय का अवमान प्रेस की स्वतंत्रता का अंग नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नवें दशक में कतिपय पत्रकारों द्वारा की गई अवमानना के लिए उनकी समभावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्षमा तो प्रदान कर दिया गया परन्तु यह अभिनिर्धारित किया गया कि समाचार पत्रों को न्यायालय की गरिमा पर किसी भी प्रकार का आक्षेप लगाने के पूर्व प्रकाशित की जाने वाली विषय वस्तु की सत्यता की पुष्टि कर लेनी चाहिए और न्यायालय को कठिनाई में डालने से बचाने का प्रयास करना चाहिए।

इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के विकास हेतु नवें दशक में एक एजेण्डा प्रस्तुत किया गया है और प्रेस की स्वतंत्रता के उपयोग की सीमान्त रेखा में दिग्दर्शन भी कर दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता के सन्दर्भ में न्यायापालिका द्वारा सामान्य विषयवस्तु प्रदान करके विकास का जो मार्ग प्रशस्त किया गया है। वह यह है, कि प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण स्वयं उसके प्राण और रक्त का संरक्षण है। अतः न्यायपालिका द्वारा किया गया यह योगदान महत्वपूर्ण परन्तु प्रेस की स्वतंत्रता का यह विकास यह भी अपेक्षा करता है कि इस स्वतंत्रता के दुरूपयोग के विरूद्ध भी कतिपय संरक्षाओं की आवश्यकता है। यद्यपि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग की सम्भाव्यता आज के सभी आधुनिक देशों में प्रकट है अतः इस गंभीर समस्या का उपचार भी आसान नहीं है। चूँकि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की प्रसंविदा की एक तिजोरी है। अतः इस स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि ब्राइस का अभिमत है कि प्रेस की स्वतंत्रता के कतिपय ऐसे परिणाम भी हैं जिन पर सहमति नहीं व्यक्त की जा सकती परन्तु उसकी समष्टि पर असहमति भी नहीं व्यक्त की जा सकती है। उसके अनेक और अनगिनत बड़े-बड़े लाभ भी हैं।

ब्राइस के कथन में सत्यता है और प्रेस का दमन नहीं किया जा सकता। प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य एकाधिकार अथवा समाचार पत्रों के राष्ट्रीयकरण द्वारा भी कोई उपचार नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योकि यदि ऐसा किया गया हो तो इसके परिणामस्वरूप लोक मस्तिष्क पर राज्य के संरक्षण का अधिरोपण करना होगा और स्वयं लोकतंत्र के विपरीत होगा। उसका परिणाम यही नही होगा मानो कि राज्य द्वारा सेन्सरत्व या दिन-प्रतिदिन के विनिमय की पद्धति से पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। इसलिए तो पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा एक बार यह कहा गया था कि मैं एक दमित या विनियमित प्रेस की अपेक्षा पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रेस की कामना करता हूँ चाहे भले ही उसकी स्वतंत्रता में कितने ही खतरे अन्तर्वलित क्यों न हों। पण्डित नेहरू की इस भावना के पीछे स्वतंत्रता सेनानियों का वह कटु अनुभव परिलक्षित होता है जो उन्होंने राजद्रोह और विशेष प्रेस विधियों के माध्यम से ब्रिटिश काल में समाचार पत्रों के दमन के रूप में देखा था।

Scanned with CamScanner

प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के विरूद्ध वास्तव में जो उपचार उपलब्ध है वह स्वयं अनुच्छेद 19 द्वारा उपबन्धित किया गया है। इस अनुच्छेद के खण्ड (2) में राज्य को सामाजिक हितों के प्रतिरोध में युक्तियुक्त निर्बन्धनों को अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया गया है और यह राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था जैसे आधारों पर प्रेस की स्वतंत्रता को निर्बन्धित कर सकता है। हम यह कहने में कोई संकोच नहीं कर सकते कि प्रेस नागरिकों का सेवक है, न कि उनका स्वामी और इसकी स्वतंत्रता में ऐसा कोई अनिर्बन्धित अनुज्ञापन नहीं अन्तर्वलित है जिसके माध्यम से वह नागरिकों को अपना शिकार बना सके। पूर्ण जिम्मेदारी के जीवित भावना के अभाव में कोई भी स्वतंत्र प्रेस तत्काल अन्याय का एक सशक्त उपकरण बन सकता है।

आधुनिक काल में प्रेस की स्वतंत्रता की संकल्पना में उन युक्तियुक्त निर्बन्धनों के साथ समायोजन स्थापित करना आवश्यक है जो कि राज्य द्वारा प्रतिरोधी लोक हितों की संरक्षा के लिए अधिरोपित किया जाय। इसीलिए ब्रिटिश रायल कमीशन द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को एक नूतन स्वर प्रदान किया गया है और इसको स्वतंत्रता की वह कोटि बतायी गयी है जिसमें ऐसे अवरोधों का अभाव है जो अधिस्वामियों, सम्पादकों और पत्रकारों को लोक हितों की प्रोन्नति के लिए सक्षम बनाने हेतु आवश्यक है ताकि वे ऐसे तथ्यों और अभिमतों को प्रकाशित कर सके जिसके बिना कोई भी लोकतंत्रात्मक मतदाता जिम्मेदारी से परिपूर्ण अपना निर्णय नहीं कर सकता।

CS Scanned with CamScanner

Quarterly:July-September 2011

ISSN: 2230-9896

VIDHAN

A Research Journal...

Year : 1, Vol. -3

September, 2011

Editor-in-Chief
Dr. Santosh Kumar Tiwari

Editors
Awanish Kumar Upadhyay
Satya Prakash Tripathi

Scanned with CamScanner

Contents/अनुक्रमणिका

1	INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN AWARDS: AN OVERVIEW Dr Banshi Dhar Singh	1-8
2	UNIFORM CIVIL CODE AND PERSONAL LAW – A CRITICAL ANALYSIS Dr. Kamal Ahmad Khan	9-16
3	GENDER JUSTICE THROUGH PROTECTIVE DISCRIMINATION: A CONSTITUTIONAL PERSPECTIVE Dr. Chandrashekhar	17-24
4	ACCESS TO JUSTICE FOR POOR THROUGH PIL Ram Bakas	25-28
5	THE 'THREE GENERATIONS' OF HUMAN RIGHTS AND 'RIGHT TO HEALTHY ENVIRONMENT' Dr. Ahmad Naseem	29-35
6	PROTECTION OF SHAREHOLDERS IN CORPORATE GOVERNANCE: AN OVERVIEW Vivek	36-42
7	HUMAN RIGHTS OF DELINQUENT JUVENILE: AN INDIAN PERSPECTIVE Balram Ji Rai	43-48
8	CONTROL OF AIR AND SOUND POLLUTION BY LAW M.K. Vishwakarma	49-52
9	NEED OF LOKPAL AS LEGAL INSTRUMENT FOR PREVENTION OF CORRUPTION IN INDIA Chandra Shekhar Joshi	53-60
10	HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN ICT ENVIRONMENT IN UNIVERSITY LIBRARIES: ISSUES AND CHALLENGES Suman Singh, Dr. U. C. Sharma & Dr. R. P. Bajpai	61-66
11	ADOLESCENCE IN CONTEMPORARY SOCIETY Dr Anshubhi Bahadur	67-69
12	NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS INTERVENTIONS IN YOUTH AND CHILD DEVELOPMENT Dr. Pratyush Pandey	70-75
13	THE FUTURE OF INDUSTRIAL HARMONY IN THE PUBLIC SECTOR IN INDIA Vishal Noble Singh	76-82
14	भारत में वर्ण एवं जाति व्यवस्थाः एक समीक्षा देवेन्द्र कुमार मिश्र व डॉ0 अखिलेश्वर शुक्ल	83-88
15	संयुक्त दायित्व के अपराध –एक संकल्पनात्मक विश्लेषण डॉ0 अनुराग दीप व जटाशंकर शर्मा	89-94
16	तपैदिक नियन्त्रण में सरकार और नागरिक समाज की भूमिका राज कुमार	95-99
17	भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू के मध्य वैचारिक सम्बन्ध : एक विश्लेषण अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	100-103
18	स्मृतिकालीन आर्थिक अवस्था का अवलोकन अजय कान्त	104-107
19	मुगलकाल में अवध सूबे की कृषि व्यवस्था पद्मा सिंह	108-110

CS Scanned with CamScanner

20	आतंकवाद : सामाजिक एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में श्रीमती किरन पाण्डेय	111-115
21	बापू के समाज कार्य में निहित ग्रामीण विकास की अवधारणा पवन कुमार त्रिपाठी	116-120
22	पर्यावरण अवनयन एवं पर्यावरण प्रबन्धन विवेक कुमार राय	121-125
23	जल प्रदूषण एवं जल संकटः एक वैश्विक समस्या श्रीमती वन्दना विश्वकर्मा	126-130
24	भाषा विवाद : संवैधानिक वैधता के प्रसंग में आलोक कुमार सिंह	131-135
25	राष्ट्रीयकृत बैंको का ग्रामीण साख में योगदान विजय कुमार गुप्ता	136-138
26	महिलाओं एवं किशोरियों हेतु उद्यम कौशल विकास की समीक्षा प्रदीप कुमार सोनकर	139-142
27	जनजातीय कल्याण और मीडिया का दायित्व डॉ० विजयेन्दु चतुर्वेदी	143-145
28	स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता का उदन्त रामू सिंह	146-147
29	कौटिल्य अर्थशास्त्र की आर्थिक अवस्था का अवलोकन कु0 संध्या उपाध्याय	148-151
30	आचार्य विश्वनाथ कविराज की नाट्यकला अर्चना पाण्डेय	152-153
31	भास के नाटकों में समाजशास्त्रीय चिन्तन राजेश वर्मा	154-156
32	राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे : सुरक्षा प्रबंधन के संदर्भ में डॉ0 अजय कुमार पाण्डेय व डॉ0 अरविन्द नेत्र पाण्डेय	157-160
33	जापान की आपदा : राष्ट्रीय सुरक्षा व विकास के समक्ष खतरा डॉ0 निखिल कुमार सिंह	161-165
34	दक्षिण एशिया में निहित–अमेरिकी परमाणु हित राम प्रकाश उपाध्याय	166-170
35	साइबर आतंकवाद और साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ तथा समाधान अनिरूद्ध कुमार	171-180
36	आन्दोलन के महत्व के पक्ष व विपक्ष और गुट निरपेक्ष आन्दोलन कल, आज और कल सचिन सिंह	181-187
37	परमाणु ऊर्जा : लाभ एवं हानि राजेश कुमार सिंह	188-195
38	भारतीय सामाजिक परिवेश में आधुनिक एवं उत्तर– आधुनिक स्थितियाँः एक दार्शनिक विश्लेषण डॉ0 राजेश कुमार तिवारी	196-200
39	पेरिस शांति संधि या अशांति का जनक विनिता सिंह	201-207

CS Scanned with CamScanner

जनजातीय कल्याण और मीडिया का दायित्व

*डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी

मनुष्य ने अपने ज्ञान के द्वारा प्रकृति के अनेक रहस्यों को ज्ञात कर मानव समाज को आदिम अवस्था से निकाल कर एक सभ्य समाज की अवस्था में खड़ा किया है। सारे विश्व में अफ्रीका के बाद भारत में ही सबसे अधिक जनजातियॉ हैं। भारत वर्ष में हजारों वर्षो से जंगलों व पहाड़ों में रह रही आदिम जनजातियों ने खुले मैदानों तथा सभ्यता के केन्द्रों में बसे लोगों से अधिक सम्पक्र स्थापित किये बिना ही अपने अस्तित्व को बनाये रखा है।

जनजाति, समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतन्त्र राजनीतिक विभाजन है। सरलतम रूप में जनजाति ऐसी टोलियों का एक समूह है जिसका एक सानिध्य वाले भूखण्ड अथवा भूखण्डों पर अधिकार हो और जिनमें एकता की भावना संस्कृति में गहन समानता, निरन्तर सम्पक्र तथा कुछ सामुदायिक हितों में समानता से उत्पन्न हुई हो। सामान्य जन मानस की ओर से अपने जीवन, लोकरीतियों तथा समस्याओं के प्रति श्रेष्ठतर संवेदनशीलता के लिए सराहना की अधिकारी है ये जनजातियॉ अनेक विद्रोहों सामाजिक आन्दोलनों तथा स्वतन्त्रता संग्राम में सम्मिलित होने के बावजूद नियन्त्रित पैमाने पर ही सही, जनजातीय लोग सामान्य भारतीय जनमानस की चेतना की परिधि तक ही सीमित रहे।

जनजातियाँ आर्थिक दृष्टि से भले ही पिछड़ी हों परन्तु उनके आचरण में पवित्रता होती है। विशिष्टता की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहती जनजातियॉ अपनी शुद्धता बनाये रखने में विश्वास रखती हैं। प्राकृतिक साधनों के समउपायोजन के लिए आदिम साधनों का प्रयोग करती हैं। एक जनजाति में परम्परागत नियम होते हैं। एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक रूढ़िवादिता होती है जो उन्हें उनकी प्राचीन प्रथाओं से चिपकाए रखती है। एहरेनफेल्स कहते हैं। ''मैं जनजातियों के लिए अधिक पिछड़ापन'' ''आदिम साधन'' व ''अल्प विकसित चरण'' जैसे शब्दों के स्थान पर '' आत्म निर्भर'' (खासी, गोंड, भील, सगरिया तथा अन्य जो अंशतः आर्थिक दृष्टि से अपने गैर जनजातीय पड़ोसियों की अपेक्षाकृत अधिक विशेषीकृत है) शब्द रखूंगा''।

भारत की जनजातियॉ अब एक्र अखण्ड जनसमूह नहीं है बल्कि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अन्तर्गत रहने वाले विविध सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समूहों का संग्रह है। जनजातियों को भूखण्डीय वितरण, व्यवसाय अथवा अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पक्र तथा धार्मिक विश्वास के आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है।

जनजातीय भारत, धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों का रंगीन परिदृश्य प्रस्तुत करता है। भारत में शायद ही कोई ऐसी जनजाति हो जो मृतक की आत्मा का सम्भाव्य आध्यात्मिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होने में विश्वास न करती हो। मध्य भारत की जनजातियां विश्वास करती हैं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं रोगों में अन्य दुष्टात्माओं को दूर भगाने हेतु सहायता में आती हैं। लक्ष्मी तथा काली की पूजा अनेक जनजातियों में सामान्य है। विश्व भर के जनजातीय और गैर जनजातीय ग्रामीण समाजों में ओझागिरी व्यापक रूप से पायी जाती है। उनका विश्वास है कि शासन या ओझा

* प्रवक्ता, जनसंचार एव पत्रकारिता विभाग, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

Scanned with CamScanner

लोगों के पास अति मानुसी शक्तियाँ होती हैं, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की होती हैं। अधिकांशतः इनका इस्तेमाल परोपकार के लिए किया जाता है।

जनजातियों की समस्याएं :–

1. ऋणगस्तता की समस्या संभवतः सबसे कठिन है, इसका कारण है निर्धनता, भुखमरी तथा दुर्बल आर्थिक व्यवस्था।
2. जनजातीय लोगों का समान्य स्वास्थ्य बहुत बुरा नहीं परन्तु लगातार संक्रमण से उनको अक्सर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। खनिजों तथा अन्य तत्वों की कमी भी बीमारियों का कारण है। जनजातीय लोग सरकारी चिकित्सालयों में कम ही आते हैं।
3. मदिरापान का जनजातियों में अत्याधिक चलन है। उत्सवों, विवाहों, मृत्यु, दाह संस्कार तथा अन्य समारोहों के समय जनजातियां मदिरा बनाती हैं, तथा सेवन करती हैं।
4. आवास की समस्या भी जनजातियों की मुख्य समस्या है।
5. अन्य सामाजिक व आर्थिक पक्षों की भंगति शिक्षा के क्षेत्र में भी जनजातीय लोग अलग–अलग स्तरों पर हैं। जनजातीय समूहों पर औपचारिक शिक्षा का प्रभाव बहुत कम पड़ा है।
6. भुखमरी तथा शोषण विश्व भर की जनजातियों की मूल समस्या है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है।
7. बेराजगारी तथा गरीबी, निर्जनीकरण क़ी समस्या जनजातीय भारत की एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर पेश करती है।

जनजातियों की इन समस्याओं से निपटने के लिए तथा जनजातीय कल्याण के लिए जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना होगा, और यह तभी हो सकता है जब उन्हें विकास का लाभ प्राप्त हो तथा विकास के नाम पर विस्थापन से बचाया जा सके। शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाये तथा स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान किये जाये। लोक तन्त्र में उनकी भागीदारी की आवश्यकता है।

जनजातियों में समाचार के प्रचार प्रसार के लिए कई अलग–अलग तरीके प्रचलित थे, जैसे विद्रोह की सूचना एक रस्सी से बॉधकर दी जाती थी। अलग स्थानों पर भेजे जाने पर उस रस्सी में वहाँ और गांठें बांधी जाती थी। प्रेम और संधि के समाचार पान भेजकर दिये जाते थे।

पारम्परिक अथवा लोक संचार माध्यमों का विशाल भण्डार है। जनजातीय सामाजिक संस्थाएं जैसे घोटुल (मध्य प्रदेश) घुमकुरिया (बिहार) तथा समाज के प्रमुख जैसे – ग्राम मुखिया, वैद्य, हकीम इत्यादि का भी महत्व रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों में संचार व्यवस्था का तेजी से विकास हुआ है। बहुत से जनजातीय लोग अच्छे कृषक होते हैं जो चावलों, अनाजों तथा फलों की विभिन्न किस्में पैदा करते हैं। मार्गों के न होने से इन कृषकों को अपना माल वहीं सस्ते में बेचना पड़ता है। गांवो, सड़क, पुल तथा रास्ते बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धीरे–धीरे सुदूरवर्ती तथा दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में भी डाकतार व्यवस्था पहुंचती जा रही है, परन्तु दुर्भाग्यवश इन क्षेत्रों में डाकिये डाकतार विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं है। दूरभाष तथा वायु संचार की दिशा में अभी बहुत कुछ होना शेष है।

जनजातीय कल्याण में मीडिया की भूमिका भी विचारणीय है। मीडिया दायित्व –

1. मीडिया जनजातीय समस्याओं का विश्लेषण कर सामाजिक जागरूकता उत्पन्न कर सकती है। जनजातियों की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। जिनसे समाज के लोग अवगत नहीं है। मीडिया आम जन तक उनकी समस्याओं से अवगत करा कर समाज में चेतना ला सकती है।

Scanned with CamScanner

2. मीडिया के द्वारा जनजाति केन्द्रित विशेष शोध एवं रिपोर्ट प्रकाशित कर उनकी समस्याओं पर विचार कर किसी निष्कर्ष पर पंहुच सकती है। शोध के द्वारा जनजातियों के पिछड़ेपन के कारणों तथा विकास की संभावनाओं पर कदम उठाया जा सकता है।
3. विकास के नाम पर हो रहे उनके विस्थापन का विरोध करने वाले लेखों का प्रकाशन कर मीडिया जनजातीय कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
4. इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रिन्ट मीडिया को जनजाति एकांश स्थापित करना। स्थल पत्रकारिता के माध्यम से जनजातीय जीवन एवं संस्कृति की जानकारी उपलब्ध कराना भी मीडिया का दायित्व बनता है। महिला पत्रकारों की भूमिका भी अधिक होनी चाहिए।
5. विकास और विशिष्टता का सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है।
6. जनजातियों के अग्रणी व्यक्तियों के साक्षात्कार को प्रकाशित करायें।
7. वनवासियों के साम्पत्तिक एवं भू–अधिकारों 2008 को संसद के अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उसके अन्तर्गत प्राप्त सभी मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु मीडिया को सक्रिय अभियान की आवश्यकता है।
8. भूमि हस्तान्तरण की तीन प्रमुख कारणों (क) न्याय व्यवस्था में कमी (ख) जनजातीय लोगों की उपेक्षा (ग) पेचीदा न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मीडिया अपने लेखों के माध्यम से जनजातियों के भू अधिकारों को प्रकाश में ला सकती है।

निष्कर्ष –

समाज के एक निर्बल वर्ग, भेद्य समूह एवं जनजातियों के संरक्षण में मीडिया की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। जनजाति केन्द्रित मीडिया के कार्य पॉच सूत्रीय हैं – 1. संज्ञान; 2. सम्पर्क 3. सम्प्रेषण; 4. संरक्षण; 5. संवर्धन।

इस पर चल कर मीडिया जनजातीय कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मीडिया अपने संज्ञान से सही दृष्टिकोण अपनाकर उनसे सम्पक्र स्थापित कर उचित सम्प्रेषण एवं संचार के माध्यम से जनजातियों को संरक्षण प्रदान कर उनका संवर्धन कर उन्हें विस्थापन से बचा सकती है। जिससे राष्ट्रीय तथा जनजातीय हितों में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। मीडिया जनजातियों को भारतीय समाज में अपने सम्मान के अनुरूप उनके लिए एक स्थान की खोज करा सकती है। अनिश्चित भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उनके सामर्थ्य को विकसित करना होगा।

सन्दर्भ सूची :–

1. नदीम, हसनैनः 'जनजातीय भारत', चतुर्थ संस्करण, 1997
2. दीक्षित, एस0पी0: 'भारत की नयी पुरानी संचार व्यवस्थाएं,' संचार श्री शोध पत्रिका, 2001
3. श्रीवास्तव, ए0आर0एन0: 'उ0प्र0 की जनजातियाँ,' तृतीय संस्करण, 199–2000
4. श्रीवास्तव, ए0आर0एन0: 'सामाजिक मानव विज्ञान,' ''भारत के जनजातीय सन्दर्भ चतुर्थ संस्करण 2001
5. सिंह, रूपेश कुमार,: 'उ0 प्र0 एवं उत्तरांचल की थारू जनजाति,' योजना पत्रिका, नवम्बर 2003
6. मदहोश, कृष्णः 'राष्ट्रीय हित में जनसंचार की भूमिका, जनसंचार 1993
7. राजेन्द्रः 'लोक सम्पर्क,' चतुर्थ संस्करण 1995

Scanned with CamScanner

Quartely:October-December, 2011 ISSN: 2230-9896

VIDHAN

A Research Journal...

Year: 1, Vol.-4
December, 2011

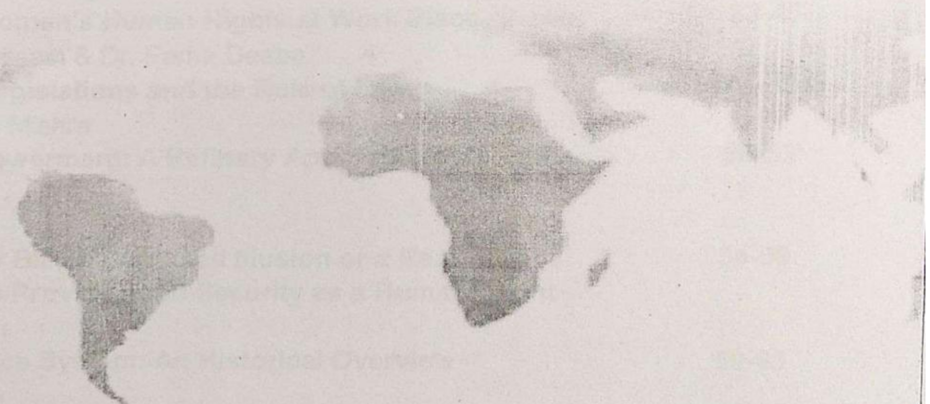

Editor-in-Chief
Dr. Santosh Kumar Tiwari

Editors
Awanish Kumar Upadhyay
Satya Prakash Tripathi

Scanned with CamScanner

Contents/अनुक्रमणिका

1 A Critical Analysis of Remedies Available to the Consumer for the Protection of their Interest — 1-11
Dr Chandrashekhar

2 Naxalism- Problem or Consequence of Social Disparity — 12-23
Dr. Rahul Sahai Bisarya

3 Appointment of Judges in India: A Critical Study — 24-32
Dr. Shiv Shankar Singh

4 Protecting Women's Human Rights at Work Place — 33-40
Dr. Arshad Hussain & Dr. Farha Deeba

5 Anti-Terror Legislations and the Rule of Law — 41-49
Dr. Anshuman Mishra

6 Women Empowerment: A Refinery Approach to Serve Humanity — 50-53
Inu Gupta

7 Food Security Bill: A Confused Illusion or a Real Mechanism to Provide Food Security as a Human Right — 54-58
Pooja Singh

8 Criminal Justice System: An Historical Overview — 59-63
Dr. S.R. Shukla

9 Poverty and Deprivation of Human Rights in India — 64-67
Dr. Puneet Pathak

10 Role of Ethics and Morality in Business, Society, Government and Governance — 68-71
Vivek

11 Role of Indian Judiciary to Achieve Human Rights to the Deprived Class — 72-78
Shashank Shekher & Sudhir Kumar

12 Application of Supply Chain Management in Construction of Airport Runways — 79-87
Ranjan Tiwari

13 Viewer Relationship Management in India News Channels: An Analysis Using 7Ps Framework — 88-99
Dheeraj Gowan

14 Role of Training, Development, Research and Design Institute Providing Training to Small Entrepreneurs — 100-106
K. Datta

Scanned with CamScanner

15	**Problem of Naxalism and Its Possible Solutions** Dr. Archana Tiwari (Mishra)	107-116
16	**Total Quality Management in Knowledge Management** Ritesh Kumar Sahu	117-121
17	**Information Resources and Services Use by Teachers-Cum-Practitioners and Students in the Medical College Libraries of U.P.** Krishna Kanti Srivastava	122-124
18	**Rural Poverty in Uttar Pradesh: A Suggestive Approach** Alok Kumar	125-129
19	**Level of Frustration and Adjustment Among Employed Male and Females: A Comparative Study** Dr. Sanjay Kumar	130-134
20	**A Proactive Approach to Managing Stress** Dr. Pankaj Kumar Vashishtha	135-140
21	**Marital Adjustment and Mental Health of Couples Working at Different Place** Dr. Pratibha Singh	141-146
22	**उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और भारतीय संविधान** डा० अरूण कुमार यादव	147-153
23	**महिला एवं घरेलू हिंसा** डा० मिलेन्द्र सिंह व डा० किरण चौहान	154-157
24	**इच्छा–मृत्यु के बदलते आयाम : एक चिन्तन** डा० जीतेन्द्र गुप्ता	158-160
25	**महिलाओं के प्रति अपराध : दहेज एवं दहेज मृत्यु** पवन कुमार	161-164
26	**स्वतंत्रतापूर्व हिन्दी पत्रकारिता का सिंहावलोकन** डा० धीरेन्द्र पाठक	165-177
27	**प्रेस की स्वतन्त्रता : दशा एवं दिशा** डा० विजयेन्दु चतुर्वेदी	178-183
28	**मानवाधिकार के संरक्षण में मीडिया की भूमिका** डा० शिवम् चतुर्वेदी	184-191
29	**गरीब व पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी मीडिया की भूमिका** डा० मनोज कुमार	192-195

Scanned with CamScanner

30 सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हिन्दी और जनसंचार के माध्यम 196-198
डा० आराधना सिंह
31 मीडिया में हिन्दी भाषा के विकास में बाजार का योगदान 199-205
डा० अजय कुमार सिंह
32 भोजपुरी का भूगोल 206-212
राजेश सिंह कुशवाहा
33 मानव तस्करी : एक असैनिक चुनौती 213-216
डा० संजय
34 सार्क : दक्षिण एशियाई विकास एवं चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में 217-222
डा० अशोक कुमार गुप्ता
35 दूरसंचार : राष्ट्रीय विकास या सुरक्षा के समक्ष चुनौती 223-227
जितेन्द्र कुमार
36 कश्मीर का स्त्रातजिक महत्व व आतंकवाद 228-231
आनन्द सिंह
37 डा० धनंजय वर्मा का कृतित्वः साक्षात्कारों का साक्ष्य 232-236
सरिता राय व डा० नरेन्द्र मिश्र
38 महाभारत में नैतिक मूल्य : आधुनिकता प्रासंगिकता 237-241
डा० रमेश कुमार यादव
39 मच्छकटिम में वर्णित सामाजिक एवं राजनैतिक अवस्था 242-245
डा० हरि प्रकाश यादव
40 नारी एक, नाम अनेक; एक शास्त्रीय अन्वेषण 246-248
नीतू श्रीवास्तव
41 कादीपुर तहसील में साक्षरता का स्थानिक-कालिक विश्लेषण 249-252
पूनम यादव
42 आधुनिक उपन्यासों में प्रेम का स्वरूप : सन्दर्भ 'कसप' 253-255
विनोद यादव
43 कन्या-भ्रूण हत्या : समस्या एवं समाधान 256-258
डा० सर्वेश कुमार
44 Workshop on ICT Application In Libraries : A Report 259-261
Satya Prakash Tripathi

Scanned with CamScanner

(27)

प्रेस की स्वतन्त्रता : दशा एवं दिशा

*डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी

प्रेस का उद्‌भव एवं विकास मानव जाति के इतिहास का एक युग प्रवर्तक अध्याय है। सामान्यतया बड़े परिवर्तन या तो विकासवादी होते हैं या कान्तिकारी। किन्तु प्रेस का आविर्भाव कान्तिकारी और विकासवादी दोनों ही था। मानव प्राकृतिक त्रासदियों के विरूद्ध असहाय होता है, किन्तु मानव जनित एवं मानव कारित आपदाएं उत्पीड़न, दमन, वंचन तथा शोषण के रूप में तभी से होती आ रही हैं जब से सत्ता और शक्ति के लिये गठित मानव समूहों ने चाहें वे अधिनायक–तानाशाह के रूप में हों, या दबंग गुटों, सम्प्रदायों एवं सामंतशाही के रूप में, असहाय एवं निरीह जन के विरूद्ध कारित की हैं। ऐसे उत्पीड़न एवं दमन के विरूद्ध आमजन का विरोध यदा कदा निर्बल रूप में देखने को मिलता रहा है, किन्तु विकास और कान्ति की विधाओं के रूप में लोकतन्त्र, समाजवाद, विधि–शासन के तन्त्र भी उत्पन्न होते रहे हैं। ये सभी विधाएं तभी स्थिर और बलशील बन सकीं जब इन्हें 'प्रेस' का सम्बल प्राप्त हुआ। प्रेस का उद्‌भव न होता तो लोकतन्त्र, विधि–शासन, संविधानवाद तथा समाजवाद किताबी अवधारणाएं बन कर रह जातीं। न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू (अब भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष) ने अपने एक लेख में प्रेस के इस ऐतिहासिक महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया है :

"Historically, the media were born as organs of the people against feudal oppression. In Europe, they played a major role in transforming a feudal society into a modern one. Everyone is aware of the role the print media played in preparing the peoples for and during the American and French Revolutions, as also in Britain.

The media became powerful tools in the hands of the people as that time they could not express themselves through the established organs of power, which were in the hands of feudal and despotic rulers, Hence the people had to create organs that would serve them. In Europe and the U.S. the media represented the voice of the future, as against the feudal and despotic organs in society.[1]"

प्रेस एवं पत्रकारिता अपने समकालीन समाज–जीवन की न्यायोन्मुख पुकार की संज्ञा है। यह समाज का आर्तनाद भी हो सकती है और दारूण के चंगुल से मानवमुक्ति का आह्वान भी।[2]

प्रेस राजसत्ता पर लोक–नियंत्रण का सर्वाधिक सशक्त एवं सक्षम तंत्र बना है। विधायिका की निष्क्रियता, कार्यपालिका की निरंकुशता तथा भ्रष्ट एवं अनुसेवी न्यायपालिका के होते हुए भी राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है यदि प्रेस व अन्य मीडिया निष्पक्ष, निर्भीक एवं स्वतन्त्र हो। जनमत को जागृत करने वाला प्रेस इन तीन तंत्रों को सही मार्ग पर ला सकता है।

* प्रवक्ता, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)।

Scanned with CamScanner

प्रेस के उद्भव का संक्षिप्त इतिहास

59 वर्ष ईसा पूर्व रोम में जुलियस सीजर ने समाचार–पत्रों की अवधारणा का आरम्भ किया था। सीजर ने 'आमजन की सार्वजनिक घोषणा' हस्तलिखित रूप में जारी की थी, जिसे दीवालों पर चिपकाया गया था। यह सरकारी अधिकारियों को पसन्द नहीं आया और इसे शीघ्र ही बन्द कर दिया गया। समाचार–पत्रों पर सेंसर के इतिहास में यह पहला उदाहरण भी कहा जा सकता है।

यूरोप में 15वीं शताब्दी में मुद्रण–तकनीकी आरम्भ हुयी। 16वीं शताब्दी में यूरोप में पहले समाचार पत्र निकले। ये मूलतः वाणिज्यिक समाचारों के थे, और बाद में राजनीतिक समाचार भी छपने लगे। आम रूचि का पहला अखबार जर्मनी में 1609 में प्रकाशित हुआ।

भारत में वर्ष 1780 में हिक्की ने 'बंगाल गजट' प्रकाशित किया, जिसकी आलोचना विज्ञापनों के कारण हुयी। 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने पहला भारतीय समाचार पत्र 'बंगाल गजट' बंगला भाषा में निकाला। 19वीं शताब्दी के अंत व बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में दादाभाई नैरोजी, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, तिलक एवं महात्मा गांधी ने उच्चस्तरीय पत्र प्रकाशित किए। 1861 में बम्बई से 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 1868 में अमृत बाजार पत्रिका' तथा 1878 में मद्रास से 'द हिन्दू' प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित हुए।

प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धों एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम में प्रेस ने उच्च स्तरीय पत्रकारिता का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश सत्ता की निरंकुशता एवं दमनकारी कृत्यों के विरूद्ध जनसंघर्ष को दिशा प्रदान करने में प्रेस की भूमिका अविस्मरणीय रही हैं। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अन्य प्रकार के जनसंचार मीडिया इलेक्ट्रानिक, ब्रॉडकास्ट, सोशल के उभरने से जनवाणी को पत्रकारिता के अनेक रूपों से धार मिल रही है।

प्रेस स्वतन्त्रता की अवधारणा

राष्ट्र–समाज जीवन में 'प्रेस' का महत्व उसकी स्वतन्त्रता में है। प्रेस की स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि 'किसी विचार या समाचार को बिना अवरोधन सेन्सर व्यवस्था के मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित करना।[3] यदि प्रेस के कार्य पर अवरोध लगेंगे, सरकारी नियंत्रण होगा तब प्रेस की स्वाभाविक भूमिका का निर्वहन नहीं हो सकेगा। स्वतन्त्र प्रेस का कोई विकल्प नहीं हो सकता है।

Camus ने कहा था : "A free press can of course be good or bad. But most certainly without freedom it will be anything but bad."

प्रसिद्ध अमरीकी संविधानविद् थॉमस जेफर्सन ने कहा था कि : "Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers or newspapers without government, I should not hesitate a moment to prefer the latter."

यह निर्विवाद सत्य है कि प्रेस–स्वतंत्रता ही प्रेस की पहचान है। वहीं यह भी सच है कि कोई भी स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता एवं निरंकुशता में बदल जायेगी। इसलिये संविधान और विधि के उपबंधों के अन्तर्गत ही प्रेस स्वतंत्र हो सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष या परोक्ष उपबंध उल्लेख सामान्यता विश्व के संविधानों एवं संयुक्त राष्ट्र की घोषणाओं एवं कन्वेंशनों में मिलता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 1787 के संविधान के 1789 के 'बिल ऑफ राइट्स' नाम के संशोधनों में प्रथम संशोधन था कि "विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बनायेगी जिससे वाक्–स्वातंत्र्य या प्रेस की स्वतंत्रता का न्यूनन होता हो।[4] इस प्रकार यू.एस.ए. के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उपबन्ध मिलता है। वहीं, अनेक घोषणाओं एवं संविधाओं में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता को अर्न्तनिहित माना गया है।

Scanned with CamScanner

1948 की संयुक्त राष्ट्र की 'मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा' के अनुच्छेद 19 में किसी भी मीडिया से विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार को घोषित किया गया है। 1966 की 'सिविल और राजनीतिक अधिकारों' की प्रसंविदा में भी अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लिखित, मुद्रित या अन्य किसी भी मीडिया के माध्यम से बिना हस्तक्षेप के प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार माना गया है।

1998 की 'संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रतिरक्षकों की घोषणा' के अनुच्छेद 6 में प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र रूप से मानवाधिकार संबंधी विचार, सूचना, ज्ञान का प्रकाशन, संचार और प्रसार का अधिकार माना गया है।

भारत का संविधान और प्रेस स्वतंत्रता

भारतीय संविधान सभा में जब नागरिक स्वतंत्रताओं पर चर्चा हो रही थी तब के. एम. मुंशी व अम्बेडकर द्वारा तैयार किये गये आरम्भिक प्रारूप में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख किया गया था।[5] किन्तु अन्तिम रूप से यही ठीक समझा गया कि अनुच्छेद 19 में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपबंध करना ही ठीक रहेगा, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित मानी जायेगी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यही व्याख्या लगातार की है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, वहीं अनुच्छेद 19(2) में प्रेस–स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध–उंद्दीपन के संबंध में विधि द्वारा युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित किये जा सकते हैं।

भारत के संविधान में 44वें संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 361क के द्वारा प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख कर एक क्रान्तिकारी उपबन्ध किया गया है। जिसके द्वारा संसद और राज्यों के विधान–मण्डलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण किया गया है :

अनुच्छेद 361क (1) कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतः सही विवरण के किसी समाचार–पत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल या दाण्डिक कार्यवाही का तब तक भागी नहीं होगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता कि प्रकाशन विद्वेषपूर्वक किया गया है :

परन्तु इस खंड की कोई बात संसद के किसी सदन या यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के विधान–मंडल के किसी सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाहियों के विवरण के प्रकाशन को लागू नहीं होगी।

(2) खंड (1) किसी प्रसारण केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध किसी कार्यक्रम या सेवा के भागरूप बेतार तारयांत्रिकी के माध्यम से प्रसारित रिर्पोटों या सामग्री के संबंध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचार पत्र में प्रकाशित रिर्पोटों या सामग्री के संबंध में लागू होता है।

स्पष्टीकरण

इस अनुच्छेद में ''समाचार पत्र'' के अंन्तर्गत समाचार एजेन्सी की ऐसी रिपोर्ट है जिसमें किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये सामग्री अन्तर्विष्ट है।''

Scanned with CamScanner

इसके पश्चात 'सूचना का अधिकार अधिनियम' 2005 प्रेस की स्वतंत्रता को और सक्षम बनाता है। इसके आगे व्हिसिल ब्लोअरस् अधिनियम बनाकर सूचनाएं प्रदान करने वालों को संरक्षण देने की योजना भी विचाराधीन है।

प्रेस की स्वतंत्रता के लिये चुनौतियां

जिस प्रकार किसी भी स्वतंत्रता को असीमित नहीं कहा जा सकता है, उसी प्रकार स्वतंत्रता को चुनौतियां मिलनी भी स्वाभाविक हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सदैव सुकोमल होती है, और इसे सदैव के लिये सुनिश्चित और सुरक्षित नहीं माना जा सकता है क्योंकि, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, पांथिक एवं आपराधिक वर्गों के हितों से प्रेम की स्वतंत्रता को चुनौतियां मिलती रहेंगी। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सामान्यतया तीन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है – (1) विधि–प्रणाली से उत्पन्न चुनौतियां; (2) प्रेस (मीडिया) के किया कलाप से उत्पन्न चुनौतियां; तथा (3) सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियां

विधि–प्रणाली के संकट

भारत में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करने मे न्यायपालिका की भूमिका सराहनीय एवं सकारात्मक रही है। इस संबंध में एक मात्र अपवाद 1975–77 के आपात काल में न्यायपालिका का मूल अधिकारों एवं प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा न कर पाना है। भारत की संविधानिक व विधिक व्यवस्था के उपबन्धों में प्रेस की स्वतंत्रता के लिये तीन संकट के क्षेत्र मिलते हैं।[6] (क) आपराधिक मानहानि का अनुदारवादी कानून; (ख) कतिपय न्यायालयों एवं न्यायाधीशों के द्वारा न्यायालय अवमान विधि के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का असहिष्णु प्रयोग; तथा (ग) कतिपय विधायिकाओं के द्वारा विशेषाधिकार एवं अवमान के सांविधानिक उपबंधों का अनुचित प्रयोग।

विधि के इन क्षेत्रों में संशोधन की आवश्यकता है। विधायिका के विशेषाधिकार असीमित क्यों हो? इसी प्रकार न्यायालय के अवमान के कानून का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए।

प्रेस कियाकलाप से उत्पन्न चुनौतियां प्रेस की विश्वसनीयता का संकट

विगत कुछ दशकों में प्रेस की विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके अनेक लक्षण और कारण हैं। प्रेस मूलतः अपनी प्रकृति से निष्पक्ष, निर्भीक, नैतिक, अभियान है। प्रेस एक व्रत (मिशन) है पेशा नहीं। किन्तु जैसे जैसे प्रेस में वृत्तिक बुराइयां पनपने लगी, यह अपने लक्ष्य से भटकने लगा है। प्रेस नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाये तो प्रेस संचालक बड़ी कम्पनियां हैं जिनके व्यावसायिक हित भी हैं। मालिकों के वित्तीय एवं राजनीतिक हितों के अनुरूप समाचारों, विश्लेषणों, विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का दबाव सम्पादकों पर पड़ता है। सम्पादकीय स्वतंत्रता का ऐसी स्थिति में क्या रूप हो सकता है, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। पत्रकारिता की 'आत्मा' बनाये रखने का संकट बढ़ रहा है। गहराती प्रतियोगिता, व्यवसायिक सफलता, साम्प्रदायिक भावनाएं, प्रत्यक्ष राजनीतिक महत्वाकांक्षाए पत्रकारिता का रूप बदल दे रही है। भारतीय पत्रकारिता में बढ़ता जा रहा भ्रष्टाचार स्पष्ट होता जा रहा है। सनसनी, महिमा मंडन, तथ्यों का विद्रूपण, पेड–समाचार, राजनीतिक पक्ष–वाद, आत्म–विनियमन के प्रभावी तंत्र का अभाव जैसी अनेक बुराइयां प्रेस जगत में पैठ रही है। "पेड समाचार" की व्याधि पर विशेष चर्चा की आवश्यकता है।

पेड–समाचार की व्याधि

समाचार पत्रों, व अन्य मीडिया में धन अथवा कोई सामान देकर समाचार प्रकाशित कराना इधर लगभग एक दशक में व्यापक रूप से चर्चित हुआ है। भारत की प्रेस परिषद ने इसकी परिभाषा की

Scanned with CamScanner

है : "any news or analysis appearing in any media (Print or electronic) for a price in cash or kind as consideration.

'पेड समाचार का प्रयोग मुख्य रूप से निर्वाचनों में प्रत्याशियों द्वारा मीडिया में भुगतान कर अपने पक्ष में समाचार प्रकाशित कराया जाना है। इसे विज्ञापन नहीं लिखा जाता है, और प्रत्याशी इस पर हुए व्यय का निर्वाचन आयोग के समक्ष दाखिल चुनाव–व्यय में नहीं दिखाता है। इस प्रकार मीडिया द्वारा वृत्तिक कदाचार व भ्रष्टाचार किया जाता है, तथा प्रत्याशी द्वारा चुनाव कानूनों का उल्लंघन। अक्टूबर 2011 में निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विधायक उमलेश यादव के विरूद्ध ऐतिहासिक निर्णय करते हुए तीन वर्ष के लिये कोई भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। विधायक ने प्रत्याशी के रूप में दैनिक जागरण एवं अमर उजाला समाचार–पत्रों में धन देकर अपने पक्ष में समाचार छपवाये थे जिसकी शिकायत भारतीय प्रेस परिषद से की गई थी। जिसे सही पाया गया और प्रेस कौंसिल ने यह प्रकरण निर्वाचन आयोग को सन्दर्भित कर दिया था। एक अन्य प्रकरण प्रेस परिषद के समक्ष विचाराधीन है, जिसमें शिकायतकर्ता ने प्रमाण प्रस्तुत किये है। गोवा के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार 'द हेरल्ड' ने उसमें 15×3 इंच के समाचार कॉलम की खबर छापने के लिये 86400 रुपये मांगे तथा इसी अखबार के केवल नेटवर्क ने साक्षात्कार दिखाने के लिये 50000 रुपये मांगे। पेड न्यूज का कितना अधिक प्रयोग जा रहा है, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सूचना राज्य मंत्री ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया है कि वर्ष 2009 से अब तक प्रेस परिषद के समक्ष पेड समाचार की 30 शिकायतें प्राप्त हुई है। मंत्री ने यह भी बताया कि पेड समाचार पर गठित मंत्री समूह ने इस वर्ष 7 सितम्बर 2011 को इस पर विचार–विमर्ष किया लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है। पेड समाचार के मामले में प्रेस परिषद ने भी एक समिति गठित की थी जिसने 71 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसे प्रेस परिषद ने 26 अप्रैल 2010 को खारिज कर दिया था। किन्तु प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर सितम्बर 2011 में इस रिपार्ट को प्रेस परिषद की वेब साइट पर (www.presscouncil.nic.in) पर डाल दिया गया है।[10]

पेड समाचार का मामला अत्यन्त गम्भीर है जिससे मीडिया को भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया जा रहा है। इस पर शीघ्र ही मंत्री समूह को रिपोर्ट देनी चाहिए और प्रेस परिषद को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रेस–स्वतंत्रता की 'दशा' और 'दिशा' पर चिन्ता होना स्वाभाविक है। क्योंकि स्वतंत्र प्रेस के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता का जितना ही अल्पीकरण होगा, लोकतंत्र भी उतना ही कमजोर होगा। प्रत्येक समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन एवं विधि शासन हेतु स्वतंत्र प्रेस अनिवार्य है।

जहॉ एक ओर, सरकारों का उत्तरदायित्व है कि प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करें, वहीं प्रेस का भी दायित्व है कि अपनी स्वतंत्रता को अनैतिक आचरण से नष्ट न होने दे। उदाहरणार्थ – ब्रिटेन का 168 वर्ष से प्रकाशित होता रहा प्रसिद्ध साप्ताहिक 'न्यूज ऑफ द वर्ल्ड' जुलाई 2011 में प्रकाशकों को अपने अनैतिक आचरण के कारण बंद करना पड़ा। प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी इसी में है कि जनता में मीडिया की विश्वसनीयता बनी रहे।

संयुक्त राष्ट्र एवं प्रेस की स्वतंत्रता

प्रेस की स्वतंत्रता किसी राज्य तक सीमित न होकर एक वैश्विक उत्तरदायित्व है। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित प्रेस की स्वतंत्रता पर चार अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां 1991 में नामीबिया से आरम्भ होकर

Scanned with CamScanner

कजाकिस्तान, सैन्टियागो (चिली) तथा यमन में सम्पन्न हुई। चिली गोष्ठी के बाद संयुक्त राष्ट्रमहासभा ने प्रतिवर्ष 03 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य पत्रकारिता की गुणवत्ता में सुधार करना तथा सभी मीडिया में स्वतंत्रता तथा बहुलवाद को सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने निवारक पत्रकारिता पर भी बल दिया है। इसके अन्तर्गत विवादों की उत्पत्ति से पूर्व ही आमजन के दिन प्रतिदिन के संघर्षों को पहचान कर ऐसे समाचार प्रकाशित करना है जिससे विवाद विस्फोट से पूर्व ही समाधान निकाला जा सके।

प्रेस–स्वतंत्रता की दशा नाजुक है, दिशा–भ्रम हो रहा है। ऐसी स्थिति में मीडिया को गम्भीर आत्म–परीक्षण करना होगा। 'द हिन्दू' के प्रधान सम्पादक एन. राम के अनुसार पत्रकारिता के पंचशील का पालन कर ही मीडिया अपनी साख बचा सकती है; (1) सत्य की अभिव्यक्ति, (2) स्वतंत्रता व स्वाधीनता, (3) न्याय (4) मानवतावाद, तथा (5) समाजहित कार्य।

प्रेस की स्वतंत्रता और उसके सामाजिक उत्तरदायित्व में संतुलन बनाए रखकर ही मीडिया की दशा सुधारी जा सकती है और दिशा निर्धारित की जा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Ideal and Reality : Media in role in India, 'The Hindu', Delhi, 19.08.2008, Page 09
2. सम्पादकीय, ''समर्पित पत्रकारिता के शिखर पुरूष'' (1997) पृ0 11, मुन्नालाल पत्रकारिता प्रतिष्ठान, गोरखपुर।
3. The Readers Digest Great Encyclopedia Dictionary, Vol. II, Page 697.
4. Edward's Coewin, "The Constitution and what it means today" (1966) Sterling Publishers, Page 189.
5. Justice H.R. Khanna (Retd.) Supreme Court of India in 1981 Lecture. "Making of india's Constitution" at page 32, Eastern Book Company, Lucknow.
6. 'द हिन्दू' के प्रधान सम्पादक एन राम का 22 अक्टूबर 2006 को ''स्वतन्त्रता और जवाबदेही : मीडिया के संबंध में न्यायपालिका'' विषय पर व्याख्यान। 23 अक्टूबर 2006 को 'द हिन्दू' (दिल्ली) के पृष्ठ 19 पर प्रकाशित।
7. 'द हिन्दू' : सम्पादकीय 22/10/2011।
8. 'द हिन्दू' : 03/11/2011 पृष्ठ 12।
9. ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' 23/11/2011, पृष्ठ 06।
10. ''द हिन्दू'' अक्टूबर 22, 2011, सम्पादकीय पृष्ठ पर।

Scanned with CamScanner

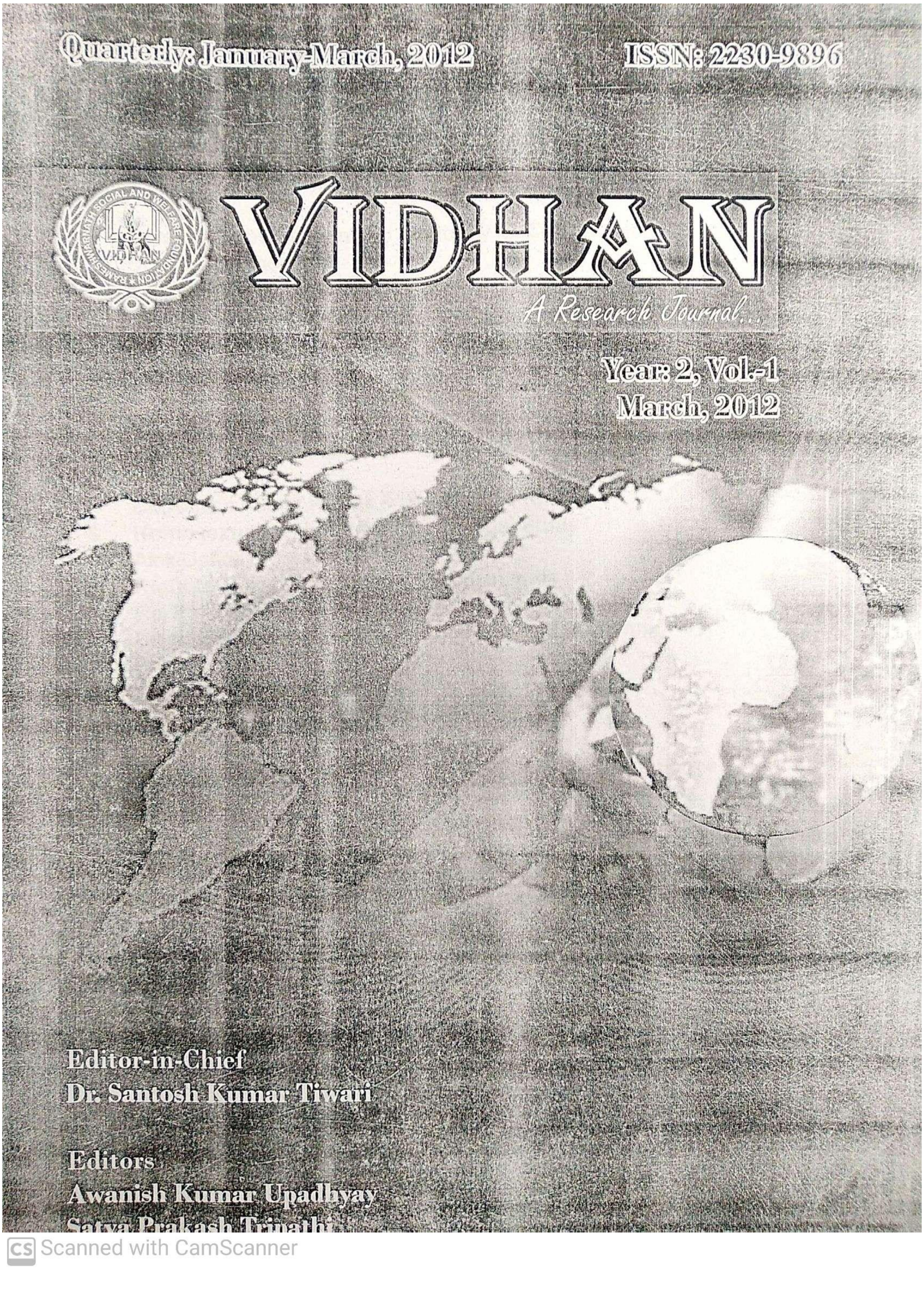

Scanned with CamScanner

Contents/अनुक्रमणिका

1	**Gender Justice and Indian Judiciary: A Critical Analysis** Dr. Chandrashekhar	01-06
2	**Property Rights of Indian Women- A Comparative Study** Dr. Rahul Sahai Bisarya	07-14
3	**Social Justice and Affirmative Action in India** Dr. Shiv Shankar Singh	15-23
4	**A Socio Legal Aspects of Honour Killing in India** Dr. Raj Kumar Singh	24-26
5	**Victims of Crimes and Indian Criminal Justice System: A Study** Dr. Rajesh Kumar Pathak & Mohd. Aamir Khan	27-33
6	**Homosexuality in India: A Socio Legal Study** Alok Upadhyay	34-37
7	**Right to Reject and Right to Recall in India** Raj Pal Singh	38-41
8	**Legal Education in India: Its Importance in Contemporary India** Abhishek Singh	42-45
9	**Empowerment of Women in Panchayati Raj** Dr. Anil Bhatt	46-53
10	**Challenges and Future of Library and Information Science Education in India** Satya Prakash Tripathi & Chandra Prakash Dubey	54-58
11	**Salient Features of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** Manoj Singh	59-61
12	**Environmental Morale and Motivation** Dr. Vinod Kumar Pandey & Dr. Rajendra Kumar Mishra	62-65
13	**Impact of Information Communication Technology in Agriculture and Agro-Industrial Development in the State of Uttar Pradesh** K.K. Tiwari, B.K. Pandey & R.K. Singh	66-72
14	**Historical Survey of Forts of Kara- Manikpur** Dr. Ismat Farid Usmani	73-79

Scanned with CamScanner

15	**Inculcation of Democratic Values and Enshrined in the Constitution Through Education** Dr. Manjula Gupta	80-84
16	**Child Labour in India: Issues and Causes** Mrs. Erum Farid Usmani	85-90
17	**An Assessment of RRB in Financing Agricultural in Development in Sant Kabeer Nagar in East U.P.** Dr. H.K. Saxena & Umesh Chandra Maurya	91-98
18	**Mahavira's Understanding on the Management of Formal Life** Mrs. Shakti Tripathi	99-104
19	**Digital Media** Dr. Manish Kumar Srivastava & Jaycey Vikram	105-109
20	**Marriage, Customs of Cheeta, Mehrat and Kathat Group of Ajmer District** Dr. Ritu Sarawat & Priti Goswami	110-113
21	**लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर पंचायतीराज व्यवस्था का वर्तमान स्थिति में विश्लेषणात्मक अध्ययन** डा० जीतेन्द्र गुप्ता व प्रो० (डा०) निशा दुबे	114-122
22	**कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण एवं विधि की प्रासंगिकता** डा० आर०डी० पटेल व मुसाफिर सिंह कुशवाहा	123-125
23	**समानता का अधिकार और आरक्षण की समीक्षा** श्रीमती सुनीला यादव	126-128
24	**आधुनिक समाज में ग्रन्थालय कार्मिकों के व्यक्तित्व का बदलता स्वरूप** प्रियंका बाजपेई	129-133
25	**समकालीन विश्व में पारिस्थितिकी दर्शन की प्रासंगिकता** डा० अनिल कुमार सिंह भदौरिया	134-138
26	**भारतीय पूँजी बाज़ार में स्कन्ध–विपणि का क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन** डा० बी०के० सिंह व रणजीत कुमार जायसवाल	139-144
27	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का विकास एवं कार्य निष्पादन** प्रवीण कुमार शुक्ला	145-150

CS Scanned with CamScanner

28	आतंकवाद उन्मूलनार्थ संस्कृत वाड्मये निहित शिक्षाया: उपादेयता डा० संतोष कुमार मिश्र	151-153
29	महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि डा० राजीव कुमार त्रिपाठी	154-162
30	आधुनिक सन्दर्भों में रामायणीय राज–व्यवस्था डा० रमेश कुमार यादव	163-166
31	प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा डा० हरिप्रकाश यादव	167-170
32	अज्ञेय के काव्य का आलोचनात्मक विश्लेषण डा० आराधना सिंह	171-178
33	ज्ञानरंजन : व्यवस्था के संत्रास का महत् कथाकार विनोद यादव	179-183
34	फ़ारसी और संस्कृत भाषा में समानता डा० शबाना अज़ीज	184-190
35	विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस : संदेश एवं सार्थकता डा० विजयेन्दु चतुर्वेदी	191-194
36	भोजपुरी सिनेमा और संस्कृति राजेश सिंह कुशवाहा	195-203
37	श्रीलंका का जातीय संघर्ष व भारत कुलदीप सिंह	204-211
38	पूर्व मध्यकाल में व्यापारी वर्ग की स्थिति डा० धीरेन्द्र सिंह व सुनील कुमार सिंह	212-219
39	दादू साहित्य में जीवात्मा का स्वरूप श्रीमती प्रतिभा	220-222
40	महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा डा० अनुपमा देवी	223-229
41	खर्च पर सीमा, समाजवादी विचार मीमांसा डा० राममनोहर लोहिया और सामयिक प्रासंगिकता डा० अखिलेश त्रिपाठी	230-233
42	उपन्यासकार भैरव प्रसाद का जीवन दर्शन और उसका उपन्यास में समावेश रंजना त्रिपाठी	234-237

Scanned with CamScanner

(35)

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस : संदेश एवं सार्थकता

डा० विजयेन्दु चतुर्वेदी*

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व है। लोक प्रतिनिधियों से गठित विधायिका, विधि नियंत्रित तथा लोक सेवा प्रतिबद्ध, कार्यपालिका व स्वतंत्र न्यायपालिका होने पर भी यदि प्रेस स्वतंत्र नहीं हो तब लोकतंत्र को नष्ट होते देर नहीं लगेगी। प्रेस राजसत्ता और लोकसत्ता के नियंत्रण का सर्वाधिक सशक्त एवं सक्षम साधन है। अधिनायकवादी राजव्यवस्था, प्रेस पर प्रतिबंध और अनुसेवी न्यायपालिका के माध्यम से ही टिकाऊ बनने का सपना देखती है।

प्रेस की स्वतंत्रता में सत्य की अभिव्यक्ति निहित है। राजसत्ता के कियाकलापों का सत्य सर्वज्ञान होना ही चाहिए। दो सहस्त्र से भी अधिक पूर्व सुकरात ने कहा था कि यदि मैं सत्य कह दूं तो मुझसे नाराज न होना। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में महान फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने कहा था कि मैं आपके कथन के अधिकार की मरते दम तक प्रतिरक्षा करूंगा। दौ सौ वर्ष से भी अधिक पूर्व थामस जेफर्सन ने स्वतंत्र प्रेस के महत्व को इस प्रकार अभिव्यक्त किया था, स्वतंत्र प्रेस का कोई विकल्प नहीं है। यदि मुझको यह निर्णय करना हो कि हमें समाचार पत्र, विहीन सरकार चाहिए या सरकार विहीन समाचार पत्र, तो एक क्षण भी हिचक के बिना मैं सरकार विहीन समाचार पत्रों को पसन्द करूंगा। कैमस के अनुसार एक स्वतंत्र प्रेस अच्छा या बुरा हो सकता है किन्तु यह निश्चित है कि स्वतंत्रता के बिना प्रेस बुरा ही होगा।[1]

उपर्युक्त अभिव्यक्तियां स्वतंत्रता प्रेस के महत्व का भावात्मक रेखांकित करती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की प्राणवायु है तथा मानव का मूल अधिकार है। इसके अन्तर्गत प्रेस की स्वतंत्रता सूचना एवं ज्ञान का अधिकार सन्निहित है।

यह उचित ही था कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को की गयी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अन्तर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना और किसी भी माध्यम से और सीमाओं की परवाह किये बिना किसी को सूचना और धारणा का अन्वेषण ग्रहण तथा प्रदान सम्मिलित है।[2]

इस घोषणा के पूर्व भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम प्रस्तावों में ही सूचना की स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया था। इस संकल्प को औपचारिक रूप देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्ष 1993 अधिवेशन में प्रतिवर्ष 3 मई को "विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस" मनाने की घोषणा की गयी। स्वतंत्र और बहुवादी (प्लूरलिष्ट) मीडिया न केवल राष्ट्रों के अन्तर्गत बल्कि राष्ट्रों के बीच सूचनाओं और विचारों का अनिर्बन्धित प्रसार सुनिश्चित करती है। प्रेस स्वतंत्रता वैश्विक अवधारणा है, इसे राष्ट्रों की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता है।

वैश्विक स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता विषय पर चार अन्तरराष्ट्रीय गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी है। प्रथम नामीबिया में, दूसरी कजाकिस्तान में, तीसरी सैंष्टियागो (चिली) में तथा चौथी यमन में। इन

---

* प्रवक्ता, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

Scanned with CamScanner

सभी में पत्रकारिता की गुणवत्ता, तथा बहुवाद संवर्धन और सभी मीडिया में स्वतंत्रता विषयों पर व्यापक विचार विमर्श कर महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रतिवर्ष 3 मई को सभी राष्ट्रों में पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनकी हत्या इस जोखिम भरे कार्य के दौरान कर दी गयी होती है। साथ ही पत्रकारों के दैहिक उत्पीड़न व अवैधानिक कारावास के प्रति रोष प्रकट कर भर्त्सना की जाती है।

उल्लेखनीय है कि 2006 की 3 मई को मनाये गये विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पर 'मीडिया' विकास एवं गरीबी उन्मूलन विषय विचार के लिये रखा गया था। इस सम्बन्ध में यह भी ज्ञातव्य है कि यूनेस्को ने वर्ष 1991 में एक संकल्प पारित किया था। जिसका विषय 'विश्व में प्रेस स्वतन्त्रता की तरक्की जिसमें यह माना गया कि स्वतन्त्र बहुलवादी एवं स्वाधीन प्रेस लोकतांत्रिक समाज का एक आवश्यक तत्व है। इसी का साकार रूप देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 20 दिसम्बर, 1993 को यह घोषित किया कि प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाया जाया करेगा।[3]

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सदैव सुकोमल होती है और इस स्वतंत्रता को सदैव के लिए सुनिश्चित नहीं माना जा सकता है क्योंकि राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीयस, सैन्य पांथिक तथा अपराधिक हितों से इस स्वतंत्रता को चुनौतियां मिलती ही रहेंगी।

एक महत्वपूर्ण विकास निवारण पत्रकारिता के रूप में हुआ है। विवादों के विस्फोट के पूर्व ही पत्रकारिता के माध्यम से उसका निवारण करने के प्रयास तथा समाज में जनसंघर्षो मानव अधिकार, शिक्षा व जनसमस्याओं को प्रकाशित करना पत्रकारिता का एक पवित्र उत्तरदायित्व भी है। समाज का उपेक्षित, वंचित, दलित व शोषित वर्ग न्यायपालिका के साथ की प्रेस और मीडिया के माध्यम से निदान के लिए आशान्वित होता है।[4]

लक्ष्य और दृष्टि

पत्रकारिता मूलतः एक मिशन है वृत्ति न होकर एक व्रत है। डॉ0 नन्द किशोर त्रिखा के अनुसार पत्रकारिता मात्र व्यवसाय नहीं एक आह्वान है। जिसे अंग्रेजी में कालिंग कहते हैं। कालिंग में किसी स्वीकृत कर्म या वृत्ति को लोक कल्याण में करने की उत्कृष्ट ललक या अनुभूति होती है। आह्वान के भाव से रहित पत्रकारिता समाज के लिए अहितकर है ही अपने लिए भी महा अभिशाप है। पत्रकारिता की दृष्टि से केवल सूचना प्रदान करना ही न होकर जनाधिकारों की रक्षा–संरक्षा करना तथा राष्ट्र और मानवता के हित में व्रतभाव से कार्य करना है।[5]

विश्वसनीयता का संकट और आत्मचिंतन

आर्थिक लाभ प्रेरित पत्रकारिता, मतों की राजनीति में राजसत्ता का हमजोली बनना, सम्पादकत्व के गिरते स्तर व लोकमत निर्माण के स्थान पर वर्गीय हितों से शासित समाचार पत्र का अभिमत–निर्माण जैसे कतिपय चिंताजनक परिदृश्य उभरे हैं। महान सम्पादक बाबू राव विष्णु पराड़कर जी ने 1925 में ही आगाह कर दिया था कि भविष्य में पत्रों की चमक–दमक होगी पर उनमें आत्मा नहीं दिखेगी सम्पादकों को बेहतर वेतन मिलेंगे, पर महाप्राणा सम्पादक नहीं होंगे।

पत्रकारिता एक शक्ति है अतः इस शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से निर्बन्धित हो, राष्ट्र–समाज के हितार्थ प्रयुक्त हो, यह प्रेस स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। पत्रकारों के लिए आत्मचिंतन करना आवश्यक है। विधायिका निष्क्रिय हो जाय, कार्य पालिका संवेदनहीन हो, न्यायपालिका भ्रष्ट हो जाये तब भी स्वतंत्र, निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता राष्ट्र और समाज को डूबने से बचा लेगी किन्तु भ्रष्ट व राजसत्ता प्रतिबद्ध पत्रकारिता के परिणाम भयंकर ही होंगे।[6]

Scanned with CamScanner

लोकतांत्रिक प्रणालियों में प्रेस स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय है। विश्व के तीन प्रादर्श लोकतंत्रों भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालयों ने महत्वपूर्ण निर्णयों में लोक प्राधिकारियों (राजसत्ता) द्वारा प्रेस के विरूद्ध मानहानि की अपराधिक कारवाइयों के मामलों को लोकहित के विरूद्ध घोषित किया है। ऐसे चार प्रमुख निर्णयों का उल्लेख करना समीचीन होगा : अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का न्यूयार्क टाइम्स बनाम सुलीवान (1964), बिटेल के हाऊस ऑफ लार्डस का डर्बीशायर काउण्टी बनाम टाइम्स न्यूजपेपर्स लि0 (1993) तथा भारत के उच्चतम न्यायालय का आर, राजा गोपाल बनाम तमिलनाडु (1995) के निर्णय ऐतिहासिक है। इन सभी में लोक अधिकारियों के प्रेस के विरूद्ध मानहानि की कार्रवाइयों को लोकहित में अनुचित मानकर अस्वीकार कर दिया गया था।

किन्तु ब्रिटेन के हाउस आफ लार्डस का अक्टूबर 2006 में वाल स्ट्रीट जर्नल, यूरोप बनाम मोहम्मद जीमल के मामले में दिया गया निर्णय सम्पूर्ण विश्व में प्रेस स्वतंत्रता की विजय के रूप में प्रशंसित हो रहा है। इस निर्णय के अनुसार समाचार पत्र मानहानि की कार्यवाही के भय के बिना लोकहित में कोई भी प्रकाशन कर सकते हैं बशर्ते ऐसा सद्भाव में किया गया हो। प्रेस विधि विशेषज्ञों के विचार लार्डस का यह निर्णय खोजी पत्रकारिता के लिए ऐतिहासिक जीत है।[7]

यद्यपि न्यायपालिका ने प्रेस–स्वतंत्रता को वास्तविक बनाया है फिर भी विधायन के स्तर पर तीन बातें चिंता का विषय बनी हुयी हैं। अंग्रेजी दैनिक द हिन्दू के प्रधान सम्पादक एन0राम0 ने यह चिंता इस प्रकार व्यक्त की है –

1. अपराधिक मानहानि विषयक भारतीय कानून समय के अनुसार पिछड़ा हुआ, अपरिष्कृत व अनुदार है, अतः प्रेस स्वतंत्रता के लिए घातक है।
2. कतिपय न्यायालयों व न्यायाधीशों के द्वारा पत्रकारों के विरूद्ध असहिष्णुता से प्रेरित होकर अवमानना (कान्टेम्पट) कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है।
3. कतिपय विधान मण्डलों द्वारा अपने विशेषाधिकारों व अवमानना शक्तियों का पत्रकारों के विरूद्ध दुरूपयोग।

अतः आवश्यकता है कि लोकहित में प्रेस स्वतंत्रता के लिए संकटपूर्ण बने हुए वर्तमान मानहानि विधि, अवमानना विधि व विधायिका के विशेषाधिकारों की विधि को युक्तियुक्त रूप से संशोधित किया जाय।[8]

प्रेस स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी सम्भव नहीं है। इस स्वतंत्रता की रक्षा करना सभी का दायित्व है। वर्ष 2011 की 3 मई को मनाये गये विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के यू.एन. कांफ्रेस हाल में दक्षिण एशिया फ्रीडम रिपोर्ट जारी की गयी तथा इस अवसर पर 'सामाजिक मीडिया के युग में प्रेस की स्वतन्त्रता' विषय पर एक व्यापक परिचर्चा आयोजित की गयी।[9] इसके लिए प्रेस को भी पत्रकारिता के उच्चतम मानदण्ड बनाए रखकर भय और लालच से परे अपनी विश्वसनीयता का बनाए रखना होगा। स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व में संतुलन बनाये रखकर ही पत्रकारिता के व्रत का पालन किया जा सकता है। प्रतिवर्ष 3 मई को प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाये जाने का यही संदेश है और यही इसकी सार्थकता।[10]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Edward's Colwin, the Constitution and what it means today (1966) sterling publishers, page 189.

CS Scanned with CamScanner

2. सम्पादकीय, ''समर्पित पत्रकारिता के शिखर पुरूष'' (1977) पेज – 11, मुन्ना लाल पत्रकारिता प्रतिष्ठान, गोरखपुर
3. U News. April 2006, Vol 61 No. 4 Page No. 16 Published by United Nation Information Centre New Delhi.
4. प्रेस कानून एवं संविधान, कुमार पंकज, डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली (2009) पेज 137–139
5. मीडिया की विश्वसनीयता का सवाल, डॉ0 नन्द किशोर त्रिखा; हिन्दुस्तान समाचार, नवोत्थान अंक, हिन्दुस्तान समाचार नवोत्थान समिति, नई दिल्ली, 2003 पेज 75–78
6. पत्रकारिता एक अनियत्रिंत हथियार, डॉ0 परेश, विकसित भारत पत्रकारिता की भूमिका, राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास द्वारा स्थापित, अहमदाबाद, पेज – 75
7. The Roaders digest great Encyclopedia Dictionary, Vol 11, Page 697.
8. 'द हिन्दू' के प्रधान सम्पादक एन. राम. का 21 अक्टूबर 2006 को 'स्वतंत्रता और जवाबदेही' विषय पर व्याख्यान। द हिन्दू पेज – 19 पर प्रकाशित।
9. U News May 2011 Vol 7, No. 5 Page 17 Published by United Nations Information Centre New Delhi.
10. "World Press Freedom Day 3 May" – U N Secretary General Kofi Annan's Massage – U N News Letter, 19 May, 1997, Page 2

CS Scanned with CamScanner

Quarterly: April-June, 2012 ISSN: 2230-9896

VIDHAN

A Research Journal...

Year : 2, Vol. -2
June, 2012

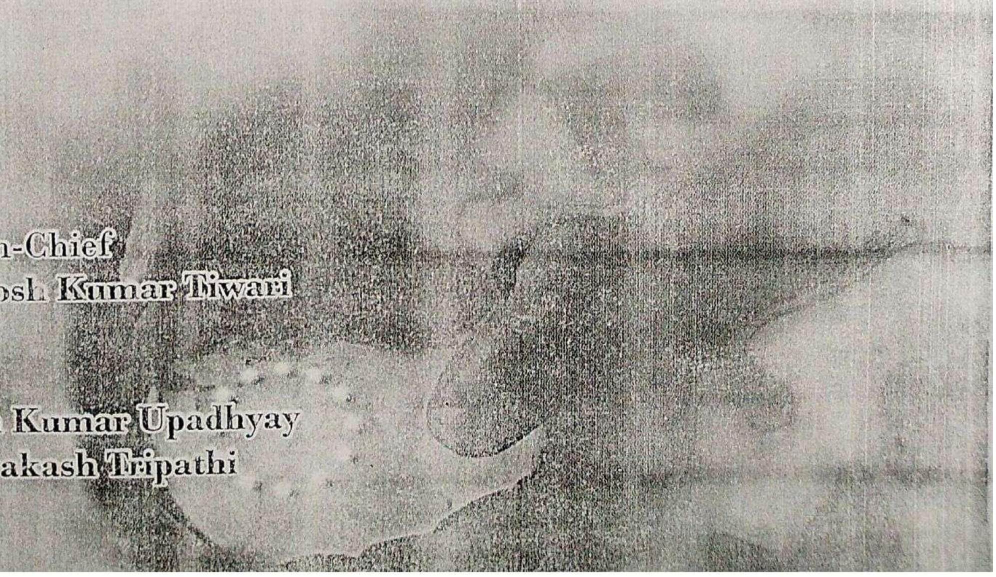

Editor-in-Chief
Dr. Santosh Kumar Tiwari

Editors
Awanish Kumar Upadhyay
Satya Prakash Tripathi

Scanned with CamScanner

Contents/अनुक्रमणिका

1	**Terrorism A Global Problem: A Study in Legal Perspective** Dr. S.S. Das	01-14
2	**Whether the Right to Information is Fundamental or Statutory** Dr. Brahm Dev Pandey	15-28
3	**Globalisation and Global Governance** Dr. Vivek Kumar Mishra	29-38
4	**New Emerging Issue of Housing- A Comparative Analysis of National and State Housing Policies in India** Dr. Archana Ranka	39-44
5	**An Evaluation of Children's Human Rights in India** Dr. Dr. Alok Pandey	45-53
6	**Equality is a Dynamic Concept: Under Indian Constitution** Dr. S.R. Shukla	54-58
7	**Custodial Torture and Available Remedies in India** Pawan Kumar Srivastava	59-68
8	**The Right Against Self Incrimination: Contemporary Observations** Ms. Aparna Singh & Dr. Sudarshan Verma	69-77
9	**Legislative Measures for Prevention of Corruption: A Study in the Special Reference of Lokpal Institution** Chandra Shekhar Joshi	78-84
10	**Retrospective Conversion: A Step Towards Library Automation** C.P. Chaudhary	85-89
11	**A Paradigm of Dalit Consicousness in Girish Karnad's Tale Danda** Jay Prakash	90-95
12	**Feminine Consciousness in Kamla Das's Works** Iffat Parveen	96-100
13	**Biodiversity Legislation in India: Reality and New Challenges** Shiv Shankar Yadav	101-108
14	**भारतीय कानूनों का समाजशास्त्र–एक गतिशील अवधारणा** मुकेश कुमार मालवीय	109-121

CS Scanned with CamScanner

15	मीडिया का सच डॉ० धीरेन्द्र पाठक	122-127
16	बाल अधिकार एवं मीडिया डॉ० विजयेन्दु चतुर्वेदी	128-131
17	दलित साहित्य चेतना, चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ डॉ० अराधना सिंह	132-139
18	आधुनिकीकरण के दौर में सार्वजनिक पुस्तकालयों की परिवर्तित भूमिका प्रीति श्रीवास्तव	140-147
19	मानवाधिकार : राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में डॉ० अजय कुमार पाण्डेय	148-153
20	अल्पसंख्यकों की संवैधानिक प्रत्याभूति डॉ० अखिलेश त्रिपाठी	154-157
21	व्यावसायिक शिक्षा पद्धति द्वारा ग्रामीण विकास डॉ० मनीष कुमार श्रीवास्तव	158-162
22	उत्तर प्रदेश एवं जनसंख्या–एक सामाजार्थिक परिदृश्य डॉ० शैलेश पाठक	163-167
23	भारत में पर्यटन उद्योग का विकास रंजन त्रिपाठी	168-171
24	लघु उद्योगों के वित्त प्रबन्ध में व्यापारिक बैंकों के योगदान का मूल्यांकन इन्द्रजीत	172-178
25	कृषि संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव : एक अध्ययन (रायबरेली जनपद के विशेष सन्दर्भ में) दिनेश चन्द्र यादव	179-183
26	प्रतिभूति बाजार में 'सेबी' की भूमिका रणजीत कुमार जायसवाल	184-186
27	पंचवर्षीय योजनओं में लोकव्यय की भूमिका: भारत के सन्दर्भ में अमित कुमार साहू एवं डॉ० सत्य प्रकाश सिंह	187-189
28	जनकल्याण और श्रीमद्भगवद्गीता–एक समीक्षा डॉ० सन्तोष कुमार मिश्र	190-192

Scanned with CamScanner

29 वर्तमान युग में महाभारत के मानव–मूल्य 193-195
डॉ० रमेश कुमार यादव

30 वैदिक युगीन आचार्य एवं शिष्य के अन्तर्सम्बन्ध : एक अनुशीलन 196-200
रश्मि यादव

31 रघुवंशम् में वर्णित वंक्षु नदी की पहचान 201-203
उष्मा यादव

32 विज्ञान एवं अध्यात्म–विराट् जगत् के आलोक में 204-206
दिव्या सिंह

33 श्री अरविन्द : नैतिकता एवं आध्यात्मिकता 207-210
सुमन लता

34 स्वराज्य की वैदिक अवधारणा 211-214
संगीता शुक्ला

35 वर्तमान समय में अद्वैत वेदान्त की प्रासंगिकता 215-218
नीलू जायसवाल

36 दादू एवं कबीर काव्य में नारी 219-220
श्रीमती प्रतिभा

37 जीवन के सहज प्रवाह के कहानीकार : भीष्म साहनी 221-225
श्रीमती पंकज सिंह

38 रांगेय राघव के उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का वैविध्य 226-228
कपिल देव शर्मा

39 महाभारत कालीन युद्धों के प्रकार 229-232
ओम जी श्रीवास्तव

40 वैशाली जनपद (बिहार) में जनसंख्या का कार्यात्मक स्वरूप एवं आश्रितानुपात 233-246
वन्दना सिंह एवं डॉ० अंजनी कुमार सिंह

Scanned with CamScanner

(16)
बाल अधिकार एवं मीडिया

डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी*

सार–संक्षेप

मानव जाति के हित में बालकों के महत्व पर कोई बहस नहीं हो सकती। बालक ही राष्ट्र व समाज के आधार बनते हैं। किन्तु पूरे विश्व में बालकों की सुकोमलता के कारण उनका शोषण भी हो रहा है। विकासशील देशों एवं अत्यल्प विकसित देशों में बालकों की शोषण की त्रासदी और विकट हो जाती है। यद्यपि वैश्विक व राष्ट्रीय स्तरों पर बाल मानव अधिकारों के प्रतिमान भी बनाये गये हैं, अनेकानेक बाल सम्बन्धित कानूनों का निर्माण हुआ है; बाल आयोग बनाये गये हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि बाल अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। वैसे यह परिवार, समाज, राष्ट्र और संस्थाओं का दायित्व है कि वे बाल अधिकारों के लिये कार्य करें। किन्तु मीडिया का इस सम्बन्ध में दायित्व सर्वोपरि है। मीडिया बाल अधिकारों के लिये घातक भी बन जाती है और संरक्षक भी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुधा बालकों के सुकोमल मन को प्रदूषित करने वाले कार्यक्रम दिखाती है जो सर्वथा अनुचित है। इस सम्बन्ध में मीडिया पर क्या नियन्त्रण हो यह एक खुला प्रश्न है। मीडिया सकारात्मक रूप से बाल अधिकारों की जानकारी देकर बाल शोषण करने वालों का पर्दाफाश करके बालकों के लिये सकरात्मक कार्यक्रम दिखाकर व्यापक योगदान कर सकता है। इस सम्बन्ध में मीडिया लोकपाल बनाया जाना आवश्यक है और मीडिया संगठन बालकों के पृथक सेल बनाकर अपनी शक्ति का रचनात्मक योगदान बाल हित में कर सकते हैं। बाल हित ही राष्ट्रहित है, और इसी में मीडिया हित भी है।

भूमिका

मानव जाति के लिये बालकों का महत्व स्वयं सिद्ध है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जो कभी बालक न रहा हो, जबकि युवा, प्रौढ़ और वृद्ध हर व्यक्ति नहीं हो पाता। चूंकि बालक ही भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनता है, अतः प्रत्येक राष्ट्र और समाज का भविष्य बालकों पर ही निर्भर करता है। बालक अपनी शारीरिक और मानसिक सुकोमलता के कारण विशेष संरक्षण और देखभाल के अधिकारी होते हैं। राष्ट्र के बच्चे राष्ट्र की एक अमूल्य निधि होते हैं। एक अर्थ में किसी राष्ट्र का चरित्र इस बात से निर्धारित होता है कि वह अपने बालकों की देखभाल कैसे करता है। 1980 की 'दुनिया के बच्चों की स्थिति की रिपोर्ट' में यह कहा गया कि कल की दुनिया का उत्कर्ष और जीवित रहना सम्भवतः इस बात से निर्धारित होगा कि आज हम अपने बच्चों का कल्याण, सुरक्षा एवं विकास कैसे करते हैं।[1]

Maria Montessori ने बच्चों के महत्व को बताते हुए कहा – "Humanity shows itself in all its intellectual splendor during this tender age as the Sun shows itself at the dawn, and the flower in the first unfolding of the petals, and we must respect religiously reverently, these first indications of individuality."[2]

---

* प्रवक्ता, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)।

Scanned with CamScanner

भारत के उच्चतम न्यायालय ने बाल अधिकारों पर अपने प्रसिद्ध निर्णय **एस.सी.मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य**[3] में एक विदेशी लेख को उद्‌धृत करते हुए बालकों के विषय में यह कहा –

मैं बच्चा हूं। सारी दुनिया मेरे आने की प्रतीक्षा करती है। पूरी पृथ्वी अभिरूचि के साथ आशा करती है कि मै क्या बनूंगा। सभ्यता अधर में लटकी हुई है। जो आज मैं हूं, कल की दुनिया वही होगी। मैं बच्चा हूं। आप अपनी मुटठी में मेरी भाग्य नियन्त्रित किये हैं। बहुधा, आप निर्धारित करते हैं कि मैं सफल होऊंगा या असफल। मुझे दे, मैं आप से प्रार्थना करता हूं वे चीजें जो मुझे सुखी बनाती हैं। मुझे प्रशिक्षित करें, मैं निवेदन करता हूँ, ताकि मैं दुनिया के लिए आशीर्वाद बन सकूं।

जहॉ बालकों का इतना महत्व हो वहॉ बालकों की वास्तविक स्थिति को देखकर चिन्ता होना स्वाभाविक है। बालकों से सम्बन्धित इतनी समस्यायें हैं, जिससे सिद्वान्त और वास्तविकता की स्पष्ट खाई नजर आती है। बाल उत्पीड़न, यौन शोषण, कुपोषण, बालश्रम, बालिका भ्रूण हत्या, बालिका व बालक में विभेद, जन्म के लाटरी के कारण कोई बालक मुॅह में सोने व चॉदी के चम्मच के साथ पैदा होता है। वहीं अनेक बालक चिथड़ों में नजर आते हैं। अतः बालकों के विषय में उनके मानव अधिकारों की रक्षा एक बड़ी चुनौती है। बाल अधिकारों और बाल कल्याण का रास्ता बड़ा लम्बा है, गन्तव्य बहुत दूर है और इस हेतु उठाये जाने वाले सभी कदम अपर्याप्त नजर आ रहे हैं। असमान शिक्षा, असमान पोषण के यथार्थ के चलते समाज में बालकों के बहुत बड़े वर्ग के लिये मानव अधिकारों की प्राप्ति बहुत कठिन बन जा रही हैं फिर भी निराशा की मानसिकता को त्यागकर यह देखना होगा कि अन्तरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों के सम्बन्ध में क्या प्रतिमान निर्धारित किये गये हैं, कौन से विधान बनाये गये हैं और कहॉ तक उन पर आचरण और अनुपालन किया जा रहा है। इसलिये यह देखना आवश्यक है कि राज्य और सरकार के इस सम्बन्ध में दायित्वों के अलावा और कौन से ऐसे संगठन, संस्थाएं और तंत्र है और उनके क्या कर्तव्य है।

बाल अधिकार हेतु दायित्व

इस लेख में विचार का प्रमुख बिन्दु यह है कि मीडिया का बाल अधिकार के सम्बन्ध में क्या दायित्व बनता है, मीडिया क्या भूमिका अदा कर सकती है, उसे क्या करना चाहिए और यह प्रश्न भी विचारणीय है कि कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मीडिया बाल जीवन को कहीं अपने क्रियाकलाप से प्रदूषित तो नहीं कर रहा है ? अर्थात् मीडिया के सकारात्मक, नकारात्मक, उपेक्षापूर्ण या बाल सरोकार से परिपूर्ण क्या रूप दिखाई पड़ रही है।

बाल अधिकारों व बालकों के प्रति दायित्वों के सम्बन्ध में मीडिया का विशेष महत्व हैं, क्योंकि वह राज्य व समाज के क्रियाकलाप पर एक सतर्क प्रहरी, आलोचक, सुझावकर्ता व जनशिक्षण का कार्य करता है। इस पक्ष पर विशेष चर्चा के पूर्व यह देखना समीचीन होगा कि अन्तरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर बाल मानव अधिकारों के प्रतिमान और कानून क्या हैं, क्योंकि मीडिया की भी भूमिका अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर होती हैं।

अर्न्तराश्ट्रीय बाल अधिकार प्रतिमान

बीसवीं शताब्दी में सर्वप्रथम 1924 में लीग ऑफ नेशंस के अन्तर्गत बाल अधिकारों पर जेनेवा में घोषणा की गई थी। इसके पश्चात् 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 25(2) एवं 26 में बाल अधिकारों के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया। तत्पश्चात् 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर एक घोषणा की थी। तत्पश्चात् 1966 की दो अर्न्तराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में बाल अधिकारों पर बल दिया गया, किन्तु सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण कार्य 1989 में हुआ जब

Scanned with CamScanner

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय महासभा ने अंगीकार किया। भारत ने 11 दिसम्बर 1992 को इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया। इसमें घोषित किया गया कि 18 वर्ष से कम का प्रत्येक व्यक्ति बालक है। इस अभिसमय मे विशेष बिन्दु ये थे कि बालकों के बीच विभेद निषिद्ध हो, प्राथमिक सरोकार बालक का सर्वाधिक हित हो तथा राज्य का यह दायित्व हो कि इन अधिकारों को लागू किया जाय तथा राज्य के द्वारा माता–पिता के अधिकारों और दायित्वों का इस सम्बन्ध में आदर किया जाये। 1990 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बालकों पर वैश्विक शीर्ष वार्ता हुई, जिसमें बालकों के विकास, संरक्षण, और उत्तरजीविता पर एक विश्व घोषणा की गई।

बाल अधिकारों पर भारतीय संविधान के उपबंध

भारत के संविधान में बाल अधिकारों पर व्यापक उपबंध बनाये गये हैं जिसमें बालकों के लिये विशेष कानून बनाने का अधिकार {अनुच्छेद 15(3)}, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध (अनुच्छेद 24), बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न किया जाना {अनुच्छेद 39(च)}, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा {अनुच्छेद 21(क)} तथा 6 वर्षों से कम आयु के बालकों के लिये प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देख–रेख व शिक्षा का उपबंध (अनुच्छेद 45) तथा सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य कि वो माता–पिता और संरक्षण के रूप में 6 व 14 वर्ष के आयु के बीच में अपने बालक अथवा यथास्थित अपने प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करें {अनुच्छेद 51क(ट)}, संविधान के अलावा कुछ विशेष बाल अधिकार कानूनों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जैसे, बाल न्याय (बालकों की देखभाल व संरक्षण) अधिनियम, 2000, 2005 का बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम और उसके अन्तर्गत 2006 में गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, 2006 तथा 2009 का बालकों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम।

मीडिया की भूमिका

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि बाल अधिकारों के लिये बहुत अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। बाल अधिकार क्या है, उनके लिये क्या कानून बनाये गये हैं, यह भी स्पष्ट है। किन्तु उन कानूनों के अनुपालन में एवं बाल अधिकारों को सार्थक बनाने में जहाँ सभी का दायित्व है वहाँ मीडिया का दायित्व कहीं अधिक प्रतीत होता है। बाल अधिकारों के विषय में मीडिया की भूमिका दो प्रकार की मानी जा सकती है – मीडिया क्या न करें तथा मीडिया क्या करें ?

मीडिया क्या न करे ?

विगत् कुछ दशकों में मीडिया, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यक्रम बालकों के हित में न होकर उनके स्वस्थ्य मानसिक विकास में बाधक बन रहे हैं। हिंसा, अश्लीलता, भूत–पिशाच, कथायें, अंधविश्वास, विकृत विज्ञापन, पारिवारिक कलह के सीरियल, सनसनी, क्राइम पेट्रोल, जुर्म की दुनिया के वीभत्स दृश्य, फूहड़ नृत्य, धड़ल्ले से दिखाये जा रहे हैं। इन पर न तो कोई नियन्त्रण है और न आत्म–अनुशासन। भारतीय प्रेस परिषद् के नये अध्यक्ष न्यायमूर्ति मारकण्डेय कॉटजू इस सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट करते हुए कहते हैं कि इलेक्ट्रानिक मीडिया को भी प्रेस काउंसिल की अधिकारिता के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए और प्रेस परिषद के स्थान पर मीडिया परिषद कहा जाये तो उचित होगा। उपर्युक्त वर्णित बाल विरोधी कार्यक्रमों के विरूद्ध क्या किया जाये यह विचार का विषय है। सम्पूर्ण लोकतांत्रिक विश्व में यह बहस चल रही है और कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है कि मीडिया पर बाह्य नियंत्रण हो या आत्म–नियंत्रण। आत्म–नियंत्रण की बात अच्छी लगती है किन्तु व्यावहारिक नहीं बन पा रही है। मीडिया यह तर्क देकर आरोप से नहीं बच सकता है कि

Scanned with CamScanner

अभिभावकों को बालकों पर निगरानी रखकर ऐसे कार्यक्रम देखने से रोकना चाहिए। सोशल मीडिया का भी दुरूपयोग हो रहा है और बालकों द्वारा सुकोमल मन को विकृत करने वाले साइट्स को देखा जा रहा है। अतः इस विषय पर निश्चित रूप से त्वरित और सार्थक निदान की आवश्यकता है।

मीडिया क्या करे ?

इससे इतर बाल अधिकारों के सन्दर्भ में मीडिया का एक भिन्न दायित्व भी है। जिसके अन्तर्गत मीडिया द्वारा लोक शिक्षण, सतर्कता, स्वस्थ आलोचना एवं एजेण्डा निर्माण कर एक सकारात्मक पहल की जानी चाहिए। समाज में हो रहे बाल शोषण, बाल श्रम, बालक व बालिका विभेद, शिक्षा में असमानता आदि पर मीडिया की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि बाल शोषण की विकृत के विरूद्ध मीडिया अभियान चलाती रहेगी और स्टिंग आपरेशन कर अपराधियों का पर्दाफाश करती रहेगी तब ऐसी घटनाओं पर निश्चित ही अंकुश लगाया जा सकेगा। अभी तक बाल अधिकारों की रक्षा पर मीडिया का ध्यान अपेक्षाकृत कम ही रहा है और यह देखा जा रहा है कि मीडिया का ध्यान फिल्म जगत, ग्लैमर, नृत्य प्रतियोगिताओं, कामेडी सर्कस, क्रिकेट पर ही अधिक रहा है, जोकि चिन्ता का विषय है।

निश्कर्श

समाज के अभिव्यक्त के शक्तिशाली माध्यम के रूप में मीडिया का परम दायित्व है कि राष्ट्र व समाज के व्यापक हित में बाल वर्ग के प्रति सम्यक् जागरूकता का प्रदर्शन करे। इस सम्बन्ध मे कतिपय सुझाव प्रस्तुत है –

1. सभी मीडिया संगठन समाचार–पत्रों व इलेक्ट्रानिक मीडिया में बाल पत्रकारिता पर एक पृथक सेल का गठन करे। जो यह शोध करे कि बाल अधिकारों के हित मे क्या छापा जाये या दिखाया जाये और क्या नहीं।
2. एक मीडिया लोकपाल संस्था की अविलम्ब स्थापना की जाये जिससे हिन्दी, अंग्रेजी व इलेक्ट्रानिक मीडिया के उचित संख्या में वरिष्ठ पत्रकार रखे जाये जिसे यह अधिकार दिये जाये कि बाल अधिकारों के घातक समाचारो व दृश्यों को दिखाये जाने पर आर्थिक दण्ड लगाया जाये। दोषी का मीडिया समाज से बहिष्कार भी किया जाये।
3. त्रैमासिक आधार पर मीडिया ऐसे आकलन रिपोर्ट प्रकाशित करे, जिनमें बाल कानूनों का पालन और उल्लंघन पर राज्य व सम्बन्धित अधिकारियों के किया–कलापों का लेखा–जोखा हो।
4. राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ सम्पर्क व सहयोग कर आयोग के कार्यो का प्रकाशन व सुझाव प्रस्तुत करें।
5. मीडिया समय–समय पर ऐसी गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करे, जिनमें बाल अधिकारों पर व्यापक चर्चा हो। नये विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किये जायें।

मीडिया की असीम शक्ति को बाल हित में प्रयोग किया जाना आवश्यक है। जिससे राष्ट्र को सदैव ऐसे नागरिक मिलते रहें जिन्हें बाल्यावस्था में देश–प्रेम, राष्ट्रवाद, सामाजिक समरसता, स्नेह व संस्कार की शिक्षा मिलने के कारण आत्मबल प्राप्त हुआ था।

सन्दर्भ सूची

1 संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 'दुनिया के बच्चों की स्थिति, 1980 पेज नं0 5

2. न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने 'द हिन्दू' समाचार पत्र में 14 नवम्बर 2007 को अपने लेख में उदघृत किया।

3. ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 699

Scanned with CamScanner

Quarterly: July-September, 2012 ISSN: 2230-9896

VIDHAN

A Research Journal...

Year : 2, Vol.-3
September, 2012

Editor-in-Chief
Dr. Santosh Kumar Tiwari

Editors
Awanish Kumar Upadhyay
Satya Prakash Tripathi

Scanned with CamScanner

Contents/अनुक्रमणिका

1	Rights of Age- Old Parents and the Protections of Human Rights- Comparative Study of Malasiya, Singapore and India in Islamic Perspective Dr.Kamal Ahmad Khan	01-10
2	Civil Society Movement and Corruption in India Dr. Brahm Dev Pandey	11-18
3	Negative Consequences of Globalistaion in India Dr. Vivek Kumar Mishra	19-27
4	Relevancy of the Right to Development in Stability of Assam Dr. S.S. Das	28-40
5	Honour Killing – The Violation of Human Right Dr. Rajesh Singh	41-46
6	The Evaluation of Article 21-A: The Fundamental Right to Education Mr. Vijay Kumar Pandey	47-56
7	Human Rights of Women Under the Constitution of India: Approach of the Supreme Court Mr. Anand Gupta	57-67
8	The National Health Bill, 2009: An Analysis with Special Reference to Right to Health Care in India Mr. Pradeep Kumar	68-78
9	Synthesis and Antimicrobial Activity of 8-substituted-7-fluoro-benzo[4,5] Thaiazolo [2,3-c] [1,2,4] Triazoles Archana Singh et. al.	79-80
10	Status of Tribal Women in Jharkhand Dr. Pratibha Singh	81-86
11	Significance of HRD for Modern Business Organisation Dr. P.C. Sharma & Dr. Sanjay Kumar Tiwari	87-90
12	Value Education and Teacher's Role Mohd Parvaz	91-95
13	Kamala Das-A Tender Bird, Fond of Flights Shaikh Iffat Parveen	96-100
14	Radiating Dyon Collapse Mr. R.C. Upadhyay and Mr. R.H. Singh	101-106
15	Online Journalism Dr. Manish Kumar Srivastava	107-118

CS Scanned with CamScanner

16 भारत के राष्ट्रपति की प्रास्थिति तथा उसकी भूमिका : ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं न्यायिक परिप्रेक्ष्य में 119-124
श्री ईश्वर नारायण शर्मा एवं राम आशीष श्रीवास्तव

17 भारत में बाल श्रम का विधिक प्रतिषेध एवं विनियमन : एक सामाजिक–विधिक अध्ययन 125-131
श्री सतीश कुमार मिश्रा

18 समाचार पत्र और बाल मनोविज्ञान 132-137
डॉ० धीरेन्द्र पाठक व डॉ० शिवम चतुर्वेदी

19 मानव अधिकार संरक्षण और मीडिया : एक उत्तरदायित्व 138-141
डॉ०विजयेन्दु चतुर्वेदी व डॉ निर्मल कुमार मिश्र

20 बाल विकास और मीडिया उत्तरदायित्व 142-146
राजेश सिंह कुशवाहा

21 21वीं सदी, नारी सशक्तिकरण पण्डित नेहरू एवं डॉ० राम मनोहर लोहिया के विचारों की गवेषणा 147-152
डॉ० अखिलेश त्रिपाठी

22 संस्कृत काव्यों में सीता चरित्र 153-156
डॉ० अरविन्द कुमार शुक्ल

23 भारत में शहरी नक्सलवाद का बढ़ता बोलबाला 157-162
आनन्द सिंह

24 आधुनिक भारतीय समाज में वर्णव्यवस्था की प्रासंगिकता 163-165
भानु प्रकाश त्रिपाठी

25 आदिम–अर्थव्यवस्था 166-168
अनन्त प्रकाश दुबे

26 दलित एवं अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था 169-173
धर्मेन्द्र कुमार सिंह

27 डॉ०रामस्वरूप चतुर्वेदी जीवन वृत्त एवं रचनाएँ 174-178
श्री हरि त्रिपाठी

28 निराला साहित्य में संवेदना के आयाम 179-183
डॉ० उर्मिला देवी

29 नगरीय संस्कृति एवं जनसंचार माध्यम 184-186
सविता सिंह

30 छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक संचार 187-196
मो० शकील खान

31 महिला एवं मानवाधिकार 197-203
डॉ० अजीत कुमार सिंह

CS Scanned with CamScanner

मानव अधिकार संरक्षण और मीडिया : एक उत्तरदायित्व

डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी*

डॉ0 निर्मल कुमार मिश्र**

'मानव अधिकार' एक वैश्विक अवधारणा है। मानव जाति की गरिमा, प्रगति एवं विकास में मानव अधिकारों का महत्व स्वयंसिद्ध है। अनेकानेक विसंगतियों एवं विषमताओं के होते हुए भी सभी मानव यदि एक समान माने जा सकते हैं तो यह मानव के मूलभूत, शाश्वत, नैसर्गिक एवं अन्तर्निहित अधिकारों की उपलब्धता से ही सम्भव है। मानव अधिकारों के वैश्विक प्रतिमानों के होते हुए भी इन अधिकारों के प्रति आदर, इनका व्यवहार में प्रयोग तथा इनके राज्य-स्तर पर संरक्षण की समस्या गम्भीर है। मानव अधिकारों का संरक्षण एवं इनके उल्लंघन की स्थिति में उपचार ही वास्तविक समस्या है। मीडिया मानव अधिकार संरक्षण में क्या भूमिका निभा सकता है, व मीडिया के इस संबंध में क्या उत्तरदायित्व है यह एक सार्थक विषय है।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि ज्ञान ही सत्य है और यदि सूचना और ज्ञान का सम्यक् उपयोग एवं संचार किया जाये, तो समाज की प्रगति और कल्याण में व्यापक कार्य किया जा सकता है। यदि सूचनाओं और ज्ञान का उपयोग सत्य पर आधारित हो और आशय सकारात्मक हो तो इसकी शक्ति का उपयोग मानव जीवन को शान्तिपूर्ण एवं सुखमय बनाने में किया जा सकता है। विगत् सौ से अधिक वर्षों में जिन दो अवधारणाओं को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ है वे हैं मानव अधिकार और जनसंचार। मानव अधिकार सत्ता के दुरूपयोग के विरूद्ध मानवजाति की शक्ति है। यह शक्ति ज्ञान से प्राप्त होती है और ज्ञान तभी सम्भव है जब सूचना प्राप्त करने और प्रदान की स्वतन्त्रता हो। इसके लिये वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की मूल अधिकार के रूप में प्रतिष्ठा सर्वविदित है। वाक् शब्दों से ही सम्भव है और शब्द अक्षर से बनते हैं अक्षर का तात्पर्य अविनाशी एवं क्षरण से परे है। इसका सन्दर्भ यह है कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अहरणीय अक्षर एवं शाश्वत है।

उपर्युक्त विचार से यह स्पष्ट है कि मानव अधिकार और मीडिया (जनसंचार) का अटूट सम्बन्ध है। क्योंकि मानव अधिकार का ज्ञान व्यापक जनसंचार से ही सम्भव है और मानव अधिकारों पर उपजने वाले संकटों का मीडिया के द्वारा विरोध किया जाना मानव अधिकारों के संरक्षण की एक ताकत बनता है। इसी सन्दर्भ में यह अध्ययन लोकतन्त्र एवं मानवजाति के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है कि मानव अधिकार की वास्तविक अवधारणा क्या है ? मीडिया का मानव अधिकारों के सन्दर्भ में क्या दायित्व है ? और मानव अधिकारों के प्रति आदर का संवर्धन करने में व मानव अधिकारों के संरक्षण में क्या भूमिका हो सकती है ? मानव अधिकारों की अवधारणा नैसर्गिक विधि के अन्तर्गत नैसर्गिक अधिकारों की प्राचीन अवधारणा पर आधारित है।

सभी मानव अधिकार गरिमा की दृष्टि से समान माने जाते हैं। किन्तु मानव सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और राजनीतिक कारणों से विषमताओं, असमताओं, शोषण, वंचन और उत्पीड़न के शिकार हो जाते हैं जो समाज के स्वेच्छाचारी वर्गों, तानाशाहों और राजतन्त्र के द्वारा पीड़ित किये जाते हैं। जबकि, विश्वशान्ति, स्वतन्त्रता और न्याय की नींव मानवजाति के सदस्यों के समान और

*प्रवक्ता, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)।

**उपाचार्य, डी.सी. कालेज ऑफ लॉ, कानपुर, (उ०प्र०)।

Scanned with CamScanner

अहरणीय अधिकारों पर आधारित है। फिर भी वास्तविकतां यह है कि मानव अधिकारों के उपलब्ध यथार्थ रूप में हमेशा से संकटापन्न रही है। इसी सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि मानव अधिकारों की संरक्षण में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन के अभियान चलते रहे हैं। ऐसे मानव अधिकार अभियानों में अनेक वर्गों की सक्रियता रही है। यह उल्लेखनीय है कि मानव अधिकार आन्दोलनों व अभियानों में मीडिया का एक विशेष स्थान रहा है। इस सम्बन्ध में मीडिया के दायित्वों, बाध्यताओं एवं भूमिका का विशेष स्थान रहा है।

मानव अधिकारों की अवधारणा : मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मानव में अन्तर्जात हैं। ये अलंघनीय अहस्तांतरणीय तथा मानव होने के नाते मानव मे अन्तर्निहित हैं। इनका आधार मानव कीअन्तर्निहित गरिमा है। मानव अधिकारों को नैसर्गिक अधिकार, नैतिक अधिकार एवं मूल अधिकारों के नाम से भी जाना जाता है। मानव के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक सभी अनुकूल परिस्थितियों की समग्रता ही मानव अधिकार है। सामान्य विधिक अधिकारों से इनका भेद किया जाना चाहिए। सामान्य अधिकारों को कानून द्वारा प्रदान किया जाता है और कानून द्वारा समाप्त भी किया जाता है। जबकि मानव अधिकारों को किसी के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता और न ही इन्हें छीना जा सकता है। मानव अधिकारों की अवधारणा को महत्वपूर्ण ढंग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी हाल के दो प्रमुख निर्णयों में विवेचित किया है। उच्चतम न्यायालय के शब्दों में –

"Basic human rights are considered essential for the very existence of a human being. These are some intrinsic or fundamental values which exist as such in the scheme of nature. Such values are not a gift from the State to itscitizens, but exist independently of any constitution by reason of the fact that they are members of human race".

विचार, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार : यह मानव अधिकार यद्यपि एक नैसर्गिक अधिकार है और मूलभूत स्वतन्त्रता के रूप में सदैव से मान्य है। फिर भी बीसवीं शताब्दी मे अनेक अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखों तथा अनेक राज्यों के संविधानों में इसे उचित स्थान दिया गया। सर्वप्रथम 1948 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवअधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अभिव्यक्ति एवं सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने के मानव अधिकार को घोषित किया था।[3] इसके बाद 1966 में संयुक्त राष्ट्र की सिविल और राजनीतिक अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को एक व्यापक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया।[4] पुनः 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी एक घोषणा में मानव अधिकारों के वैश्विक रूप से प्रचार प्रसार और अनुपालन के सम्बन्ध में एक विस्तृत विवेचना की है।[5]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अन्तर्गत सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का मूल अधिकार उपबन्धित किया गया है। ज्ञातव्य है कि प्रेस की स्वतन्त्रता शब्दों का प्रयोग इस अनुच्छेद में नहीं किया गया है, और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में यह स्पष्ट कर दिया है कि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत प्रेस की स्वतन्त्रता सम्मिलित है। अतः वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता एक स्थापित मानव अधिकार है और इस लेख मे यह विचार किया जाना है कि जनसंचार माध्यम अर्थात् मीडिया मानव अधिकारों के हित में क्या भूमिका निभा सकती है और इस सम्बन्ध में उसके क्या उत्तरदायित्व है।

Scanned with CamScanner

मीडिया और मानव अधिकार : संचार के तंत्र के रूप में मीडिया को अपार शक्ति प्राप्त है और यह भी देखा गया है कि सत्ता और सरकार ने बहुधा मीडिया की वैध अभिव्यक्तियों को निर्बन्धित करने के प्रयास किये हैं तथा समाज में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घृणा वैमनस्य और संघर्ष को बढ़ावा देने में मीडिया का शोषण किया है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि मीडिया स्वतंत्र अभिव्यक्ति का उपयोग कर सके और साथ ही यह सतर्कता भी बरती जाये कि मीडिया का राजनीतिक हितों के लिए विकृत उपयोग न किया जा सके।

मीडिया की भूमिका दो क्षेत्रों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हो सकती है –

1. **लोकतांत्रिक समाज के संचरण में** –राष्ट्र को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचना प्रदान करना तथा सरकार के किया कलाप का अनुश्रवण और रिपोर्ट देते रहना।इसके साथ ही प्रमुख मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहन देना तथा समुदाय की निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनभागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहन देना। लोकतंत्र में संवाद और सम्प्रेषण के सबसे सशक्त माध्यम मीडिया की जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है।
2. **मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के एक साधन तंत्र के रूप में मीडिया की भूमिका**–एक स्वतंत्र मीडिया अनेक प्रकार से मानव अधिकार की संस्कृति के निर्माण को सुगम बना सकती है जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार विधान की विषय वस्तु पर रिपोर्टिंग करना, समाज के और राष्ट्र के विभिन्न नस्लीय, धार्मिक तथा भाषायी गुटों के बीच सहिष्णुता और समरसता को प्रोत्साहन देना तथा जहॉ कहीं भी मानव अधिकारों का अतिक्रमण हो उसका पर्दाफाश करना।

मानव अधिकारों के लिए मीडिया : मानव अधिकारों के सन्दर्भ में मीडिया मानव अधिकारों के हित में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करे तथा सूचना का प्रसार समाज तथा राष्ट्र के हित में हो और ऐसे प्रकाशन जो सत्ता का हित साधन न कर समाज के विभिन्न वर्गो का सशक्तीकरण करे। समाज के कमजोर वर्गों, गरीब और वंचित लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाना मीडिया का परम दायित्व है।

मीडिया की वैश्विक पहुॅच : मानव अधिकारों के सम्बन्ध में मीडिया की पहुॅच वैश्विक हो सकती है जैसे मानव अधिकार शिक्षा का प्रचार, प्रसार, मानव अधिकारों की वैश्विक संस्कृति की स्थापना तथा पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के उत्पीड़न के विरूद्ध एकजुट होकर आवाज उठाना। इसके लिये ऐसे मीडिया उपकरणों को लागू करना होगा जिनमें मानव अधिकारों की रिपोर्टिंग व्यापक रूप से की जा सके तथा वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार और प्रतिमानों का ज्ञान कराया जा सके।

मानव अधिकार रिपोर्टिंग और मीडिया के लिये नई चुनौतियां : तेजी से विकसित हो रही नई मीडिया प्राविधिकी की दौर में मीडिया को नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में सोशल मीडिया का महत्व बढ़ गया है। जिसके अन्तर्गत ई–मेल, ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक आदि का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि विगत एक वर्ष में अरब देशों में तानाशाही सरकारों के खिलाफ मानव अधिकारों के संघर्ष में सामाजिक मीडिया ने व्यापक भूमिका अदा की है।

अतः एक ओर जहॉ मीडिया और जनसंचार स्वयं में एक मानव अधिकार है, वहीं मानव अधिकारों के लिए मीडिया एक औषधि और उपचार है। मानव अधिकारों के प्रति मीडिया का दायित्व यह अपेक्षा करता है कि जागरूक और प्रतिबद्ध पत्रकार हो, जिन्हें मानव अधिकार रिपोर्टिंग में दीक्षा प्राप्त हो। मानव अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और आदर एक पवित्र मिशन है। मीडिया को मानव अधिकार संस्कृति का विकास करने की आवश्यकता है।

Scanned with CamScanner

मूल्यांकन : मानव अधिकारों के सन्दर्भ में यह आलोचना भी की जा रही है कि मीडिया इस सम्बन्ध में एक प्रभावशाली लोकमत का निर्माण करने में असफल रही है। बहुधा ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय मीडिया आतंकवादियों के मानव अधिकारों के प्रति ज्यादा अधिक चिंतित नजर आती है। एक वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभात रंजन दीन ने अपने एक लेख में मीडिया की आलोचना करते हुए कहा है कि –"मीडिया के चुप्पी साधे रहने की वजह से ही भारतीय लोकतंत्र अराजकता की पहचान बनता जा रहा है। मानव अधिकार संरक्षण की बातें राजनीति की दुकान चलाने की चोचलेबाजियां होकर रह गयी हैं। विशेषाधिकार का कवच ओढ़े विधायिका हो या अदालती अवमानना की ढाल सामने रखे न्यायपालिका या इनके छाते के नीचे इनकी उंगलियां थामें चलने वाले आयोग या लोकतंत्र को फिसलने से रोकने का ढोंग करने वाला मीडिया। लोक स्तम्भ की इसी चुप्पी की वजह से सब अराजक होते चले गये हैं।"[6]

आज भारतीय मीडिया सनसनी, जातिवादी समाचार, स्थानीय विवाद, नेताओं के भाषण, टी.वी. चैनलों में मनोरंजन, नृत्य, कॉमेडी सर्कस, क्रिकेट और फिल्मी समाचारों पर सर्वाधिक बल दे रहे हैं और इसके अनुपात में मानव अधिकारों के मुद्दों को अत्यल्प महत्व दिया जा रहा है। लोकतंत्र की अपेक्षा है कि मीडिया सशक्त व निष्पक्ष हो और समाज की यह अपेक्षा कि मीडिया मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो मीडिया एक सन्तुलित भूमिका की महती आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1- U N News Letter 29 July, 1995 Vol 50 No 30 UNIC New Delhi Page 01
2- In M. Nagraj and others V Union of India and other (2006) 8 S.C.C. 212, I R Coelho Vs. State of Tamil Nadu, AIR 2007, SC 861
3- Article 19, UDHR, 1998: "Everyone has the rights to freedom of opinion and expression this right includes freedom to....... seek, receive and impart information and ideas through and media and regardless of frontiers."
4- Article 19, ICC PR, 1996 :
(1) "Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
(2) Everyone shall have the right to freedom of expression...... to seek, receive and impart information and ideas...... regardless of frontiers, either orally, in writing or in print....... or through other media of his choice."
5- Article 6 UN Declaration on Human Rights Defenders (2/12/1998).
6- मानवाधिकारः समकालीन विमर्श (सम्पादित हर्ष कुमार सिन्हा), सेण्टर फॉर पालिसी एनालिसिस एण्ड रिसर्च, लखनऊ, वर्ष 2002 पेज नं0 62–63

Scanned with CamScanner

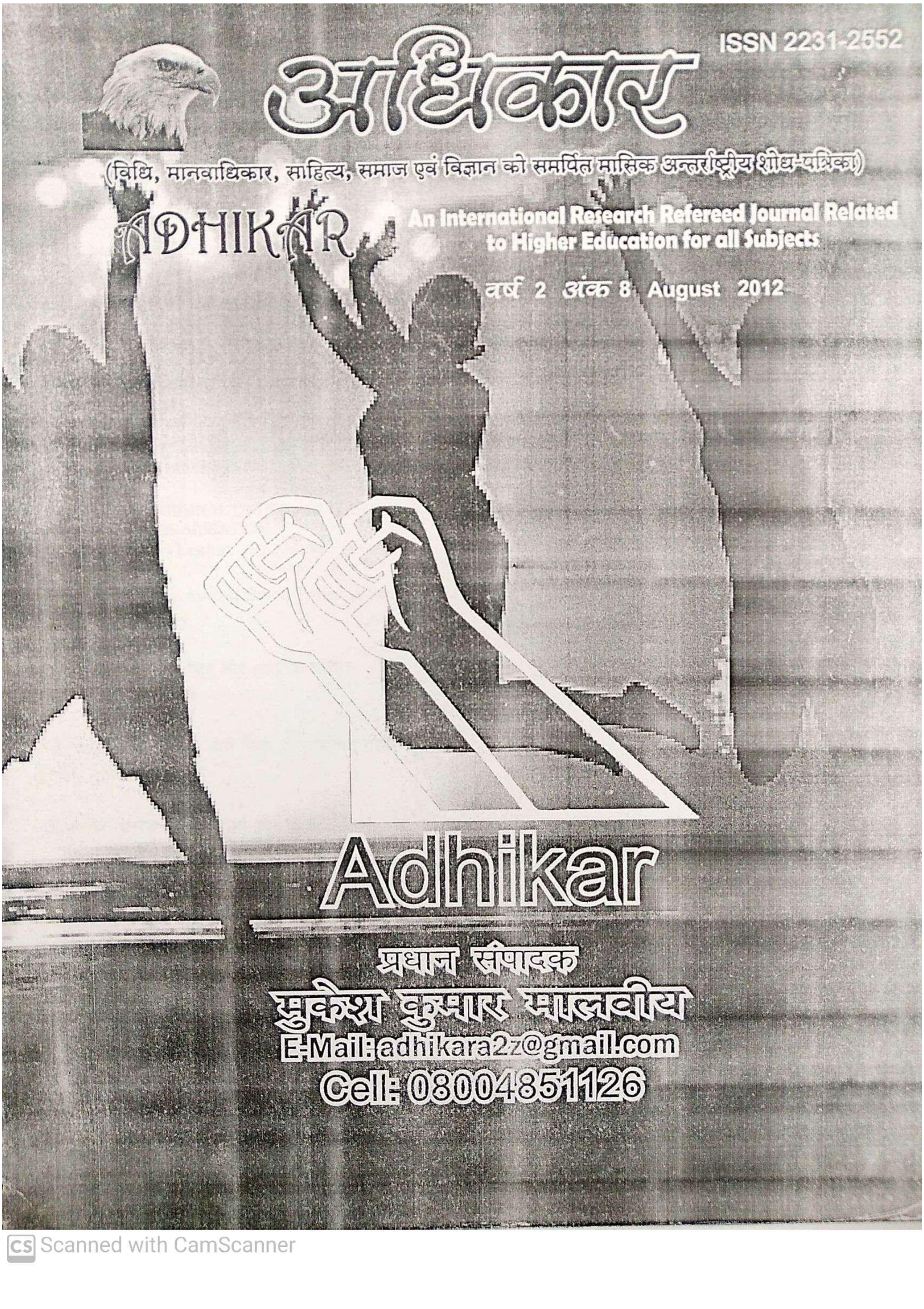

Scanned with CamScanner

इस अंक में—

1.The working of the Lokayukta Institution in the State of U.P. 1–6
*Dr. Daya Shankar Prasad

2.Exclusion And Deprivation of Dalit Childrens From Educational Access 7–11
*Dr. R. Ravi Kumar

3.IDENTIFYING LEARNING STRAGIES FOR ACHIEVING SUPER MEMORIES 12–19
*Preety Agarwal

4.Administrative Culture of Higher Civil Servants of Bihar 20–24
*Dr. Bimal Prasad Singh1

5.ARBITRAL TRIBUNAL UNDER ARBITRATION & CONCIALIATION ACT 1996 – AN ERA OF GLOBALISATION 25–28
*Prof. Narahari Lenka

6. Social Mobility Among Oraon Tribes: A Sociological Study 29–35
*Ms. Indu Pandey

7.बुन्देलखंड के लोक चित्र और आधुनिक परिवेष 36–37
*डॉ. अर्चना श्रीवास्तव

8. खजुराहो के शिल्प में नारी शिक्षा से सम्बन्धित दृश्यांकन 38–39
*डॉ. मुक्ति मिश्रा

9.भारतीय समाज में स्त्री : दशा और दिशा 40–43
*मुकेश कुमार मालवीय

10.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : एक रूपरेखा 44–45
*अखिलेश्वर सिंह

11.यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की आर्थिक स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन 46–47
*डॉ0 अंगलेश कुमार

12. सामाजिक समरसता में पत्रकारिता का महत्व 48–49
*डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी

13.रामदरश मिश्र के उपन्यासों में ग्राम–चेतना 50–51
*कपिल देव शर्मा

Scanned with CamScanner

सामाजिक समरसता में पत्रकारिता का महत्व

*डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी

'प्रवक्ता' जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ.प्र.)

मानव जाति के इतिहास के वर्तमान काल को एक चुनौतीपूर्ण समय कहा जा सकता है। एक ओर वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का प्रमाण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नस्लवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सशस्त्र संघर्ष, आर्थिक वैषम्य, सामाजिक वैमनस्य की विकृतियां विकास व प्रगति के सभी दावों का उपहास बन रही हैं। मूलतः, एक समस्या वैश्विक एकात्मकता व सामाजिक समरसता के अभाव की है। 'समाज' शब्द अपने आपमें एक पूर्ण कथन है। जो 'सम' से 'जात' हो वही समाज है। विचारणीय विषय यह है कि क्या कारण है कि भौतिक प्रगति व विकास के साथ ही सामाजिक विद्वेष, वैमनस्य और असमता विकराल रूप धारण करती जा रही है। यदि मानव जाति की उत्तरजीविता अपेक्षित है तो सामाजिक समरसता ही वह आधारभूत आवश्यकता है, जिस पर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आदर्श साकार बन सकता है। अनेकानेक माध्यमों व उपायों व उपचारों से सामाजिक समरसता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। मेरा विचार है कि सामाजिक समरसता का अभियान 'राजनीति' के माध्यम से नहीं चलाया जा सकता है। वह 'सामाजिक अभियान' ही बन सकता है। राजनीति तो 'बांटो और राज करो' की अनीति बन गयी है। समाज की एकता एवं समरसता के इस अभियान में मीडिया व पत्रकारिता निश्चित रूप से एक सशक्त भागीदार बन सकता है। अतः यह विचार करना होगा कि पत्रकारिता किस प्रकार अपने लक्ष्यों व गुणों से सामाजिक समरसता के इस अभियान में भाग ले सकता है।

वर्तमान परिस्थितियों में देश की अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखना, राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना, समाज के विभिन्न लोगों को एक दूसरे के समीप लाना, क्षेत्रीय भावना को समाप्त करना और ढांचें को बरकरार रखना ही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। समाज के नये आचार–विचार और व्यवहार को गति देने के लिये चौतरफा प्रयास आवश्यक है। पत्रकारिता लोगों तक नये विचारों को पहुंचाने का कार्य करती है। पत्रकारिता की सहायता से लोग अपनी कूपमंडूकता, कुंठा और भाग्यवाद को छोड़कर नवीन दृष्टि से विचार करते हैं। पत्रकारिता द्वारा हमें समाज के नाना रूपों वाली समस्याओं का परिचय विश्लेषण और उनका उचित समाधान प्राप्त होता रहता है। समाज की समग्र विषमताओं और अपनी बेबाक टिप्पणी प्रस्तुत करना तथा सामाजिक समरसता बनाना ही पत्रकार का मूल कर्तव्य है। पत्रकारिता सामाजिक क्रिया का वह मूल अंग है जिसमें समाचारों व विचारों का आदान–प्रदान व प्रचार प्रसार किया जाता है। पत्रकारिता के व्यापक सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्य होत हैं। वह समाज में उच्च मूल्यों और आदर्शों की प्रतिष्ठा में सहयोगी बनती है। दहेज प्रथा, छुआछूत, बालविवाह, महिला उत्पीडन, बाल–अपराध, मद्यपान, आतंकवाद, वेश्यावृत्ति आदि सामाजिक विकृतियां हैं। इनको दूर करना पत्राकारिता का ध्येय है। मानव–मानव के बीच समता का भाव आदि सामाजिक मूल्य हैं। पत्रकारिता इन सामाजिक मूल्यों के आधार पर समाज के मूल्यांकन हेतु बनाए गये मानदण्डों के प्रति सचेत रहती है।

मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक अग होने के नाते वह विविध साधनों के द्वारा समाज की सेवा करता है। पत्रकारिता भी समाज सेवा का एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा वर्तमान वैज्ञानिक आविष्कारों के इस युग में देश विदेश में होने वाले नवीन आविष्कार घटित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अथवा किसी भी प्रकार की जानकारी तीव्रता से विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच जाती है। पत्रकारिता के अभाव में मानव समाज कों जोड़े रखने की कल्पना नहीं की जा सकती।[1]. पत्रकारिता के उद्देश्य को बताते हुए गाँधी जी ने लिखा है–"पत्रकारिता का एक उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता मे वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयता पूर्वक प्रकट करना है।" समाज को बदलना और समाज में समरसता लाना पत्रकारिता का ही उत्तरदायित्व है। महादेवी के विचार में–"पत्रकारिता एक रचनाशील ज्ञान है। इसके बिना समाज को बदलना नामुमकिन है। अतः पत्रकारों को अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए क्योंकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जायेगा।" समाचार–पत्र पत्रिकाओं में समाज को प्रभावित करने की जो क्षमताएं होती हैं उन समस्याओं का सशक्त स्वर प्रणेता होता है पत्रकार। पत्रकार को दूसरे शब्दों में समाज की दिव्य दृष्टि, समाज का सजग कान कहा जाता है। पत्रकार जिन पत्रिकाओं की सृष्टि करता है क्या वह समाज का सबसे बड़ा साहित्य नहीं होता? अवश्य ही होता है। अकबर इलाहाबादी के शब्दों में–"पत्रकारिता जन–भावना की अभिव्यक्ति, सद्भावों की उद्भूति और नैतिकता की पीठिका है। संस्कृति, सभ्यता और स्वतन्त्रता की वाणी होने के साथ ही यह जीवन में अभूतपूर्व कान्ति की अग्रदूतिका है। आज सभी नैपोलियन के कथन से सहमत होंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र मे कार्य करने वाले शिकायतखोर, टीकाकार, सलाहकार, बादशाहों के प्रतिनिधि और राष्ट्र के शिक्षक होते हैं। चार विरोधी पत्र चार हजार संगीनों से अधिक खतरनाक होते हैं :

खीचों न कमानों को, न तलवार निकालो।
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।

असहायों को सम्बल, पीड़ितों को सुख, अज्ञानियों को ज्योति एवं मदोन्मत शासक को सद्बुद्धि देने वाली पत्रकारिता है जो समाज सेवा और विश्व–बन्धुत्व की स्थापना में सक्षम है।[2] डॉ0 शंकर दयाल शर्मा ने पत्रकारिता के महत्व को बताते हुए कहा था कि–"पत्रकारिता एक पेशा नहीं है बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी पेश करना चाहिए। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आती है। उन्हीं के शब्दों में :"प्रेस की भूमिका के एक साथ दो पहलू हैं :

Scanned with CamScanner

एक ओर वह नकारात्मक शक्तियों को बेनकाब करके उसके विरोध में जनसमर्थन जुटाने में अपना योगदान दे। दूसरी ओर हमारे समाज और संस्कृति के जो सकारात्मक तत्व हैं उन्हें जन–जन तक पहुँचायें। लोकतान्त्रिक समाजवाद, सर्वधर्म समभाव, प्रेम, त्याग और सेवा जैसे हमारे समृद्ध सांस्कृतिक मूल्यों को लोगों तक पहुँचाकर प्रेस एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।''[3] जेम्स मैकडोनाल्ड ने लिखा है–''पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी अधिक बड़ी चीज समझता हूँ यह कोई पेशा नहीं, बल्कि पेशे से कोई ऊँची चीज है। यह एक जीवन है, जिसे मैने अपने को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया है।''[4]

पत्रकारिता ने सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकारिता द्वारा सामाजिक मूल्यों के प्रसार–प्रचार का उत्तरदायित्व का निर्वाह करके सामाजिक सम्बन्धों में सुदृढ़ता लाई जाती है। एक समाज में विभिन्न भाषा भाषी वर्ण धर्म के लोग रहते हैं। कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि इनमें टकराव व मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस टकराहट को रोका जाये जिससे लोगों के मन में भेद–भाव, मनमुटाव, वैमनस्य मिटाकर उनमें एकता का सौहार्द जगाया जाये। प्रतिबद्ध पत्रकारिता है जिसका उद्देश्य है जनजागृति और समाज कल्याण।[5] पत्रकारिता एवं लेखन एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिससे वातावरण निर्माण और एक बड़े वर्ग की सोच को काफी हद तक नयी दिशा दी जा सकती है। पत्रकारिता द्वारा समाज के तमाम अंधविश्वासों पर आधारित मान्यताओं को समाप्त किया है। जैसे–चेचक को अब शीतला माई का प्रकोप मानना लगभग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार कुछ रोग अब पूर्व जन्म के पापों का नहीं बल्कि जीवन को लगने वाला एक रोग है। परिवार नियोजन की महत्ता बढ़ने के कारण ही अब कोई दूधों नहाओ, पूतों फलो का आशीर्वाद नहीं देता। इसी प्रकार अन्य बहुत सारी सामाजिक मान्यताओं को अंधविश्वास की बंद गली से निकालकर वैज्ञानिक विवेक के खुले–उजले चौराहे तक लाने में भी पत्रकारिता में क्रातिकारी भूमिका निभाई है।[6]

प्रसिद्ध पत्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सामाजिक विषयों पर लोक टिप्पणियां, सम्पादकीय आदि लिखने का क्रम जीवन पर्यन्त जारी रखा। वे समाज चेतना के लिये पत्रकारिता को एक सशक्त माध्यम मानते हैं। बाल मुकुन्द जी भारतीय सामाजिक संस्कृति के दृढ़ पोषक थे लेकिन रूढ़िवाद तथा पोगापन उन्हें सहन नहीं था। पं0 बाल कृष्ण भट्ट ने समाज में फैली कुप्रथाओं के विरूद्ध अभियान प्रारम्भ किया। उन्होंने लिखाः''छुआ–छूत की प्रथा अमानवीय व अन्यायपूर्ण है। क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।'' प्रसिद्ध लेखक प्रेमचन्द्र सम्पादक के रूप में भी अत्यन्त सफल रहे। स्वाधीनता संग्राम, हिन्दू, मुसलमान, किसान, मजदूर, सामान्य नागरिक, छूत अछूत, शान्ति आदि तमाम विषयों के प्रति अपने विचार व्यक्त किये।[7] माखन लाल चतुर्वेदी जी भी एक प्रखर एंव जागरूक पत्रकार थे। समाज के उपेक्षित दलित वर्ग, पिछड़ी हुई अल्पसंख्यक इकाइयों को प्रोत्साहन दिया। स्त्रियों एवं समानाधिकार पर उठकर लिखा।

गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी सामाजिक कुरीतियों के निवारण, आत्मावलम्बन, जनहित, सार्वजनिक हित के लिए लेखनी चलाई। इस प्रकार विभिन्न पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों एवं विषमताओं को दूर करने के लिये भरसक प्रयास किया, महिलाओं के प्रति भेद–भाव, आर्थिक अन्याय, निरक्षरता, निर्धनता, हथियारों की होड़, बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआ–छूत आदि समस्यायें समाज मे रह रहे व्यक्ति के अस्तित्व के लिये खतरा बनी है। इसलिए पत्रकारिता का दायित्व और भी बढ़ जाता है। इसके समाधान के लिये विचार विनिमय हेतु एक दूसरे का मिलाप भी करवाती है पत्रकारिता। आज की पत्रकारिता का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। समाज के विस्तीर्ण क्षेत्र से पत्रकारिता का सम्बन्ध हमेशा से रहा है सामाजिक लोकाचारों में मौलिक परिवर्तन हेतु पत्रकारिता निरन्तर संघर्ष कर रही है।

अतः सामाजिक समरसता के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस महाअभियान में पत्रकारिता का योगदान आवश्यक है। ''जहाँ न पहुँचे सरकार, वहाँ पहुँचे पत्रकार।'' समाज के प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, वर्ण, धर्म, पन्थ तक पत्रकार की पहुँच अपरिहार्य है। पत्रकारिता का सामाजिक समरसता के प्रति निवारक, प्रचारक व सुधारक दृष्टिकोण होना चाहिए। जिन तत्वों व कारकों से समरसता का क्षरण होता है उन्हें पूर्ण रूप से बहिष्कृत करना पत्रकार का निवारक कर्तव्य है, साथ ही साथ ऐसे तत्वों की पर्याप्त आलोचना व भर्त्सना समीचीन है। साम्य समरसता व आत्मिक सम्बद्धता का उत्प्रेरण व प्रर्वतन ही वास्तविक पत्रकारिता कही जायेगी। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू के विचार इस संबंध में प्रासंगिक हैं। उन्होंने फैजाबाद प्रेस क्लब के 18वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि–''असल मुद्दे गरीबी, भुखमरी, हर रोज देश में आत्महत्या करते किसान और मंहगाई है, लेकिन मीडिया का ध्यान लेडी गागा, करीना कपूर और राखी सावंत पर है।'' उन्होंने मीडिया को वैज्ञानिक सोच अपनाने की सलाह दी। कहा कि मीडिया बिजनेस हो गया है इसलिए सेवा नहीं कर पर रहा है। यदि जनता का मानसिक स्तर नीचा है तो उसे ऊपर करने की जिम्मेदारी मीडिया की है। सामंती समाज से आधुनिक समाज में यूरोप के परिवर्तन में मीडिया की बड़ी भूमिका रही।[8] अतः सामाजिक कान्ति लाकर, वैज्ञानिक सोच का आधार बनाकर, जनसमस्याओं को मुख्य विषय बनाकर सामाजिक समरसता की आधार भूमि बनाना पत्रकारिता व मीडिया का एक अभियान बनना चाहिए।

सन्दर्भ

1.पत्रकारिता के विविध रूप एवं सिद्धान्त, लेखक प्रियंका वाधता एवं राकेश जैन, रजत प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2012 पेज नं0 01 2.आधुनिक पत्रकारिता, लेखक डॉ अर्जुन तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वारणसी, वर्ष 1999 पेज नं0 01 3.डॉ0 शंकर दयाल शर्मा के 4 अगस्त 1996 को भोपाल में दिये गये व्याख्यान से उद्घृतः 'समर्पित पत्रकारिता के शिखर पुरूष'–मुन्नालाल पत्रकारिता प्रतिष्ठान, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित, जनवरी 1997 4.पत्रकारिता सिद्धान्त और स्वरूप, लेखक डॉ0 संजीव कुमार जैन, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, पेज नं0 16–17 5.मीडिया लेखन, लेखक प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित, प्रकाशन लखनऊ 6.जनसंचार, सम्पादक राधेश्याम शर्मा, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ़, वर्ष 1993, पेज नं0 434, 436 7.पत्रकारिता के सिद्धान्त, लेखक डॉ0 रमेश चन्द्र त्रिपाठी, अशोक प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 1997 पेज नं0 73, 75 8.''जनपक्षधर बने मीडिया'' : काटजू, अमर उजाला, माई सिटी (फैजाबाद), लखनऊ, वृहस्पतिवार, 29 मार्च, 2012 पृष्ठ–1

□□□□

Scanned with CamScanner

Quarterly: January-March, 2013 ISSN: 2230-9896

VIDHAN

A Research Journal...

Year: 3, Vol.-1
March, 2013

Editor-in-Chief
Dr. Santosh Kumar Tiwari

Editors
Awanish Kumar Upadhyay
Satya Prakash Tripathi

Scanned with CamScanner

Contents/ अनुक्रमणिका

1-	Industrial Development with Special Reference to Public Participation and Role of Legalization Dr. Aditya Veer Singh	1-6
2-	Legislative and Institutional Framework for Food Safety and Security in Promotion and Protection of Human Rights in India Chandra Shekhar Joshi & Kavita Agrawal	7-11
3-	Right to Reputation – An Expanded Horizon of Article 21 of the Constitution of India Dr. Chaturbhuj Nath Tiwari	12-15
4-	Role of Higher Judiciary and the Indian constitution - An Analysis Dr. Mohd Ahmad	16-22
5-	The Importance of Traditional Knowledge and Bio-Piracy Dr. Sunita Arya	23-28
6-	Contract of Guarantee Distinguished from other Contracts Dr. R.B. Jaisal	29-37
7-	The Role of Law in Empowering Women in India Anju Singh	38-43
8-	Trademark: Policies and Protection Kusum Joshi	44-48
9-	Right to Education in India: A Critical Appraisal Dr. J.S. Bisht	49-57
10-	The Evolution of The Doctrine of Basic Structure: The Supremacy of the Constitution Vijay Kumar Pandey	58-63
11-	Autobiography and Tehmina Durrani Ayesha Anwar Warsi	64-67
12-	Two Leaves and a Bud' and 'The Village' Reflecting Class-Conflict Dr. Dinesh Kumar Tiwari	68-70
13-	Development of Library Management Software in India Satya Brat Shukla	71-76
14-	Violence in Media Dr. Manish Kumar Srivastava	77-86

Scanned with CamScanner

15- A Financial Performance Evaluation of RRBs: Pre and Post Analysis & Interpretation of RRBs 87-91
Mohd. Saifi Anwar & Dr. Abdul mobin

16- A Comparative Study of Middle and Secondary School Teachers with Respect to job Satisfaction and Teaching Aptitude 92-98
Bhupendra

17- A Study of Traditional Learning and E- Learning of Final Year Students of M.B.B.S., B.D.S. and B. Tech. and their Efficacy on their Academic Achievements 99-106
Shimla Tehseen

18- A Study of the Reactions Towards Objective Type Test and Essay Type Tests 107-113
Ankur Verma

19- मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक परावलम्बता– मानवाधिकारों के समक्ष गम्भीर चुनौती 114-116
डॉ० लक्ष्मीचन्द्र साहू

20- लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व 117-119
डॉ0 पी0एस0 बोरा

21- मानवाधिकार एवं नारी 120-125
डॉ० धीरेन्द्र पाठक

22- सूचना का जन अधिकार : एक चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व 126-130
डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी

23- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दायित्वहीनता का संकट 131-134
अरूण गर्ग

24- महराजगंज जनपद का भौगोलिक अनुशीलनः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 135-140
अखिलेश्वर सिंह

25- राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में स्त्रियों की सहभागिता 141-144
डॉ. आराधना सिंह

26- नियति शब्द की व्युत्पत्ति एवं अवधारणा 145-151
डॉ० अनिल कुमार

27- गीता में वर्णित स्थित–प्रज्ञ की अवधारणा 152-154
डॉ० रमेश कुमार यादव

28- अमीर खुसरो : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 155-161
डॉ० शबाना अज़ीज़

Scanned with CamScanner

29- आंतकवाद : भारतीय लोकतंत्र को चुनौती 162-166
डॉ० अरविन्द नेत्र पाण्डेय

30- दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा को गैर परम्परागत चुनौतियाँ 167-172
अमित कुमार

31- गुटनिरपेक्ष आंदोलन : उसका बदलता हुआ स्वरूप एवं प्रासंगिकता 173-178
मयंक पाण्डेय

32- भूमण्डलीकरण: अर्थ एवं अवधारणा 179-183
विवेक कुमार सिंह

33- संगीत के माध्यम से धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव 184-187
दीप सिंह

34- फिल्म संगीत का इतिहास 188-191
नीलिमा श्रीवास्तव

35- उत्तर प्रदेश में संचार तंत्रका कृषि विकास में योगदान एंव संभावनाऐं 192-200
कंचन कुमार तिवारी, डॉ० आर० के० सिंह

36- बदलती जीवन शैली का किशोरों के मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक विशेषताओं पर प्रभाव 201-204
शिखा खरे

37- प्राथमिक विद्यालयों के विशिष्ट बी०टी०सी० अध्यापक एवं शिक्षामित्रों के शिक्षण अभिवृत्ति का एक अध्ययन 205-210
विजय कुमार यादव

38- प्रसाद के उपन्यास 'कंकाल' में स्त्री पात्र 211-215
इन्दू

CS Scanned with CamScanner

सूचना का जन अधिकार : एक चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व

डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी*

भारत में लोकतंत्र के इतिहास में 21वीं शताब्दी के आरम्भ में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना के रूप में सूचना के अधिकार का सांविधिक रूप प्राप्त करना कहा जा सकता है। लोकतंत्र की अनेक आवश्यक शर्तों में शासन में जनभागीदारी एक अनिवार्य तत्व है। लोकतंत्र में वास्तविक सत्ता लोक में होती है जो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देश पर शासन चलाते हैं। यह निर्विवाद है कि लोकतंत्र में शासन जनता के हित में होना चाहिए। सुशासन लोकतंत्र की एक अपेक्षा है जिसमें पारदर्शिता और जिम्मेदारी निहित है। यदि लोकतंत्र में शासन और जनता के बीच गोपनीयता की दीवार खड़ी हो जाए तो इसे लोकतंत्र कहना ठीक नहीं होगा। सत्ता के गलियारों में क्या घट रहा है इसकी जानकारी लोकजन को न होने से भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता एवं अन्य अनेक बुराइयां शासन में आ जाती हैं और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का केवल रूप रह जाता है और सार नष्ट हो जाता है।

स्वाभाविक है कि जानने और सूचना का अधिकार लोकतंत्र की प्राणवायु है लोकतंत्र मात्र एक साधन है जो किसी देश के हित के लिये एक व्यवस्था होती है। लोकतंत्र के इंजन को चलाने के लिए सूचना और जानकारी एक ईंधन होता है। यद्यपि सूचना का जनअधिकार एक अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2005 में स्थापित हुआ है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जानने या सूचना का अधिकार कोई नई अवधारंणा है। विश्व में अधिनायकवाद के विरूद्ध जितने भी संघर्ष हुए हैं वे सब सूचना और जानकारी के मानव अधिकार के हनन के विरूद्ध संचालित हुए थे। उल्लेखनीय है कि पराधीनता के दौर में शासन करने वाली अनेक विदेशी सरकारों ने शासन और जनता के बीच गोपनीयता की दीवार खड़ी कर अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाने का प्रयास किया था। यही कार्य भारत में ब्रिटिश शासकों ने भी किया। स्वाधीनता प्राप्त होने पर जब भारत में अपनी सांवैधानिक व्यवस्था बनी इस पर भी आधी शताब्दी तक गोपनीयता बनाये रखने की ब्रिटिश परम्परा को चलाये रखा। सूचना का जनअधिकार वर्ष 2005 में शासन ने अनायास ही स्वीकार नहीं कर लिया था। सूचना के अधिकार की प्राप्ति एक लम्बे संघर्ष की परिणति है। जिसमें अनेक कार्यवादियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया का बड़ा योगदान है।[1]

किसी अधिकार का अधिनियम बना दिया जाना ही काफी नहीं होता। ऐसे अधिकार को बनाये रखन और लगातार अधिकार की रक्षा करना उतना ही आवश्यक होता है, ऐसी स्थिति में समाज की सतत् जागरूकता की आवश्यकता होती है। कहा भी गया है कि सतत् जागरूकता ही स्वाधीनता की कीमत है। इस सम्बन्ध में इस लेख में इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि सूचना के जनअधिकार की रक्षा और सफलतापूर्वक परिचालन् करने में मीडिया की क्या भूमिका रही है ? मीडिया क्या कर सकती है ? उसके क्या उत्तरदायित्व हैं ? और उसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं ? वैसे भी जब सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं बना था, और भारत पराधीन था तब भी सूचना देना और सूचना को येन केन प्रकारेण प्राप्त करना एवं स्वाधीनता के संघर्ष में सक्रिय भागीदारी करना भारतीय मीडिया का एक उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश की जनता को मुख्यतः सूचनायें समाचार–पत्रों से ही मिलती थीं।

---

* प्रवक्ता, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

Scanned with CamScanner

अब फर्क यह पड़ा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मीडिया भी प्रमाणिक सूचनायें प्राप्त कर लोकतंत्र के प्रहरियों में अग्रणी भूमिका निभा सकती है।

II

सूचना का अधिकार के सांविधिक रूप की उत्पत्ति

वर्ष 2005 के पूर्व भी एक अधिनियम बनाया गया था, जिसे सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2002 कहा गया था। किन्तु इसे बहुत प्रभावी न मानकर एक अधिक व्यापक अधिनियम, 2005 लाया गया। किन्तु वर्ष 2002 के पूर्व भी सूचना का अधिकार एक वैश्विक अवधारणा के रूप में स्थापित हो चुका था। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रारम्भिक संकल्पों में सूचना की स्वतन्त्रता का संदेश दिया गया था जिनमें संसार के लोगों को सूचना देने और सूचना प्राप्त करने की स्वतन्त्रता पर बल दिया गया था। अनेक देशों के संविधानों में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत सूचना के अधिकार को सम्मिलित माना गया। भारत में भी हमारे संविधान में सूचना के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था, फिर भी भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक निर्वचन के माध्यम से अपने निर्णयों में यह स्पष्ट घोषित किया था कि संविधान के अनु0 19(1) (क) के अन्तर्गत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में 'जानने का और सूचना का अधिकार' सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय के सर्वाधिक उल्लेखनीय निर्णयों में वर्ष 1975 का राज नरायण वाद है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा --

Supreme court in 1975 observed; " In a govt. of responsibility like ours, where all the agents of the public must be responsible for their conduct, there can be but few secrets. The people of this country have a right to know every public act, everything that is done in a public way, by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every public transaction in all its bearing. The right to know which is derived from the concept of freedom of speech, though not absolute is a factor which should make one weigh, when secrecy is claimed for transaction which can at any rate. have no repercussion on public security."

इसके पश्चात कुछ अन्य निर्णयों में भी उच्चतम न्यायालय ने यही विचार व्यक्त किये। जबकि दो अत्यन्त महत्वपूर्ण चुनाव सुधार निर्णयों –

1. भारत संघ बनाम एसोशिएसन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्मस (2002)[2]
2. पी.यू.सी. एल. बनाम भारत संघ (2003)[3]

में सूचना के अधिकार को चुनाव प्रकिया में एक मूल अधिकार माना। इन निर्णयों मे उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि जानने का अधिकार मूल अधिकार न होकर मात्र एक व्युत्पन्नि अधिकार है। न्यायालय ने यह कहा कि सूचना का अधिकार एक सांवैधानिक गारंटी और एक मूल अधिकार है। इन दो निर्णयों से वर्ष 2002 और 2005 के सूचना के अधिकार अधिनियम को उत्प्रेरण मिला। 2005 के सूचना के अधिकार अधिनियम की उद्देशिका में इस अधिनियम के उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है जिसका उल्लेख यहाँ करना समीचीन होगा –

"प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है, और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शित की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के

Scanned with CamScanner

लिये भी और सरकारों तथा उसके परिकरणों को शासितों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये अनिवार्य है; और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से सम्भवतः अन्य लोकहितों, जिनके अन्तर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाये रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है; और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाये रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है;

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिये, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबन्ध किया जाये।[4]

III

सूचना का अधिकार और मीडिया

जैसा कि इस लेख के आरम्भ में कहा गया है कि सूचना की अधिकार की प्राप्ति के लिये संघर्ष में मीडिया की अहम भूमिका रही है। अतः इस अधिकार के संरक्षण और प्रभावी परिचालन में भी मीडिया का महत्व सर्वविदित है। पारम्परिक रूप से मीडिया का कार्य सूचना का जनसंचार एवं प्रसारण करना रहा है, मीडिया का कार्य ही है समाचार, अभिमत, विचार और सूचनाएं। विभिन्न युगों में विभिन्न कारणों से मीडिया का महत्व बना रहा है। अधिनायकवादी सत्ताओं के युग में मीडिया का कार्य क्रान्तिकारी संघर्षो में समर्थन करना, उत्पीड़न की सूचनायें प्रसारित करना था। मीडिया के सूचनात्मक समर्थन के बिना स्वतन्त्रता संघर्षों को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता था।

जब लोकतांत्रिक सत्तायें स्थापित हुई, मीडिया की भूमिका और उसके समक्ष चुनौतियां भी बदल गई। राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने पर जनप्रतिनिधि तानाशाह का एक नया वर्ग बन सकते हैं जो जनता के नाम पर स्वेच्छाचारी शासन करते हैं और इसके लिये शासन और जनता के बीच गोपनीयता का पर्दा डाल देते हैं जिसके आड़ में भ्रष्टाचार, कुशासन, मानव–अधिकारों का अतिक्रमण, भाई–भतीजावाद एवं नस्लवाद जैसी बुराइयां पनपती हैं। ऐसी स्थिति में असूचित एवं कुसूचित जनता अपने शासकों का भंडाफोड़ नहीं कर पाती। ऐसे में मीडिया का यह दायित्व बनता है कि सरकार के कुकृत्यों की सूचना जनता को दें। लेकिन गोपनीयता की दीवार को भेदना मीडिया के लिये बड़ी चुनौती साबित होती है, जिसके लिये उसे खोजी पत्रकारिता, स्टिंग ऑपरेशन, और शासन के अन्दर के लोगों से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना होता है। ऐसे में मीडिया को सूचना के स्रोत की गोपनीयता बनाये रखने, वृत्तिक सदाचार को भी मानना पड़ता है। शासन भी मीडिया के विरूद्ध सेंसरशिप, प्रेस विधि के निर्बन्धन, आपराधिक मानहानि, न्यायालय अवमानना, विधायिकी विशेषाधिकार का कानून लागू करती है। ऐसे में सूचना का अधिकार अधिनियम के पूर्व सूचना प्राप्त करना कितना जोखिम भरा काम था, यह आसानी से समझा जा सकता है।[5]

IV

सूचना का अधिकार : मीडिया की वर्तमान भूमिका

सूचना का अधिकार स्थापित होने से मीडिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अब मीडिया सूचना के अधिकार का लाभ उठाते हुए निम्नलिखित भूमिकाएं अदा कर सकता है।

- मीडिया अब सूचना के अधिकार का उपयोग लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त कर उसी प्रकार कर सकता है जैसे कोई सामान्य नागरिक, कोई सम्पादक, संवाददाता या मीडिया से जुड़ा कोई पत्रकार इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

Scanned with CamScanner

में घालमेल करने के लिये संसोधन प्रस्ताव वापस ले लिया है।[8] इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रमुख अंग्रेजी दैनिक 'द हिन्दू' ने 05 नवम्बर 2012 के अपने सम्पादकीय में कहा है –

"A few days ago, Prime Minister Manmohan Singh cautioned against the Act's misuse, and expressed himself in favour of privacy as opposed to disclosure. The same line was taken by the Supreme Court which also mandated that Judges must be appointed to all Information Commissions. But whatever the challenge, the information law can not be beaten back; the genie is out of the bottle.[9]

मीडिया के द्वारा सूचना के अधिकार का उपयोग एक सामाजिक आवश्यकता है। सूचना के अधिकार को आमजन का अधिकार बनाने में मीडिया की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। **सरमन नगेले** कहते हैं कि – मीडिया के स्वरूप के अनुकूल अपने अपने स्तर पर यदि मीडिया सूचना के अधिकार को प्रोत्साहित करने का उपक्रम प्रारम्भ करता है तो सूचना का अधिकार भारत में पाँचवें स्तम्भ का स्थान प्राप्त करता है।

सन्दर्भ स्रोत

1. सूचना अधिकार विधि, डॉ0 आर0के0चौबे, इलाहाबाद, लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स वर्ष 2008 पेज नं0 10
2. (2002) 5 एस.सी.सी. 294
3. (2003) 4 एस.सी.सी. 399
4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
5. पत्रकारिता एवं प्रेस विधि, डॉ0 बसन्ती लाल बाबेल, सुविधा लॉ हाउस प्रा0 लि0 भोपाल, 2008 पेज नं0 76।
6. पत्रकारिता और सूचना का अधिकार : एक अवलोकन, मनीष सिसोदिया, मीडियाडिप डॉट कॉम
7. सूचना का अधिकार दिवस पर विशेष, 13 अक्टूबर 2012, नवभारत टाइम्स।
8. विकीपीडिया डॉट ओ.आर.जी.
9. The Hindu Editorial Page 5 November 2012 Delhi Edition Allahabad.

Scanned with CamScanner

Quarterly:April-June, 2013

ISSN 2230-9896

VIDHAN

A Research Journal...

Year : 3, Vol. -2

June, 2013

Scanned with CamScanner

CONTENTS

(1) ADVOCACY IS A PROFESSION, NOT A BUSINESS: A CRITICAL ANALYSIS 1

DR. BANSHI DHAR SINGH

(2) VIOLATION OF HUMAN RIGHTS IN SRI LANKA VIS-A-VIS ROLE OF UNHRC 15

CHANDRA SHEKHAR JOSHI

(3) THE IMPORTANCE OF PUBLIC PARTICIPATION IN PROTECTION OF ENVIRONMENT 21

DR. SUNITA SINGH

(4) MUSLIM PERSONAL LAW AND RIGHTS OF MUSLIM WOMEN : A SOCIO LEGAL STUDY 29

DR. B. P. OJHA

(5) AN ANALYSIS OF GENDER EQUALITY IN INDIA SINCE HUMAN CIVILIZATION 36

DR. JAY PRAKASH YADAV

(6) EUTHANASIA AND INDIA: A STUDY 46

DR. PANKAJ DWIVEDI

(7) PROTECTION OF RIGHTS OF CHILD : INTERNATIONAL AND INDIAN PERSPECTIVE 56

DR. RAHUL SAHAI BISARYA

(8) THE SOCIO-LEGAL PERSPECTIVES OF LIVE IN RELATIONSHIPS IN INDIAN SCENARIO 72

DR. ALOK PANDEY

(9) JUDICIAL ACTIVISM IN THE LIGHT OF ENVIRONMENTAL LAW 79

NAGESH SHUKLA & NIRMAL KUMAR MISHRA

(10) SUSPENSION OF SENTENCE AFTER COMMENCEMENT OF SENTENCE AND IMPRISONMENT 85

B.K. TIWARI

Scanned with CamScanner

(11) INFORMATION TECHNOLOGY 89

DR. DHIRENDRA PATHAK & ABHINANDANA SHARMA

(12) ROLE OF FCI IN RURAL DEVELOPMENT 95

BIPIN KUMAR SINGH

(13) ROLE OF FMCG SECTOR IN RURAL DEVELOPMENT 98

RAM PRAKASH MAURYA

(14) ENGLISH AND SAARC WRITING IN ENGLISH 101

AYESHA ANWAR WARSI

(15) TRENDS OF GURU-SHISHYA PARAMPARA COMPARATIVE STUDY OF ANCIENT GURUKUL SYSTEM AND THE NEW 107

NEETU KAMTHAN

(16) FEMININE SENSIBILITY IN KAMALA DAS 113

KAMTA PRASAD

(17) USAGE OF INTERNET SERVICES BY ENGINEERING STUDENTS IN ALLAHABAD: A STUDY 120

SATYA BRAT SHUKLA & CHANDRA PRAKASH DUBEY

(18) R. K. NARAYAN'S TREATMENT OF MARRIAGE AND THE INDIAN SCENE IN GRANDMOTHER'S TALE 129

PRABHAT KUMAR DIXIT & DR. V.S. SHUKLA

(19) वर्तमान समय में गाँधीवादी विचारों की प्रासंगिकता 133

डॉ0 अखिलेश त्रिपाठी

(20) सूचना के अधिकार का महत्व 139

डॉ. पी0 एस0 बोरा

(21) हिन्दी मीडिया में 'पेड न्यूज' का बढ़ता चलन : विश्वसनीयता का संकट ... 143

डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी

(22) डॉ. नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि का मूल्यांकन 149

डॉ. आराधना सिंह

Scanned with CamScanner

(23) साठोत्तरी कविता में जनवादी चेतना... 153
डॉ. उमा त्रिपाठी

(24) हिन्दी दलित कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक में अभिव्यक्त दलित जीवन की पीड़ा... 157
अंशिता शुक्ला

(25) श्री अरविन्द का कर्म सिद्धान्त... 165
अभय शंकर

(26) श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार आत्मज्ञान की प्राप्ति के विविध उपाय.......... 171
भानु प्रकाश त्रिपाठी

(27) शास्त्रीय संगीत के सामूहिक शिक्षण में वृन्दगान--पद्धति............................ 175
गौरी खन्ना

(28) बंदिशों में साहित्य का महत्त्व... 179
अचल विशाल मिसरा

(29) पंजाबी भाषा में ख्याल की पारम्परिक बंदिशों का विवेचन.......................... 183
अंजुल अग्रवाल

(30) भारत में संगीत–शिक्षण का पुनरुत्थान... 188
स्वाती सिंह

(31) गुप्त सम्राटों के अभिलेखों में वर्णित लोकविश्वासों की विवेचना................. 193
सुनील कुमार पटेल

(32) वज्रयान मूर्ति परम्पराओं में वैभत्य व सद्भाव.. 196
रीना सिंह

(33) तालिबान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः एक सिंहावलोकन............................... 200
महेन्द्र प्रताप

(34) शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियों की उपयोगिता................................ 208
वेदवती त्रिपाठी

(35) जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रतीक विधान.. 213
वंदना एवं प्रभात कुमार दीक्षित

Scanned with CamScanner

(21)

हिन्दी मीडिया में 'पेड न्यूज़' का बढ़ता चलन : विश्वसनीयता का संकट

डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी*

पत्रकारिता और उसका संवाहक मीडिया लोक कल्याण के लिए अभिमंत्रित इस युग का सबसे मूल्यवान उपहार है। इसकी उपादेयता तथा प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहे यह मानव मात्र के हित में आवश्यक है। पत्रकारिता मूलतः एक व्यवसाय न होकर एक आह्वान है, आह्वान के भाव से रहित पत्रकारिता समाज के लिये अहितकर तो है ही, साथ ही अभिशाप भी है। विश्वसनीयता मीडिया की मूल शक्ति है। आज मीडिया के पास वह सब कुछ है जो उसे भौतिक रूप से लाभप्रद मजबूत तथा ताकतवर बनाता है परन्तु उसकी असली ताकत का गहरा ह्रास हुआ है। उसकी विश्वसनीयता गहरे संकट में है।

एशिया मीडिया की रिपोर्ट में एक टिप्पणी की गई थी कि चूंकि मुनाफा ही लक्ष्य है इसलिए भारतीय प्रकाशन भी बाजार की शक्तियों द्वारा निर्मित रूझानों के मुताबिक चलाए जा रहे हैं। गांधी जी ने इस स्थिति का अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया था। उन्होंने लिखा कि "जब अखबार को मुनाफा कमाने के साधन के तौर पर चलाया जायेगा तो गम्भीर अनाचार इसके परिणाम होंगे।"

विश्वविख्यात मीडिया अध्येता जॉन सी. मैरिल और उनके सहयोगी रॉल्फ डी. बार्नी ने कहा कि "पत्रकारों ने जो नई कार्यशैली अपनाई है उसमें उन्हें अपने काम के उद्देश्य और उसके (अच्छे बुरे) परिणामों से सरोकार नहीं रहता। अगर वे नैतिकता की कोई चिन्ता करते भी हैं तो उसका स्थान तकनीकी विधियों और काम के तौर तरीकों के सामने गौण रहता है। यह लक्षण हमारे यहाँ भी काफी दिखाई देने लगा है, विशेष रूप से टी.वी. चैनलों पर।"[1]

पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इंदौर प्रेस क्लब के स्वर्ण जयंती के अवसर पर मूर्धन्य पत्रकार स्वर्गीय श्री राजेन्द्र माथुर की पुण्य स्मृति में 'आज की पत्रकारिता' विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि "पत्रकारिता वह है, जो समाज की कठिनाईयों और संवेदनाओं को न केवल महसूस करें, वरन उसे उजागर भी करे। पत्रकारिता में आदर्शों एवं मूल्यों में आ रही कमी समाज के कतई हित में नहीं है।"[2]

हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास लगभग दो सौ वर्ष पुराना है। 30 मई 1826 को कोलकाता से कोल्हूपुरा मोहल्ले से हिन्दी के पहले समाचार–पत्र उदंत मार्तण्ड की शुरूआत की गयी थी।[3] हिन्दी पत्रकारिता का प्रथम एक सौ वर्ष का इतिहास गौरवपूर्ण एवं प्रगतिशील था। प्रारम्भतः राजा महाराजाओं के द्वारा पोषित होने के कारण हिन्दी प्रेस की सामन्तवादी सोच स्वाभाविक थी। किन्तु स्वाधीनता संघर्ष के बढ़ते दौर में, विशेषकर महात्मा गांधी एवं मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हिन्दी पत्रकारिता का प्रतिष्ठापूर्ण अध्याय लिखा जा रहा था। वर्ष 1845 में वाराणसी के शासक राजा शिव प्रसाद सितारे–ए–हिन्द ने 'बनारस अखबार' हिन्दी दैनिक निकाला। इसी कम में राजा लक्ष्मण सिंह ने 'प्रजा हितैषी' (1861), कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह का 'हिन्दुस्थान' (1883), रीवा के महाराजा का

* प्रवक्ता, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

Scanned with CamScanner

'भारत भ्राता' (1887), समाचार पत्र निकाले गए। 1920 में 'राजस्थान केसरी' को उदयपुर में कान्तिकारी पत्रकारिता के लिये बन्दी का सामना करना पड़ा। 1936 में मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की प्रेरणा से 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रबन्धकों को समाज सेवा के लिये एक हिन्दी समाचार पत्र निकालने के लिये सहमत किया। इस प्रकार एक सामन्तवादी हिन्दी प्रेस को कमशः लोकतंत्रीकृत किया गया।[4]

स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिन्दी मीडिया की गिरावट की त्रासदी

स्वाधीनता प्राप्ति के संघर्ष के दौर में हिन्दी समाचार पत्रों की पाठक संख्या में भारी वृद्धि हुयी, हिन्दी मीडिया की शक्ति बढ़ी तथा प्रभाव में वृद्धि हुयी। शक्ति और प्रभाव की वृद्धि से मीडिया में ऐसी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ जिससे हिन्दी मीडिया उत्तरोत्तर भौतिकतावाद व व्यवसायीकरण के जाल में उलझता गया। जिस शक्ति व प्रभाव का उपयोग राष्ट्र सेवा, सामाजिक समस्याओं के उपचार व जनसामान्य की गरिमा की रक्षा में किया जाना चाहिए था, इसके विपरीत धनोपार्जन को लक्ष्य बनाएं जाने लगा। हिन्दी मीडिया के व्यवसायीकरण के दौर में 'पेड न्यूज' की व्याधि ने अनेक चिंताजनक प्रश्न उठा दिये हैं। इन्हीं प्रश्नों के सन्दर्भ में इस गोष्ठी–पत्र में विचार किया गया है। कुछ बिन्दुओं पर कोई बहस नहीं है। एक, 'पेड न्यूज' का अस्तित्व स्थापित हो चुका है। दो, 'पेड न्यूज' मीडिया का कलंक है। तीन, 'पेड न्यूज' की व्याधि का प्रभावी उपचार आवश्यक और अपरिहार्य है। किन्तु कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मीडिया की निरन्तर गिरती हुयी प्रतिष्ठा के लिये आवश्यक है। प्रथम, 'पेड न्यूज' की उत्पत्ति कैसे हुई ? क्या 'पेड न्यूज' की उत्पत्ति अनाशयित है और मीडिया परिस्थितियों का दास बन गयी है ? द्वितीय, हिन्दी मीडिया क्या विशेष रूप से 'पेड न्यूज' की दोषी है ? तृतीय, 'पेड न्यूज' का चलन क्या बढ़ रहा है ? और इसके नए रूप सामने आ रहे हैं ? चतुर्थ, 'पेड न्यूज' के रोक के क्या उपचार हो सकते हैं, या यह उपचार के परे है ?

'पेड न्यूज' की उत्पत्ति

'पेड न्यूज' की परिभाषा कठिन नहीं है। 'भारत की प्रेस परिषद' ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है :

''दल दमूे वत ंदसलेपे चचमंतपदह पद ंदल उमकपं ;चतपदज वत मसमबजतवदपबद्ध वित ॅ चतपबम पद बी वत ापदक ॅ बवदेपकमतंजपवदण'' अर्थात् मीडिया में आई कोई खबर या विश्लेषण जिसके लिये नकद या किसी अन्य रूप में प्रतिफल दिया गया हो। दूसरे शब्दों में ''।कअमतजपमेउमदजए कतमेमक नच ॅ दमूे ंतम चंपक दमूेण''

अनेक समाचार पत्र ऐसे होते हैं जो दिखने में साधारण दिखते हैं परन्तु उसके पीछे गम्भीर षडयंत्र की योजना होती है। पेड न्यूज की शुरूआत 'टाइम्स ऑफ इंडिया' दिल्ली से 1980 के दशक से शुरू हुआ था, जो अब दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास के समाचार पत्रों के साथ देश के सभी बड़ी कम्पनियाँ 1970 के दशक में पूरे पृष्ठ को बुक करा लेती थीं। जिसमें उनके संस्थान की प्रगति का विवरण छपता था। परन्तु आज राजनैतिक दल 'पेड न्यूज' का उपयोग करती हैं।[5] 'पेड न्यूज' के सम्बन्ध में वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी चिंतित रहते थे और लगातार अपने लेखन और वक्तव्यों से उन्होंने इसका विरोध किया था। वे पत्रकारिता में शुचिता बनाए रखने के लिये संघर्षरत रहे। अखबारों में पेड कंटेंट को लेकर विरोध किया और अपने स्तम्भ में लिखकर इस प्रवृत्ति को पत्रकारिता के लिये खतरनाक बताया।[6]

पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि ''पत्रकारिता के क्षेत्र मे 'पेड न्यूज' के रूप में आई विकृति पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह अवमूल्यन निःसंदेह चिंतनीय है और पत्रकारिता में

Scanned with CamScanner

शुद्धिकरण की जरूरत है।"[7] वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया ने "पेड न्यूज" को पत्रकारिता के लिये कलंक मानते हुए इसे गम्भीर खतरा मांना है। 'पेड न्यूज' पूरे समुदाय को कलंकित करने का काम कर रही है।"[8]

भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने बताया है कि 'पेड न्यूज' की प्रवृत्ति बहुत ही दुखःद और विचलित करने वाली है। गुजरात चुनाव में न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रानिक मीडिया भी बड़े पैमान पर 'पेड न्यूज' के मामलों में शामिल था।[9]

हिन्दी पत्रकारिता में सेंध लगाता 'पेड न्यूज' :– फूल की महक और खूबसूरती की बात हो तो भंवरे का जिक्र भी आ जाता है। पत्रकारिता भी कुछ ऐसा ही हो गया है। इसके आकार और सरोकार की चाशनी पर मंडराते पेड न्यूज रूपी भंवरे की मेहरबानी के चलते पत्रकारिता में मुद्दों की चर्चा के बजाए आजकल पत्रकारिता स्वयं में एक चर्चित विषय बन गया है। कुछ दिन पहले की बात करें तो राम नाथ गोयनका अवार्ड समारोह में भी 'पेड न्यूज' की अवैध सम्पत्ति पर काफी हो हल्ला हुआ। पत्रकारों ने एक स्वर में 'पेड न्यूज' को पत्रकारिता के लिये घातक करार दिया। और सभी अपने घर लौट गये। 'पेड न्यूज' जहाँ थी वहीं रही।

आई बी एन 7 के आशुतोष ने कहा कि "'पेड न्यूज' सिर्फ वही नहीं, जो पैसे लेकर खबर छापी जाती है। किसी विचारधारा के तहत लिखी गई खबर भी 'पेड न्यूज' जितनी गलत है।" दैनिक भास्कर के श्रवण गर्ग का मानना है कि "खराब अखबार निकालने का दोष मालिकों पर मढ़ना ठीक नहीं है। पत्रकारों को ऐसे कामों से बचना चाहिए, जिससे पाठकों में उसकी इमेज खराब हो। किसी भी कानून से ज्यादा जनता और पाठक की नजर हालात को सही करने में अपनी भूमिका निभा सकती है। कानून बन जाएगा तो पेड न्यूज का सिलसिला दूसरे रास्तों से शुरू हो जायेगा।" सी एन एन–आई बी एन के राजदीप सरदेसाई का कहना है कि "कारपोरेट जगत को माइनस करके अखबार और चैनल नहीं चलाए जा सकते। चैनल में एक कारपोरेट घराने के खिलाफ कैंपेन चलायी। उस कारपोरेट ने हमारे सभी नेटवर्क के चैनलों से अपने विज्ञापन वापस ले लिये।"

अगर इन पत्रकारों की बातों पर गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि बिना पूंजीपतियों के कुछ भी देखना और करना असंभव है ऐसे में 'पेड न्यूज' से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है।[10]

'पेड न्यूज' का जिन्न – राज्यों के विधान सभा चुनावों के साथ चुनावी 'पेड न्यूज' का जिन्न लौट आया है वरिष्ठ पत्रकार आनंद प्रधान का मानना है कि – "'पेड न्यूज' कहीं गया नहीं था क्योंकि मुनाफे की बढ़ती भूख के बीच 'न्यूज मीडिया' में 'पेड न्यूज' ही शाश्वत् सत्य है। उनका कहना है कि रिर्पोटों के मुताबिक चुनाव आयोग को पंजाब में 'पेड न्यूज' की कोई 523 शिकायतें मिलीं, 339 मामले में आयोग ने उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया जवाब में 201 उम्मीदवारों ने स्वीकार किया कि खबरों के लिये पैसे दिए गए और उसे अपने चुनाव खर्च में जोड़ेंगे। 78 उम्मीदवारों ने इन आरोपों को नकारा। जबकि 38 मामलों में उम्मीदवारों या सम्बन्धित मीडिया संस्थान ने आरोपों को चुनौती दी।[11]

इसी तरह जी न्यूज चैनल पर नवीन जिंदल की कंपनी ने 100 करोड़ रूपये माँगने का आरोप लगाया। इस विवाद को दो तरह से देखा जा सकता है। पहला यह न्यूज चैनल की बाबत एक 'पेड न्यूज' का उदाहरण माना जा सकता है। दूसरा, अगर सीधे 'पेड न्यूज' न कहें तो यह ब्लैक मेलिंग का मामला कहा जा सकता है। बी. इ. ए. के जनरल सेकेटरी एन. के. सिंह. का कहना है कि "मीडिया किसी के भी खिलाफ कुछ दिखाता है और उसके न दिखाने के एवज में विज्ञापन या कुछ और चाहता है तो इस मामले में संपादक की भूमिका संदेह के घेरे में आती है।"[12]

Scanned with CamScanner

अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी. एस. सम्पत ने बताया कि ''गुजरात विधान सभा चुनाव के दौरान 'पेड न्यूज' यानी पैसा देकर समाचारों का प्रकाशन या प्रसारण करवाने के सम्बन्ध में 444 मामलों में 224 में नोटिस भेजा गया जिसमें 126 मामलों की पुष्टि हुई। इसी तरह हिमाचल प्रदेश से आयोग के सामने 'पेड न्यूज' के 211 संदिग्ध मामले सामने आए इनमें से 190 को नोटिस भेजा गया और 91 मामलों में 'पेड न्यूज' की पुष्टि हुई।[13]

जिस मीडिया को अपनी सशक्त व धारदार भूमिका में होनी चाहिए वह आर्थिक सुधार की दौर में पेड़ से गिरे पत्ते की तरह हवा में उड़ रही है। उसकी न कोई दिशा है और न ही मंजिल। उसे मुनाफा संचालित कर रहा है। जिसका उपकरण बना 'पेड न्यूज'।[14]

'पेड न्यूज' की विश्वसनीयता :–फ्रेण्डस ऑफ मीडिया के बैनर तले 'पेड न्यूज और पत्रकारिता' विषय पर माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के श्री पुष्पेन्द्र पाल ने कहा कि ''इसमें पत्रकारों का दोष नहीं है न उन पर आरोप लगाने से काम चलने वाला है बल्कि यह नैतिकता से जुड़ा मामला है। पत्रकारिता में नैतिकता बनी रहे और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे इसका पुरजोर प्रयास करना चाहिए।'' इसी सम्बन्ध में वरिष्ठ पत्रकार दीपक सक्सेना कहते हैं कि '' 'पेड न्यूज' पहले भी होती थी, बाजार में रहते हुए हम कैसे बच सकते हैं वर्षों से राजनैतिक नेता कहते हैं पहले चुनाव के समय सरकार लठैत पालती थी अब 'पेडन्यूज' के पत्रकारों को पालती है, इसलिए पत्रकारों को दृढ़ निश्चय करना होगा कि ऐसे 'पेडन्यूज' विभीषिका से अपने को बचायें।[15]

'पेड न्यूज' पर रोक लगे :– पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस. वाई. कुरैशी ने हाल में पैदा हुई 'पेड न्यूज' की चुनौती राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के बीच एक गुप्त सौदा है। उन्होंने चुनावों के दौरान पेड न्यूज पर पूरी तरह रोक लगाने की अपील की और उम्मीदवारों के खर्च के ब्यौरे रखने पर बल दिया। वहीं 'पेड न्यूज' के मामले में उत्तर प्रदेश के विधायक उमलेश यादव को आयोग द्वारा यह कार्रवाई दो हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्रों पर हुए चुनाव खर्च के बारे में गलत बयान देने के लिये तीन साल के लिये अयोग्य करार दिया है। भारतीय प्रेस परिषद ने चुनावों के दौरान 'पेड न्यूज' की घटनाओं को चुनावी कदाचार बनाएं जाने की सिफारिश करते हुए इसके लिए सजा दिये जाने और इससे संबद्ध कानूनों में सुधार करने पर जोर दिया है।[16] गुजरात विधान सभा चुनाव के समय जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद राव ने एक मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति गठित की है जो चुनाव प्रकिया के दौरान प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों पर पैनी नजर रखना है। साथ ही कई उदाहरण बताएं कि प्रकाशनों में एक जैसी तस्वीरों और शीर्षक के साथ लेखक के अलग–अलग नामों से एक जैसे लेख का प्रकाशन, खास अखबारों के समान पृष्ठ पर प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों की तारीफ जिसमें यह दावा किया गया हो कि दोनों के चुनाव जीतने की सम्भावना है, शामिल है। शिमला निर्वाचन आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने कहा कि ''संदेहास्पद 'पेड न्यूज' को लेकर कड़ी कार्रवाई की जायेगी और 96 घंटों के भीतर अगर संबंधित समाचार–पत्र या इलेक्ट्रानिक मीडिया ने 'पेड न्यूज' के आरोपों का जवाब नहीं दिया तो उस पर दोष का निर्धारण कर दिया जायेगा।[17]

वैसे 'पेड न्यूज' कोई नई तकनीक नहीं है। इसका जिक्र इतिहास के पन्नों में भी मिलता है। पहले यह लुक छिपकर होता था, परन्तु वैश्वीकरण के दौर में यह खुलेआम हो रहा है। और सामाजिक उत्तरदायित्व से भटक रहा है और 'पेड न्यूज' का सहारा ले रहा है। भटकाव के इस दौर में मीडिया उच्चतम समूह की पूर्ति अपनी आवश्यकताओं के साथ करता रहता है चाहे वोटरों को लुभाना हो या

Scanned with CamScanner

किसी खास मुद्दे पर जनमत तैयार करना हो या अपने उत्पादकों को बाजार में बेंचना। जिस कारण मीडिया में एक तबका नदारद होता जा रहा है। जबकि मीडिया सामाजिक संरचना का एक हिस्सा है, इसके बावजूद मीडिया की पूर्ण स्वायत्तता और नैतिकता सामाजिक दायित्वों से उन्मुक्त होकर आर्थिक और राजनीतिक दशाओं पर प्रायः निर्भर पाया जाता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि मीडिया की प्रकियाओं में प्रकट या अप्रकट रूप से नियन्त्रण का तत्व मौजूद रहता है इस नियन्त्रण की प्रकिया को ढाल बनाकर मीडिया अपना हित साधने में प्रयत्नशील है जिसके लिये कीमत का कोई मोल नहीं. होता। मीडिया में दानव की भांति हावी 'पेड न्यूज' आज एक गम्भीर चुनौती बन चुकी है। चाहे मीडिया चिंतक हो, मीडिया विद् हो, विश्लेषक हो या फिर आलोचक सभी इस दानव रूप बाजारवाद के प्रभाव के सकते में हैं, कि क्या होगा आने वाले समय मीडिया का। जिस प्रकार अपने हितों की पूर्ति के लिये मीडिया 'पेड न्यूज' का सहारा लेकर अपनी पूर्ति में लगा है।

इस अलोच्च की गहराई में जाये तो पत्रकारों का कुछ भी रोल नहीं है, ये सारा माजरा मीडिया घरानों व उसको संचालित करने वाले प्रबंधकों की मिली भगत का नतीजा है, जिसकी चपेट में सारा मीडिया समुदाय आ गया है।

अतः मीडिया को जिस दिशा में चलाया जा रहा है उसे चलने की मजबूरी कहा जा सकता है। मजबूरी के चलते प्रबंधकों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। जिस कारण मीडिया सामाजिक सरोकार से इतर होकर अपनी नैतिकता भूलता जा रहा है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीडिया को शर्मसार कर रहा है। यह शर्मसार चेहरा व्यक्तिगत से बढ़कर सांस्थानिक हो गया है। यह स्थिति देश और समाज के हित में नहीं है। मीडिया की इस दुर्दशा पर ऐसे ही विचार वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी ने साहित्यिक पत्रिका 'नया ज्ञानोदय' में अपने एक साक्षात्कार में व्यक्त किये थे – "अब ऐसे मालिकों का जमाना आ गया है जो अपने अखबारों को मुनाफा कमाने का औजार और अपने प्रतिष्ठान को संस्थान नहीं, परचून की दुकान की तरह चलाते हैं। ऐसे में वहाँ जाकर काम करने वाला या तो पत्रकारिता छोड़ देगा या पत्रकारीय स्वातन्त्रय गौरव को अपने जेब में रखकर चुपचाप नौकरी करेगा।"

सन्दर्भ सूची

1. मीडिया की विश्वसनीयता का सवाल, डॉ0 नन्द किशोर त्रिखा, हिन्दुस्थान समाचार, नवोत्थान अंक 2003 पृष्ठ नं0 75–76
2. www.dailybreaking.com
3. www.mediavimarsh2010blogspot.com
4. स्रोत : 18.11.2009 के 'द हिन्दू' में वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पाण्डेय का लेख "Hindi Media and the Unreal discourse" OP-Ed पृष्ठ
5. www.bhopalreporter.blogspot.com
6. www.lucknowsatta.com
7. www.dailybreaking.com
8. www.bhopalreporter.blogspot.com
9. www.janokti.com
10. www.voiceofjournalist.com
11. www.tahalkahindi.com

CS Scanned with CamScanner

Quarterly : October- December, 2013 ISSN: 2230-9896

VIDHAN

A Research Journal...

Year : 3, Vol.- 4
December, 2013

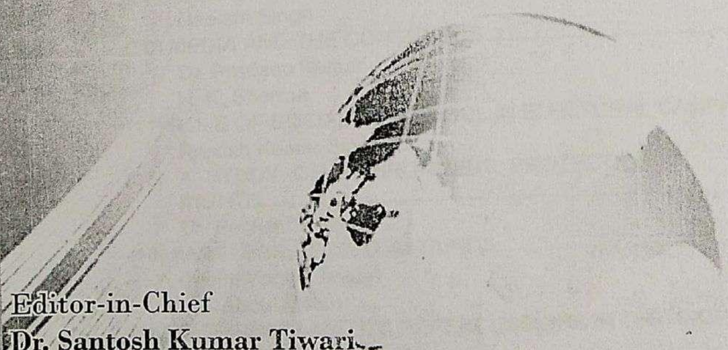

Editor-in-Chief
Dr. Santosh Kumar Tiwari

Editors
Awanish Kumar Upadhyay
Satya Prakash Tripathi

Scanned with CamScanner

CONTENTS/अनुक्रमणिका

(1) SANCTION FOR PROSECUTION OF PUBLIC SERVANTS 1
Prof. Dr. B.P. Tiwari
(2) COMPARATIVE STUDY OF THE LAW RELATING TO THE PROTECTION OF PLANT VARIETY AND FARMER'S RIGHTS ACT IN INDIA 5
Avanish Kumar Pandey
(3) ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES: A LEGAL PERSPECTIVE 11
Dr. Umesh Narain Sharma
(4) THE HUMAN RIGHT TO DEVELOPMENT OF CHILD AN OVERVIEW 17
Dr. J.S. Bisht
(5) COMMUNAL VIOLENCE AND ROLE OF MEDIA 27
Dr. Javaid Talib
*Dr. Mohd. Aamir Khan
(6) PROTECTION OF HUMAN RIGHTS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CONCEPT OF PEOPLE'S RIGHTS AS THE THIRD GENERATION OF HUMAN RIGHTS 41
Dr.Vijayendu Chaturvedy
(7) CYBER TERRORISM : A CHALLENGE TO NATIONAL SECURITY OF INDIA 46
Rahul Verma
(8) RIGHT TO CHILD EDUCATION : A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS 52
Dr. Satish Chandra
(9) LEGAL EDUCATION IN INDIA: A DYNAMIC WEAPON 56
Neelam Singh
(10) MEDIA AND THE CONSUMERS 61
Dr. Pradeep Kumar
N. K. Sharma
(11) ROLE OF SOCIAL MEDIA TOOL IN ELECTORAL CAMPAIGN 66
Rajnish Kumar Singh
(12) A STUDY OF ENVIRONMENT PROTECTION IN INDIA AND HUMAN RIGHTS 76
Dr. Pankaj Dwivedi
(13) ANALYSES OF MUTUAL FUNDS 83
Mohd Yahiya Ansari
Dr. Abdul Mobin
(14) TERRORISM AND ITS REPERCUSSIONS IN THE INDIAN SCENARIO 89
Dharmendra Kumar

Scanned with CamScanner

(15) भारत में राइट टू रिकॉल–राइट टू रिजेक्ट की प्रासंगिकता 97
डॉ. पी. एस. बोरा
(16) भारतीय संविधान के अन्तर्गत सामाजिक न्याय की अवधारणा 100
अभिषेक सिंह
(17) श्रीमद्भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ की अवधारणा 103
भानु प्रकाश त्रिपाठी
(18) इलाहाबाद के ग्रामीण विकास में परिवहन तन्त्र की भूमिका 107
डॉ. बालेन्द्र शुक्ल
(19) प्रयोजन मूलक हिन्दी और अनुवाद 111
डॉ. शिवम चतुर्वेदी
(20) मुक्तिबोध की कविता में समकालीन सामाजिक सन्दर्भ 116
मंजुलिका पांडेय
(21) छत्तीसगढ़ में हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास 123
मो0 शकील खान
(22) कर्मयोग के सम्बन्ध में तिलक का मत 131
अभय शंकर
(23) खगोल शास्त्र एवं ज्योतिष 135
राजनारायण
(24) भारत में सामाजिक परिवर्तन 146
रीता भारती
(25) प्रसिद्ध समाज सेविका एनी बेसेण्ट का व्यक्तित्व एवं कृतित्व : विहंगम अवलोकन 159
विद्यासागर
(26) वेदों में अन्तर्निहित पर्यावरणीय संचेतना 163
आनन्द कुमार मिश्र
(27) वैश्वीकरण के वर्तमान परिवेश में शिक्षा पर लोकव्यय की उपादेयता 'पंचवर्षीय योजनाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन से' 167
डॉ. अमित कुमार साहू
(28) अंग्रेजी राज और प्रतिबंधित पत्र–पत्रिकाएं 172
डॉ. अरुण गर्ग
(29) चिकित्सक एवं रोगी के पारस्परिक सम्बंधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन 175
उत्तम चन्द्र

Scanned with CamScanner

(6)

PROTECTION OF HUMAN RIGHTS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CONCEPT OF PEOPLE'S RIGHTS AS THE THIRD GENERATION OF HUMAN RIGHTS

*Dr.Vijayendu Chaturvedy

ABSTRACT

All Human Rights belong to all members of human race. Human Rights have been described as 'transcendental', 'inalienable', 'primordial', 'fundamental', 'basic' and 'natural'. The human rights movement represents the historical journey travelled by humankind ever since the beginning of an institutionalized political and social order. The original content of philosophy of fundamental freedoms was limited in the main to civil and political rights of the individuals, often referred to as "First- generation rights", which in large part call for a negative obligation on governments to desist from interfering with the exercise of individual liberties. The realization that without guaranteeing economic, social and cultural rights, full enjoyment of civil and political rights was not possible led to inclusion of economic, social and cultural rights, popularly described as "second -generation rights. The concept of human rights in its expanding comprehension, has now travelled to encompass what are called "Third-generation" rights which include right to self- determination, right regarded as belonging to peoples rather than individuals, right to sovereignty over natural wealth and resources of the country and right to development as well as rights of disadvantaged groups to special protection. International human rights standard have now been crystallized, national Constitutions confirm their existence and make provisions for their protection. But, the real problem lies in the area of enforcement of human rights. Ensuring third- generation of human rights like self governance, development, good governance, natural environment, peace and security through democracy based on principles and system of free and fair elections combined with the development of a cultural of human rights through spiritual and moral education based on respect for human dignity, can only be effective.

Human Rights are such rights of human beings as are inherent in their status as a human and which are inalienable and co-existent with the life of a human person. These rights are innate in individuals and are based on the inherent dignity of a human person. Human Rights or fundamental rights is the modern name for what have been traditionally known as 'natural' rights or 'moral rights'. The concept of human right is as old as ancient civilization. The basic needs for the existences of human person with dignity gave birth to moral claims, which transformed into rights,

* Assistant Professor, Dept. of Mass Communication and Journalism, Dr. R.M.L. Avadh University, Faizabad, U.P.

Scanned with CamScanner

at first founded on morality, and ultimately on positive and enforceable law. No social or political order can claim to be civilized without recognition and protection of human dignity and worth of the human person. Totality of favourable circumstances for the all round development of constructive human potential are what we call human rights.

Human rights are not acquired, not conferred ,not transferable, not waived and not extinguished by any act or event. These are available and enforceable primarily against States and public authorities. In this context it will be pertinent to mention here the learned exposition of the concept of Human rights by the Supreme Court of India in IR Coelho V. state of Tamil Nadu (2007). The court observed that human rights are not given from the State to its citizens, but exist independently of any Constitution by reason of the fact that they are members of human race. These are invariably crystallized in the Constitution in the form of fundamental rights which "occupy a unique place in the lives of civilized citizens"

II

'Human Rights' is a developing and dynamic concept. As Justice Krishna Iyer has observed; " The concept of human rights is multidimensional but is equally in fact unitive." Human Rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. Human Rights have crystallized and the development of the concept has matured in stages. Some thinkers have classified this development as three generations of human rights.

Fundamental freedoms of the individual later termed as civil and political rights were the original concept of human rights. This was the first generation of human rights. Freedom from state intervention was the essence of such rights. Areas of conduct which were stated to be beyond the scope of regulation or interference by the State were called civil and political rights.

Next to develop was the concept of economic social and Cultural rights to be termed as the second generation of human rights. Under the new political theory of socialism the 'catalogue' of rights was thus expanded. These rights could be realized through positive action by the State. Thus, these were also called program rights. State was required to intervene actively in the redress of injustice and inequality, especially of a social or economic kind. The citizens have a rights to require the state to intervene in such fields.

III

The ever expanding concept of human rights matured into third genenation of such rights. Such rights have been variously termed as 'collective rights'. solidity rights and 'people's rights'. The doctrine of the 'Rights of the people' beyond the concept of the rights of individual human beings, has developed primarily through the freedom movements of dependent territories in the later half of the twentieth century. The

Scanned with CamScanner

The Right to Self-determination is so basic to all collective right that the two International Covenants on Humans Rights of 1966 give it the first place in each of the covenants.

Article 1 of the two covenants reads thus:

(1) All peoples have the right of self- determination. By virtue of this rights they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
(2) All peoples may, for their own end freely dispose of their natural wealth and resources. I no case may a people be deprived of its own means of subsistence."

Right to Development

The U.N. General Assembly by its resolution in the year 1986 declared the right to development as "an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to and enjoy economic, social cultural and political development in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized"

Right of healthy Environment and Sustainable development

The right to life is a basic right. Right to survive and exist is possible only with the recognition of a natural right to environment. Enjoyment of any the human rights is not possible unless natural environment is secured and protected. And, development ought to be such that does not hurt the environment, and can be sustained keeping in view the needs of coming generations. Inter generational equity should be the guiding principle.

Right to good governance

People have a right to good governance. self governance must be combined with good governance. For this purpose the form of government is in material. The basic requirement for good governance are responsible government, stability of governments, rule of law, and democracy. People's participation in political process is to be real and effective Democracy should not be reduced to mere 'spectator sport' and a game of numbers 'Facade' democracy is no democracy.

Right to Common Heritage of Mankind

People of the world have a common solidarity right to the common heritage of mankind to outer space, the open sea, the Arctic, the Antarctica, the 'Moon' and other Celestial Bodies.

Right to Humanitarian Assistance and Disaster – relief.

Natural disasters and calamities entitle victims to be assisted in a humanitarian way. It is a common human concern. It is considered as a solidarity right of the victims of the disasters.

Scanned with CamScanner

Besides the above mentioned solidarity or people's rights mention should also be made to the human right of the vulnerable groups of any society, the women ,the children, the disabled, the aged, the tribal, the internally- displaced persons, and the ethnic and religious minorities.

To conclude, the importance of 'Solidarity' 'or' 'Peoples's rights' is basic for the enjoyment of individual's human rights. This third generation of human rights is hope for the humanity. All human rights are for all .Much is being done, the vast remains undone. The Indian philosophy of the 'Sarve Bhavantu Sukhinah' (let all be happy) is basic to the concept of human rights. Solidarity rights create the conditions necessary for the injoyment of humans rights.

Thus development of Human Rights movement has been really impressive. But the real issue is that of protection of human rights. Unless the system of enforcement of human rights. on the international and national level is real and effective, mere existent of international human rights law, national constitution and various human rights institutions is meaningless. Even democracies is in the vast majority of nations have not been able to protect and enforce human rights. This sorry state of human rights can be corrected and reversed by the successful implementation of third generation of human rights as people rights. Good governance, development, respect of human dignity, universal education insuring humanaritirian outlook and sociol economic justice can only make human right a reality.

REFERENCES

1. Martha Nasbaum and Amartya Sen, The Quality of Life,Oxford,1993,pp.3,9.
2. UDHR,Preamble.
3. UDHR,Article 1
4. ICCPR and ICESCR,Preambles
5. MANU/SC/0572/1998.
6. UN News Letter 29 July 1995 Vol 50 No 30 UNIC New Delhi Page 01.
7. In M.Nagraj and others V Union of India and other 2006,8 S.C.C 212, IR Coelho Vs.State of Tamil Nadu AIR 2007 SC 861.
8. Article 19,UDHR,1998.
9. Article 19,ICCPR,1996.
10. Article 6 UN Declaration on Human Rights Defenders 2/12/1998.

Scanned with CamScanner

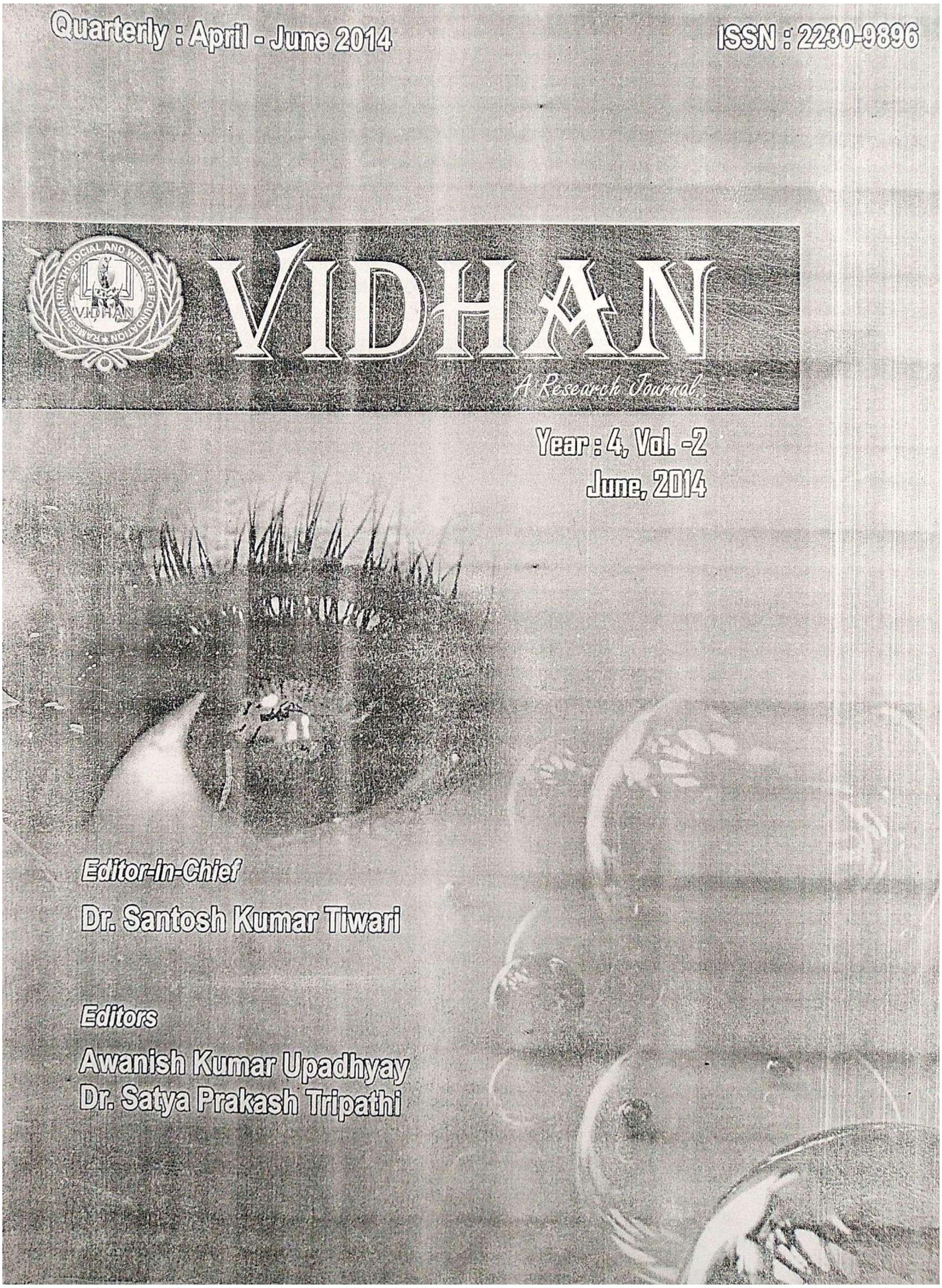

Scanned with CamScanner

CONTENTS / अनुक्रमणिका

(1) REGULATION OF CYBER CRIME IN INDIA
J.S. Bisht 1-9

(2) ELECTION LAW REGIME IN INDIA: POWERS AND FUNCTION OF THE ELECTION COMMISSION
A.K. Navin 10-17

(3) LIVE - IN - RELATIONSHIP IN INDIA : AN OVERVIEW
Udit Agnihotri 18-21

(4) VICTIM'S COMPENSATION UNDER CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
Dr. B. P. Tiwari 22-25

(5) ROLE OF NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION (NHRC) IN THE PROTECTION OF REFUGEES
Birendra Kumar Tiwari 26-29

(6) HUMAN RIGHTS OF SURROGATE MOTHERS : A CRITICAL STUDY
Rahul Verma 30-34

(7) ROLE OF RIGHT TO EDUCATION AND INFORMATION IN INDIA
Dr. Pradeep Kumar 35-36

(8) FLOW OF INSTITUTIONAL CREDIT TO AGRICULTURE IN INDIA
Dr. Yogendra Singh 37-39

(9) TALKIE CINEMA AND THE EMERGENCE OF STUDIO SYSTEM IN USA AND GERMANY
Umesh Kumar Singh 40-47

(10) A.K. RAMANUJAN ON TAMIL AND SANSKRIT POETRY
Dr. Sanjay Sharma 48-51

(11) THE THEME OF COLLECTIVISM IN THE NOVELS OF JOHN STEINBECK
Dr. Anupama 52-53

(12) FEMINIST CONCERNS IN R.K.NARAYAN'S EARLY NOVELS
Dr. Prabhat Kumar Dixit 54-59

(13) PANNA NATIONAL PARK: A TOURIST PLACE
Jai Prakash Dubey 60-62

(14) COLLECTION DEVELOPMENT IN UNIVERSITY LIBRARIES IN MODERN ERA
Shweta Dubey & Chandra Prakash Dubey 63-67

CS Scanned with CamScanner

(15) बेदाग हो : न्याय, मूर्ति और नियुक्ति
रामबकश 68-73

(16) भारतीय संविधान एवं सामाजिक न्याय : अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सन्दर्भ में
सुशील कुमार 74-78

(17) सायबर अपराध और सायबर विधि
श्रीमती सीमा विवेक जैन 79-82

(18) न्यायपालिका में भ्रष्टाचार : एक समग्र अवलोकन
प्रतिभा 83-91

(19) वेब पत्रकारिता एवं हिन्दी
डॉ. विजयेन्दु चतुर्वेदी 92-95

(20) प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : एक ऐतिहासिक अध्ययन
कृष्ण कुमार सिंह 96-99

(21) महात्मा गाँधी और ग्रामीण पुनर्रचना
अतुल कुमार राय 100-103

(22) कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट : स्थापना एवं विकास
आनन्द प्रताप चन्द 104-108

(23) मुद्राराक्षस कालीन वर्ण व्यवस्था
महेश कुमार गिरि 109-111

(24) भक्ति रस में सात्विक भाव की प्रधानता
निरुपमा सिंह 112-113

(25) नारी चेतना के विविध पक्ष : शिक्षा, साहित्य एवं कला
ज्योति यादव 114-116

(26) शास्त्रीय संगीत में कंठ साधना का स्थान, महत्त्व एवं उपयोगिता
वन्दना अग्रवाल 117-118

(27) पं० भीमसेन जोशी जी का व्यक्तित्व
शिल्पी मित्तल 119-121

(28) ब्रज क्षेत्र के सुप्रसिद्ध पखावज वादक पं० डालचन्द शर्मा जी का संगीत जगत में योगदान
दिव्या श्रीवास्तव 122-124

(29) संगीत शिक्षण में नवीन शिक्षण पद्धति की आवश्यकता
अनुपम श्रीवास्तव 125-126

Scanned with CamScanner

(19)

वेब पत्रकारिता एवं हिन्दी

डॉ. विजयेन्दु चतुर्वेदी *

सारांश

वेब पत्रकारिता को हम इंटरनेट पत्रकारिता, ऑन लाइन पत्रकारिता एवं साइबर पत्रकारिता के नाम से भी जानते है। वेब पत्रकारिता से स्पष्ट है कि यह कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से संचालित एक ऐसी पत्रकारिता है जिसकी पहुँच किसी पाठक, एक गाँव, एक प्रखंड, एक प्रदेश,एक देश ही नहीं बल्कि समूचे विश्व तक है जो डिजिटल तंरगो के माध्यम से प्रदर्शित होती है।वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसका वेब तंरगो पर होना। अर्थात इसमें उपलब्ध किसी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र–पत्रिका को सुरखित रखने के लिये किसी आलमीरा या लाइब्रेरी की जरूरत नहीं होती।समाचार पत्रों और टेलीविजन की तुलना में इंटरनेट पत्रकारिता अभी नई है लेकिन उसका विस्तार बहुत तेजी के साथ हुआ।आने वाले दिनों में इसका विस्तार पत्रकारिता यानि वायरलेस पत्रकारिता तक होगा जिसकी शुरूआत कुछ मोबाइल कम्पनियों ने कर दी है।

वेब–पत्रकारिता का उद्‌भव–काल

वर्तमान समय में दुनियां प्रौद्योगिकी केन्द्रित होती जा रहीं है।जिस तरह विश्वमानव का रूझान साफ झलक रहा है उसे देखकर कहा जा सकता है कि भविष्य में उसकी दिनचर्या को कम्प्यूटर और इंटरनेट जीवन–साथी की तरह संचालित करेगें।यह कहना गलत नहीं होगा कि सूचना और संचार भविष्य में इंटरनेट आधारित पत्रकारिता पर अधिक निर्भर रहेंगे।पश्चिमी देशों के परिदृश्य यही सिद्ध कर रहे हैं।जहॉ छपित मीडिया का स्थान धीरें–धीरें इलेक्ट्रानिक मीडिया ने ले लिया है।अब वहॉ वेब मीडिया या ऑन लाइन मीडिया का बोलबाला है। 1970 से 1980 के दशक में जब कम्प्यूटर का व्यापक प्रयोग होने लगा था तब समाचार पत्रों के उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आने लगा। 1980 में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, वाल स्ट्रीट जनरल, डाव जोन्स ने अपने प्रिंट संस्करणों के साथ–साथ समाचारों का ऑन लाइन डेटाबेस भी रखना प्रारम्भ किया।वेब पत्रकारिता या ऑन लाइन पत्रकारिता को तब और गति मिली जब 1981में टेंडी द्वारा लैपटॉप कम्प्यूटर का विकास हुआ।ऑन लाइन समाचार पत्रों में कान्तिकारी परिवर्तन1983में अमेरिका के नाइट राइडर न्यूज पेपर्स ग्रुप में 'ए.टी'और 'टी' के साथ मिलकर लोगों की मांग पर प्रयोगिक तौर पर उनके कम्प्यूटर और टेलीविजन पर समाचार उपलब्ध कराने लगे।1990 के दशक में संवाददाता कम्प्यूटर,मोडेम इंटरनेट या सेटलाइट का प्रयोग कर विश्व से कहीं भी तत्क्षण समाचार भेजने और प्रकाशित करने में सक्षम हो गये।1998 में विश्व के लगभग 50मिलियन लोग चालीस हजार नेटवर्क के माध्यम से प्रतिदिन इंटरनेट का उपयोग किया करते थे।जिनमें ज्यादातर लोग समाचार,समाचार पत्र,समाचा एजेन्सी और पत्रिकाएं विश्व को जानने के लिये तलाशते थे।

भारत में वेब–पत्रकारिता का इतिहास

भारत में वेब पत्रकारिता इतिहास लगभग दस वर्ष पुराना है।अभी भारत की वेब पत्रकारिता शिशु अवस्था में है।दरअसल इसके पीछे भारत में इंटरनेट की उपलब्धता,तकनीकी ज्ञान और रूझान का अभाव,अंग्रेजी की अनिवार्यता,नेट संस्करणों के प्रति पाठकों में रूचि का विकसित न होना है।भारत में इंटरनेट की सुविधा1990के मध्य में मिलने लगी थी तब भारत में वेब पत्रकारिता के क्षेत्र में चन्नई का 'द हिन्दू'पहला भारतीय अखबार रहा जिसका इंटरनेट संस्करण 1995 में जारी हुआ। इसके तीन साल के भीतर 1998 तक लगभग 48 समाचार पत्र ऑन लाइन हो चुके थे जिसमें अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं,जैसे हिन्दी, मराठी, मलयालम, तमिल, गुजराती भाषा में थे,इसी कम में ब्लिट्ज,इडिया टूडे,आउट लुक और द वीक भी

---

* असिस्टेंट प्रोफेसर, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,फ़ैजाबाद (उ0प्र0)

Scanned with CamScanner

इंटरनेट पर ऑन लाइन हो चुकी थीं।एक शोध के अनुसार दिसम्बर 1997 तक कुल पंजीकृत 4719 समाचार पत्रों के एक प्रतिशत से कम ऑन लाइन हो चुके थे। भाषागत आधार पर शुरआती दौर में अन्य भाषाओं जैसे असमिया, मणिपुरी, पंजाबी, ओडिया, संस्कृत, सिन्धी आदि भाषा के कोई भी ऑन लाइन संस्करण नहीं थे। आकाशवाणी ने 2मई1996 को ऑन लाइन सूचना सेवा का अपना प्रायागिक संस्करण जारी किया। 2006 तक देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं टेलीविजन चैनलों के पास उनका अपना अंतरजाल संस्करण भी है, जिसके माध्यम से वे पाठकों को ऑन लाइन संस्करण उपलब्ध करा रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य में हिन्दी की वेब पत्रकारिता

नई सूचना प्रौद्योगिकी और वेब तकनीक को देश के बड़े समाचार पत्र वालों ने जल्दी अपनाया।आज हम देश–विदेश की कई हिन्दी समाचारों को घर बैठे पढ़ सकते है, इनमें दैनिक जागरण,दैनिक जागरण ई पेपर,दैनिक भाष्कर,नई दुनिया,नवभारत अखबार, नवभारत टाइम्स,अमर उजाला,आज तक,अमेरिका की आवाज,आज, पाचजन्य, इंडिया टुडे, खास खबर, पंजाब केशरी, प्रभा साछी, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय सहारा, जनमोर्चा, वेब दुनिया, लोक तेज, लोक वार्ता समाचार, समाचार ब्यूरो आदि प्रमुख है। इन्ही में समाचार एजेन्सियो को भी समाहित किया गया है जैसे–पी.टी.आई, यूनीवार्ता, भाषा, ई.एम.एस इंडिया इत्यादि। विश्व की प्रमुखतम आईटी कम्पनियॉं भी भाषाई महत्ता के आधार पर हिन्दी में समाचार पोर्टल का संचालन करने लगे है जैसे–गूगल हिन्दी,याहू,एम. एस.एन,रीडिफ.काम आदि।

जहॉं तक सरकारी समाचार पोर्टल की बात है उसमें लगभग हिन्दी भाषी राज्य सरकारों का एक–एक समाचार केन्द्रित साइट संचालित हो रहा है।सरकारी विज्ञप्तियां,योजना,समाचारों वाले इन साइटो का उपयोग भी सदर्भ के रूप में किया जाने लगा है। केन्द्र सरकार के विभिन्न उपकमों,ऑल इंडिया रेडियो की वेब साइट समाचार भारती व ऑल इंडिया रेडियो, पत्र सूचना कार्यालय, डी.डी.न्यूज, विदेश मंत्रालय की साइट इत्यादि को देखा जा सकता है।विदेशी जमीन से भी ये भारत,भारतवंशियों तथा वैश्विक समाचारो से लगातार समूची दुनियॉं को अपडेट बनाये हुये हैं जिसमें प्रमुखतम वेब पार्टल लंदन की बी.बी.सी की हिन्दी खबरें। हिन्दी समाचार चैनलों में आज तक,एन. डी. टी. वी,सी. एन. बी. सी आवाज,आइ. बी. एन. सेवन, जी. टी. वी, इंडिया टी.वी,ए. बी. पी न्यूज आदि ने भी हिन्दी इंटरनेट समाचार पोर्टलों के माध्यम से हिन्दी का मान सम्मान बढ़ाया है।

वेब–पत्रकारिता की नई दिशा

इंटरनेट पर ब्लाग तकनीक के विकास और हिन्दी भाषा में काम करने की सुविधा से वेब पत्रकारिता के नये द्वार खुलते दिखाई दे रहे है। अभी तक उसका स्वरूप निजी लेखन तक ही सीमित है। फिर भी जिस तरह से ब्लाग पत्रकारिता से जुड़े व्यक्तियों का आगमन हो रहा है एक शुभ संकेत हैं। हिन्दी अंतरजाल को खंगालने से एक बात सामने उभरकर आ रही है कि ब्लाग स्वंतत्र पत्रकारिता का मंच एवं माध्यम हो सकता हैं। अंग्रेजी ब्लाग का इतिहास बताता है कि उस भाषा के महत्वपूर्ण पत्रकार व्यक्तिगत पत्रकारिता के लिये ब्लाग की ओर अग्रसर होते जा रहे है। एक तरह से हिन्दी ब्लाग वैकल्पिक पत्रकारिता का साधन हो सकता है। हिन्दी इंटरनेटिंग की दुनियां में अपनी पहचान छोड़नी लगी है। इस सदर्भ में दो पत्रकारों का प्रयास उल्लेखनीय है जो 2005 से राजपूत इंडिया और चंबल की आवाज नामक आंचलिक समाचार पत्र नियमित प्रकाशित कर रहे हैं। इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में सामूहिक बोध वाले पत्रकार इस सस्ती और विश्वसनीय तकनीक का फायदा उठाकर वेब पत्रकारिता का एक सशक्त माध्यम अवश्य ही बनना चाहेंगे। विशेष रूप से यह इंटरनेट पर आंचलिक पत्रकारिता का कारगर दिव्य एवं रोचक उपाय हो सकता है।

वेब मीडिया के सकिय पत्रकार

आज देश के बड़े–बड़े पत्रकार छपित के साथ–साथ वेब मीडिया में सकिय होते दिखाई देने लगे है इनमे प्रसिद्ध लेखक एव पत्रकार खुशवन्त सिंह,मशहूर संपादक कुलदीप नैयर, पूर्व सांसद व सम्पादक दीनानाथ मिश्र,पूर्व केन्द्रीय मत्री अरूण नेहरू आदि को इस क्षेत्र मे देखा जा सकता है जो 'प्रभासाछी' में नियमित रूप से लिखने का कार्य करते है। विख्यात हिन्दी कार्टूनिस्ट काक भी सतत् रूप से दिखाई देते है। जाने माने पत्रकार व नवनीत के संपादक विश्वनाथ सचदेव भी सृजन गाथा डॉट कॉम पर नियमित स्तंम्भ लिखते है। इसी कम में प्रोफेशनल्स

Scanned with CamScanner

कमल शर्मा व नवोदित राज्य के जागरूक संपादक संजय द्विवेदी को भी जुड़ते देखा जा सकता है। यही कारण है कि मूल्य आधारित पत्रकारिता के लिये कटिबद्ध उनकी चर्चित पत्रिका भारतीय पक्ष भी पूर्णतः ऑन लाइन बन चुकी है।

वेब पत्रिकाओं में लोकमंच से सम्बद्ध पत्रकार अमिताभ त्रिपाठी, शशि सिंह, पत्रकार एवं व्यग्यकार गिरीश पंकज बेताल कथा तथा संजय द्विवेदी का कॉलम मीडिया विमर्श भी प्रशंसनीय बनता जा रहा है।प्रख्यात पत्रकार ओम थानवी की लेखनी भी कल्पना नामक एक साइट में सुदूर एशिया से जितेन्द्र चौधरी और अपने ब्लॉग –मेरा पन्ना नाम से बालेन्दु शर्मा दधीच ऑन लाइन मीडिया के जाने माने हस्ताक्षर है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम राजेन्द्र अवस्थी,रवीन्द्र कालिया जैसे ख्यातनाम संपादको को भी शुमार कर सकते है जो क्रमशः हंस एवं ज्ञानोदय के वेब संस्करण में पूरे विश्व में पढ़े जा रहे हैं। अन्य पत्रकार भी किसी न किसी वेब समाचार पत्र से जुड़े है जिसका अपना प्रिंट संस्करण भी बाजार में ज्यादा कारगर रूप में उपलब्ध है।

वेब मीडिया में हिन्दी तकनीक की उपलब्धता

वेब मीडिया विशेषकर हिन्दी में पत्रकारिता के विकास में मुख्य बाधा हिन्दी में तकनीक का रहा है,जो अब लगभग खत्म होने की ओर अग्रसर है। विंडोज तथा लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस भी हिन्दी में बन चुका है। केन्द्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय,भारत सरकार की सीडॉक द्वारा एक अरब से भी अधिक बहुभाषी भारतवासियों को एक सूत्र में बाधने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाषा तकनीक में विकसित उपकरणों को जनसामान्य तक पहुचाने के लिये वेब साइटों द्वारा व्यवस्था की गई हैं। जिसके द्वारा टू टाइप हिन्दी फॉन्ट,टू टाइप फॉन्ट के लिये बहुफॉन्ट की–बोर्ड इंजन,यूनिकोड समर्थित ओपन टाइप फॉन्ट,यूनिकोड समर्थित की–बोर्ड फॉन्ट, कोड परिवर्तक,वर्तनी संसोधक, भारतीय ओपन आफिस का हिन्दी भाषा संस्करण,मल्टी प्रोटोकाल हिन्दी मैसेंजर, हिन्दी ओ सी आर, अंग्रेजी–हिन्दी शब्द कोश, फायर–फॉक्स ब्राउसर, हिन्दी एवं अंग्रेजी के लिये आसान टंकण प्रशिक्षक, एकीकृत शब्द–संसाधक वर्तनी संसोधक और हिन्दी पाठ कॉर्पोरा जैसे महत्वपूर्ण उपकरण एवं सेवा मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

वेब–पत्रकारिता में सामग्री

भारत के इंटरनेट समाचार पत्र मुख्यतः अपने मुद्रित संस्करणों में लिखित एवं फोटो ही उपयोग में लाते है। ये समाचार पत्र एक्सक्लूसिव समाचार और फीचर की तैयारी इंटरनेट संस्करण के लिये बहुधा नहीं करते है। लगभग 60 प्रतिशत समाचार और दर्जन भर फोटोग्राफ के साथ प्रतिदिन का इंटरनेट संस्करण क्रियाशील बनाये रखने की प्रवृत्ति भी देखने को मिल रही है।

वेब समाचार पत्रों का ले–आउट मुद्रित संस्करणों की तरह नहीं होता। जबकि मुद्रित संस्करणों की सामग्री आठ कॉलमों की होती हैं। वेब समाचार पत्रों की सामग्री में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो कम्प्यूटर के मानीटर में प्रदर्शित होता है जहाँ विविध खंडो में सामग्री के मुख्य शीर्षक हुआ करते है। इसके आलावा खास समाचारों और मुख्य विज्ञापनों को भी मुख्य पृष्ठ पर रखा जाता है जिन्हे क्लिक करने पर उस समाचार ,फोटो फीचर, ध्वनि या दृश्य का लिंक किया हुआ पृष्ठ खुलता है और तब पाठक उसे विस्तृत रूप से पढ़,देख या सुन सकता है। समाचार सामग्री को वर्गीकृत करने वाले मुख्य शीर्षको का समूह अधिकांशतः हर पृष्ठों में होता है ये शीर्षक समाचारों की स्थानीयता,प्रकृति आदि के आधार पर होते हैं। जैसे–विश्व, देश ,क्षेत्रीय,शहर या फिर राजनीति, समाज, खेल, स्वास्थ्य, मनोरंजन, लोकरूचि, प्रौद्योगिकी आदि। ये सभी अन्य पृष्ठ या वेबसाइट से लिंक रहते हैं। इस तरह से एक पाठक केवल अपनी इच्छानुसार ही संबन्धित सामग्री का उपयोग कर सकता हैं।

वेब–पत्रकारिता की चुनौतियां एवं संभावनाएं

मीडिया संचार माध्यमों में मुद्रण व प्रसारण के पश्चात वेब पत्रकारिता का अविर्भाव होने से पूर्व ई मेल से संदेश प्रेषण 15 से 20 वर्षों से हैं। विदेशों व अंग्रेजी से चली वेब पत्रकारिता में छपित पत्र–पत्रिकाओं ने अपने वेब अंक देने तथा कुछ ने साहित्य के विविध आयामों पर चर्चा के रूप में उपस्थिति दिखाई हैं। वेब पृष्ठों के अतिरिक्त समाचारों के लिये वेब पत्रकारिता का प्रचलन होने पर मुद्रण व प्रसारण मीडिया के बड़े घरानों ने भी अपने ई–संस्करण आरम्भ कर दिये हैं। जो समाचार पहले प्रकाशन व प्रसारण की निश्चित अवधि के बाद हम तक पहुंचता था,अब पूरे विश्व में प्रसारित होने लगा हैं।

Scanned with CamScanner

कुछ बड़े गूगल, याहू जैसे समूह तकनीकी अन्वेषण पर व्यापक कार्य कर रहे है विकिपीडिया का अंपना विशिष्ट एवं वर्गीकृत ज्ञान कोष व शब्द कोष हैं। जो विदेश व अंग्रेजी आधारित होने के कारण विविध भाषाओं के नाम पर जो कुछ देता है, भारतीय की संवेदना व सोच से विहिन होने के कारण कई बार अर्थ का कुअर्थ कर अनर्थ कर देता है।क्योंकि इस सारे कार्य के लिये मशीनी उपकरणों पर निर्भरता में संवेदना कहीं छूट जाती है। विदेशी भाषा हमारी भाषा संस्कृति व संवेदना के स्तर तक नहीं पहुंच पाती। अतः हिन्दी अथवा संस्कृत को आधार बनाकर सभी भारतीय भाषाओं में विकिपीडिया, गूगल, याहू व अन्य सभी जैसे समानांतर प्रयास स्वदेशी स्तर पर करने होंगे। कई तत्व वायरस बनाते हैं तो कई उसका तोड़ भी बनाते हैं।

सूचना को रचनात्मक व शिक्षाप्रद बनाने के प्रयासों को इन तकनीकी कारणों के अतिरिक्त,छला न जा सके इसके लिये दो प्रकार की सावधानी होनी चाहिये।एक तो मीडिया पर मैकालेवादी सोच के प्रभुत्व ने उसका चरित्र विकृत कर दिया, जो व्यवसायिकता को राजद्रोह की सीमा तक जाकर समाचार, साहित्य व संस्कृति को प्रदुषित कर रहा है। उससे मुख्यधारा के मीडिया को भष्टाचार का कैंसर हो चुका है। दूसरा कुछ विदेशी व राष्ट्र विरोधी तत्व छदम नामों से हमारें बीच कार्य करते हुये भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। यह भी हर बात को विगाड़ने में रहते हैं। यह दानों ही प्रकार के तत्व इन उपलब्धियों को घातक शस्त्र की भांति असमाजिक कार्यों में उपयोग कर मानवता के लिये संकट उत्पन्न कर सकते हैं।

इन समस्याओं का समाधान कर सूचना तकनीक का समाज व मानवता के हित में व्यापक उपयोग किया जा सकता हैं।

सन्दर्भ सूची

1. कम्प्यूटर और सूचना तकनीक शंकर सिंह, पूर्वांचल प्रकाशन, दिल्ली,–94,वर्ष 2005,पेज न013–20 एवं 157–165
2. वेब पत्रकारिता,श्याम माथुर ,राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर,2010पेज न0 1–25एवं 76–94
3. संचार कान्ति और विश्व जनमाध्यम, डॉ प्रेम चन्द पांतजलि, डॉ अनिल अंकित, भारत बुक सेन्टर लखलनऊ,पेज न0 01–25 एवं 207–220
4 webmedia.blog spot.com
5 samvadetu patrika.wardpress.com
6 pravakta.com
7 asbmassindiamedia.blogspot.com
8 samachar.vichar.com

Scanned with CamScanner

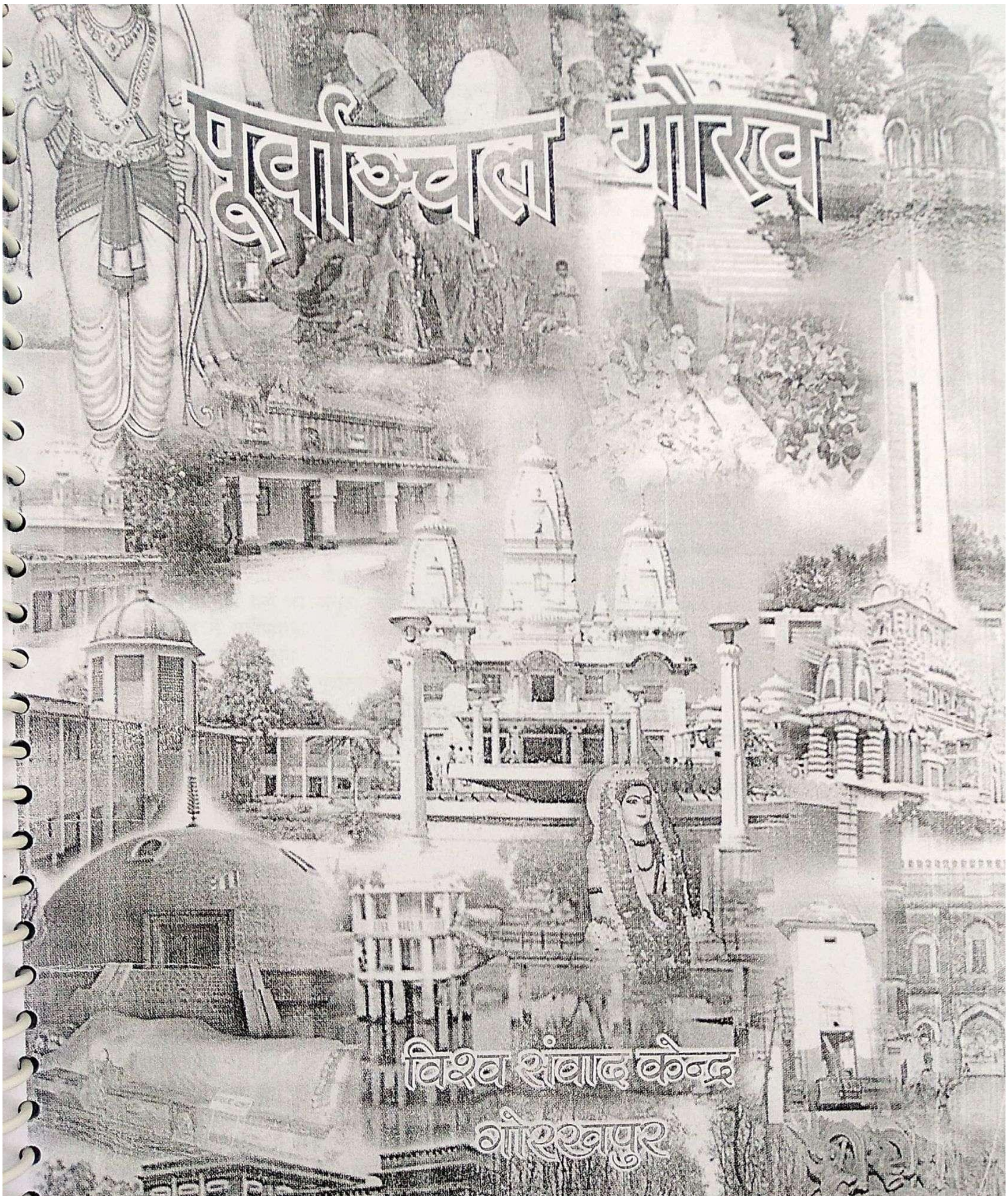

Scanned with CamScanner

अनुक्रमणिका

●	आशीर्वचन		
●	सम्पादकीय		
●	संवाद प्रकाश	- प्रो० ओम प्रकाश तिवारी	
●	ओ पूर्वाञ्चला !	- प्रो० जगदीश 'अतृप्त'	
१.	पूर्वाञ्चलगौरवं श्रीगोरक्षनाथमंदिरम्	- प्रो० दशरथ द्विवेदी	१
२.	महायोगी गुरु गोरखनाथ एवं उनकी तपःस्थली गोरखनाथ मन्दिर	- महन्त अवेद्यनाथ	२-७
३.	सरयूपार क्षेत्र का भू-ऐतिहासिक महत्व	- प्रो०शिव शंकर वर्मा	८-११
४.	पूर्वाञ्चल की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि	- डॉ० शीतला प्रसाद सिंह	१२-१६
५.	पूर्वाञ्चल की चिन्तन परम्परा	- डॉ० ईश्वर शरण विश्वकर्मा	१७-२०
६.	वेद-विद्या का केन्द्र : फाजिलनगर	- डॉ० चन्द्रमौलि शुक्ल	२१-२२
७.	विश्व के सन्दर्भ में ब्रीहि संस्कृति (धान) का आदि केन्द्र : गोरखपुर परिक्षेत्र	- डॉ० राम प्रताप राज	२३-२६
८.	ऋषभदेव : भारतीय संस्कृति के आदिम आलोक	- राजेश कुमार धर दुबे	२७-३०
९.	पूर्वाञ्चल के गौरव : श्रमण महावीर	- डॉ० (श्रीमती) रेखा चतुर्वेदी	३१-३५
१०.	नमो तस्स भगवतो अर्हतां सम्मासम्बुद्धस्स	- डॉ० बलराम मिश्र	३६-३७
११.	मानव धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध	- डॉ० रवीन्द्र नाथ	३८-४१
१२.	जेतवन : भूमि क्रय का अनूठा प्रसंग	- डॉ० गोरखनाथ	४२-४४
१३.	पूर्वाञ्चल में सूर्योपासना	- डॉ० (श्रीमती) शशिबाला श्रीवास्तव	४५-४७
१४.	पावा क्षेत्र की संस्कृति	- (श्रीमती) प्रीति विश्वकर्मा	४८-५०
१५.	राष्ट्रवाद की उर्वर भूमि पूर्वाञ्चल	- प्रो० ओम प्रकाश तिवारी	५१-५३
१६.	स्वतंत्रता संगाम का स्वर्णिम पृष्ठ : चौरीचौरा कांड	- राम प्रसाद गुप्त	५४-५५
१७.	लोकवादी कबीर	- डॉ० राम दरश राय	५७-५९
१८.	राष्ट्रीय गौरव-पत्र : 'स्वदेश'	- प्रत्यूष दुबे	६०-६३
१९.	पूर्वाञ्चल में प्रचलित दीक्षा परम्परा	- डॉ० चन्द्रमौलि मणि त्रिपाठी	६४-७१
२०.	पूर्वाञ्चल में सरभंग सम्प्रदाय और उनकी दीक्षा परम्परा	- डॉ० चन्द्रमौलि मणि त्रिपाठी	७२-८०
२१.	पूर्वाञ्चल एवं उसकी लोक परम्परा	- विजयेन्दु चतुर्वेदी	८१-८२
२२.	पूर्वाञ्चल के भोजपुरी क्षेत्र की लोककला	- दिग्विजयनाथ मौर्य	८३-८५
२३.	पूर्वाञ्चल की आधुनिक चित्रकला में सामाजिक यथार्थ का अंकन	- डॉ० भारत भूषण	८६-८८
२४.	तुरुष्कदण्ड : गाहडवाल युगीन विशेष कर-व्यवस्था	- डॉ० (श्रीमती) विपुला दुबे	८९-९१
२५.	पोद्दार जी का मनीषी व्यक्तित्व और 'कल्याण'	- डॉ० सदानन्द गुप्त	९२-९६
२६.	पूर्वाञ्चल की धरती के स्पन्दन : देवेन्द्र कुमार 'बंगाली'	- डॉ०नित्यानन्द श्रीवास्तव	९७-९९
२७.	भारत का गौरव : भोजपुरी भाषा और साहित्य	- डॉ० मोतीचन्द्र यादव	१००-१०४
२८.	पूर्वाञ्चल-प्रदेश का पूर्वी आर्थिक सम्भाग : महत्व एवं संभावनाएँ	- डॉ० संदीप कुमार	१०५-१०९
२९.	पूर्वी उत्तर प्रदेश में साक्षरता का परिदृश्य	- डॉ० धर्मव्रत तिवारी	११०-१११
३०.	आञ्चलिक पत्रकारिता के समकालीन संदर्भ	- कुमार हर्ष	११२-११६
३१.	पूर्वाञ्चल में हिन्दू जागरण के पुरोधा : बाला प्रसाद तुलस्यान	- शिव बालक त्रिपाठी	११७-११८
३३.	ॐ श्रीश्रम समर्थ	- देवी प्रसाद अग्रवाल	११९-१२१
३३.	राष्ट्र जागरण का केन्द्र : गीताप्रेस	- राम नरेश तिवारी	१२२-१२३
३४.	कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध	- डॉ० कृष्ण कुमार पाण्डेय	१२४

Scanned with CamScanner

पूर्वाञ्चल एवं उसकी लोक परम्परा

विजयेन्द्र चतुर्वेदी

हिन्दुस्तान एक विशाल देश है, जो विभिन्न प्रान्तों में बंटा हुआ है। विभिन्न प्रान्तों की संस्कृति में भिन्नता होते हुए भी भारतीय संस्कृति की अपनी पहचान है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में विशेष महत्व रखती है। इसका मूल कारण है इस देश में समय-समय पर विदेशी जातियां आती रहीं और यहीं बस गयीं, फलस्वरूप उनकी सभ्यता और संस्कृति यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गयी।

पूर्वाञ्चल की लोक-संस्कृति की अपनी अलग पहचान है। पूर्वाञ्चल में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई तथा बौद्ध आदि जातियाँ रहती हैं। ईसाई और बौद्ध नगरों तक सीमित हैं। हिन्दू और मुसलमान ही प्रमुख रूप से इस भूभाग में रहते हैं। इन्हीं जातियों की मिली जुली संस्कृति का रूप पूर्वाञ्चल में देखने को मिलता है।

लोक-संस्कृति में मानव जीवन के विभिन्न आयाम समाहित होते हैं, फलस्वरूप उसके आसपास का जीवन, उसके रीति-रिवाज, तीज त्योहार, उत्सव, धार्मिक मान्यताएं, अंधविश्वास टोना-टोटका, खेल-कूद, शिल्पकला स्थापत्यकला, मनोरंजन के साधन संगीत और वाद्ययंत्र, चिकित्सा पद्धति आदि का उसमें समावेश रहता है। संस्कृति मानव जीवन के समस्त क्रियाकलापों की समस्त अभिव्यक्ति है। पूर्वाञ्चल की संस्कृति का सच्चा स्वरूप इसके लोक साहित्य में मिलता है।

पूर्वाञ्चल के विशाल भूखण्ड में प्रमुखतः हिन्दू और मुसलमान बसे हुये हैं। किसी गांव में तो दोनों ही वर्ग बसे हैं तो कुछ गांवों में जाति विशेष के लोग निवास करते हैं। प्रत्येक गांव में पारिवारिक या जातिगत पेशेवाली जातियाँ जैसे बढ़ई, तेली, धोबी, लोहार, चमार, मल्लाह, नाऊ अवश्य मिलते हैं। इनकी आवश्यकता अन्य वर्गों को हमेशा शादी ब्याह, खेती आदि जीव में पड़ती है। सामान्य रूप से इस क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में सौहार्द्र की भावना रहती है परन्तु कभी-कभी विद्वेष का रूप भी दिखाई पड़ता है। भारतीय वर्ण व्यवस्था का रूप इस क्षेत्र में प्राचीनकाल से चला आ रहा है। जिसके कारण छोटी समझी जाने वाली जातियों को निम्न दृष्टि से देखने की मानसिकता अभी समूल नष्ट न हो पायी है। इस क्षेत्र के पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के जो लोग शिक्षा या अन्य कारण से ऊपर उठे हैं उनमें भी अपनी जाति के प्रति हेय दृष्टि अशुभ या अपसंस्कृति का संकेत करती है। आज के समय में इस बात की आवश्कयता है कि हम समाज एवं जाति के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनायें।

पूर्वाञ्चल के लोगों खासकर पुरुष वर्ग का मुख्यतः पहनावा धोती-कुर्ता, पायजामा, कुर्ता-टोपी, एवं स्त्रियों का मुख्य पहनावा साड़ी ब्लाउज है, परन्तु पाश्चात्य एवं अन्य प्रभावों के कारण आज कल वर्तमान पीढ़ी शर्ट-पैण्ट, सलवार, कुर्ता की ओर विशेष रूप से आकर्षित है। खास तौर पर देखा जाये तो गांवों में वेशभूषा का सजीव रूप देखने को मिलता है।

यहाँ के सामान्य वर्ग खपरैल के मकानों, छप्पर, झोपड़ी, खिरकी आदि में अपना जीवनयापन करते हैं। मैदानी क्षेत्र के लोग मिट्टी की दीवार बनाकर बाँस और लकड़ी का प्रयोग करके खपरैल का घर बनाकर रहते हैं। नदी के किनारे के लोग छप्पर डालकर जीवनयापन करते हैं। ग्रामीण वर्ग अपनी आवश्यकतानुसार गृह निर्माण करते हैं। जिसमें बैठका, दालान, पशुओं के रहने के स्थान को प्रमुखता दी जाती है। सोने के लिए बांस-लकड़ी तथा रस्सी से बनी चारपाई का प्रयोग किया जाता है।

पूर्वाञ्चल की लोक संस्कृति में भोजन और खाद्य पदार्थों की अपनी अलग पहचान है विभिन्न अवसरों जैसे-तीज-त्योहार, प्रीतिभोज, विवाह आदि पर विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाई आदि का प्रचलन देखने को मिलता है। पूर्वाञ्चल के लोगों के भोजन में भी अनेक रूप हैं। वैसे कच्चा भोजन (रोटी, चावल, सब्जी, दाल), पक्का भोजन (पूड़ी, सब्जी) तन्दूरी रोटी, बाटी-चोखा, भाजी,

Scanned with CamScanner

बसीर, फरा, रोटी आदि का प्रचलन भोजन में अधिक है। मिठाइयों में इमरती, जलेबी, चोटीइया जलेबी, बर्फी, पेड़ा, बतासा, गट्टा, अनरसा का प्रचलन अधिक है।

बलिया में सत्तू का प्रयोग सर्वाधिक हैं खाने में चूड़ा-दही का प्रचलन भी इस क्षेत्र की विशेषता है।

पूर्वाञ्चल की संस्कृति में महिलाएं गोदना गोदवाती हैं। दांतों में मिस्सी, काजल और सुरमा आँखों में लगाती हैं। आभूषणों में बाजू, बंद, कंगना, मनोहरी हसुली, पहेला, नथिया, मुनरी, करधन, बिछिया आदि में इस अञ्चल की संस्कृति विद्यमान है। वाहनों में पालकी, बैलगाड़ी, रथ, तांगा, इक्का, रिक्सा, जीप, कार, बस, ट्रक, का प्रयोग होता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में पुरानी परम्परा के वाहनों का प्रयोग नाम मात्र के लिए रह गया है। मनोरंजन के लिये इस क्षेत्र की संस्कृति में नाटक, नौटंकी, नृत्य, रामलीला, बिरहा, चौताल, आल्हा, भेड़ लड़ाई, कुश्ती, दंगल आदि विशेष महत्व रखते हैं।

पूर्वाञ्चल की लोक संस्कृति धर्म आधारित है। प्राचीन काल से ही धर्म लोक के सम्पूर्ण जीवन में व्याप्त है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, पुराण आदि में धर्म के स्वर ही मुखरित होते हैं। पूर्वाञ्चल में राम और कृष्ण का धार्मिक दृष्टि से प्रमुख स्थान है। पूर्वाञ्चल के लोक साहित्य में राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, सूर्य, गीता, सीता, पार्वती, लक्ष्मी, तुलसी, शीतला माता, छठी मात, दरगाहों के पीरों के अतिरिक्त भूत प्रेत, स्थानीय देवी-देवताओं को विशेष महत्व मिला है। यहाँ के हिन्दुओं की यह विशेषता है कि वे हिन्दू देवी-देवताओं के साथ दरगाहों एवं मजारों में भी जाते हैं। सम्पूर्ण पूर्वाञ्चल के स्थानीय देवी-देवताओं पर यहां के लोगों का अटूट विश्वास देखने को मिलता है।

पूर्वाञ्चल आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है। छोटी, मोटी खेती के अतिरिक्त जीवनयापन का अन्य साधन यहां नहीं है। पूर्वाञ्चल के अधिकांश जनपदों में उद्योग धन्धों का अभाव है। रोजगार के अभाव में यहाँ के गरीब मजदूर मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, लुधियाना में जाकर काम करते है। यहाँ पर कोई प्राकृतिक सम्पदा भी नही है। इन्ही कारणों से यहाँ के अधिकांश लोग अपने पैतृक पेशे को अपनाकर जीवन निर्वाह करते हैं।

पूर्वाञ्चल की लोकसंस्कृति की अभिव्यक्ति यहाँ के तीज, त्योहारों एवं संस्कार गीतों में सर्वाधिक हुई है। यहाँ के प्रसिद्ध व्रतों, 'जिउतिया' छट्ठ, तीज, चौथ, करवा चौथ है जिनमें अपने पुत्र, पति की मंगल कामना के लिए स्त्रियाँ व्रत और पूजा करती है। इन पर्वो और त्यौहारों के समय पूर्वाञ्चल के लोगों के पहनावे, खानपान, आचार-व्यवहार में यहाँ की संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है।

पूर्वाञ्चल के प्रसिद्ध लोकगीतों में आल्हा, लोरी, बिरहा, कजरी, विभिन्न अवसरों पर गाये जाने वाले संस्कार गीत प्रमुख हैं। मनोरंजन के लिये पूर्वाञ्चल में नौटंकी रामलीला, कठपुतली, विदेशिया का नाच विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। ये नाटक जहाँ एक ओर लोक मनोरंजन करते हैं वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्र में फैली कुरीतियों पर प्रकाश भी डालते हैं।

पूर्वाञ्चल की लोक कला अपना विशेष महत्व रखती है। बाँस से निर्मित डलिया, दौरी, डाल, खांची, आदिकास, बरूआ से बनाई जाने वाली कुरूई, मौनी, पिटारी आदि आज भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार पूर्वाञ्चल की लोकसंस्कृति अत्यन्त समृद्ध है जिसे हिन्दुस्तान का सम्मान बढ़ा, ऐसी मातृभूमि को बार-बार नमस्कार।

शोध छात्र
हिन्दी विभाग
लखनऊ विश्व विधालय, लखनऊ

नारी न देवी बनना चाहती है और न
चरणों की दासी वह सृजनकर्ती बनना चाहती है।
-श्रीमती एनीबेसेन्ट

Scanned with CamScanner

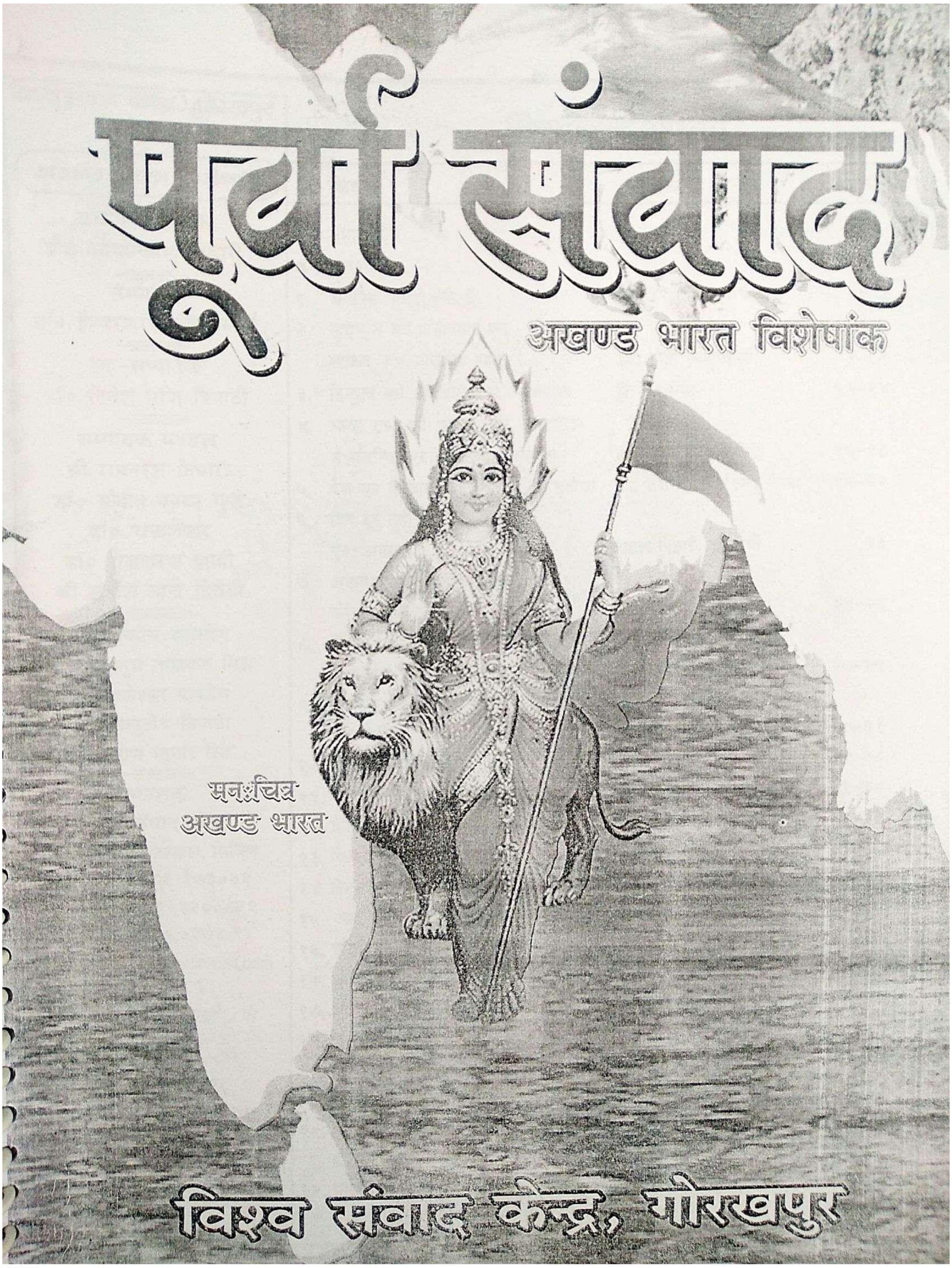

Scanned with CamScanner

विश्व संवाद केन्द्र, गोरखपुर
पूर्वा संवाद
अखण्ड भारत विशेषांक

प्रधान सम्पादक
प्रो० ओमप्रकाश तिवारी

सम्पादक
डॉ० ईश्वरशरण विश्वकर्मा

सह-सम्पादक
डॉ० दिनेश मणि त्रिपाठी

सम्पादक मण्डल
श्री रामनरेश तिवारी
डॉ० संजीत कुमार गुप्त
डॉ० चन्द्रशेखर
डॉ० राजशरण शाही
श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी

सम्पादकीय सहयोग
डॉ० कौस्तुभ नारायण मिश्र
श्री बालेश्वर पाण्डेय
श्री आशुतोष त्रिपाठी
श्री योगेश कुमार सिंह

प्रकाशक
विश्व संवाद केन्द
४ नगर निगम आवास, सिविल
लाइन्स, गोरखपुर २७३००१
दूरभाष- ०५५१-२२००८६९
स- २२६०२७४
diffmail.com
हिन्दुत्व वे.
'अख
लोकशक्ति
कमल आफ... प्रन्टर्स,
दूर्गाबाड़ी, गोरखपुर
दूरभाष: ०५५१-२२४०६९५

सहयोग राशि
१०० रुपये/- मात्र

विषयानुक्रमणिका

विषय	लेखक	पृष्ठ
■ सम्पादकीय		
■ सन्देश		
१. अखण्ड भारत क्यों ?	पं0 दीनदयाल उपाध्याय	१-८
२. मातृभूमि की संकल्पना का साकार रूप अखण्ड भारत	डॉ0 प्रीति विश्वकर्मा	९-११
३. हिन्दुत्व की अवधारणा में अखण्डता	शिवजी सिंह	१२-१४
४. भारत राष्ट्र की एकता और अखण्डता से संबन्धित सांविधानिक संकल्पना	डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी	१५-१८
५. देश का बँटवारा विश्वासघात का नतीजा	प्रो0 राजेन्द्र सिंह''रज्जू भैय्या''	१९-२२
६. दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुन: अखण्ड........	अटल बिहारी वाजपेयी	२३
७. अखण्ड भारत का अप्रतिम शिक्षा केन्द्र : तक्षशिला	डॉ0 नरेश प्रसाद भोक्ता	२४-२६
८. हिंसा-पंथ-अतांकवाद: भारत की अखण्डता को चुनौती	प्रो0 ओ0पी0 तिवारी	२७-२९
९. आर्थिक चिन्तन की भारतीय भाव भूमि	हेमशंकर वाजपेयी	३०-३१
१०. राष्ट्रीय अखण्डता	देवेन्द्र स्वरूप	३२-३८
११. अखण्ड भारत और डॉ0 अम्बेडकर	डॉ0 चन्द्रशेखर	३९-४०
१२. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अखण्ड भारत	डॉ0 ईश्वर शरण विश्वकर्मा	४१-४३
१३. विभाजन आकट्य सत्य नहीं	श्री गुरुजी	४४-४८
१४. शिक्षालयों से अदृश्य होता राष्ट्र	डॉ0 राजशरण शाही	४९-५२
१५. आतंकवाद: घातक और विनाशकारी	डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी	५३-५४
१६. भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप	अटल बिहारी वाजपेयी	५५-५६
१७. अखण्ड भारत स्वप्न तो साकार होगा	हो0वे0 शेषाद्रि	५७-६४
१८. अखण्ड भारत का प्राणतत्व हिन्दुत्व	डॉ0 (श्रीमती) मनीषा चतुर्वेदी	६५-६७
१९. ऋत एवं सत्य पर आधारित भारतीय वैश्विक चिन्तंन	डॉ0 राजेश कुमार धर दूबे	६८-६९
२०. मुस्लिम आतंकवाद: अन्तरराष्ट्रीय परिदृष्य	प्रेमचन्द्र गौड़	७०-७२
२१. पाकिस्तान के प्रति उदार मानसिकता ही अखण्डता का शत्रु	राधारमण तिवारी	७३-७५
२२. भूमण्डल पर नव भूगोल रचायेगें	रामअवध शर्मा	७६

Scanned with CamScanner

आतंकवाद : घातक और विनाशकारी

❖डॉ० विजयेन्दु चतुर्वेदी

हम आतंकवाद के युग में रह रहे हैं ओर इसके समाप्त होने का कोई लक्षण नहीं दिखलाई पड़ रहा है। अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद एक उद्योग बन गया है और अब इसने कारोबार का रूप ग्रहण कर लिया है। आज विश्व को जो सबसे बड़ी धमकी दी जा रही है, वह आतंकवाद की धमकी है और कुछ ही राष्ट्र ऐसे हैं, जो इन धमकियों से मुक्त हैं। विश्व में कुल 127 ऐसे राष्ट्र हैं, जिनमें कोई न कोई आतंकवादी दल विद्यमान है और इन राष्ट्रों में अफगानिस्तान से लेकर जाम्बिया तक सम्मिलित है। प्रारम्भ के आतंकवादियों में हसन-बिन-सलाह के अनुयायियों को सम्मिलित किया जा सकता है, जिन्हें 'हत्यारा' (Assassins) कहा जाता है, जिनका कार्यकाल 900 वर्ष पूर्व और कार्य क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका था। यह कहा जाता है कि अंग्रेजी का 'एसैसिन' (Assassins) शब्द अरबी भाषा के 'हशीश' शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, ओर 'एसैसिन' उसको जाता था, जो 'हशीश' का सेवन करता था। मुसलमानों का एक आतंकी वर्ग इस औषधि का सेवन करके प्रमुख ईसाइयों और अन्य धार्मिक दुश्मनों के विरूद्ध अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ चलाता था। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक राजनैतिक सत्ता हथियाने के लिए अलजीरिया, साइप्रस, केनिया, आयरलैण्ड, लैटिन अमेरिका, पूर्वी मध्य देश और भारत में आतंकवाद का सहारा लिया जाने लगा।

आतंकवाद को कभी-कभी राज्यों द्वारा भी प्रायोजित किया गया है। स्टालिन, हिटलर, माओ जे-डाँग, च्यांग-काई-शेक ओर याह्या खान जैसे लोगों का नाम राज्य प्रायोजित आतंकवाद के संदर्भ में लिया जाता है। यह कहा जाता है कि लगभग 50 लाख भूस्वामियों को माओं के समय में भूमि सुधार के लिए चीन में मार डाला गया था।

सन् 1976 ई0 के ब्रिटिश अधिनियम में आतंकवाद का तात्पर्य हिंसा का प्रयोग है। इसका प्रयोजन जनता को अथवा जनता के किसी भाग को राजनैतिक उद्देश्यों के लिए भय में डालना है। सन् 1985 ई0 में भारत में पारित (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act की धारा 3 में आतंकवादी कार्यकलाप कहा गया है, जो समाज में अलगाव अथवा विखण्डन के उद्देश्य से या तो सरकार को भयभीत करने के लिए अथवा जनता में आतंक उत्पन्न करने के लिए किया गया है। ऐसे कार्यो को भी आतंकवादी कार्य की संज्ञा दी जा सकती है, जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को भयभीत करने, या जनता के किसी भाग में आतंक उत्पन्न करने, या जनता के विभिन्न वर्गो की समरसता को बुरी तरह से प्रभावित करने के आशय से किया गया है, और उस कार्य को बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों अथवा ज्वलनशील तत्वों या आग्नेयास्त्रों या अन्य घातक अस्त्रों या जहरीले पदार्थो या खतरनाक गैसों अथवा अन्य रसायनों या खतरनाक प्रकृति के अन्य पदार्थों, चाहे वे जैविक हों, या अन्यथा के प्रयोग द्वारा इस तरीके से किया गया हो कि उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु अथवा सम्पत्ति को क्षति या बरबादी, समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं आपूर्तियों अथवा सेवाओं को विच्छिन्न बनाना कारित कर सकता था या वैसा कारित होना संभाव्य बना सकता है। इस तरह यह प्रकट है कि आतंकवादी कार्यकलाप में मानवजीवन, सम्पत्ति अथवा सेवाओं का विनाश

❖ प्रवक्ता, (जनसंचार और पत्रकारिता विभाग), डॉ० राममनोहर लाहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, (उ०प्र०)

Scanned with CamScanner

अन्तर्वलित है और ऐसे कार्यकलाप में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, वे बम, ज्वलनशील पदार्थ, रासायनिक और घातक हथियार हो सकते हैं।

आतंकवाद, इस तरह, स्वयं अपने आप में घातक है ओर उसके राजनैतिक उद्देश्य होते हैं। आतंकवाद का घातक रूप भारत एक लम्बे अरसे से जम्मू और कश्मीर में देख रहा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों द्वारा प्रायोजित है। श्रीलंका की सरकार लिट्टे आतंकवाद को झेल रही है। इसका भयावह परिणाम 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी झेला है ओर आज उसके नेतृत्व में आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए सारी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई है। तालिबानों का आतंकवाद तो अपनी अंतिम सांसे ले रहा है, फिर भी, यह महसूस किया जा रहा है कि यह लड़ाई लम्बी है और एक दिन दुनिया से इसको विदा कर ही देना है। आतंकवाद के तौर तरीकों में तो ऐसा कोई भी तरीका सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे समाज अस्थिर हो उठे ओर आतंकवादियों के उद्देश्य की पूर्ति हो।

एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में आतंकवाद के दो प्रमुख घटक हो सकते हैं, एक तो यह कि, विरोधियों को आतंकित और भयभीत किया जाय, ओर दूसरे यह कि, लक्ष्यों और उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार किया जाए। इस तरह, आतंकवाद के अनेकों कारण हो सकते हैं, वह सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक अथवा मूलवंशीय हो सकता है, परंतु जो आवश्यक और मूल कारण है, वह व्यक्तियों के एक वर्ग या जनसंख्या के उपखण्ड के मन में व्याप्त यह विचारधारा हो सकती है कि उनके साथ गलत किया गया है। अरब के भगोड़े प्रख्यात आतंकवादी ओसामा-बिल-लादेन का तो अपना एक अलग ओर निराला लक्ष्य है और वह लक्ष्य है आतंकवाद के रास्ते पर चलकर पूरी दूनिया को इस्लाम में संपरिवर्तित कर देना और इस्लामी शासन की स्थापना।

भारत को दुनिया में सर्वाधिक रूप से आतंवादियों के त्रास को झेलना पड़ रहा है। इस निमित्त उसके द्वारा बनाया गया टाडा कानून मई 1995 में ही समाप्त हो गया। उसको इस निमित्त एक कड़े कानून की आवश्यकता है। उसने इस निमित्त आतंकवाद निवारण अधिनियम पारित किया था, जिसको फिलहाल राजनैतिक दांव-पेंच और समझौतावादी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप निरसित कर दिया गया है। परन्तु भारत की संसद ने समय-समय पर राष्ट्र की एकता, अखण्डता और उसकी सुरक्षा को मानव अधिकारों से भी ज्यादा मूल्यवान माना है और उससे एक बार फिर यह अपेक्षा है कि वह एक कड़े कानून के प्रवर्तन के साथ-साथ सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को भी कड़ाई से कुचलने में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करेगा। हमें आतंकवादीअधकार से निकलकर उज्ज्वल प्रकाश में आना होगा और इस निमित्त भारत को ही आगे बढ़कर विश्व को नेतृत्व प्रदान करना होगा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

विश्व संवाद केन्द्र, गोरखपुर

वार्षिक पत्रिका २००९

सामाजिक समरसता विशेषांक

अनुक्रमणिका

१.	प्राक्कथन - प्रधान सम्पादक	प्रो० ओम प्रकाश तिवारी	६
२.	सम्पादकीय	डॉ० ईश्वर शरण विश्वकर्मा	७
३.	डॉ० अम्बेडकर का जीवन	दत्तोपंत ठेंगड़ी	८.
४.	समरसता के आलोक पुन्ज रविदास	अधीश कुमार	१२
५.	समरसता का संघ दर्शन	भैया जी जोशी	१५
६.	सन्त नरायण गुरु का.....	नवल किशोर	१८
७.	सामाजिक साम्य के अग्रदूत	राजेन्द्र सक्सेना	१९
८.	सामाजिक समरसता के....	अनिल कुमार	२१
९.	इस्लाम स्वीकार करो या मैला...	राजेन्द्र सिंह	२३
१०.	समरसता का महत्व	प्रो० रामअचल सिंह	२८
११.	संघ का शाखा तन्त्र	डॉ० ब्रह्मदत्त अवस्थी	३०
१२.	कबीर की सामाजिक....	डॉ० सुरेश चन्द्र पाण्डेय	३३
१३.	समरसता की सजीव मूर्ति...	डॉ० संजीत कुमार गुप्त	३६
१४.	प्यार और सम्मान...	डॉ० दिनेश मणि त्रिपाठी	३७
१५.	सामाजिक समरसता के....	श्रीमती आशा सक्सेना	३९
१६.	श्री गुरु जी और....	डॉ० परशुराम गुप्ता	४१
१७.	संतो जगत्....	डॉ० नित्यानन्द श्रीवास्तव	४४
१८.	संत साहित्य...	डॉ० मनीषा तिवारी	४६
१९.	एक नूर ते....	प्रो० पी०सी० शुक्ल	४८
२०.	वर्णाश्रम समाजिक दर्शन.....	डॉ० श्याम नरायन दुबे	५१
२१.	बाबा साहब भीमराव....	डॉ० चन्द्रशेखर	५४
२२.	पत्रकारिता और सामाजिक....	डॉ० विजयेन्दु चतुर्वेदी	५६
२३.	वसुधैव कुटुम्बकम्....	धीरज कुमार दुबे	५९
२४.	नयी पीढ़ी-पुरानी पीढ़ी....	डॉ० रचना भारती	६१
२५.	खण्ड-खण्ड (कविता)	राम नरायण त्रिपाठी	६३
२६.	बाबा साहब उवाच....	हरिकेष तिवारी	६३
२७.	समनेन दो....	राकेश कुमार धर दुबे	६५
२८.	सामाजिक समरसता....	पूजा पाण्डेय	६७
२९.	करूणा से प्रेरित...	डॉ० ईश्वर शरण विश्वकर्मा	६९
३०.	प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण	सुश्री अर्चना	७२
३१.	समरसता गीत	शिवभूषण सिंह	७५
३२.	उन्होंने कहा	बैरिस्टर	७५
३३.	समानता की अवधारणा	नर्मदेश्वर लाल श्रीवास्तव	७६

संरक्षक मण्डल :
श्री अशोक कुमार बेरी
प्रो० उदय प्रताप सिंह
प्रो० राम अचल सिंह
श्री अनिल कुमार
डॉ० प्रेमचन्द्र गौड़

परामर्शदाता :
श्री राजेन्द्र सिंह
श्री राजेन्द्र सक्सेना
प्रो० सुरेन्द्र कुमार दुबे
डॉ० संजीत कुमार गुप्ता
डॉ० दिनेश मणि त्रिपाठी

प्रधान सम्पादक :
प्रो० ओम प्रकाश तिवारी

सम्पादक :
डॉ० ईश्वर शरण विश्वकर्मा

प्रकाशक :
विश्व संवाद केन्द्र
४, नगर निगम आवास
निकट-कचहरी बस स्टैण्ड
सिविल लाइन, गोरखपुर-273 001

मुद्रक :
कस्तूरी आफसेट सिस्टम्स्
दीवान बाजार - गोरखपुर
फोन : 0551-2330589

Scanned with CamScanner

पत्रकारिता और सामाजिक समरसता

-डॉ० विजयेन्दु चतुर्वेदी

वर्तमान परिस्थतियों में देश की अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखना, राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना, समाज के विभिन्न लोगों को एक दूसरे के समीप लाना,क्षेत्रीय भावना को समाप्त करना और ढाँचें को बरकरार रखना ही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। समाज के नये आचार विचार और व्यवहार को गति देने के लिए चौतरफा प्रयास आवश्यक है। पत्रकारिता लोगों तक नये विचारों को पहुँचाने का कार्य करती है। पत्रकारिता की सहायता से लोग अपनी कूपमंडूकता, कुंठा और भाग्यवाद को छोड़कर नवीन दृष्टि से विचार करते हैं। पत्रकारिता द्वारा हमें समाज के नाना रूपों वाली समस्याओं का परिचय विश्लेषण और उनका उचित समाधान प्राप्त होता रहता है। समाज की समग्र विषमताओं और अपनी बेबाक टिप्पणी प्रस्तुत करना तथा सामाजिक समरसता बनाना ही पत्रकार का मूल कर्तव्य है।

पत्रकारिता सामाजिक क्रिया का वह मूल अंग है जिसमें समाचारों व विचारों का आदान प्रदान व प्रचार प्रसार किया जाता है। पत्रकारिता व्यापक सामाजिक एवं राष्ट्रीय उद्देश्य होतें हैं। वह समाज में उच्च मूल्यों और आदर्शों की प्रतिष्ठा में सहयोगी बनती है। दहेज प्रथा, छुआछूत, बालविवाह, महिला उत्तपीड़न, बाल-अपराध ा, मद्यपान, आतंकवाद, वेश्यावृत्ति आदि सामाजिक विकृतियाँ है। इनको दूर करना पत्रकारिता का ध्येय है। मानव मानव के बीच समता भाव, बड़ो के प्रति आदर भाव, छोटों के प्रति स्नेह भाव आदि सामाजिक मूल्य हैं। पत्रकारिता इन सामाजिक मूल्यों के आध ार पर समाज के मूल्यांकन हेतु बनाए गए मानदण्डों के प्रति सचेत रहती है।

जीवन की छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान आदमी आज समाचार पत्रों में खोजता है। समाज को विशेष दिशा देकर उसे सशक्त करना उसमें ओज पैदा करना यह काम पत्रकारिता का है। आज समाज में पत्रकारिता के प्रति इतनी रूचि पैदा हो गयी है कि सुबह होते ही पत्रों से दिनचर्या प्रारम्भ होती है। समाज यह जान गया है कि लोक युग में पत्रों की क्या भूमिका है। पत्रकारिता के उद्देश्य को बताते हुए गान्धी जी ने लिखा है-

" पत्रकारिता का एक उद्देश्य जनता की इच्छाओं विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयता पूर्वक प्रकट करना है।"

समाज को बदलना और समाज में समरसता लाना पत्रकारिता का ही उत्तरदायित्व है। महादेवी वर्मा की मान्यता है – "पत्रकारिता एकरचना शील विधा है। इसके बगैर समाज को बदलना असंभव है अतः पत्रकारों को अपने कर्तव्यों और दायित्व का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए क्योकि उन्हीं के पैरों के छालों से इतिहास लिखा जायेगा।"

पत्र पत्रिकाओं में समाज को प्रभावित करने की जो क्षमताएं होती हैं उन समस्याओं का सशक्त स्वर प्रणेता होता है पत्रकार । पत्रकार को दूसरे शब्दों में समाज की दिव्य दृष्टि, समाज का सजग कान कहा जा सकता है। पत्रकार जिन पत्रिकाओं की सृष्टि करता है क्या वह समाज का सबसे बड़ा साहित्य नहीं होता। अवश्य ही होता है।

पत्रकारिता ने समाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकारिता द्वारा सामाजिक मूल्यों के प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व निर्वाह करके सामाजिक संबन्धों में सुदृढ़ता लाई जाती है। एक समाज में विभिन्न भाषा भाषी वर्ण धर्म के लोग रहते हैं। कई बार ऐसे क्षण आते है कि इनमें टकराव व मनमुटाव की स्थित उत्तपन्न हो जाती है जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस टकराहट को रोका जाए। इसके लिए आवश्यकता है कि लोगों के मन में भेद-भाव, मनमुटाव, वैमनस्य मिटा कर उनमें एकता

Scanned with CamScanner

पर्याप्त और सौहार्द का भाव जगाया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असहायों को संबल, पीड़ित को सुख, अज्ञानियों को ज्योति एवं मदोन्मत्त शाशक को सद्‌बुद्धि देने वाली पत्रकारिता है जो समाज में सक्षम है। प्रसिद्ध पत्रकार राजकिशोर का यह कथन सही है- ''पत्रकारिता की कसौटी ही यह है कि वह सामाजिक लक्ष्यों से अनुप्राणित हो।'' यदि पत्रकारिता सामाजिक लक्ष्यों से अनुप्राणित है तो यह मानना चाहिए कि वह प्रतिबद्ध पत्रकारिता है जिसका उद्‌देश्य है जन जागृति और समाज कल्याण।

पत्रकारिता एवं लेखन एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिससे वातावरण निमार्ण एवं एकबड़े वर्ग की सोच को काफी हद तक नयी दिशा दी जा सकती हे पत्रकारिता द्वारा समाज के तमाम अन्ध ।विश्वासों पर आधरित मान्यताओं को समाप्त किया गया है। जैसे चेचक को अब शीतला माई का प्रकोप मानना लगभग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार कुछ रोग अब पूर्व जन्म के पापों का नहीं बल्कि जीवन को लगने वाला एक रोग है। परिवार नियोजन की महत्ता बढ़ने के कारण ही अब कोई दूधो नहाओ, पूतो फलो का आशीर्वाद नहीं देता।

प्रसिद्ध पत्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सामाजिक विषयों पर लोक टिप्पणियाँ सम्पादकीय आदि लिखनें का क्रम जीवन पर्यन्त जारी रखा। वे समाज चेतना के लिए पत्रकारिता को एक सशक्त माध्यम मानते है। बाल मुकुन्द गुप्त जी भारतीय सामाजिक संस्कृति के दृढ़ पोषक थे लेकिन रूढ़िवाद तथा पोगा पन उन्हें सहन नहीं था। पंडित बाल कृष्ण भट्‌ट ने समाज में फैली कुप्रथाओं के विरूद्ध अभियान प्रारम्भ किया ।

छुआ-छूत के विरूद्ध भट्‌ट जी ने पुरजोर अभियान चलाया उन्होनें लिखा- छुआ-छूत की प्रथा अमानवीय व अन्यायपूर्ण है क्योकि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचॉती है। प्रसिद्ध लेखक प्रेमचन्द्र सम्पादक के रूप में भी अत्यन्त सफल रहे। स्वाधीनता संग्राम, हिन्दू, मुसलमान, किसान, मजदूर, सामान्य नागरिक प्रशाशन, छूत, अछूत, शान्ति आदि तमाम बिषयों के प्रति अपने विचार व्यक्त किये। माखन लाल चर्तुवेदी जी एक प्रखर एवं जागरूक पत्रकार भी थे। समाज के उपेक्षित दलित वर्ग, पिछडी हुई अल्पसंख्यक इकाईयों को प्रोत्साहन दिया। स्त्रियों एवं समानाधिकार पर उठकर लिखा। गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक निर्भीक पत्रकार थे उन्हानें भी सामाजिक कुरीतियों के निवारण, आत्मावलम्बन, प्रजाहित, सार्वजनिक हित के लिए लेखनी चलाई। इस प्रकार विभिन्न पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों एवं विषमताओं को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किया महिलाओं के प्रति भेद भाव आर्थिक अन्याय निरक्षरता, निर्धनता, हथियारों की होड, बाल विवाह, अनमेल विवाह, छूआ-छूत आदि समस्यायें समाज में रह रहे व्यक्ति के अस्तित्व लिए खतरा बनी हैं। इसीलिए पत्रकारिता का दायित्व और भी बढ़ जाता है। इसके समाधान के लिए आवश्यक हुआ तो विचार विनिमय हेतु एक दुसरे का मिलाप भी करवाती है पत्रकारिता।

आज की पत्रकारिता का दायित्व क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। समाज के विस्तीर्ण क्षेत्र से पत्रकारिता का संबन्ध ा हमेशा से रहा है सामाजिक लोकाचारों में मौलिक परिवर्तन हेतु पत्रकारिता निरन्तर संघर्ष कर रही है। इसके द्वारा समाज की समाजिक बुराइयों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया। समाज का उपेक्षित, वंचित दलित शोषित वर्ग पत्रकारिता के माध्यम से निदान के लिए आशान्वित होता है।

अतः सामाजिक समरसता के महाअभियान में पत्रकारिता का योगदान आवश्यक है। '' जहाँ न पहुचें सरकार, वहाँ पहुचे पत्रकार''। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, वर्ण, धर्म,पन्थ तक पत्रकार की पहुँच अपरिहार्य है। पत्रकारिता का सामाजिक समरसता के प्रति निवारक, प्रचारक व सुधारक का दृष्टिकोण होना चाहिए। जिन तत्वों व कारकों से समरसता का क्षरण होता है उन्हें पूर्ण रूप से बहिष्कृत करना पत्रकार का निवारक कर्मव्य है। साथ ही ऐसे तत्वों की पर्याप्त आलोचना व भर्त्सना समीचीन है। साम्या समरसता व आत्मिक सम्बद्वता का उत्प्रेरण व प्रवर्तन ही वास्तविक पत्रकारिता कही जायेगी।

CS Scanned with CamScanner

Volume No. - II
December - 2009

VIDHIK CHETANA

The Journal of Law Awareness

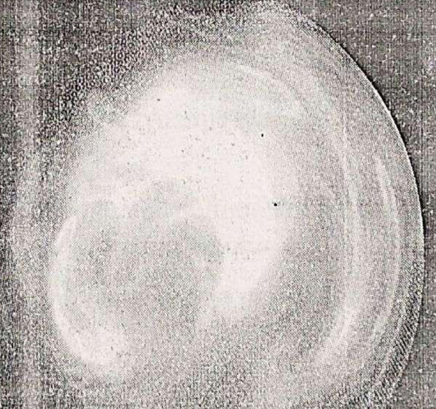

JOURNAL OF THE
SHIVANI GAURAV MEMORIAL LAW COLLEGE
JAUNPUR

Scanned with CamScanner

INDEX

S.No.	Title	Page No.
1-	The Indian Judiciary : Sentinel of Environmental Protection - ***Girish Chandra Trivedi***	1 - 6
2-	Alternative Dispute Resolution : Concept and Prospect - ***Shri Ram Singh***	7 - 13
3-	IT and Organized Crime - ***Onkar Nath***	14 - 19
4-	A Panorama and Realities of Environmental Legislations in India - ***Alaka Yadav***	20 - 25
5-	Wholesomeness of Water : A Constitutional and Legal Perspective - ***Brijesh Kumar Gupta***	26 - 32
6-	Human Rights of Accused Person in the Criminal Justice System of India - ***Shushant Tripathi***	33 - 37
7-	Domestic Violence : A Socio-legal Study - ***Asha Rani***	38 - 41
8-	Assisted Reproductive Technologies : A Legal perspective - ***Rahul Mishra***	42 - 47
9-	Judicial Activism : A Dynamic Concept - ***Ashutosh Mishra***	48 - 50
10-	Increasing Air and Sound pollution decreasing life : A legal view - ***M. K. Vishwakarma***	51 - 54
11-	न्यायिक पुनरीक्षण एवं राजनीतिक प्रश्न : एक शाब्दिक क्रीड़ा - ***डॉ० श्रीप्रकाश मिश्र***	55 - 69
12-	समान नागरिक संहिता, औचित्य एवं स्वरूप - ***इन्द्रजीत सिंह***	70 - 75
13-	भारत-राष्ट्र की एकता और अखण्डता से सम्बन्धित सांविधानिक संकल्पना - ***डॉ० मुरलीधर चतुर्वेदी***	76 - 80
14-	मानवाधिकार के सन्दर्भ में सूचना का अधिकार – *डॉ० तेज बहादुर सिंह*	81 - 83
15-	ग्राम्य विकास की गतिशीलता – *डॉ० आर० डी० पटेल*	84 - 86
16-	जलवायु परिवर्तन का विधिक नियंत्रण : बातें ज्यादा प्रयास कम – *आनन्द कुँवर गुप्त*	87 - 94

Scanned with CamScanner

17- महिला सशक्तिकरण : प्रयास एवं परिणाम 95 - 99
- सुबास चन्द्र यादव

18- न्यायिक क्रियाशीलता : नारी और बाल अधिकारों का संवर्धन 100 - 104
– कविता राय

19- सोशल इंजीनियरिंग द्वारा भारत में समाजिक परिवर्तन 105 - 110
– राज कुमार पाण्डेय

20- भारत और शरणार्थी समस्या : चुनौती और लक्ष्य 111 - 114
– सन्तोष कुमार तिवारी

21- मानव अधिकार और भारतीय मूल्य - डॉ० विजयेन्दु चतुर्वेदी 115 - 119

22- आतंकवाद के बदलते आयाम : भारतीय परिपेक्ष्य में 120 - 127
– संजीव कुमार सिंह

23- वर्तमान एवं भावी पीढी हेतु जल प्रदूषण की बढती समस्या एक विधिक चुनौती – श्रीमती वन्दना विश्वकर्मा 128 - 133

24- नक्शा दुरूस्ती (मानचित्र का शुद्धिकरण) -- आर.डी. यादव 134 - 136

25- भारतीय संविधान और महिला सशक्तिकरण 137 - 140
– आशीष प्रताप सिंह

26- विधि व्यवसाय का अधिकार – राजीव निषाद 141 - 144

27- न्यायिक जवाब्रदेही – वीरेन्द्र कुमार मौर्य 145 - 149

28- प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन एवं उपचार 150 - 152
- आशीष कुमार पाण्डेय

29- पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण – प्रतीक तिवारी 153 - 155

30- मातृभाषा हिन्दी एवं भाषायी स्वतंत्रता का अधिकार 156 - 158
– शिवम् सिंह

CS Scanned with CamScanner

मानव अधिकार और भारतीय मूल्य

डॉ० विजयेन्दु चतुर्वेदी

मानव अधिकरों से सम्बन्धित भारतीय मूल्य संभवतः विश्व में सबसे पुरातन है। ऋग्वेद में, जिसे प्राचीनतम् ग्रन्थ माना जाता है, यह घोषणा की गई है कि सभी मानव जीवन एक समान है और वे सब एक दूसरे के भाई हैं। अथर्ववेद में यह घोषण की गयी है कि सभी मानव जीवों का भोजन और पानी पर एक समान अधिकार है। उपनिषदों समेत सभी वेद धर्म के प्रथम स्रोत हैं और धर्म सभी मानव अधिकरों और कर्तव्यों पर एक संक्षिप्त पद है। व्यक्तियों तथा समाज की शान्ति और खुशियाली को सुनिश्चित करने के लिये धर्म का अनुपालन आवश्यक है।

मेनका गाँधी बनाक भारत संघ[1] के प्रकरण में धर्म के इस पक्ष की ओर भारत के उच्चतम् न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार की भावना व्यक्त की गयी थी -

"ये मूल अधिकार उन प्रारम्भिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी इस देश के लोगों ने वेदों के समय से आशा की थी और इन अधिकारों के सम्बन्ध में यह आकलित किया गया था कि वे व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करेंगे और ऐसी स्थिति का सृजन करेंगे, जिसमें प्रत्येक मानव जीव चरम उत्कर्ष तक अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा।"

भारत में उद्‌विकसित मानव जीवन का श्रेष्ठतम आदर्श सर्वेजना: सुखिनो भवन्तु रहा है, जिसका तात्पर्य रहा है, सभी जन सुखी रहें।

मानव अधिकारों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्षों का विस्तृत अध्ययन, जैसा कि वह वेदों, स्मृतियों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निर्धारित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ सन् १९४८ ई० में की गयी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में मान्य किया गया है और भारत के आधुनिक संविधान में अंगीकृत किया गया है, यद्यपि यहाँ संभव नहीं है, फिर भी उसके आधारभूत सिद्धान्त पर आलोक डालना प्रस्तावित है।

सुख का अधिकार

समस्त मानव जीवों की नैसर्गिक इच्छा जीवन के प्रत्येक प्रक्रम पर उसके हर रूप में सुखी और प्रसन्न रहने की है। यह एक नैसर्गिक मानवाधिकार है, क्योंकि सुख के बिना जीवन निरर्थक हो जाता है। इसीलिये प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति के लिये सुख के अधिकार को

- प्राध्यापक, पत्रकारिता और जन संचार विभाग, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

1- (1978) 1एस. सी. सा. 248

Scanned with CamScanner

मान्य किया गया है। सुख या प्रसन्नता का अधिकार, चूँकि, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापक मानवाधिकार है,अतः इसके अन्तर्गत हर तरह के अधिकार सम्मिलित हैं और उनकी पूर्ति सुख की ओर उन्मुख होती है। व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को अपने स्वयं के प्रयासों से पूरा करने की क्षमता होती है और यदि वह वैसा कर लेता है, तो न केवल अपने लिये प्रसन्नता को सुनिश्चित कर लेता है।[२]

तथापि, यदि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो उसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में अप्रसन्नता या दुःख का संचार होता है। इससे वह स्वयं अपने लिये और सह मनुष्यों के लिए भूलों और कुकृत्यों द्वारा अप्रसन्नता या दुःख को उत्पन्न करता है। कठोर सत्य तो यह है कि मानव जीवन ही प्रसन्नता और सुख तथा विपत्ति और दुःख का सम्मिश्रण है। विपत्ति दो प्रकार की होती है। एक वह विपत्ति है, जिस पर मानव जीवों का नियंत्रण नहीं होता है और वह प्राकृतिक आपदाओं अथवा दैव कृत्य की उपज होती है, जिसे विधि के अंतर्गत अरोध्य बल (विस मेजर) या दैव कृत्य कहा जाता है। उदाहरण के लिये माता-पिता, संतानों, नातेदारों और मित्रों की रूगणताओं, दुर्घटनाओं और व्यापक विनाश या बाढ़, भूकम्प आदि अपरिहार्य कारणों से हुई असामयिक मृत्यु और मनुष्य को यह सब सहन करना पड़ता है। इस तरह की विपत्ति का प्रशमन केवल तभी किया जा सकता है, जब नातेदारों, मित्रों और अन्य संगी साथियों द्वारा उस दुःख को आपस में बांट लिया जाय और राज्य तथा समाज द्वारा अपेक्षित सहायता और सहारा प्रदान किया जाय। दूसरे प्रकार की विपत्ति के अन्तर्गत ऐसे विभिन्न प्रकार के दुःख सम्मिलित हैं, जो मनुष्य द्वारा ही अपने मानवीय व्यवहार से अन्य मनुष्यों को कारित किये गये हैं जिनमें हत्या, लूट, बलात्संग, विमानों के हाईजैक, आतंकवादी कार्यकलाप आदि सम्मिलित हैं और इस तरह के कृत्य से अन्य लोगों के सुख या प्रसन्नता का विनाश होता है।

लम्बी अवधि के विद्वत् समुदाय यह सोचता चला आ रहा है कि सुख या प्रसन्नता के अधिकार को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाय और मानव द्वारा सृष्ट विपत्ति का किस प्रकार परिहार किया जाय। मानव स्वभाव का गंभीर अध्ययन करने के बाद भारत में इस बात का प्रयास किया गया है कि इस शाश्वत समस्या का समाधान निकाला जाय, जिसका सामना मानव जाति को करना पड़ रहा है।

सभी मनुष्यों के लिये बिना किसी अपवाद के सुख या प्रसन्नता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये धर्म का विकास किया गया। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अन्तर्गत इस भावना को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है कि बहुजन की प्रसन्नता के लिए अल्पतर जनों पर दुःख या विपत्ति को अधिरोपण किया जा सकता है। इसके बदले प्रत्येक मानव की 'प्रसन्नता या सुख के अधिकार' को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया था। प्राचीन भारत की निम्न प्रार्थनाओं में इसी आदर्श का दिग्दर्शन किया जा सकता है :

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तुमा कश्चश्दुःखम्भागभवेत् ।।

जिसका तात्पर्य है; सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त हों, सभी का मंगल हो; किसी को कोई दुःख न हो।

2- देखें, रामा जॉयस, सीड्स ऑफ माडर्न पब्लिक ला इन ऐंसियण्ट इण्डियन जूरिसप्रूडेन्स,(2000),172

Scanned with CamScanner

इसी तरह, तैत्तरीय उपनिषद में यह प्रार्थना की गई है कि सह नाववतु। सह नौ भुनत्तु। सह वीर्य करवाव है। तेजस्विनाधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस प्रार्थना का तात्पर्य है : ईश्वर! हम सबकी रक्षा करें, हम सब एक साथ खायें-पीयें; हम सब भारी ओज से परिपूर्ण होकर कार्य करें; हमारा अध्ययन ओज से परिपूर्ण और प्रभावी हो; हम किसी से घृणा न करें; चारो तरफ शान्ति हो, शान्ति हो, शान्ति हो।[३]

प्राचीन भारत की संवैधानिक विधि के रूप में राजधर्म को ही मान्यता प्राप्त थी और उसका विकास धर्म के नियमों के आधार पर हुआ था। अर्थशास्त्र, जिसे मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा ३००ई०पू० के लगभग लिखा गया था, राजधर्म पर एक प्राधिकृति से परिपूर्ण कृति है। इसमें जोरदार तरीके से सभी व्यक्तियों के लिये सुखी रहने के अधिकार और इस अधिकार की रक्षा करने के लिए राजा के कर्तव्य की घोषणा की गई है और यह कहा गया है कि,

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हितैहितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

जिसका तात्पर्य है, प्रज्ञा के सुखी रहने में ही राजा का सुख है। प्रज्ञा के कल्याण में प्रजा का कल्याण है और जब भी कभी राजा अपने हित की बात सोचता है, तो उसे यह ठीक नहीं समझना चाहिये, क्योंकि जो कुछ उसकी जनता के हित में है, वही राजा के हित में है।[४]

इस तरह राजा से यह अपेक्षा की गई थी कि वह राजधर्म के उक्त नियम के अनुरूप कार्य करे और केवल प्रजा के हित में न कि अपनी रूचियों या अरूचियों के अनुरूप या अपने मन की तरंग या सनक के अनुसार कार्य करे।

सुख या प्रसन्नता का अधिकार एक ऐसी संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, जिसकी परिधि में ऐसे समस्त विनिर्दिष्ट मानव अधिकार सम्मिलित है, जो सुख या प्रसन्नता को सुनिश्चित करने के लिये आशयित है। समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अभिरक्षण और कारागार में मानवोचित व्यवहार का अधिकार आदि ऐसे ही विनिर्दिष्ट मानवाधिकार है, जिनका लक्ष्य और गन्तव्य सुख के मानवाधिकार को व्यापक आयाम प्रदान करना है। इस अधिकार की घोषणा हिन्दू धर्मग्रन्थों का एक विशेष लक्षण है।यही कारण है लोकाः समस्त सुखिनो भवन्तु अर्थात् 'सभी लोग सुखी रहें' आदर्श हमारी सामाजिक और संवैधानिक व्यवस्था का एक आदर्श बन गया है।

कर्तव्य आधारित अधिकार

भारत के महान विचारकों द्वारा देश की सभ्यता और संस्कृत को एक नया मोड़ देने वाली जिस अनोखी व्यवस्था को विकसित किया गया था, उसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों में एक समतुल्य कर्तव्य का निर्माण करके प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। ऐसा इस कारण किया गया था

३ देखें; *रामा जॉयस, तत्रैव, पृष्ठ १७३*

४ देखें; *कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पृष्ठ ३९, संस्कृत संस्करण, पृष्ठ ४२*

Scanned with CamScanner

इसी तरह, तैत्तरीय उपनिषद में यह प्रार्थना की गई है कि सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवाव है। तेजस्विनाधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस प्रार्थना का तात्पर्य है : ईश्वर! हम सबकी रक्षा करें, हम सब एक साथ खायें-पीयें; हम सब भारी ओज से परिपूर्ण होकर कार्य करें; हमारा अध्ययन ओज से परिपूर्ण और प्रभावी हो; हम किसी से घृणा न करें; चारो तरफ शान्ति हो, शान्ति हो, शान्ति हो।[३]

प्राचीन भारत की संवैधानिक विधि के रूप में राजधर्म को ही मान्यता प्राप्त थी और उसका विकास धर्म के नियमों के आधार पर हुआ था। अर्थशास्त्र, जिसे मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा ३००ई०पू० के लगभग लिखा गया था, राजधर्म पर एक प्राधिकृति से परिपूर्ण कृति है। इसमें जोरदार तरीके से सभी व्यक्तियों के लिये सुखी रहने के अधिकार और इस अधिकार की रक्षा करने के लिए राजा के कर्तव्य की घोषणा की गई है और यह कहा गया है कि,

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हितैहितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

जिसका तात्पर्य है, प्रज्ञा के सुखी रहने में ही राजा का सुख है। प्रज्ञा के कल्याण में प्रजा का कल्याण है और जब भी कभी राजा अपने हित की बात सोचता है, तो उसे यह ठीक नहीं समझना चाहिये, क्योंकि जो कुछ उसकी जनता के हित में है, वही राजा के हित में है।[४]

इस तरह राजा से यह अपेक्षा की गई थी कि वह राजधर्म के उक्त नियम के अनुरूप कार्य करे और केवल प्रजा के हित में न कि अपनी रूचियों या अरूचियों के अनुरूप या अपने मन की तरंग या सनक के अनुसार कार्य करे।

सुख या प्रसन्नता का अधिकार एक ऐसी संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, जिसकी परिधि में ऐसे समस्त विनिर्दिष्ट मानव अधिकार सम्मिलित है, जो सुख या प्रसन्नता को सुनिश्चित करने के लिये आशयित है। समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अभिरक्षण और कारगार में मानवोचित व्यवहार का अधिकार आदि ऐसे ही विनिर्दिष्ट मानवाधिकार है, जिनका लक्ष्य और गन्तव्य सुख के मानवाधिकार को व्यापक आयाम प्रदान करना है। इस अधिकार की घोषणा हिन्दू धर्मग्रन्थों का एक विशेष लक्षण है।यही कारण है लोकाः समस्त सुखिनो भवन्तु अर्थात् 'सभी लोग सुखी रहें' आदर्श हमारी सामाजिक और संवैधानिक व्यवस्था का एक आदर्श बन गया है।

कर्तव्य आधारित अधिकार

भारत के महान विचारकों द्वारा देश की सभ्यता और संस्कृत को एक नया मोड़ देने वाली जिस अनोखी व्यवस्था को विकसित किया गया था, उसके अंतर्गत अन्य व्यक्तियों में एक समतुल्य कर्तव्य का निर्माण करके प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। ऐसा इस कारण किया गया था

३ देखें; *रामा जॉयस, तत्रैव, पृष्ठ १७३*
४ देखें; *कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पृष्ठ ३९, संस्कृत संस्करण, पृष्ठ ४२*

CS Scanned with CamScanner

सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि मानव जीवों की शान्ति और प्रसन्नता के लिये कर्तव्य पर आधारित समाज की स्थापना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा था कि "विधि का अन्तरतम् भाग कर्तव्य है और वह इस बात के सुनिश्चियन का स्रोत है कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक एकता को अग्रसर करने की दिशा में अपनी भूमिका का निर्वहन करे और यदि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार उपलब्ध हो सकता है, तो वह केवल यह हो सकता है कि वह सदैव अपने कर्तव्य को करता रहे।[7]

श्रीमद्भगवद्गीता में भी इस बात की उद्घोषणा की गई है कि "कर्तव्य करना ही हमारा अधिकार है", अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।[8] यह इस बात की ओर इंगित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य धारण करता है और अपने इस कर्तव्य को करने का ही उसको अधिकार है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से मानव अधिकारों के सृजन और उनके संरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

***

Scanned with CamScanner

हिंदी पत्रकारिता

संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

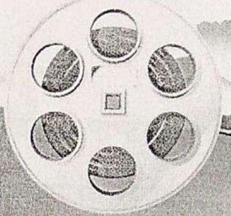

संपादक

डॉ. गोविंद जी पाण्डेय

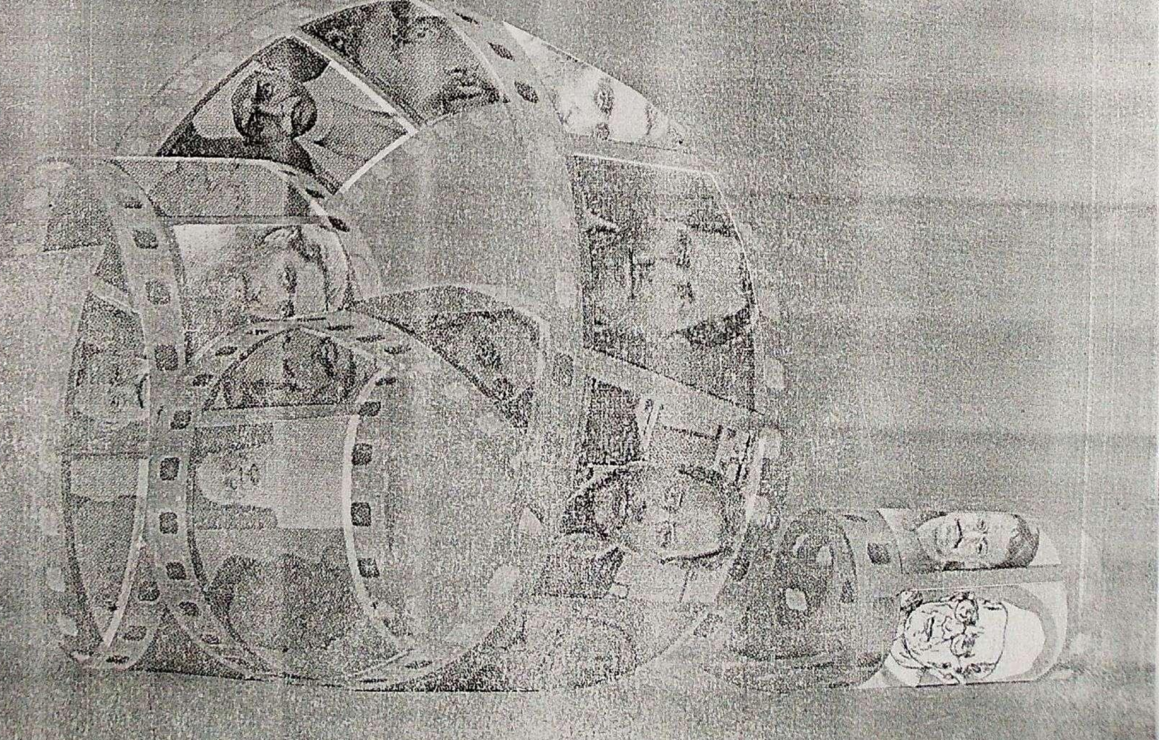

Scanned with CamScanner

अनुक्रम

1. प्राक्कथन / **डॉ. गोविंद जी पाण्डेय** 7

2. विमर्श के बिंदु पर हिंदी पत्रकारिता / **डॉ. गोविंद जी पाण्डेय** 11

3. संचार माध्यमों को जनोन्मुख बनाने की चुनौती / **संजय द्विवेदी** 18

4. तकनीकी बदलाव के दौर में मीडिया / **अतुल चंद्रा** 27

5. वर्तमान पत्रकारिता की दशा एवं दिशा / **कुमार भावेश चंद्र** 30

6. राजनीतिक संचार में पेड न्यूज़ की बढ़ती भूमिका / **डॉ. गोपाल सिंह एवं दीपचंद्र** 38

7. हिंदी पत्रकारिता की चुनौतियाँ / **डॉ. रचना गंगवार एवं गुरु सरन लाल** 53

8. भारतीय हिंदी समाचार-पत्रों में दलित / **हिमांशु प्रताप सिंह एवं सिद्धार्थ शुक्ला** 59

9. नई मीडिया में हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप / **जय सिंह एवं सुशील कुमार मुन्ना** 68

10. सामाजिक परिवर्तन, विकास और न्यू मीडिया / **मुकेश कुमार एवं अर्चना सविता** 76

11. भारतीय मीडिया में चुनौतियाँ बरकरार हैं / **प्रो. (डॉ.) निमेष सिंह एवं डॉ. पंकज शुक्ला** 83

12. हिंदी मीडिया पर वैश्वीकरण का प्रभाव / **राजेश सिंह कुशवाहा** 87

13. बदलाव के दौर में हिंदी पत्रकारिता : चुनौतियाँ व संभावनाएँ / **रामशंकर, गोरख पाण्डेय एवं प्रभात कुमार** 96

14. मीडिया का बदलता चरित्र : विश्लेषणात्मक अध्ययन / **रेखा पचौरी एवं मनोरमा पचौरी** 102

Scanned with CamScanner

15. बढ़ते व्यवसायीकरण के दौर में मीडिया का बदलता चरित्र / **डॉ. मुकुल श्रीवास्तव एवं डॉ. ऋतेष चौधरी** 106

16. हिंदी पत्रकारिता के बदलते आयाम : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ / **शंभू शरण गुप्त** 114

17. हिंदी समाचार-पत्रों में इंग्लिश का बढ़ता चलन / **संजीव कुमार सब्बरवाल** 117

18. हिंदी पत्रकारिता में महिला पत्रकारों की स्थिति / **डॉ. सत्येंद्र कुमार** 123

19. हिंदी पत्रकारिता का बढ़ता साम्राज्य एवं घटता स्तर / **डॉ. गोविंद जी पाण्डेय एवं वेदप्रकाश** 131

20. हिंदी मीडिया में 'पेड न्यूज़' का बढ़ता चलन : विश्वसनीयता का संकट / **डॉ. विजयेंदु चतुर्वेदी** 138

21. हिंदी पत्रकारिता का वर्तमान स्वरूप और विज्ञापनों का प्रभाव / **योगेंद्र कुमार पाण्डेय** 146

22. सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रिंट मीडिया की भूमिका / **डॉ. महेंद्र कुमार पाढ़ी एवं स्वतंत्र प्रकाश** 153

23. भारत में हिंदी पत्रकारिता की समस्या और समाधान / **साधना श्रीवास्तव एवं अरूण कुमार** 158

24. हिंदी पत्रकारिता व महिला पत्रकार / **डॉ. केदार नाथ** 163

25. पेड न्यूज़ : संपादक संस्था के पतन का कारण / **डॉ. रजनीश कुमार चतुर्वेदी** 169

26. हिंदी पत्रकारिता : कल, आज और कल (परतंत्रता से स्वतंत्रता तक) / **डॉ. इंद्रेश कुमार मिश्र** 179

27. जनसंचार माध्यम और जन-चेतना / **डॉ. गोपाल सिंह** 186

28. पत्रकारिता की नई पौध से जुड़ी चुनौतियाँ / **डॉ. अमिताभ श्रीवास्तव** 192

29. लेखक परिचय 198

CS Scanned with CamScanner

हिंदी मीडिया में 'पेड न्यूज' का बढ़ता चलन : विश्वसनीयता का संकट

डॉ. विजयेंदु चतुर्वेदी

पत्रकारिता और उसका संवाहक मीडिया लोक कल्याण के लिए अभिमंत्रित इस युग का सबसे मूल्यवान उपहार है। इसकी उपादेयता तथा प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहे यह मानव मात्र के हित में आवश्यक है। पत्रकारिता मूलतः एक व्यवसाय न होकर एक आह्वान है। आह्वान के भाव से रहित पत्रकारिता समाज के लिए अहितकर तो है ही, साथ ही अभिशाप भी है। विश्वसनीयता मीडिया की मूल शक्ति है। आज मीडिया के पास वह सब कुछ है जो उसे भौतिक रूप से लाभप्रद मज़बूत तथा ताकतवर बनाता है परंतु उसकी असली ताकत का गहरा ह्रास हुआ है। उसकी विश्वसनीयता गहरे संकट में है।

एशियन मीडिया की रिपोर्ट में एक टिप्पणी की गई थी कि चूँकि मुनाफा ही लक्ष्य है इसलिए भारतीय प्रकाशन भी बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्मित रूझानों के मुताबिक चलाए जा रहे हैं। गाँधी जी ने इस स्थिति का अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया था। उन्होंने लिखा कि ''जब अख़बार को मुनाफा कमाने के साधन के तौर पर चलाया जाएगा तो गंभीर अनाचार इसके परिणाम होंगे।''

विश्वविख्यात मीडिया अध्येता जॉन सी. मैरिल और उनके सहयोगी रॉल्फ डी. बार्नी ने कहा कि ''पत्रकारों ने जो नई कार्यशैली अपनायी है उसमें उन्हें अपने काम के उद्देश्य और उसके (अच्छे-बुरे) परिणामों से सरोकार नहीं रहता। अगर वे नैतिकता की कोई चिंता करते भी हैं तो उसका स्थान तकनीकी विधियों और काम के तौर तरीकों के सामने गौण रहता है। यह लक्षण हमारे यहाँ भी काफी दिखाई देने लगा है, विशेष रूप से टी.वीं. चैनलों पर।''[1]

Scanned with CamScanner

पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इंदौर प्रेस क्लब के स्वर्ण जयंती के अवसर पर मूर्धन्य पत्रकार स्वर्गीय श्री राजेंद्र माथुर की पुण्य स्मृति में 'आज की पत्रकारिता' विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि ''पत्रकारिता वह है, जो समाज की कठिनाईयों और संवेदनाओं को न केवल महसूस करें, वरन् उसे उजागर भी करे। पत्रकारिता में आदर्शों एवं मूल्यों में आ रही कमी समाज के कतई हित में नहीं है।''[2]

हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लगभग दो सौ वर्ष पुराना है। 30 मई, 1826 को कोलकाता से कोल्हूपुरा मोहल्ले से हिंदी के पहले समाचार-पत्र उदंत मार्तंड की शुरूआत की गई थी।[3] हिंदी पत्रकारिता का प्रथम एक सौ वर्ष का इतिहास गौरवपूर्ण एवं प्रगतिशील था। प्रारंभतः राजा महाराजाओं के द्वारा पोषित होने के कारण हिंदी प्रेस की सामंतवादी सोच स्वाभाविक थी। किंतु स्वाधीनता संघर्ष के बढ़ते दौर में, विशेषकर महात्मा गाँधी एवं मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हिंदी पत्रकारिता का प्रतिष्ठापूर्ण अध्याय लिखा जा रहा था। वर्ष 1845 में वाराणसी के शासक राजा शिव प्रसाद सितारे-ए-हिंद ने 'बनारस अख़बार' निकाला। इसी क्रम में राजा लक्ष्मण सिंह ने 'प्रजा हितैषी' (1861), कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह का 'हिंदुस्तान' (1883), रीवा के महाराजा का 'भारत भ्राता' (1887), समाचार-पत्र निकाले गए। 1920 में 'राजस्थान केसरी' को उदयपुर में क्राँतिकारी पत्रकारिता के लिए बंदी का सामना करना पड़ा। 1936 में मदन मोहन मालवीय ने गाँधी जी की प्रेरणा से 'हिंदुस्तान टाइम्स' के प्रबंधकों को समाज सेवा के लिए एक हिंदी समाचार-पत्र निकालने के लिए सहमत किया। इस प्रकार एक सामंतवादी हिंदी प्रेस को क्रमशः लोकतंत्रीकृत किया गया।[4]

स्वातंयोत्तर भारत में हिंदी मीडिया की गिरावट की त्रसदी : स्वाधीनता प्राप्ति के संघर्ष के दौर में हिंदी समाचार-पत्रों की पाठक संख्या में भारी वृद्धि हुई, हिंदी मीडिया की शक्ति बढ़ी तथा प्रभाव में वृद्धि हुई। शक्ति और प्रभाव की वृद्धि से मीडिया में ऐसी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ जिससे हिंदी मीडिया उत्तरोत्तर भौतिकतावाद व व्यवसायीकरण के जाल में उलझता गया। जिस शक्ति व प्रभाव का उपयोग राष्ट्र सेवा, सामाजिक समस्याओं के उपचार व जनसामान्य की गरिमा की रक्षा में किया जाना चाहिए था, इसके विपरीत धनोपार्जन को लक्ष्य बनाया जाने लगा। हिंदी मीडिया के व्यवसायीकरण के दौर में 'पेड न्यूज़'

Scanned with CamScanner

की व्याधि ने अनेक चिंताजनक प्रश्न उठा दिए हैं। इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में इस गोष्ठी-पत्र में विचार किया गया है। एक, 'पेड न्यूज़' का अस्तित्व स्थापित हो चुका है। दो, 'पेड न्यूज़' मीडिया का कलंक है। तीन, 'पेड न्यूज़' की व्याधि का प्रभावी उपचार आवश्यक और अपरिहार्य है। किंतु कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मीडिया की निरंतर गिरती हुई प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। प्रथम, 'पेड न्यूज़' की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या 'पेड न्यूज़' की उत्पत्ति अनाशयित है और मीडिया परिस्थितियों का दास बन गई है? द्वितीय, हिंदी मीडिया क्या विशेष रूप से 'पेड न्यूज़' की दोषी है? तृतीय, 'पेड न्यूज़' का चलन क्या बढ़ रहा है? और इसके नए रूप सामने आ रहे हैं? चतुर्थ, 'पेड न्यूज़' के रोक के क्या उपचार हो सकते हैं या यह उपचार के परे है?

'पेड न्यूज़' की उत्पत्ति : 'पेड न्यूज़' की परिभाषा कठिन नहीं है। 'भारत की प्रेस परिषद्' ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है :

"Any news or analysis appearing in any media (print or electronic) for a price in cash or kind as consideration." अर्थात् मीडिया में आई कोई ख़बर या विश्लेषण जिसके लिए नकद या किसी अन्य रूप में प्रतिफल दिया गया हो। दूसरे शब्दों में "Advertiesment, dressed up a news are paid news."

अनेक समाचार-पत्र ऐसे होते हैं जो दिखने में साधारण दिखते हैं परंतु उसके पीछे गंभीर षड्यंत्र की योजना होती है। 'पेड न्यूज़' की शुरूआत 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' दिल्ली से 1980 के दशक से शुरू हुआ था, जिसमें देश की बड़ी कम्पनी पूरे पृष्ठ को बुक करा लेती थीं। जिसमें उनके संस्थान की प्रगति का विवरण छपता था। परंतु आज राजनैतिक दल 'पेड न्यूज़' का उपयोग करते हैं।[5] 'पेड न्यूज़' के संबंध में वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी चिंतित रहते थे और लगातार अपने लेखन और वक्तव्यों से उन्होंने इसका विरोध किया था। वे पत्रकारिता में शुचिता बनाए रखने के लिए संघर्षरत रहे। अख़बारों में पेड कंटेंट को लेकर विरोध किया और अपने स्तंभ में लिखकर इस प्रवृत्ति को पत्रकारिता के लिए ख़तरनाक बताया।[6]

पूर्व उप-प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने ''पत्रकारिता के क्षेत्र में 'पेड न्यूज़' के रूप में आई विकृति पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह अवमूल्यन

Scanned with CamScanner

की व्याधि ने अनेक चिंताजनक प्रश्न उठा दिए हैं। इन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में इस गोष्ठी-पत्र में विचार किया गया है। एक, 'पेड न्यूज़' का अस्तित्व स्थापित हो चुका है। दो, 'पेड न्यूज़' मीडिया का कलंक है। तीन, 'पेड न्यूज़' की व्याधि का प्रभावी उपचार आवश्यक और अपरिहार्य है। किंतु कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मीडिया की निरंतर गिरती हुई प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है। प्रथम, 'पेड न्यूज़' की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या 'पेड न्यूज़' की उत्पत्ति अनाशयित है और मीडिया परिस्थितियों का दास बन गई है? द्वितीय, हिंदी मीडिया क्या विशेष रूप से 'पेड न्यूज़' की दोषी है? तृतीय, 'पेड न्यूज़' का चलन क्या बढ़ रहा है? और इसके नए रूप सामने आ रहे हैं? चतुर्थ, 'पेड न्यूज़' के रोक के क्या उपचार हो सकते हैं या यह उपचार के परे है?

'पेड न्यूज़' की उत्पत्ति : 'पेड न्यूज़' की परिभाषा कठिन नहीं है। 'भारत की प्रेस परिषद्' ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है :

"Any news or analysis appearing in any media (print or electronic) for a price in cash or kind as consideration." अर्थात् मीडिया में आई कोई ख़बर या विश्लेषण जिसके लिए नकद या किसी अन्य रूप में प्रतिफल दिया गया हो। दूसरे शब्दों में "Advertiesment, dressed up a news are paid news."

अनेक समाचार-पत्र ऐसे होते हैं जो दिखने में साधारण दिखते हैं परंतु उसके पीछे गंभीर षड्यंत्र की योजना होती है। 'पेड न्यूज़' की शुरूआत 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' दिल्ली से 1980 के दशक से शुरू हुआ था, जिसमें देश की बड़ी कम्पनी पूरे पृष्ठ को बुक करा लेती थीं। जिसमें उनके संस्थान की प्रगति का विवरण छपता था। परंतु आज राजनैतिक दल 'पेड न्यूज़' का उपयोग करते हैं।[5] 'पेड न्यूज़' के संबंध में वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी चिंतित रहते थे और लगातार अपने लेखन और वक्तव्यों से उन्होंने इसका विरोध किया था। वे पत्रकारिता में शुचिता बनाए रखने के लिए संघर्षरत रहे। अख़बारों में पेड कंटेंट को लेकर विरोध किया और अपने स्तंभ में लिखकर इस प्रवृत्ति को पत्रकारिता के लिए ख़तरनाक बताया।[6]

पूर्व उप-प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने ''पत्रकारिता के क्षेत्र में 'पेड न्यूज़' के रूप में आई विकृति पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह अवमूल्यन

Scanned with CamScanner

निःसंदेह चिंतनीय है और पत्रकारिता में शुद्धिकरण की ज़रूरत है।''[7] वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया ने 'पेड न्यूज़' को पत्रकारिता के लिए कलंक मानते हुए इसे गंभीर खतरा माना है। 'पेड न्यूज़' पूरे समुदाय को कलंकित करने का काम कर रही है।''[8]

भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने बताया है कि 'पेड न्यूज़' की प्रवृत्ति बहुत ही दुखःद और विचलित करने वाली है। गुजरात चुनाव में न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बड़े पैमाने पर 'पेड न्यूज़' के मामलों में शामिल था।''[9]

हिंदी पत्रकारिता में सेंध लगाता 'पेड न्यूज़' : फूल की महक और ख़ूबसूरती की बात हो तो भँवरे का जिक्र भी आ जाता है। पत्रकारिता भी कुछ ऐसा ही हो गई है। इसके आकार और सरोकार की चाशनी पर मँडराते 'पेड न्यूज़' रूपी भँवरे की मेहरबानी के चलते पत्रकारिता में मुद्दों की चर्चा के बजाए आजकल पत्रकारिता स्वयं में एक चर्चित विषय बन गई है। कुछ दिन पहले की बात करें तो राम नाथ गोयनका अवार्ड समारोह में भी 'पेड न्यूज़' की अवैध संपत्ति पर काफी हो हल्ला हुआ। पत्रकारों ने एक स्वर में 'पेड न्यूज़' को पत्रकारिता के लिए घातक करार दिया और सभी अपने घर लौट गए। 'पेड न्यूज़' जहाँ थी वहीं रही।

वरिष्ठ पत्रकार व आप नेता आशुतोष ने कहा कि ''पेड न्यूज़ सिर्फ वही नहीं, जो पैसे लेकर ख़बर छापी जाती है। किसी विचारधारा के तहत लिखी गई ख़बर भी 'पेड न्यूज़' जितनी ही गलत है।'' दैनिक भास्कर के श्रवण गर्ग का मानना है कि ''ख़राब अख़बार निकालने का दोष मालिकों पर मढ़ना ठीक नहीं है। पत्रकारों को ऐसे कामों से बचना चाहिए, जिससे पाठकों में उसकी इमेज ख़राब हो। किसी भी कानून से ज्यादा जनता और पाठक की नज़र हालात को सही करने में अपनी भूमिका निभा सकती है। कानून बन जाएगा तो 'पेड न्यूज़' का सिलसिला दूसरे रास्तों से शुरू हो जाएगा। ''सीएनएन-आईबीएन के राजदीप सरदेसाई का कहना है कि ''कारपोरेट जगत को माइनस करके अख़बार और चैनल नहीं चलाए जा सकते। चैनल में एक कारपोरेट घराने के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई। उस कारपोरेट ने हमारे सभी नेटवर्क के चैनलों से अपने विज्ञापन वापस ले लिए।''

Scanned with CamScanner

अगर इन पत्रकारों की बातों पर गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि बिना पूँजीपतियों के कुछ भी देखना और करना असंभव है ऐसे में 'पेड न्यूज़' से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है।[10]

'पेड न्यूज़' का जिन्न : राज्यों के विधान सभा चुनावों के साथ चुनावी 'पेड न्यूज़' का जिन्न लौट आया है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद प्रधान का मानना है कि ''पेड न्यूज़ कहीं गया नहीं था क्योंकि मुनाफे की बढ़ती भूख के बीच 'न्यूज़ मीडिया' में 'पेड न्यूज़' ही शाश्वत् सत्य है। उनका कहना है कि रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव आयोग को पंजाब में 'पेड न्यूज़' की कोई 523 शिकायतें मिलीं, 339 मामले में आयोग ने उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया। जवाब में 201 उम्मीदवारों ने स्वीकार किया कि ख़बरों के लिए पैसे दिए गए और उसे अपने चुनाव खर्च में जोड़ेंगे। 78 उम्मीदवारों ने इन आरोपों को नकारा। जबकि 38 मामलों में उम्मीदवारों या संबंधित मीडिया संस्थान ने आरोपों को चुनौती दी।''[11]

इसी तरह जी न्यूज़ चैनल पर नवीन जिंदल की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए माँगने का आरोप लगाया। इस विवाद को दो तरह से देखा जा सकता है। पहला यह न्यूज़ चैनल की बाबत एक 'पेड न्यूज़' का उदाहरण माना जा सकता है। दूसरा, अगर सीधे 'पेड न्यूज़' न कहें तो यह ब्लैक मेलिंग का मामला कहा जा सकता है। बी.ई.ए. के जनरल सेक्रेटरी एन. के. सिंह. का कहना है कि ''मीडिया किसी के भी ख़िलाफ़ कुछ दिखाता है और उसके न दिखाने के एवज में विज्ञापन या कुछ और चाहता है तो इस मामले में संपादक की भूमिका संदेह के घेरे में आती है।''[12]

अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. संपत ने बताया कि ''गुजरात विधान सभा चुनाव के दौरान 'पेड न्यूज़' यानी पैसा देकर समाचारों का प्रकाशन या प्रसारण करवाने के संबंध में 444 मामलों में 224 में नोटिस भेजा गया जिसमें 126 मामलों की पुष्टि हुई। इसी तरह हिमाचल प्रदेश से आयोग के सामने 'पेड न्यूज़' के 211 संदिग्ध मामले सामने आए इनमें से 190 को नोटिस भेजा गया और 91 मामलों में 'पेड न्यूज़' की पुष्टि हुई।[13]

जिस मीडिया को अपनी सशक्त व धारदार भूमिका में होनी चाहिए वह आर्थिक सुधार की दौर में पेड़ से गिरे पत्ते की तरह हवा में उड़ रही है। उसकी न कोई दिशा है और न ही मंजिल। उसे मुनाफा संचालित कर रहा है। जिसका

Scanned with CamScanner

उपकरण बना 'पेड न्यूज़'।[14]

'पेड न्यूज़' की विश्वसनियता : फ्रैंड्स ऑफ़ मीडिया के बैनर तले 'पेड न्यूज़ और पत्रकारिता' विषय पर माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह ने कहा कि ''इसमें पत्रकारों का दोष नहीं है न उन पर आरोप लगाने से काम चलने वाला है बल्कि यह नैतिकता से जुड़ा मामला है। पत्रकारिता में नैतिकता बनी रहे और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। इसका पुरजोर प्रयास करना चाहिए।'' इसी संबंध में वरिष्ठ पत्रकार दीपक सक्सेना कहते हैं कि ''पेड न्यूज़ पहले भी होती थी, बाज़ार में रहते हुए हम कैसे बच सकते हैं वर्षों से राजनैतिक नेता कहते हैं पहले चुनाव के समय सरकार लठैत पालती थी अब 'पेड न्यूज़' के पत्रकारों को पालती है, इसलिए पत्रकारों को दृढ़ निश्चय करना होगा कि ऐसे 'पेड न्यूज़' विभीषिका से अपने को बचाएँ।''[15]

'पेड न्यूज़' पर रोक लगे : पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि हाल में पैदा हुई 'पेड न्यूज़' की चुनौती राजनीतिज्ञों और पत्रकारों के बीच एक गुप्त सौदा है। उन्होंने चुनावों के दौरान पेड न्यूज़' पर पूरी तरह रोक लगाने की अपील की और उम्मीदवारों के खर्च के ब्यौरे रखने पर बल दिया। वहीं 'पेड न्यूज़' के मामले में उत्तर प्रदेश के विधायक उमलेश यादव को आयोग द्वारा दो हिंदी समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के बारे में गलत बयान देने के कारण तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया है। भारतीय प्रेस परिषद् ने चुनावों के दौरान 'पेड न्यूज़' की घटनाओं को चुनावी कदाचार बनाएँ जाने की सिफारिश करते हुए इसके लिए सजा दिए जाने और इससे संबद्ध कानूनों में सुधार करने पर जोर दिया है।[16] गुजरात विधान सभा चुनाव के समय जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद राय ने एक मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति गठित की है जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों पर पैनी नज़र रखता है। साथ ही कई उदाहरण बताएँ कि प्रकाशनों में एक जैसी तस्वीरों और शीर्षक के साथ लेखक के अलग-अलग नामों से एक जैसे लेख का प्रकाशन, ख़ास अख़बारों के समान पृष्ठ पर प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों की तारीफ़ जिसमें यह दावा किया गया हो कि दोनों के चुनाव जीतने की संभावना, शामिल है। शिमला निर्वाचन आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने कहा कि ''संदेहास्पद 'पेड न्यूज़' को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और

Scanned with CamScanner

96 घंटों के भीतर अगर संबंधित समाचार-पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 'पेड न्यूज़' के आरोपों का जवाब नहीं दिया तो उस पर दोष का निर्धारण कर दिया जाएगा।''[17]

वैसे 'पेड न्यूज़' कोई नई तकनीक नहीं है। इसका जिक्र इतिहास के पन्नों में भी मिलता है। पहले यह लुक छिपकर होता था, परंतु वैश्वीकरण के दौर में यह खुलेआम हो रहा है। सामाजिक उत्तरदायित्व से भटक रहा है और 'पेड न्यूज़' का सहारा ले रहा है। भटकाव के इस दौर में मीडिया उच्चतम समूह की पूर्ति अपनी आवश्यकताओं के साथ करता रहता है। चाहे वोटरों को लुभाना हो या किसी ख़ास मुद्दे पर जनमत तैयार करना हो या अपने उत्पादकों को बाज़ार में बेचना। जिस कारण मीडिया में एक तबका नदारद होता जा रहा है। जबकि मीडिया सामाजिक संरचना का एक हिस्सा है, इसके बावजूद मीडिया की पूर्ण स्वायत्तता और नैतिकता सामाजिक दायित्वों से उन्मुक्त होकर आर्थिक और राजनीतिक दशाओं पर प्रायः निर्भर पाया जाता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मीडिया की प्रक्रियाओं में प्रकट या अप्रकट रूप से नियंत्रण का तत्व मौजूद रहता है। इस नियंत्रण की प्रक्रिया को ढाल बनाकर मीडिया अपना हित साधने में प्रयत्नशील है जिसके लिए कीमत का कोई मोल नहीं होता। मीडिया में दानव की भाँति हावी 'पेड न्यूज़' आज एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। चाहे मीडिया चिंतक हो, मीडियाविद् हो, विश्लेषक हो या फिर आलोचक सभी इस दानव रूपी बाज़ारवाद के प्रभाव के सकते में है कि क्या होगा आने वाले समय में मीडिया का। जिस प्रकार अपने हितों की पूर्ति के लिए मीडिया 'पेड न्यूज़' का सहारा लेकर अपनी पूर्ति में लगा है।

इस अलोचना की गहराई में जाए तो पत्रकारों का कुछ भी रोल नहीं है, ये सारा माजरा मीडिया घरानों व उसको संचालित करने वाले प्रबंधकों की मिली भगत का नतीजा है, जिसकी चपेट में सारा मीडिया समुदाय आ गया है।

अतः मीडिया को जिस दिशा में चलाया जा रहा है उसे चलने की मज़बूरी कहा जा सकता है। जिस कारण मीडिया सामाजिक सरोकार से इतर होकर अपनी नैतिकता भूलता जा रहा है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीडिया को शर्मसार कर रहा है। यह शर्मसार चेहरा व्यक्तिगत से बढ़कर संस्थानिक हो गया है। यह स्थिति देश और समाज के हित में नहीं है। मीडिया की इस दुर्दशा पर ऐसे

Scanned with CamScanner

ही विचार वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी ने साहित्यिक पत्रिका 'नया ज्ञानोदय' में अपने एक साक्षात्कार में व्यक्त किए थे--"अब ऐसे मालिकों का जमाना आ गया है जो अपने अख़बारों को मुनाफा कमाने का औजार और अपने प्रतिष्ठान को संस्थान नहीं, परचून की दुकान की तरह चलाते हैं। ऐसे में वहाँ जाकर काम करने वाला या तो पत्रकारिता छोड़ देगा या पत्रकारीय स्वातंत्रय गौरव को अपने जेब में रखकर चुपचाप नौकरी करेगा।"

संदर्भ

1. मीडिया की विश्वसनीयता का सवाल, डॉ. नंद किशोर त्रिखा, हिंदुस्तान समाचार, नवोत्थान अंक 2003 पृष्ठ नं. 75-76
2. www.dailybreaking.com
3. www.mediavimarsh2010blogspot.com
4. स्रोत : 18.11.2009 के 'द हिंदू' में वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पाण्डेय का लेख "Hindi Media and the Unreal discourse." OP-Ed. पृष्ठ
5. www.bhopalreporter.blogspot.com
6. www.lucknowsatta.com
7. www.dailybreaking.com
8. www.bhopalreporter.blogspot.com
9. www.janokti.com
10. www.voiceofjournalist.com
11. www.tahalkahindi.com
12. www.hindilok.com
13. www.janokti.com
14. www.hindilok.com
15. www.bhopalreporter.blogspot.com

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Contents (Hindi Papers)

S. No	Particulars	Subject	Page No. From	Page No. To
1	जैव विविधता एवं इसका संरक्षण बृज मोहन मीना, दौसा, राजस्थान, भारत	प्राणीशास्त्र	H-01	H-04
2	आधुनिक भारतीय समाज में नाथ योगियों की योग परम्परा जयराम सिंह एंव नक्षत्रबहादुर सिंह, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत	रसायनशास्त्र	H-05	H-08
3	शिक्षा में स्वतन्त्रता एवं अनुशासन की उपादेयता पी0 के0 त्यागी एवं कृष्ण चन्द्र गौड़, अनूपशहर, बुलन्दशहर उ0प्र0, भारत	शिक्षाशास्त्र	H-09	H-11
4	संस्कृतवाङ्मये प्रश्नोत्तरविधेः ऐतिहासिकमध्ययनम् आर्. एल्. नारायणसिंहः, आगरा, उ0प्र0, भारत	शिक्षाशास्त्र	H-12	H-15
5	भारतीय राष्ट्रवाद और शिक्षा सुनील कुमार उपाध्याय, कानपुर, उ0प्र0, भारत	शिक्षाशास्त्र	H-16	H-18
6	विद्यार्थियों के पालक–पाल्य संबंध एवं अलगाववादी प्रवृत्ति पर अध्ययन सुषमा दुबे एवं नीरा पाण्डेय, जुनवानी, भारत	शिक्षाशास्त्र	H-19	H-21
7	अभिनेता प्रशिक्षण में भरत और स्तानिस्लाव्स्की के सिद्धान्तों की प्रासंगिकता आदीश कुमार वर्मा, महेन्द्रगढ, हरियाणा, भारत	शिक्षाशास्त्र	H-22	H-25
8	शिक्षित बेरोजगारी ओम प्रकाश, अलीगढ, उ0प्र0,भारत	शिक्षाशास्त्र	H-26	H-28
9	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण विपिन कुमार सिंह, उन्नाव, उ0प्र0, भारत	बी0एड0	H-29	H-33
10	आतंकवाद से प्रभावित होते भारत–पाकिस्तान संबंध कमलेश चन्द्र पाण्डेय एवं राकेश चन्द्र सिंह कुँवर, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड, भारत	रक्षाएवं स्त्रॉतेजिक अध्ययन	H-34	H-37
11	हिन्दी साहित्य में रक्षा विषयक संदर्भ दीपक कुमार सिंह, इलाहाबाद, उ0प्र0, भारत	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन	H-38	H-42
12	भारत जापान संबंधों के बदलते आयाम कुमेर सिंह गुर्जर, जयपुर, राजस्थान, भारत	राजनीतिक वज्ञान	H-43	H-45
13	भारत में सुशासन मंजु लाडला, सीकर, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-46	H-52
14	भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भाजपा के बदलते प्रतिमान : राजस्थान के विशेष सन्दर्भ में अन्नपूर्णा रूंथला, जयपुर, राजस्थान, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-53	H-57
15	भारतीय समाज में नारीः नारी के विभिन्न रूप और गांधी की नारी की समीक्षा रजनी तसीवाल, टोंक, राजस्थान, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-58	H-67
16	संविधान एवं संविधानवाद : उद्विकास और प्रवृत्तियाँ शीतल मीना, अलवर, राजस्थान, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-68	H-73
17	भारत में वामपंथी अतिवाद–नक्सलवाद के विशेष संदर्भ में ललिता दादरवाल, जयपुर, राजस्थान, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-74	H-76

Scanned with CamScanner

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6*(Part-1) M...
E: ISSN NO.: 2349-980X Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Pa...

18	राजस्थान में 15 वीं विधानसभा के चुनाव 2018 : एक दृष्टि अखय राज मीणा एवं सुनिल मीणा, झालावाड़, राजस्थान, भारत	राजनीतिक शास्त्र	H-77
19	पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि योगेन्द्र सिंह, करौली, राजस्थान, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-93
20	झारखण्ड में ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के विकास की ओर सरकारी प्रयास अजय बहादुर सिंह एवं रूबी कुमारी, हजारीबाग, झारखण्ड, भारत	राजनीतिक विज्ञान	H-97
21	समाचार–पत्रों में प्रकाशित अवैध विज्ञापन विजयेन्दु चतुर्वेदी, अयोध्या, उ0प्र0, भारत	जनसंचार एवं पत्रकारिता	H-101
22	सामान्य एवं अस्थि विकलांग विद्यार्थियों में नैराश्य का तुलनात्मक अध्ययन अतुल कुमार मिश्र एवं नन्द लाल मिश्र, चित्रकूट, सतना म0प्र0 भारत	लो0 शि0 एवं जनसंचार	H-105
23	शिक्षा का आंतरिक नियामकीय तंत्र : मूल्यपरक शिक्षा सुषमा शर्मा, बीकानेर, राजस्थान, भारत	दर्शन शास्त्र	H-108
24	नारी की सामाजिक दशाः वैदिक युग से आधुनिक युग तक रेनू शुक्ला, सीतापुर (उ0प्र0), भारत	गृह विज्ञान	H-111
25	विद्यालय प्रबन्ध समिति की प्राथमिक शिक्षा में सहभागिता एवं सशक्तिकरणः (जनपद चमोली का विशेष अध्ययन) पूजा, उत्तराखण्ड, भारत	गृहविज्ञान	H-115
26	मधुमेह और आधुनिक जीवन शैली सुरभि कटियार, कानपुर, उ0प्र0, भारत	गृहविज्ञान	H-120
27	भारतीय कला में निहित प्रतीक– पद्म, चक्र व कलश रीतिका गर्ग, जयपुर, राजस्थान, भारत	चित्रकला	H-124
28	संगीत और चित्रकला का संबंध रेखा धीमान, भोपाल, उ0प्र0, भारत	चित्रकला	H-127
29	राजस्थान के लोक देवता "श्री कल्लाजी राठौड़" (धार्मिक परम्परा) श्याम एस. कुमावत, उदयपुर, राजस्थान, भारत	समाजशास्त्र	H-130
30	भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं वर्तमान स्वरूप शैफाली सुमन, सिकन्दराराऊ, हाथरस, उ0प्र0, भारत	समाजशास्त्र	H-135
31	पारिवारिक जीवन से निष्कासित वृद्ध विधवाओं की विविध स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन अंजली मलिक, नई दिल्ली, भारत	समाजशास्त्र	H-139
32	आधुनिक भारतीय परिवेश में दहेज़ प्रथा की समस्या एवं समाधान अवधेश कुमार, गाजियाबाद, उ0प्र0, भारत	समाजशास्त्र	H-143
33	सिरमौर जनपद (हि0प्र0) शैक्षणिक विकास की स्थिति रामचन्द्र शर्मा, श्रीनगर, उत्तराखण्ड, भारत	भूगोल	H-146
34	जाम्भो जी का सामाजिक दर्शन : 1451–1536 ईस्वी महेश कुमार दायमा, जयपुर, राजस्थान, भारत	इतिहास एवं भारतीय संस्कृति	H-150
35	दक्षिण भारत में ईसाई धर्म : आरम्भ एवं विकास रमा गुप्ता, अतर्रा, बाँदा, भारत	इतिहास एवं भारतीय संस्कृति	H-157
36	जौनसार–बावर के समाज में 'खत व स्याणाचारी व्यवस्था' का ऐतिहासिक अध्ययनः शासन–प्रबन्ध के विशेष सन्दर्भ में टीका राम एवं जे0 सी0 जोशी, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, भारत	इतिहास एवं भारतीय संस्कृति	H-161

Scanned with CamScanner

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

समाचार–पत्रों में प्रकाशित अवैध विज्ञापन

विजयेन्दु चतुर्वेदी
असिस्टेंट प्रोफेसर,
जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग,
डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
अयोध्या, उ0प्र0, भारत

सारांश

आज प्रेस अभिव्यक्ति के माध्यम एवं व्यापारिक तथा कारोबारी निकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय संविधान में वाक् एवं अभिव्यक्ति, व्यापार तथा कारोबार की जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, वह समाचार–पत्रों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त करती है। इस स्वतंत्रता को कतिपय आधारों पर निर्बंधित करने की शक्ति स्वयं संविधान द्वारा राज्य को प्रदान की गई है। इनका प्रयोग करके राज्य ने कतिपय अधिनियम को पारित किया है। उनके द्वारा समाचार पत्रों के विज्ञापन की स्वतंत्रता को विनियमित करने का प्रयास किया है। विज्ञापन समाचार–पत्रों की आय के साधन तो है परंतु उन्हें आय प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जो अधिनियम के अधीन वर्जित हैं। समाचार–पत्रों द्वारा आज भी ऐसे अनेक विज्ञापनों को प्रकाशित किया जा रहा है जिनके द्वारा अश्लीलता और अभद्रता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे समस्त विज्ञापन अवैध है। इस संदर्भ में भारतीय प्रेस परिषद ने भी ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन में समाचार–पत्रों के संपादकों से अवरोध की संकल्पना की है।

मुख्य शब्द : वाक् एवं अभिव्यक्ति, व्यापार, कारोबार, विनियमित, अधिनियम, अश्लीलता, अभद्रता, अवैध, संकल्पना

प्रस्तावना

आज प्रेस दो क्षेत्रों में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। एक तरफ तो वे अभिव्यक्ति के माध्यम और सूचना तथा भावनाओं के संचार के माध्यम बनकर कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक औद्योगिक और कारोबारी निकाय के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। मुद्रण प्रेसों की खोज और लोकतंत्र उदय के पूर्व किसी ने यह सोचा भी न था कि समाचार संप्रेषण के माध्यम से लाभ भी कमाया जा सकता है। मुद्रण प्रेस के प्रचलन से अनेक प्रतियों में पुस्तकों, परिपत्रों, सामयिकों एवं पत्रिकाओं का उत्पादन और प्रकाशन भी संभव हो सका है। समाचार–पत्रों का मुद्रण और प्रकाशन इस तरह जीविका का न केवल एक साधन बन गया, बल्कि किसी मुद्रण प्रेस अथवा समाचार–पत्र के स्वत्वाधिकारी के लिए वह व्यापारिक विनिवेश जैसा भी बन गया हैं। इसी के साथ–साथ पत्रकारिता भी उन लाखों व्यक्तियों की एक व्यवसाय बन गई, जो समाचार–पत्रों को एकत्र करने, लेखों के अभिदाय और विज्ञापनों को प्राप्त करने जैसे अनेकानेक कार्यों में लगे रहते हैं।

विज्ञापन के संदर्भ में एकेश्वर प्रसाद हटवाल के अनुसार–विज्ञापन के मायावी संसार से आज हमारा सामना है। आज के विज्ञापनमय संसार से बचकर कोई भाग नहीं सकता, लेकिन आंखों में चौधियाता यह मायावी संसार वास्तव में एक जीवन सत्य है। इसकी आलोचना अपनी जगह होगी, दर्जनों लांछनायें अपनी जगह होगी, इसके बावजूद भी इस विज्ञापन संसार का अस्तित्व अपरिहार्य समझा जाता है। कोई प्रचार माध्यम हो, विज्ञापन सब जगह देखे जा सकते है। इस प्रकार विज्ञापन आधुनिक मानव का एक सशक्त हथियार है। कुछ लोग इसे अच्छा यानी सकारात्मक और कुछ लोग नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला मानते हैं। विज्ञापनों के दुरुपयोग के पीछे भी कुछ पक्षपात और अन्यायपूर्ण स्वार्थ होते हैं, जो विज्ञापनों को विकृति का शिकार बनाते हैं। उनमें से एक स्वार्थ है अंधाधुन्ध और विवेकहीन तरीके से मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति। विज्ञापनों का इस्तेमाल सार्वजनिक हित में हो इसके लिए जरूरी है कि विज्ञापन तंत्र के ढांचे का स्वदेशीकरण किया जाए और इस संबंध में भरसक पश्चिम के अंधानुकरण से बचा जाए। इतना ही नहीं मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर हमें यह भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि अंततः विज्ञापन कला समेत सभी ललित कलाओं को शांति स्थापना का माध्यम बनाया जाए।

Scanned with CamScanner

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019

ब्रिटेन के विश्वकोश के अनुसार–विज्ञापन वांछित भुगतान प्रदत्त वह घोषणा है, जो किसी वस्तु या सेवा की बिक्री, प्रोत्साहन, किसी विचार के विकास अथवा कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य की गई हो। डॉ0 रमेश चन्द्र त्रिपाठी के अनुसार– विज्ञापन का तात्पर्य विभिन्न संदर्भों से अलग–अलग व्यक्त किया जाता है। इस संबंध में लोगों के अलग–अलग विचार भी हैं। कुछ इसे मात्र प्रचार का एक साधन मानते हैं, तो कुछ एक प्रकार का विनियोजन जिससे वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय का विकास होता है। इस तरह विज्ञापन शब्द के अंतर्गत ऐसा किसी भी प्रकार का वह कार्य सम्मिलित है, जिसमें विक्रय योग्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के विक्रय का विकास होता है।

समाचार–पत्रों द्वारा पब्लिसिटी कराने और प्रेस के साथ संपर्क रखने का एक बड़ा माध्यम विज्ञापन भी होता है। विज्ञापन समाचार–पत्रों की आय का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए समाचार–पत्र विज्ञापन दाताओं के दबाव को कुछ सीमा तक स्वीकार करते हैं और यथासंभव उनके हितों के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखते। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वाणिज्य और व्यापार के विकास की वृद्धि के साथ–साथ समाचार–पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन भी एक कारोबार बन गया और समाचार–पत्र की आय का मुख्य साधन बन गया और उसके परिणामस्वरूप समाचार पत्रों का भी प्रसार होने लगा और कभी–कभी तो समाचार–पत्रों की बिक्री से अधिक विज्ञापनों से ही समाचार–पत्र के अधिस्वामी को व्यापक लाभ प्राप्त होने लगा है।

समाचार–पत्रों के वाणिज्य पक्ष के विस्तार के परिणामस्वरूप 'पीत पत्रकारिता', 'प्रेस द्वारा विचारण', 'संवेदनात्मक' जैसी युक्तियों का प्रयोग करके सत्य को दबाया जा रहा है। इन सबके परिणामस्वरूप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस के शत्रु के रूप में शासकीय विनियमों को जारी किया जा रहा है और समाचार–पत्रों के वाणिज्यिक पक्ष को विनियमित करने के लिए नई विधियों का निर्माण किया जा रहा है ताकि नूतन प्रकार के उन दुरुपयोगों को निर्बंधित किया जा सके, जो आज के समाचार–पत्रों द्वारा किए जा रहे हैं। भारत में किसी व्यापार पर निर्बंधनों को अधिरोपित करने की राज्य की शक्ति को हम संविधान के अनुच्छेद 19(6) में प्राप्त कर सकते हैं, जो राज्य को साधारण जनता के हितों में अनुच्छेद 19(1)(6) में प्रत्याभूत किसी वृत्ति, आजीविका, व्यापार अथवा कारोबार को करने के अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त निर्बंधन को आरोपित करने के लिए राज्य को प्राधिकृत करता है और राज्य की इस शक्ति का प्रयोग न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। इस तरह इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई व्यापार अथवा कारोबार केवल इसलिए किसी विनियमन से उन्मुक्त नहीं है, क्योंकि वह प्रेस का एक अभिकरण है। इस तरह किसी समाचार–पत्र के प्रकाशन को अन्य लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं के अतिक्रमण का कोई विशेष अधिकार नहीं है। परंतु भारत में प्रेस पर अधिरोपित निर्बंधन केवल तब संवैधानिक हो सकते हैं, जब वे अनुच्छेद 19(6) के अर्थ बोध में युक्तियुक्त निर्बंधनों की सीमाओं के अधीन हो। इस तरह, राज्य जहां ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन को प्रतिषिद्ध और दण्डनीय बना सकता है, जो कि अश्लील है, अथवा लोक स्वास्थ्य अथवा सदाचार के लिए हानिकारक है। वही ऐसी विधि भी संवैधानिक होगी, यदि वह साधारण जनता के हितों से संबंधित नहीं है, अथवा अयुक्तियुक्त रूप से संदिग्ध अथवा अस्पष्ट है।

इस तरह प्रकट है कि विज्ञापन अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और इसका प्रत्यक्ष संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि समाचार–पत्रों अथवा पत्रिकाओं में विज्ञापन के स्थान पर निर्बंधन लगाया जाता है तो इससे प्रेस की आमदनी पर प्रभाव पड़ता है। परंतु विज्ञापन यदि वृत्ति और व्यापार के तत्व से परिपूर्ण है तो उस पर अधिरोपित निर्बंधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिरोपित निर्बंधन नहीं माना जाएगा। समाचार–पत्र न केवल अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, बल्कि वे एक व्यापार अथवा कारोबार भी है, जहां तक उनके द्वारा मौद्रिक प्रतिफल के लिए विभिन्न कोटि के विज्ञापनदाताओं के विज्ञापनों को प्रकाशित किया जाता है। यह स्थिति किसी समाचार–पत्र अथवा अन्य पत्रिकाओं के मुद्रक और प्रकाशक को वहां विधिक नियंत्रण के अधीन ला देता है, जहां वह विषयवस्तु, जिसे विज्ञापित किया गया है, अवैध है और उसका प्रकाशन सुसंगत कानून के अधीन न केवल विज्ञापनदाता को, बल्कि प्रकाशक को भी उत्तरदायी बनाता है।

इस संबंध में औषधि और चमत्कारी उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा–2(क) के अनुसार विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल लपेटन या अन्य दस्तावेज और मौखिक रूप से या प्रकाश ध्वनि उत्पन्न करना या पारेषित करके की गई कोई घोषणा भी है। इस तरह कोई विज्ञापन ऐसा कोई दस्तावेज है, जो जनता को किसी उत्पाद, उपलब्धता अथवा उसी तरह की किसी बात का घोषणा करती है। क्योंकि कोई विज्ञापन भी उस तरह का कोई प्रकाशन हैं, जैसा कि कोई संपादकीय लेख अथवा कोई समाचार कहानी, अतः किसी समाचार–पत्र अथवा मुद्रक ऐसे किसी विज्ञापन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जो कि इसलिए अवैध है, क्योंकि या तो वह अश्लील हैं, अथवा मानहानिकारक है, अथवा वह ऐसी किसी वस्तु से संबंधित है, जो लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे भले ही उस विज्ञापन को किसी तीसरे पक्षकार द्वारा भेजा गया हो और प्रेस उसकी रचना के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी न हो।

औषधि एवं चमत्कारी उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम 1954 का उद्देश्य लोगों को तथाकथित चमत्कारी दवाओं और उपचारों जैसे मंत्र तंत्र, कवच और जादू टोने के प्रयोग के संभावित दुष्प्रभावों से बचाना है। इसमें कुछ प्रकार के विज्ञापनों को नियंत्रित करने का कुछ प्रयोजनों की कथित औषधियों के विज्ञापनों पर रोक लगाने के उपबंध किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना वैध ठहराया है और यह मत व्यक्त किया है कि व्यापारिक लाभ की वस्तुओं के विज्ञापन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

Scanned with CamScanner

P: ISSN NO.: 2321-290X
E: ISSN NO.: 2349-980X
RNI : UPBIL/2013/55327
Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019

के आधार पर नियंत्रणों से मुक्त नहीं रखा जा सकता है। 'चमत्कारी उपचार' ऐसे तिलिस्मों, मंत्र, कवच, किसी प्रकार के अन्य जादू टोने आते हैं, जिनके बारे में यह दावा किया जाये कि उनमें मनुष्यों या पशुओं के रोगों के निदान, रोगों से मुक्ति, रोगों की कमी या रोगों के इलाज या उन्हें रोकने की या मनुष्यों और पशुओं के शरीर की संरचना या किसी अंग की क्रियाओं को प्रभावित करने की अद्भुत शक्तियां हैं।

इस अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत किसी ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन में लगा होना अपराध है, जिससे यह धारणा बनती हो या यह प्रकल्पित हो कि इस औषधि को–1. स्त्रियों का गर्भपात कराने या गर्भधारण रोकने, 2. यौन आनंद के लिए व्यक्तियों की छमता बनाए रखने या बढाने, 3. स्त्रियों के ऋतुस्राव के विकारों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। विधेयक के अनुसूची में दिए गए किसी रोग, विकार या दशा के निदान, रोग मुक्ति, उसमें कमी करने या उसकी चिकित्सा या निवारण करने के लिए भी किसी औषधि का प्रयोग इंगित करने वाले विज्ञापन के प्रकाशन में भाग लेना अपराध है। अनुसूची में कैंसर, मधुमेह, अंधापन, स्त्री रोग, हृदय रोग, लकवा, प्लेग, चेचक आदि 54 प्रकार के रोग, विकार या दशाओं को शामिल किया गया है।

लेकिन, ऐसे किसी रोग, विकार या दशा के बारे में ही नियम बनाये जा सकते है, जिसके लिए पंजीकृत चिकित्सक से परामर्श करना अपेक्षित है या जिसके लिए आम तौर से कोई मान्य इलाज नहीं है। साथ ही औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन गठित औषधि सलाहकार बोर्ड से या यदि सरकार उचित समझे तो यूनानी या आयुर्वेदिक चिकित्सा–पद्धतियों के विशेषज्ञों अथवा अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से परामर्श के बाद ही ये नियम बनाये जा सकते है। धारा–4 के अन्तर्गत उस विज्ञापन के प्रकाशन में भाग लेना अपराध है: 1. जिससे विज्ञापित औषधि के संबंध में कोई सही धारणा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बनती हो, 2. उस औषधि के लिए कोई झूठा दावा किया गया हैं, या 3. जो महत्वपूर्ण बातों में झूठा या भाम्रक हो।

चमत्कारी उपचार करने का धंधा करने वालों या जिनका ऐसा धंधा करना तात्पर्यित है, उनके द्वारा ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन में भाग लेना धारा–5 में अपराध है, जिनको धारा–3 में कहे गए रोगों, विकारों या दशाओं के चमत्कारी उपचार का सीधा या अप्रत्यक्ष दावा किया गया हो। धारा–6 के तहत ऐसे दस्तावेजों का आयात निर्यात भी अपराध है जिनमें उपर्युक्त तीनों धाराओं में निर्दिष्ट प्रकार का कोई विज्ञापन हो। इस कानून या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वाले को प्रथम दोष सिद्धि पर 6 माह तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंड दिया जा सकता है। पुनः इस कानून के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को कब्जे में लिया जा सकता है। तलाशी और जब्ती के बारे में यथाशक्य वहीं उपबंध लागू होते हैं, जैसे दण्ड प्रकिया की धारा–98 में निहित है।

इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय है अर्थात पुलिस किसी शिकायत के बगैर अपनी ओर से कार्रवाही कर सकती है। लेकिन, मामले की सुनवाई प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से नीचे की किसी अदालत में नहीं हो सकती है। पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा धारा–3, अनुसूची या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में उल्लिखित किसी रोग, विकार या दशा के उपचार के लिए अपने परिसरों में प्रदर्शित किसी सूचना–पट्ट या सूचना पर इस अधिनियम की कोई बात लागू नहीं होगी। इसके अलावा धारा–3 में उल्लिखित किसी विषय पर वैज्ञानिक अथवा सामाजिक दृष्टिकोण से सदभावनापूर्वक लिखी गई किसी कृति या पुस्तक या किसी औषधि के संबंध में किसी पंजीकृत चिकित्सक को गुप्त रूप से भेजे गए विज्ञापन, किसी औषधि के संबंध में सरकार द्वारा मुद्रित या प्रकाशित विज्ञापनों या किसी और औषधि के संबंध में औषधि और चमत्कारी उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) संशोधन अधिनियम, 1963 के लागू होने से पहले सरकार द्वारा दी गई पूर्व मंजूरी से मुद्रित या प्रकाशित विज्ञापनों पर भी इस विधेयक की कोई बात लागू नहीं होगी। धारा–15 में केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह लोकहित में अपेक्षित समझे तो किसी औषधि सम्बन्धी विज्ञापनों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के उपबंध लागू करने से छूट दे सकती है।

भारत में गर्भपात के विज्ञापन के संबंध में कोई विज्ञापनदाता इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि किसी प्राइवेट स्थान पर किया जाने वाला गर्भपात विधिपूर्ण होगा। इस तरह यदि किसी प्राइवेट विज्ञापनदाता द्वारा गर्भपात को विज्ञापित किया जाता है तो वह या तो भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत अपराध होगा। अपहानिकर प्रकाशनों के विज्ञापन से संबंधित सुसंगत कानून का नाम है अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956। इस अधिनियम की धारा–3(1)(ख) ऐसे किसी अपहानिकर प्रकाशन के मुद्रण को संज्ञेय अपराध बनाती है, जिसका तात्पर्य ऐसा कोई प्रकाशन है, जिसमें अपराधों का किया जाना, हिंसात्मक कार्य अथवा कूरता अथवा किसी अपकर्षक अथवा भयानक प्रकृति के कार्यों को इस तरह चित्रित करना सम्मिलित है कि उससे कोई अल्पवय व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा–292(2)(घ) किसी व्यक्ति के ऐसे किसी कार्य को अपराध की संज्ञा प्रदान करती है जो यह विज्ञापित करता है या किन्हीं साधनों द्वारा चाहे वह कुछ भी हो यह ज्ञात कराता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है या लगाने के लिए तैयार है, या यह कि कोई अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294–(क) के अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति को दण्डनीय बनाया गया हैं, जो किसी लॉटरी में जो न तो राज्य लॉटरी है और न ही तत्ससंबंधी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लाटरी है, किसी टिकट, लाट, संख्यांक या आकृति को निकालने से या लागू होने वाली किसी घटना या स्थिति पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, किसी राशि को देने की, या किसी राशि को देने की, किसी बात प्रकाशित करता है इस तरह उक्त धारा 294–(क) के

Scanned with CamScanner

अधीन न केवल विज्ञापनदाता दंडनीय है, बल्कि किसी समाचार पत्र अथवा उस प्रयोजन के लिए किसी सर्कुलर का मुद्रक और प्रकाशन भी दंडनीय है।

ऐसे किसी पुरस्कार प्रतियोगिता इनामी चिट अथवा धन परिचालन स्कीम के विज्ञापन का मुद्रण, प्रकाशन अथवा वितरण जो कि जुआ की प्रकृति का नहीं है और जिसमें कोई स्कीम अंतरवलित नहीं है, पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1955 और इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम 1978 के अधीन दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 415 में परिभाषित छल का अपराध किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को ही समूह किसी झूठी स्कीम से संबंधित मिथ्या विज्ञापनों को प्रकाशित करता है और बेईमानीपूर्वक जनता को अपने यहां निक्षेप करने के लिए प्रेरित करता है। तथापि, यदि किसी कपटपूर्ण दुर्व्यदेशन अथवा बेईमानपूर्ण निग्रहण अथवा उत्प्रेरण का अभाव है, तो किसी व्यक्ति को केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं होना होगा, क्योंकि उसके द्वारा प्रकाशित स्कीम एक परिकल्पना थी।

भारतीय प्रेस परिषद का अश्लील विज्ञापनों के प्रकाशन संबंध में बहुत बड़ी संख्या शिकायतें प्राप्त हो हुई है उसने इस विषय पर विचार विमर्श किया और यह अभिव्यक्त किया कि इस तरह के विज्ञापनों के प्रकाशन पर आंतरिक रूप से स्वयं प्रिंट मीडिया को ही पूर्व अवरोध लगाने की आवश्यकता है। अतः परिषद द्वारा समाचार–पत्रों के संपादकों और अधिस्वामियों के साथ ऐसे प्रकाशनों पर स्व–अवरोध के विषय में विचार विमर्श करें और अश्लील तथा अभद्र विज्ञापनों के प्रकाशनों को रोकने के लिए कतिपय उपायों एवं दिशा निर्देशों का उद्‌विकास करें।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय संविधान द्वारा वाक् और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्राप्त है। वह समाचार पत्रों के सुचारू रूप से संचालन का मार्ग प्रशस्त करती है। परंतु यह स्वतंत्रता कतिपय आधारों पर निर्बंधित करने की शक्ति स्वयं संविधान द्वारा राज्य को प्रदान की गई है। इस शक्ति का प्रयोग करके राज्य ने समाचार पत्रों के विज्ञापन की स्वतंत्रता को विनियमित करने का प्रयास किया है। विज्ञापन समाचार पत्रों की आय के साधन है परंतु उन्हें आय प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जो अधिनियम में वर्जित किए गए हैं। समाचार–पत्रों द्वारा आज भी ऐसे अनेक विज्ञापनों को प्रकाशित किया जा रहा है जिनके द्वारा अश्लीलता और अभद्रता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह के विज्ञापनों के प्रकाशन में समाचार पत्रों के संपादकों में अवरोध की संकल्पना को प्रयुक्त करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान द्वारा वाक् और अभिव्यक्ति तथा वृत्ति, आजीविका, व्यापार अथवा कारोबार की जो स्वतंत्रता प्राप्त की है। वह समाचार पत्रों के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त करती है परंतु यह स्वतंत्रता अपरिमित और विशुद्ध प्रकृति की नहीं है और कतिपय आधारों पर उसे निर्बंधित करने की शक्ति स्वयं संविधान द्वारा राज्य को प्रदान की गई है। इस शक्ति का प्रयोग करके राज्य ने कतिपय अधिनियम को पारित किया है और उनके द्वारा उसने समाचार पत्रों के विज्ञापन की स्वतंत्रता को विनियमित करने का प्रयास किया है। विज्ञापन समाचार पत्रों की आय के साधन है परंतु उन्हें आय प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जो अधिनियम के अधीन वर्जित किए गए हैं और जो अवैध हैं। समाचार–पत्रों द्वारा आज भी ऐसे अनेक विज्ञापनों को प्रकाशित किया जा रहा है जिनके द्वारा अश्लीलता और अभद्रता को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा लोगों को अपनी विभिन्न प्रकार की बीमारियों की स्व–चिकित्सा हेतु प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे समस्त विज्ञापन अवैध है और तदनुसार के अनुपालन हैं जैसा कि भारतीय प्रेस परिषद ने भी राय व्यक्त की है कि इस तरह के विज्ञापनों के प्रकाशन में समाचार पत्रों के संपादकों में अवरोध की संकल्पना को प्रयुक्त करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *एकेश्वर प्रसाद हटवालः विज्ञापन कला (1989) भूमिका*
2. *डॉ0 रमेश चन्द त्रिपाठी, पत्रकारिता का सिद्धांत (1997) पृष्ठ 399*
3. *राजेन्द्र, लोक सम्पर्क चतुर्थ संस्करण (1995) पृष्ठ 300*
4. *दुर्गादास बसु, लॉ ऑफ द प्रेस (1996) पृष्ठ 120–121*
5. *एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स बनाम भारत संघ, ए0आई0आर0 (1958)*
6. *एसोसिएटेड प्रेस बनाम यू0एस0 (1945) पृष्ठ 326 यू0एस0*
7. *हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ, ए0आई0आर0 (1960) ए0सी0 554*
8. *बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी बनाम भारत संघ, ए0आई0आर0 (1973) ए0सी0 106*
9. *डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी, भारत का संविधान (2002), पृष्ठ 146*
10. *टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (1995)*
11. *डॉ0 नन्द किशोर त्रिखाः प्रेस विधि (1998) पृष्ठ 177–179, जफर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1973) एस0सी0डब्लू0आर0 351*
12. *भारतीय दण्ड संहिता (1860) की धारायें 312 से 315*
13. *दुर्गादास बसु, लॉ ऑफ द प्रेस (1996) पृष्ठ 147*
14. *पंजाब सप्रेसन ऑफ इन डिसेन्ट एडवरटाइजमेंट एक्ट, 1941*
15. *बाम्बे लाटरीज एण्ड प्राइज कंपटीसंस एक्ट (1958) की धारा–33*

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार

राविप्रौसंप NCSTC

सहभागिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/सुश्री/श्रीमती डॉ० .... विजयेन्द्र चतुर्वेदी .... ने

सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रसार विषयक कार्य शिविर / संगोष्ठी में, स्थान ....डॉ० रा० म० लो० अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद.... दिनांक ....30 मार्च से 2 अप्रैल 2007.... तक सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सृजनात्मक सहयोग प्रदान किया, जिस हेतु उन्हें प्रोत्साहन स्वरुप यह प्रमाण-पत्र / स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है।

(डॉ. मनोज मिश्र)
अध्यक्ष
श्री द्वारिकाधीश लोक संस्कृति एवं वानस्पतिकी विकास संस्थान
जौनपुर

(डॉ. मनोज के. पटैरिया)
निदेशक
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार
नई दिल्ली

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,

भारत सरकार

राविप्रौसंप NCSTC

सहभागिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/सुश्री/श्रीमती डॉ० विजयेन्दु चतुर्वेदी ने

जन माध्यमों के लिए विज्ञान समाचार लेखन एवं प्रस्तुतिकरण विषयक

कार्य शिविर / संगोष्ठी में, स्थान जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग डॉ० रा० म० लो० अवध वि०वि०, फैजाबाद

दिनांक 9 मार्च से 12 मार्च 2010 तक सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए

सृजनात्मक सहयोग प्रदान किया, जिस हेतु उन्हें प्रोत्साहन स्वरुप यह

प्रमाण-पत्र / स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है।

(डॉ. मनोज मिश्र)
अध्यक्ष
श्री द्वारिकाधीश लोक संस्कृति
एवं वानस्पतिकी विकास संस्थान
जौनपुर

(डॉ. मनोज के. पटैरिया)
निदेशक
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार
नई दिल्ली

Scanned with CamScanner

होटल प्रबंधन संस्थान, लखनऊ उ0 प्र0

ihm LUCKNOW

(पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय)

सेक्टर–जी, अलीगंज, लखनऊ (उ0प्र0) भारत 226024

Incredible India

स्वच्छता एक्शन प्लान (एस0ए0पी0) कार्यशाला

सहभागिता प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री Dr. VIJAYENDU CHATURVEDI (MCJ) ने

संस्थान के द्वारा दिनांक 22.12.18 से 23.12.18 तक स्वच्छता एक्शन प्लान का कार्यान्वन विषय पर

आधारित कार्यशाला मे भाग लिया।

हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

गौरव विशाल	तरूण कुमार बंसल	राजीव मेहरोत्रा
समन्वयक (एस0ए0पी0)	नोडल अधिकारी (एस0ए0पी0)	प्रधानाचार्य

CS Scanned with CamScanner

One Week Workshop

On

Android App Development

(AAD 2019)

10 to 14 March 2019

Organized By

Department of Information Technology

Institute of Engineering & Technology

Dr. Rammanohar Lohia Avadh University ,Ayodhya (U.P) - INDIA

Sponsored by -

TEQIP -III National Project Implementation Unit, MHRD, Govt. of India

TEQIP-3

Technical Education Quality Improvement Programme

CERTIFICATE

This is to certify that Prof./Dr./Er. Vijayendra Chaturvedi of

Institute of Engineering &Technology,Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Ayodhya,

has worked as Convenor/Co-ordinator / Secretary/ Organizing Committee Member in the

One Week Workshop entitled "Android App Development" held during 10th to 14th March 2019 at

Institute Of Engineering & Technology, Dr.Rammanohar LohiaAvadh University Ayodhya.

ANDROID

We wish him/her the best for future endeavours.

THE WORLD BANK

NPIU

Prof. Ramapati Mishra	Prof. Manoj Dixit
Director IET	Vice Chancellor

Scanned with CamScanner

One Week Workshop

On

Recent Advances in CAD/CAM

25 to 29 March 2019

Organized By

Department of Mechanical Engineering

Institute of Engineering & Technology

Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (U.P) - INDIA

Sponsored by -

TEQIP -III

TEQIP-3

Technical Education Quality Improvement Programme

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय

ज्योतिषां ज्योतिरेकम्

CERTIFICATE

This is to certify that Prof./Dr./Er. Vijendu chaturvedi of

Institute of Engineering & Technology, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Ayodhya,

has worked as Convener/Co-ordinator / Secretary/ Organizing Committee Member in

One Week Workshop entitled "Recent advances in CAD/CAM" held during 25th to 29th March 2019 at

Institute Of Engineering & Technology, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Ayodhya.

We wish him/her all the best for future endeavours

THE WORLD BANK

NPIU

Prof. Ramapati Mishra

Director IET

Prof. Manoj Dixit

Vice Chancellor

Scanned with CamScanner

RESEARCH FOR
RESURGENCE FOUNDATION

National Workshop on Research Methodology
Organized by
Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya-224001
in Collaboration with
Research for Resurgence Foundation (RFRF), Nagpur

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय • ज्योतिषां ज्योतिरेकम् •

Certificate of Participation

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Ms. Vijayendu Chaturvedi, Dr RML Avadh Univ. has actively participated in **National Workshop on Research Methodology.**

We wish him/her great success in future endeavours.

Prof. Ashok Shukla
(Convenor)
Director - IQAC

Prof. Manoj Dixit
(Patron)
Vice Chancellor

Scanned with CamScanner

राष्ट्रिय शोध संगोष्ठी

सा विद्या या विमुक्तये

उ०प्र० संस्कृत संस्थानम्

द्वारा प्रायोजिता

संस्कृत विभाग, बद्री विशाल कालेज, फर्रुखाबाद

द्वारा समायोजिता

प्रमाणपत्रम्

प्रमाणीक्रियते यत् श्री/सुश्री/श्रीमती/प्रो०/डॉ० बिजयेन्दु चतुर्वेदी

१२,१३,१४ नवम्बर, २००६ दिनाङ्के समायोजितायां राष्ट्रियशोधसंगोष्ठ्यां **संस्कृतवाङ्मय में लोककल्याण की अवधारणा** विषये स्वकीयं मौलिकं शोधपत्रं पठितवान्/पठितवती।

विनोद कुमार दुबे	डॉ. शिवबालक द्विवेदी	डॉ. रमाकान्त तिवारी
संरक्षक	अध्यक्ष	सचिव

Scanned with CamScanner

कुशाभाऊ ठाकरे
पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय
रायपुर छत्तीसगढ़

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/ सुश्री/ डॉ. ......विजयेन्द्र चतुर्वेदी...................................... ने

भारत की अनुसूचित जनजातियाँ

(कल, आज और कल)

विषय पर दिनांक 24-25 अप्रैल 2010 को रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में शोध पत्र प्रस्तुत किया / सहभागिता की।

शोध पत्र का शीर्षक

____

शाहिद अली
डॉ. शाहिद अली
संयोजक एवं अध्यक्ष
जनसंचार विभाग

सच्चिदानंद जोशी
कुलपति

Scanned with CamScanner

NATIONAL SEMINAR

on

Empowerment of Women in India: Opportunities And Challenges

22nd November, 2014

Sponsored by : **UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, NEW DELHI**

Organized by : Department of Law

K. S. Saket P. G. College, AYODHYA - FAIZABAD (U.P.)

(Affiliated to Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad)

CERTIFICATE

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Ms. Vijayendu Chaturvedy, Asst. Professor

(Faculty/Res. Scholar/Student) of Dept of MCJ, Dr. R.M.L. Avadh University, Faizabad

has ~~chaired~~ / co-~~chaired~~ / delivered ~~lecture~~ as a resource person / participated / presented a paper entitled

....

A.K. Singh

(Dr. Ajay Kumar Singh)

Convener / Organizing Secretary

PRINCIPAL

K. S. SAKET P. G. COLLEGE

Ayodhya, Faizabad

(Dr. D. D. Dubey)

Principal / Chairman

Scanned with CamScanner

इग्नू
जन-जन का
विश्वविद्यालय

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

सिंधी पीठ, अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ० विजयेन्दु चतुर्वेदी ने **सिंधी पीठ, अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ, इग्नू** द्वारा **"भारत में अस्मिताएँ : विशेष संदर्भ–सिंधी समाज एवं संस्कृति"** विषय पर व्यवसाय प्रबंध एवं उद्यमिता विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में **28–29 दिसंबर, 2016** को आयोजित दो–दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में अकादमिक सत्र की अध्यक्षता की/पत्र प्रस्तुत किया/भाग लिया।

हरीश सेठी
डॉ. हरीश कुमार सेठी
संगोष्ठी समन्वयक

डॉ. राजेंद्र प्रसाद पांडेय
निदेशक,
अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ एवं संगोष्ठी समन्वयक

CS Scanned with CamScanner

Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad

National Seminar

'Economic Socialism and Relevance of Dr. Lohia's Thought'

(On the Occasion of 108th Birth Anniversary of Dr. Ram Manohar Lohia)

23rd March, 2018

Certificate of Participation /Presentation

This is to certify that Dr. / Mr. / Ms. VIJAYENDU CHATURVEDY of the DEPARTMENT 'MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM participated as a Chairman/ Resource Person / Speaker / Organizing Committee Member / Registered Delegate in the One day National Seminar on "Economic Socialism and Relevance of Dr. Lohia's Thought" held at Department of Economics and Rural Development & Bachelor of Visual Arts, Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad.

He / She Attended the seminar and presented a paper titled .... in the technical session on .... in this seminar.

Priya Kumari
Organizing Secretary

Vinod Kumar Srivastava
Convener & Head

Scanned with CamScanner

22ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERNATIONAL ACADEMY OF PHYSICAL SCIENCES

(CONIAPS XXII)

On

EMERGING TRENDS IN PHYSICAL SCIENCES

APRIL 13-15, 2018

Organized by

FACULTY OF SCIENCE

DR. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD-224001, U.P., INDIA

Certificate of Appreciation

University and IAPS highly recognize the valuable contribution and services provided by

Prof./Dr./Mr./Ms. Vijayendu Chaturvedi

as ~~Coordinator~~ / Member of Media / Publicity Committee

in organizing 22nd International Conference of International Academy of Physical Sciences (CONIAPS XXII)

at Faculty of Science, Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University during April 13-15, 2018

Prof. P. N. Pandey	Prof. S. N. Shukla	Prof. Manoj Dixit
General Secretary	Convener	Vice Chancellor &
IAPS	CONIAPS XXII	Patron CONIAPS XXII

Scanned with CamScanner

National Science Day

(Science For People & People For Science)

28 Feb - 1 March - 2019

Organized By

Institute Of Engineering & Technology

Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (U.P) - INDIA

Sponsored by -

TEQIP -III National Project Implementation Unit, MHRD, Govt. of India

TEQIP-3

Technical Education Quality Improvement Programme

CERTIFICATE

This is to certify that Prof./Dr./Er. Vijendu Chaturvedi of Institute Of Engineering & Technology, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Ayodhya, has worked as **Convenor/Co-ordinator / Secretary/ Organizing Committee Member** in the **NATIONAL SCIENCE DAY** held during 28th Feb to 1st March 2019 at Institute Of Engineering & Technology Dr.RammanoharLohia Avadh University Ayodhya.

We wish him/her the best for future endeavours.

Prof. Ramapati Mishra
Director IET

Prof. Manoj Dixit
Vice Chancellor

Scanned with CamScanner

National Seminar

on

Recent Advances in Yoga and Naturopathy

Jointly Organized by

Department of Yoga Therapy, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya (U.P.)

&

International Naturopathy Organization (INO)

Certificate of Appreciation

On the behalf of organizing committee of National Seminar, we deeply acknowledge your dedicated services and sincere contributions towards organizing this event as office bearer/member of committee/volunteer.

Name: Dr. Vijayendu Chaturvedi

Dept: Mass Communication & Journalism, Dr. R.M.L. Avadh University, Ayodhya

We wish every success for your future.

Dr. Anant Biradar
National President
International Naturopathy Organisation(INO)
www.inosurya.com

Prof. (Dr.) S. S. Mishra
Convener-Yog Deptt.
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University,
Ayodhya Uttar Pradesh
www.rmlau.ac.in

Dr. Omprakash Anand
President
INO Uttar Pradesh

CS Scanned with CamScanner

One Week Faculty Development Program

On

Internet Of Things

(IOT 2019)

10 to 14 March 2019

Organized By

Department of Information Technology

Institute of Engineering & Technology

Dr. Rammanohar Lohia Avadh University ,Ayodhya (U.P) - INDIA

Sponsored by -

TEQIP -III National Project Implementation Unit, MHRD, Govt. of India

THE WORLD BANK

NPIU

TEQIP-3

Technical Education Quality Improvement Programme

डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय

ज्योतिषां ज्योतिरेकम्

Certificate of Delivered Invited Talk

This is to certify that Prof./Dr./Er./Mr. Vijayendu chaturvedi *of* ________________, *has delivered invited talk in One Week Faculty Development Program entitled* "Internet Of Things" *held during 10th to 14th March 2019 at Institute of Engineering And Technology, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University Ayodhya.*

We wish him/her the best for future endeavours.

Prof. Ramapati Mishra	*Er. Samridhi Singh*	*Er. Paritosh Tripathi*	*Prof. Manoj Dixit*
Director IET	*Convener*	*Organizing Secretary*	*Vice Chancellor*
		(TEQIP Coordinator)	

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय संगोष्ठी

बाल विकास एवं संरक्षण के विविध आयाम और चुनौतियाँ

(25–26, फरवरी, 2012)

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आयोजक

समाजशास्त्र विभाग

गनपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुलतानपुर

(अभिसम्बद्ध : डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद)

एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रो0/डॉ0/श्री/सुश्री/श्रीमती विजयेन्दु चतुर्वेदी,

प्रवक्ता, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डॉ० रा० म० लो० अवध, विश्वविद्यालय

ने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया एवं 'बाल अधिकार एवं मीडिया'

विषय पर शोध–पत्र प्रस्तुत किया।

ज्योतिषां ज्योतिरेकम्

डॉ0 के0पी0 द्विवेदी
प्राचार्य

डॉ0 सीताराम सिंह
आयोजन सचिव/संयोजक

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय संगोष्ठी

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

हिन्दी पत्रकारिताः संभावनाएं और चुनौतियाँ

जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, उ0प्र0
22 फरवरी, 2013

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0 / डॉ0 विजयेन्दु चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभागी / विषय विशेषज्ञ / अध्यक्ष / उपाध्यक्ष /रेपर्टियर के रूप में भाग लिया। इन्होनें हिन्दी मीडिया में 'पेड-न्यूज' का बढ़ता चलन : विश्वसनीयता का संकट शीर्षक पर शोध पत्र / व्याख्यान / पोस्टर प्रस्तुत किया।

संयोजक
डॉ0 गोविन्द जी पाण्डेय
विभागाध्यक्ष,
जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग

CS Scanned with CamScanner

NATIONAL SEMINAR

on

Human Rights and Indian Constitution with Special Reference to Judiciary

1 & 2 March, 2014

Sponsored by : UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, NEW DELHI

Organized by : Department of Law

K. S. Saket P. G. College, AYODHYA - FAIZABAD (U.P.)

(Affiliated to Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad)

ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये

CERTIFICATE

This is to certify that Prof. / Dr. / Mr. / Ms. Vijayendu Chaturvedy

(Faculty/Res. Scholar/Student) of Dept. MCJ, Dr. R.M.L. Avadh University, Fzd

has chaired / co-chaired / delivered lecture as a resource person / participated / presented a paper

entitled Protection of human rights with spl. reference to the concept of People's rights as the third Generation of human rights.

(Dr. Ajay Kumar Singh)
Convener / Organizing Secretary

(Dr. D. D. Dube)
Principal / Chairman

PRINCIPAL
K. S. SAKET P. G. COLLEGE
Ayodhya - Faizabad

CS Scanned with CamScanner

JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY

Approved by the UGC under clause 2(f) of UGC Act, (1956)

(A VENTURE OF SEEDLING GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS)

NATIONAL SEMINAR

ON

ONLINE JOURNALISM: CHALLENGES AND PROSPECTS

ORGANIZED BY :

SCHOOL OF MEDIA STUDIES

27th & 28th April 2014

Certificate

This is to certify that ~~Prof.~~/ Dr. ~~Mr.~~ /~~Mrs.~~/ ~~Ms.~~ Vijendu Chaturvedi

from Ass. Prof. Department of Mass Comm. & Journalism (D.RML Avadh University Faizabad (U.P.)

participated/ attended the **National Seminar on Online Journalism: Challenges and Prospects** and made commendable contribution in various sessions of the Seminar.

He/ She also delivered a talk/ presented a paper on Web Patrakarita Avam HINDI

Organizing Committee Chairman

Prof. H.N. Varma, Pro-Vice-Chancellor

Prof. K.L. Sharma, Vice-Chancellor

Dr. Sandeep Bakshi, Chancellor

Scanned with CamScanner

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

K.S. SAKET P.G. CO... AYODHYA

NATIONAL SEMINAR

On

Socio-Political Development– Legal Awareness and Human Rights

21 - 22 February, 2016

Sponsored by
University Grants Commission
New Delhi

Organized by
Department of Sociology
K.S. Saket P.G. College
Ayodhya-Faizabad (U.P.)
Dr. R.M.L. AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD

Certificate

This is to certify that Dr. Vijayendu Chaturvedy, Astt. Professor. *of* Deptt of MCJ, Dr. R.M.L. Avadh University, Faizabad. *has participated/contributed in National seminar organized by Department of Sociology on 21 – 22 February, 2016 and presented a research paper entitled* "Challengess and Chaging Values in Human Development in the Web of Modernity."

Dr. Pradeep Khare
Chairman/Principal

Dr. Y.P. Tripathi
Organizer/Convenor

Scanned with CamScanner

065

K. S. SAKET P. G. COLLEGE AYODHYA

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

NATIONAL SEMINAR

On

Human Rights and Social Justice

28 - 29 February, 2016

Sponsored by
University Grants Commission
New Delhi

Organized by
Department of Sociology
K.S. Saket P.G. College
Ayodhya-Faizabad (U.P.)
Dr. R.M.L. AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD

Certificate

This is to certify that Dr. Vijayendu Chaturvedy, Astt. Professor. *of* Deptt of MCJ. Dr. R.M.L. Avadh University, Faizabad *has participated/contributed in National seminar organized by Department of Sociology on 28 - 29 February, 2016 and presented a research paper entitled* "The Concept of Peoples' Rights as the Third Generation of Human Rights."

Dr. Y.P. Tripathi
Organizer/Convenor

Dr. Pradeep Khare
Chairman/Principal

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

राष्ट्रीय संगोष्ठी

मोहन से महात्मा तक की यात्रा

2 एवं 3 मार्च 2016

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ डॉ./प्रो. ...... विजयेन्द्र चतुर्वेदी असि. प्रोफेसर

ने 2 एवं 3 मार्च 2016 को उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग किया

एवं ...... पत्रकारिता के राष्ट्रव्रती महात्मा गाँधी - एक विमर्श ...... विषय पर शोध-पत्र प्रस्तुत किया।

M. Singh	J. S. Singh	Srivastava
डॉ. एम.एन. सिंह	डॉ. जे.एस. सिंह	डॉ. दीपशिखा श्रीवास्तव
संयोजक	सह-संयोजक	आयोजन सचिव

CS Scanned with CamScanner

Department of Education

DEEN DAYAL UPADHYAYA GORAKHPUR UNIVERSITY GORAKHPUR

11 - 12, March, 2016

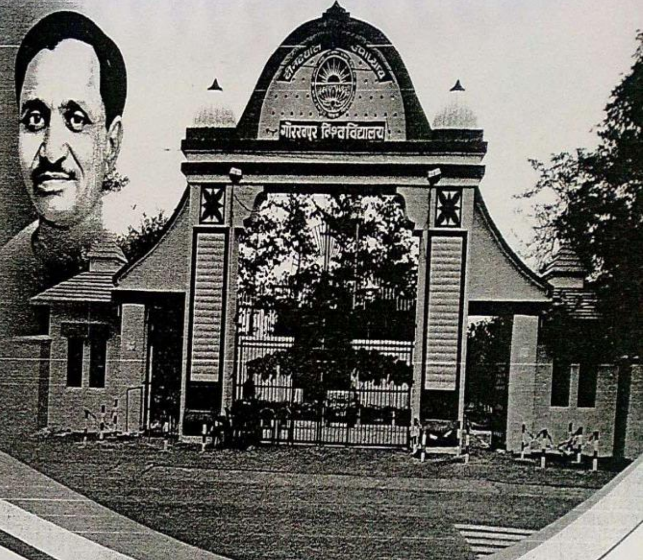

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

Deen Dayal Upadhyaya Centenary Two Days UGC Sponsored

NATIONAL SEMINAR

on

Issue and Challenges of Education in Indian Context

In collaboration with Association for Educational Development

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Ms./ Vijayendu Chaturvedi, Asst. Professor *Of* Dr. R.M.L.A. Vishvidyalaya Faizabad, Dept. of Mass Communication & Journalism *participated/Chaired/Contributed in the Seminar and presented of Paper entitled* शिक्षा के प्रसार में मीडिया की भूमिका।

Dr. Sushma Pandey
Organizing Secretary
National Seminar

Prof. Sumitra Singh
Convenor
National Seminar

Prof. Lalji Tripathi
Head of Department
President AED

Scanned with CamScanner

NATIONAL SEMINAR

on

Contemporary Scenario of Higher Education : Challenges & Prospects

27th and 28th of March, 2016

Sponsored by : Department of Higher Education, Uttar Pradesh

Organized by : K. S. Saket P. G. College, AYODHYA - FAIZABAD (U.P.)

(Affiliated to Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad)

CERTIFICATE

This is to certify that Prof. / Dr. / Mr. / Ms. Vijayendu Chaturvedy, Asst. Professor

of Dept of MCJ, Dr. R.M.L. Avadh University, Faizabad.

has chaired / co-chaired / delivered lecture as a resource person / participated / presented a paper entitled

"राष्ट्रीय चेतना के विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका"

(Dr. Anurag Mishra)
Convener

(Dr. S. P. Singh)
Organizing Secretary

(Pradeep Khare)
Principal

Scanned with CamScanner

आन्तरिक गुणवत्ता निर्धारक प्रकोष्ठ

रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अकबरपुर, अम्बेडकर नगर-224122 (उ0प्र0)

INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL (IQAC)

Ramabai Government Mahila PG College

Akbarpur, Ambedkar Nagar-224122 (U.P.)

Sponsored

NATIONAL SEMINAR

(Interdisciplinary)

on

औपनिवेशिक भारतः इतिहास, साहित्य एवं राजनीति

Colonial India: History, Literature and Politics

20 January 2018

Certificate

This is to certify that Prof./ Dr./ Mr./ Smt./ Ms. Vijayendu chaturvedy *designation* Assistant Professor *University/ College/ Institution/ Organization* Deptt. of M.C.J. Dr. RML Avadh University, faizabad. *has participated in the National Seminar (interdisciplinary) on "Colonial India: History, Literature and Politics". He/ She has presented his/ her paper on* औपनिवेशिक भारत : राष्ट्रीयता एवं संस्कृति

He/She has also acted as resource person/ keynote speaker/ co-chaired/ chaired session/special invitee in the seminar.

Prof. Shefali Singh
(Principal)
Patron

Dr. Shahid Perwez
(IQAC-Member)
Organizing Secretary

Dr. Mahendra Prakash
(IQAC-Coordinator)
Convener

Scanned with CamScanner

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY

•LUCKNOW•
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025

जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग

राष्ट्रीय संगोष्ठी

भोजपुरी सिनेमा : सरोकार और बाजार

ए बाबू गउंवा छूटल जात...

23 फरवरी 2018

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री/श्रीमती विजयेन्दु चतुर्वेदी

ने 'भोजपुरी सिनेमा : सरोकार और बाजार' विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में भोजपुरी सिनेमा

पर भूमंडलीकरण का प्रभाव पर प्रतिभाग/शोध पत्र प्रस्तुत/सत्र की अध्यक्षता किया।

प्रो. गोविन्द जी पाण्डेय
संयोजक

Scanned with CamScanner

National Seminar

On

ENVIRONMENTAL ISSUES AND CHALLENGES IN INDIA

Sponsored by : Department of Higher Education, Uttar Pradesh

Organized by

Ramabai Government Mahila Post Graduate College

NAAC GRADE 'B'

Akbarpur, Ambedkar Nagar (U.P.)-224122

04-05 February 2018

Certificate

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Ms./Smt. Vijayendu Chaturvedy, Assistant Professor, Dept. of M.C.J., Dr. R.M.L. Avadh University, Faizabad

has participated as Keynote speaker/ Resource person/ Chairperson/ Co-Chairperson/ Rapporteur/Delegate/Special Invitee/ Research Scholar/ Student.

He / She has presented the Poster/ Paper entitled "पर्यावरणीय शिक्षा एवं जागरूकता" during technical session of seminar.

Prof. Shefali Singh	Sanjeev Arora	Ravindra Kumar Verma
(Patron / Principal)	(Organizing Secretary)	(Convener)

Scanned with CamScanner

National Seminar

On

Role of Govt./Non Govt. Agencies and Voluntary Organizations in the National Cleanliness Program

"राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम में सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका"

February 25–26, 2019

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

CERTIFICATE

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Ms. विजयेन्दु चतुर्वेदी, असि॰ प्रोफेसर, जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, डॉ॰ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

has chaired/ co-chaired / delivered special lecture / participated / presented a paper titled "स्वच्छता अभियान में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका"

at the National Seminar on Role of Govt./Non Govt. Agencies and Voluntary Organizations in the National Cleanliness Program organized by the department of social work, Dr. R.L. Avadh University, Ayodhya.

Rajesh

Dr. RAJESH SINGH KUSHWAHA
Organizing Secretary

Dr. VINAY KUMAR MISHRA
Convener

Scanned with CamScanner

National Seminar

on

Gandhi Shows Way to Today's Journalism

14 -15 March, 2019

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Department of Journalism and Mass Communication

Mahadev Desai Samajseva Sankul, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad,Gujarat

Certificate

This is to Certify that Prof./Dr./Mr./Ms. Dr. Vijayendu chaturvedi of DR. rammanohar lohiya avadh university U.P has Chaired the Session / Participated/Presented Research Paper titled राष्ट्रवर्ती महात्मा गांधी एवं पत्रकारिता in the National Seminar on 'Gandhi Shows Way to Today's Journalism' organised by Department of Journalism and Mass Communication, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad during March 14 -15, 2019.

Dr. Vinodkumar Pandey
Head
Department of Journalism
and Mass Communication

Dr. Rajendra Khimani
Registrar,
Gujarat Vidyapith, Ahmedabad

CS Scanned with CamScanner

Ref. No.
IET/AYODHYA/E-Edu/251

National Seminar on Significant Role of E-education through Social Distancing During Lockdown of Covid-19 Pandemic

Organized By
Institute of Engineering & Technology
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya, U.P.
&
Dr. Ambedkar Institute of Technology
Bengaluru, Karnataka
&
Collaboration with
SPIU, Uttar Pradesh

Certificate of Participation

This is to certify that Prof. / Dr. / Er. / Mr. / Ms. Vijayendu Chaturvedi of IET Rammanohar Lohia Avadh University has participated in National Seminar on Significant Role of E-education through Social Distancing During Lockdown of Covid-19 Pandemic Through Video Conferencing on Zoom app hosted by IET, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya, during 8-9 April, 2020.

Prof. Ramapati Mishra	Er. Vineet Kumar Singh	Er. Paritosh Tripathi	Dr. Anil Kumar	Prof. Manoj Dixit
Director IET	Convenor	TEQIP Coordinator	SPA SPIU, U.P	Vice Chancellor

Stay Home
Stay Safe
World Health Organization
SOCIAL DISTANCING
COVID-19
Coronavirus

Scanned with CamScanner

Gyan Setu

Samvaad

TEQIP-3

National Webinar on Importance of Indian ancient Culture, Science & Technology and Spirituality in side effect of Covid -19 Virus

Host by-:

Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya

रामसेतु

Certificate of Participation

This is to certify that Prof. / Dr. / Er. / Mr. / Ms. Vijayendu Chaturvedi of Dr RMLAvadh University, Ayodhya. has participated in National Webinar on Importance of Indian Ancient Culture, Science & Technology and Spirituality in side effect of Covid 19 Virus Through Video Conferencing hosted by IET, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya, on 19 April, 2020.

Prof. Ramapati Mishra	Er. Vineet Kumar Singh	Er. Paritosh Tripathi	Prof. Manoj Dixit
Director IET	Convenor	TEQIP Coordinator	Vice Chancellor

Stay Home

SOCIAL DISTANCING

Scanned with CamScanner

TEQIP-3 THE WORLD BANK NPIU

Ref. no. 1WDG8Y-CE000078

National Webinar on "The Role of Mass Media During the Pandemic Covid -19"

Organized By
Department of Mass Communication & Journalism
In Collaboration with
Institute of Engineering & Technology
Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya

Certificate of Participation

This is to certify that Dr. / Er. / Mr. / Ms. Dr. Vijayendu Chaturvedy
of Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya
participated in National Webinar on "The Role of Mass Media During the Pandemic Covid-19" Organized by Department of Mass Communication & Journalism in collaboration with IET, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya on 07th May, 2020.

Prof. Ramapati Mishra Director IET	Dr Vijayendu Chaturvedi Convenor Deptt. MCJ	Er. Paritosh Tripathi TEQIP Coordinator	Dr Rajesh Singh Kushwaha Organizing Secretary Deptt. MCJ	Prof. Manoj Dixit Vice Chancellor

Stay Home Stay Safe — World Health Organization — SOCIAL DISTANCING — COVID-19 Coronavirus

Scanned with CamScanner

NATIONAL WEBINAR ON

EXPLORING AND UNDERSTANDING THE ROLE OF MEDIA DURING COVID-19

ORGANIZED BY

DEPARTMENT OF MASS COMMUNICATION

VBS PURVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR, U. P,

IN COLLABORATION WITH PR NITI

PR नीति

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to certify that *Dr. Vijayendu Chaturvedi* has attended the National Webinar on " Understanding and Exploring The Role of Media during COVID-19" Organized by the Department of Mass Communication VBS Purvanchal University, Jaunpur, U.P in collaboration with PR Niti on 17th May'2020.

MRS. VIBHA SINGH	DR. DIGVIJAY SINGH RATHOR	DR. MANOJ MISHRA
DIRECTOR PR NITI	ORGANISING SECRETARY	DEAN & WEBINAR CONVENER

Scanned with CamScanner

भारतीय संस्कृति   अयोध्या धाम   वसुधैव कुटुम्बकम्

TEQIP-3

NPIU

अंतरराष्ट्रीय ई-संगोष्ठी "राम नाम अवलंबन एकू"

Certificate of Participation

This is to certify that Prof. / Dr. / Er. / Mr. / Ms. Dr. Vijayendu Chaturvedi of Dr Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya. has participated in International Conference on "RAM NAAM AVALAMBAN EKOO" Through Video Conferencing organised by Institute of Engineering and Technology, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya Uttar Pradesh on 26, 27, 28 May 2020.

Prof. Ramapati Mishra
Director IET

Er. Vineet Kumar Singh
Convenor

Er. Paritosh Tripathi
TEQIP Coordinator

Prof. Manoj Dixit
Vice Chancellor

Stay Home
Stay Safe

SOCIAL DISTANCING

COVID-19
Coronavirus

Scanned with CamScanner

NPIU

TEQIP-3

National E Seminar on

Sanskrit Vangmaya Aur Manviya Mulya

Organised by

Acharya Narendra Deo Kisan PG College, Gonda

In Collaboration with

Institute of Engineering and Technology, Dr R.M.L Avadh University Ayodhya, Uttar Pradesh

Certificate of Particiption

This is to certify that Prof./Dr./Er./Mr/Ms Dr. Vijayendu Chaturvedi **of**

Dr Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya. **has participated**

in National E Seminar on "Sanskrit Vangmaya Aur Manviya Mulya" Through

Video Conferencing held on 04 June ,2020

Dr.Dharmendra Kumar Shukla	Prof. Ramapati Mishra	Er. Paritosh Tripathi	Prof. Manoj Dixit
Principal	Director IET	TEQIP Coordinatior	Vice Chancellor

COVID-19

Scanned with CamScanner

NPIU

TEQIP-3

राष्ट्रीय ई संगोष्ठी

जम्मू और कश्मीर: एक महत्वपूर्ण सामाजिक भू क्षेत्र

आयोजक

भारतीय शिक्षण मंडल

एवं

डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या

सहभागिता प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रो./डॉ./ई./श्री/श्रीमती/ Dr. Vijayendu Chaturvedi

Dr Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya.

ने 24,25 जून, 2020 को आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी "जम्मू और कश्मीर: एक महत्वपूर्ण सामाजिक भू क्षेत्र" में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग लिया

डॉ अर्जुन मिश्रा
सहायक आचार्य ,शिवपति पी जी कॉलेज
शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर,
संयोजक गोरक्ष प्रांत

इ० रमेश मिश्र
सहायक आचार्य, आई०ई०टी
डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या
सचिव, तकनीकी इकाई, भारतीय शिक्षण मण्डल

आचार्य मनोज दीक्षित
कुलपति
डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या

COVID-19

Scanned with CamScanner

FIVE DAYS FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMME

on

E CONTENT CREATION FOR MOOCs AND MOODLE

ORGANISED BY

INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA

IN COLLABORATION WITH

IIT -BOMBAY SPOKEN TUTORIAL

TEQIP-3

Technical Education Quality Improvement Programme

Spoken Tutorial

YTWKTU-CE000271

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to certify that Dr. Vijayendu Chaturvedi *from* Dr Ram manohar Lohia Avadh University, Ayodhya *has participated and successfully completed Five Days Faculty Development Programme on* ***"E content creation for MOOCs and MOODLE"*** *during 10-14, July 2020 through Video Conferencing hosted by Institute of Engineering & Technology, Dr. Rammanohar Lohia Avadh University,Ayodhya .U.P.*

Er. PARITOSH TRIPATHI	**Er. RAJEEV KUMAR**	**PROF. RAMAPATI MISHRA**	**PROF. MANOJ DIXIT**
TEQIP Coordinator	**Convenor**	**Director**	**Vice-Chancellor**

Scanned with CamScanner